राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या: 15

शुक्रवार,

12 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

झालावाड़ में पटवारियों के रिक्त पद

241. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में कितने पटवार हलके हैं व पटवारियों की कितनी संख्या है? कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त जिले में पटवारी केवल मूल पद जहां उनकी नियुक्ति है, वहीं पर ही काम कर रहे हैं? यदि हां, तो रिक्त पटवार हलकों के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पटवार संगठनों के साथ पूर्व में हुए समझौते को नहीं माना जा रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त को किस प्रकार की राहत कब तक देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) झालावाड़ जिले में 323 पटवार हलके हैं। वर्तमान में झालावाड़ जिले में पटवारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है-

स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
323	139	184

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। वर्तमान में झालावाड़ जिले में पटवारी केवल मूल पद, जहां उनकी नियुक्ति है, वहीं काम कर रहे हैं।

पूर्व में कार्यरत पटवारियों को ही रिक्त पटवार मण्डलों का अतिरिक्त चार्ज दिया जाकर कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन राजस्थान पटवार संघ द्वारा दिनांक 15.01.2021 से उनकी मांगों को लेकर अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य नहीं करने हेतु अतिरिक्त पटवार मंडलों के बस्ते तहसील कार्यालय में जमा करा दिये हैं।

संघ की मांगों से संबंधित बिन्दु/निर्णय वित्त विभाग से संबंधित होने के कारण सार्थक परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी पटवारियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन को समाप्त करवाये जाने हेतु राजस्व विभाग स्तर पर सौहार्द्रर्ण वातावरण में समझाइश करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

पटवारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए पटवारी के 4,421 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 17.01.2020 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्राथमिकता से पदों को भरा जाएगा।

(3) जी नहीं। सरकार द्वारा पटवार संगठनों के साथ पूर्व में हुए समझौते अनुसार पटवार संगठन की मांगें वित्त विभाग से संबंधित होने के कारण राजस्व विभाग द्वारा अनुशंसा सहित प्रस्ताव वित्त विभाग एवं वेतन विसंगति निवारण समिति को प्रेषित कर दिये गये हैं, जिसके क्रम में वित्त विभाग द्वारा अवगत करवाया गया है कि वेतन विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है, जो परीक्षणाधीन है। उक्त रिपोर्ट पर निर्णय उपरान्त अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में 184 पद रिक्त हैं। खण्ड-2 में मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या खाली पदों पर अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का आप विचार रखते हैं, तो आपने जवाब दिया कि सौहार्द्रर्ण वातावरण में आंदोलन को समाप्त करने का विचार रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि दो महीनों से पटवार हलके के पद खाली हैं जिसकी वजह से किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। उनका एम.एस.पी. पर माल नहीं

(श्री नरेन्द्र नागर)

तुल पाएगा, तो क्या तुरंत उसके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराने का सरकार विचार रखती है? अगर रखती है तो क्या विचार रखती है? दूसरा प्रश्न यह है कि जो लंबे समय से हड़ताल चल रही है, तो उसके तुरंत समाधान के लिये भी क्या सरकार ठोस प्रयास करने का विचार रखती है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्थान के आमजन के जो कार्य हैं, वह बाधित नहीं हों, इस संदर्भ में राजस्व विभाग ने एक आदेश निकाला हुआ है कि पटवारी के जो कार्य हैं, वह कार्य उनसे उच्च अधिकारी कर सकेंगे। जो भी कार्य राजस्व विभाग का है, वह रूकेगा नहीं, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। दूसरा, जो आपने कहा है कि इनकी हड़ताल के कारण कई हैं। कई मांगें तो हम लोगों ने मान ली हैं। दो-तीन मांगों को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं। उसके लिये भी मैंने उनसे लगातार आह्वान किया है कि वित्त विभाग द्वारा उनकी मांगें नहीं मानने के कारण भी कोई परिस्थिति होगी और आज पूरे देश के अंदर कोरोना के कारण जो वित्तीय स्थिति हुई है, क्या उस वित्तीय स्थिति के अंदर उनकी मांगें तत्कालीन रूप से मानी जा सकती हैं? वह चीज अध्ययन करके और राज्य हित में अपनी हड़ताल को वापस लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 4,421 पदों की भर्ती के लिये जो आपने विज्ञप्ति जारी की है, वह 17.01.2020 को की है और आज अपन 2021 के तीसरे महीने में हैं। विज्ञप्ति जारी होने के बाद अब तक कौनसी प्रक्रिया नहीं होने के कारण से अभी तक हम यहां एक साल से अटके हुए हैं? जो विज्ञप्ति आपकी 2020 में जारी हो गयी, आज एक साल दो महीने के बाद भी इनका चयन क्यों नहीं कर पा रहे?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 17.01.2021 को विज्ञप्ति निकली है। एक साल नहीं हुआ, सिर्फ दो महीने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: 2020 की है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 2020 की तो हुई, जो विज्ञप्ति निकली थी, वह 17.01.2021 को निकली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह 17.01.2021 को यह निकल गयी थी, फिर चयन बोर्ड के अंदर जो

(श्री हरीश चौधरी)

हालात हुए, जिसके कारण वहां के अध्यक्ष को इस्तीफा भी देना पड़ा, उसके कारण भी यह भर्ती डिले हुई है। इस भर्ती को तत्काल ही कर दिया जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह 2020 है या 2021 है, यह चैक कर लें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, 2021 को निकाली है।

श्री अध्यक्ष: उत्तर में 2020 लिखा हुआ है। आपके डिटेल उत्तर में 2020 लिखा हुआ है। माननीय मंत्रीजी, 2020 है या 2021, आपका उत्तर 2020 का है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 2020 है, सर। विज्ञप्ति 2020 को निकली थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो विज्ञप्ति आपने 2020 को निकाली, उसमें आपने सारा शिड्यूल तय किया। एक साल दो महीने हो गये, अभी तक तो इनकी परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई, तो यह भर्ती होने की उम्मीद क्या करें? मेरे कहने का मतलब, जिस सामंत कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आप उत्तर दे रहे हो, उसकी रिपोर्ट 2019 में आ चुकी है। आप जो जवाब दे रहे हो इनके आंदोलन का, वह आंदोलन तो हुआ 2021 में, आपके पास रिपोर्ट उपलब्ध है, लेकिन आप उसका निर्णय कर नहीं पा रहे हो, इस कारण से फैसला नहीं हो पा रहा है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 के अंदर हड़ताल हुई। उस वक्त तत्कालीन आपकी सरकार के साथ उनकी कुछ बातों में समझौता हुआ। आपके पूरे कार्यकाल के दरम्यान कुछ भी इसके ऊपर प्रगति नहीं हुई। जैसे ही यह सरकार आयी, उनकी कई मांगों के संदर्भ में फैसले हुए। जैसे शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में फैसला हुआ। भर्ती के संदर्भ में आप कह रहे हो कि जिस दिन यह विज्ञप्ति निकली, उसके बाद में कोरोना के कारण भर्तियां हो सकती हैं या नहीं हो सकतीं, आपने स्वयं ने कल ही यह चिंता जाहिर की है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो कैम्प लगाये जा रहे हैं वार्षिक उत्सव के, उसके अंदर हम लोगों के यहां कोरोना और आगे बढ़ सकता है, इसकी चिंता आपने जाहिर की। क्या यह उचित होता कोरोना काल के अंदर हम लोग यह भर्ती करते? इतनी बड़ी संख्या के अंदर यह अभ्यर्थी थे, उसके

(श्री हरीश चौधरी)

बाद में वहां जो भी स्थितियां हुई, उन स्थितियों के अंदर हम लोगों ने वापस इन भर्तियों को आगे करवाया, क्योंकि सरकार को यह लगा कि यह उचित नहीं रहेगा। निष्पक्ष तौर पर हर अभ्यर्थी को न्याय मिले, योग्यता के आधार पर उनका चयन हो, इसलिए फिर यह भर्ती आगे बढ़ायी गयी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपका यह कहना कि कोरोना काल के कारण से नहीं हुआ। इसी चयन बोर्ड ने, इसी पीरियड में हजारों की संख्या की भर्ती की परीक्षाएं करायी हैं। इसलिए यह तो बहाना इसके लिये ठीक नहीं बैठेगा। परीक्षा नहीं होना और इसको बार-बार टालना, यह उनके आंदोलन का मेन बिंदु है कि आप इसको बार-बार क्यों टाल रहे हो। जो काम हो सकता था, उसको आपने टाला है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कारण नहीं है। उनके तीन कारण हैं, जिसके कारण ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। पहला, उनकी 3600 ग्रेड पे के संदर्भ में है, दूसरा कारण उनका प्रमोशन है, 9-18-27 की जगह 7-14-21-28 के संदर्भ में और तीसरा कारण जो उनकी हड़ताल थी कोटा संभाग में, उसके संबंध में है। कहीं भी उनकी हड़ताल, जो पटवारियों की हड़ताल है, उसके अंदर चयन के संदर्भ में नहीं है। उसके बावजूद भी यह चयन अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। यह राज्य हित के अंदर है। इसलिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इनकी पहले तिथि भी घोषित हो चुकी थी, फिर उसको कैंसिल किया गया और कैंसिल किस कारण किया गया, वह आपको और पूरे सदन को अच्छी तरह से पता है कि जो हालात बने हुए थे, जिसके कारण कैंसिल किया और आने वाले समय के अंदर इनकी जल्दी ही भर्ती कर दी जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

242. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं?

(श्री गोविन्द प्रसाद)

क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**पदनाम**	**रिक्त पदों की संख्या**
1	प्रधानाचार्य	34
2	प्रधानाध्यापक	03
3	व्याख्याता	105
4	वरिष्ठ अध्यापक	186
5	अध्यापक लेवल-1 एवं समकक्ष	158
6	अध्यापक लेवल-2 एवं समकक्ष	110
7	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-प्रथम	04
8	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-द्वितीय	11
9	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-तृतीय एवं समकक्ष	45
कुल रिक्त पदों की संख्या		656

उक्त रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट- "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट घोषणा संख्या 201 के तहत शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 41,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 31,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर व विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं और मुझे बड़ा दुख है कि चतुर्थ सत्र में क्वेश्चन नम्बर है 4746, उसमें भी माननीय मंत्री महोदय ने पूरे यह ही उत्तर दिये थे और उस समय अध्यापकों की रिक्त संख्या थी 396 और 260 और रिक्त कर दिये गये और कुल मिलाकर 656 हो गये। अध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भरने के बजाय और खाली कर दिये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न पूछो।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): तो यह कब तक भरोगे या सभी खाली कर दोगे?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। पांच हजार हमारे व्याख्याता आ रहे हैं आर.पी.एस.सी. में एक कमेटी बनी है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से, वो कमेटी जल्दी ही फैसला कर देगी तो हम लोग वो दे देंगे। प्रिंसिपल के रूल्स का जो कैबिनेट में मेमो गया हुआ है तो कैबिनेट में रूल्स अमेंड होने के बाद में उसके हिसाब से हम प्रधानाचार्यों की डीपीसी कर देंगे और बाकी 31 हजार की आपको पता ही है कि 25 तारीख को जो एग्जाम हो रही है तो ज्यों ही टीचर्स मिलेंगे, आपके विधान सभा क्षेत्र में लगा दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

देवली-उनियारा में नवीन महाविद्यालय की स्थापना

243. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत 3 वर्षों में प्रदेश में कितने नवीन महाविद्यालय खोले गए हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में 116 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट- '1' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) जी हां। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 48 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के दूनी में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि विगत तीन साल में 116 कालेज खोले गये हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार के नये कालेज खोलने की पात्रता क्या है, मापदण्ड क्या हैं? क्योंकि इसमें जनता का सैकड़ों करोड़ पैसा खर्च होता है, उस सरकारी पैसे को बिना मापदण्ड के, बिना नियम के, बिना पात्रता के अगर खर्चा किया जाता है तो मैं उसको अनुचित मानता हूं क्योंकि मेरे उसमें...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न आपने कालेज का कर लिया। अब क्या पूछ रहे हैं? आप कालेज चाहते हैं, कालेज खोल रहे हैं। अब इसमें क्या बाकी बचा है?

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे वहां एक कस्बा है अलीगढ़ उनियारा के साथ में, उसकी आबादी 20 हजार है, पंचायत समिति मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, एक्स.ईएन. मुख्यालय है, वहां बच्चियों की बारहवीं तक स्कूल है, बच्चों की बारहवीं तक स्कूल है ... (व्यवधान) तो वहां कालेज खोलना चाहते हैं कि नहीं खोलना चाहते?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप दूनी की जगह वहां चाहते हैं क्या, आप दूनी की जगह अलीगढ़ चाहते हैं क्या?

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): नहीं, नहीं, सर, दूनी अपनी जगह है, देवली अपनी जगह है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आपकी प्रजेंस हो गयी, आप आये हैं हाउस में, हो गया रिकार्ड आपका। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मेरा अनुरोध यह है जब अलीगढ़ कस्बे में सब पात्रता है तो सरकार वहां कालेज क्यों नहीं खोलती?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वर्तमान में दो महाविद्यालय देवली और उनियारा में पूर्व में संचालित हैं, तीसरा महाविद्यालय माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा में दूनी में खोला है। मैं निवेदन करना

(श्री भंवर सिंह भाटी)

चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा पिछले तीन सालों के बजट में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में या जहां दूर-दराज तक कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है, वहां राजकीय महाविद्यालय खोलने की लगातार घोषणाएं की हैं और ऐसे उपखण्ड जहां सरकारी महाविद्यालय भी नहीं हैं, जहां निजी महाविद्यालय भी नहीं हैं, उनको भी प्राथमिकता दी गयी है और राजस्थान के अधिकांश उपखण्ड मुख्यालयों में राजकीय महाविद्यालय खोल दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो निर्धारित नीति के बारे में बता रहे हैं तो उपखण्ड मुख्यालय को प्राथमिकता दी जाती है, बाकी वहां की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो फीडबैक क्षेत्र से आता है उसके अनुसार राजकीय महाविद्यालय लगातार खोले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने तीन साल की सूची दी है, उसमें 28 कालेज तो खुले हैं 2018 में और 40 खुले हैं 2019 में और 48 खुले हैं 2020 में तो यह जो 2018 में 28 खुले हैं, इनके लिए बजट प्रावधान था क्या? 2019 में खुले उनके लिए बजट प्रावधान था क्या और अभी 2020 में खुले हैं उनका बजट प्रावधान है क्या और है तो 2018 में कितना था, 2019 में कितना था और 2020 में कितना है?

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप इतनी ज्यादती मत करो इनके साथ। (व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं की रोकथाम की कार्ययोजना

244. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के नेशनल पार्क एण्ड टाइगर रिजर्व में विगत 02 वर्षों से शिकार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक प्रदेश में कहां-कहां कब-कब शिकार के मामले सरकार के ध्यान में आये तथा उक्त के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सतीश पूनियां)

(2) प्रदेश के रणथम्भौर नेशनल पार्क एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ सहित दूसरे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए फील्ड में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से कार्मिक कितनी-कितनी संख्या में तैनात हैं तथा कितने-कितने पद रिक्त हैं? श्रेणीवार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत 02 वर्षों में वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी नहीं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ परियोजनाओं में विगत 02 वर्षों में शिकार की घटनाओं में वृद्धि नही हुई है।

(2) रणथम्भौर नेशनल पार्क एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ व दूसरें वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त फील्ड का श्रेणीवार पदवार विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट- ''अ'' व 'ब' अनुसार है।

(3) विगत दो वर्षों में वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु उठाये गये कदम संलग्न परिशिष्ट- 'स' अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जंगलात में राम राज्य की स्थापना हो गयी हो तो बड़ी बात है लेकिन शिकार की लगातार घटनाएं हुई हैं और दिसम्बर तक उदयपुर के सलूम्बर में, प्रतापगढ़ में, भरतपुर में और सरिस्का में फंदे में टाइगर एसटी 11 की मौत भी हो गई थी। मेरा निवेदन यह है कि वनकर्मियों की कमी के कारण यह सब घटनाएं हुईं तो मेरा प्रश्न है कि वनकर्मियों की कमी पूर्ति होम गार्ड व बोर्डर होम गार्ड के जवानों से करनी पड़ रही है। इन रिक्तियों को भरने एवं वर्तमान में वन्य जीवों की सुरक्षा में फील्ड में तैनात कार्मिकों की संख्या में पर्याप्त आवश्यक आधुनिक संसाधन सहित इनको उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की क्या मंशा है? कोर्ट ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश दिये हैं क्या?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, रणथम्भौर बाघ परियोजना में कुल 345 कर्मियों के अगेंस्ट में 175 फोरेस्ट के कर्मचारी और 64 एस.टी.पी.एफ. का स्टाफ, 110 होम गार्ड और 22 बोर्डर होम गार्ड, मतलब 345 के अगेंस्ट में 371 कर्मचारी रणथम्भौर में कार्यरत हैं।

(श्री सुखराम विश्नोई)

जहां तक सरिस्का का मामला है वहां टोटल 281 पोस्टें हैं, उसके अगेंस्ट में 178 फोरेस्ट के कर्मचारी अधिकारी और 108 बोर्डर होम गार्ड के, 70 अलवर के गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र से होम गार्ड के, 178-178 लगे हुए हैं। टोटल जगह है 281, उसके अगेंस्ट में 356 लगे हुए हैं मतलब ज्यादा लगे हुए हैं कम नहीं लगे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जो पूछा था उसके हिसाब से आपका जवाब नहीं है। क्या यह सही है कि प्रदेश के नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व में विगत दो वर्षों में शिकार की घटनाओं में वृद्धि हुई? इसका तो दे दिया कि वृद्धि नहीं हुई, यह तो समझ में आ गया। इसके आगे लिखा है, तो जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक प्रदेश में कहां-कहां कब-कब शिकार के मामले सरकार के ध्यान में आए? बताओ तो सही, तब तो पता लगेगा वृद्धि हुई कि नहीं हुई।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे आपके। इनको तो बोलने का मौका दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपको क्या है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): वसुन्धरा जी एक तरफ और कटारिया जी एक तरफ ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, इसमें वन्य जीव भरतपुर, सवाई माधोपुर, रणथम्भौर, बाघ परियोजना अलवर और कोटा, इसमें मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि 2017-18 में शिकार की घटना हुई थी 55, 2018-19 में हुई है 48 और 2019-20 में 41 हुई हैं। यह चार्ट है। इसमें कमी ही आई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इन्होंने जो जवाब भेजा है न, इसमें यह चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न के 2 भाग हैं। एक भाग का तो जवाब दे दिया। दूसरा भाग जो पूछ रहे हैं कि जनवरी, 2019 से 2021 तक कहां-कहां, कब-कब घटना हुई? उनके बारे में उत्तर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। प्रश्न यह है कि जो उत्तर दिया है उसमें आधे पार्ट का उत्तर नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): बोल रहा हूं जी। सुन तो लो एक सैकण्ड।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): पूनियां जी की नहीं सुन रहे तो किसी की नहीं सुनोगे।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): वर्ष 2019-20 में 2 घटनाएं भरतपुर में घटित हुईं। रणथम्भौर में 16 घटनाएं, 2 घटनाएं रणथम्भौर करौली परियोजना में, 13 घटनाएं अलवर बाघ परियोजना में और 10 घटनाएं कोटा में, कुल 41 घटनाएं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: सतीश जी, पूछना है कुछ?

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परिशिष्ट 'स' के बिन्दु 1 में कुछ सिस्टम की स्थापना के बारे में बताया है। मेरा प्रश्न है कि इस सिस्टम पर कुल कितनी राशि व्यय हुई और कहां पर यह सिस्टम स्थापित किया गया है? इस सिस्टम से कितने किलोमीटर तक निगरानी की जा सकती है? क्या इसमें पूरे एक जंगल को कवर किया गया है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): रणथम्भौर और सरिस्का दोनों जगह हाई लेवल इंटर एजेंसी कोआर्डिनेशन कमेटी द्वारा कैमरे लगे हुए हैं। आटोमैटिक कैमरे हैं। उनको कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा रहा है। दोनों अभयारण्यों में कैमरे लगे हुए हैं। बाकी शिकार की रोकथाम के बारे में हमने परिशिष्ट 'स' पर लिखकर के दिया है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न का प्रोपर जवाब नहीं आया है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर अलग से चर्चा करें क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मेरा तीसरा प्रश्न है कि आपने परिशिष्ट 'स' के बिन्दु संख्या 8 में बताया है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दीवार निर्माण, चेनलिंक फैन्सिंग के काम किए हैं, लेकिन इनमें कई ऐसे स्थान हैं जहां न सुरक्षा दीवार है और न चेनलिंक फैन्सिंग है। असामाजिक तत्व अनेक बार उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसकी प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कोई कार्ययोजना बनाई है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): जहां-जहां सरिस्का और रणथम्भौर में आबादी बसी हुई है उस जगह बाकायदा दीवार कर रखी है, फैन्सिंग कर रखी है। आप कोई हो तो पर्टिकूलर स्थान बता दें, वहां कर देंगे। बाकी जो आपने सवाल पूछा है एक तो शिकार की घटना को लेकर और दूसरा सुरक्षा के लिए। तमाम जवाब आपको दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा में नवीन सड़कों का निर्माण

245. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा नवीन सड़क निर्माण या नवीनीकरण किए जाने के कोई मापदंड निर्धारित किए गए हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में विगत 2 वर्षों में किस-किस मद से कितनी लंबाई की कितनी-कितनी राशि से कहां-कहां नवीन सड़कें बनवाई गईं तथा कितनी-कितनी बार कौन-कौनसी सड़कों का नवीनीकरण किया गया? लंबाई, स्थान, राशि व कार्य की प्रगति की रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में मिसिंग लिंक योजना के तहत कितनी-कितनी सड़कें कहां-कहां पर स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की नगर से कुम्हारिया, कांटोली से लाम्याजुनारदार, शुभदंड टोपा से पथराज, लावा से सोडा, धौली से सोडा, सकरामपुरा से भवानीपुरा तक नवीन मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। मापदण्डों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में विगत 2 वर्षों में विभिन्न योजनान्तर्गत बनायी गई नवीन सड़कों पर 656.16 लाख रु. व्यय कर 41.00 किमी सड़कों का निर्माण करवाया गया। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है तथा विभिन्न योजनान्तर्गत 3,977.62 लाख रु. व्यय कर 180.72 किमी सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में विगत 2 वर्षों में मिसिंग लिंक योजनान्तर्गत कोई सड़क स्वीकृत नही की गयी है।

(4) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में शुभदण्ड टोपा से पथराज के मध्य डामर सड़क (अन्य जिला सड़क-14) पूर्व में निर्मित है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है एवं शेष नगर से कुम्हारिया, काटोंली से लाम्याजुनारदार, लावा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

से सोडा, धौली से सोडा, सकरामपुरा से भवानीपुरा सड़क मिसिंग लिंक सड़कें हैं जिनकी कुल लम्बाई 21.00 किमी है, विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। इनका निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के नगर से कुम्हारिया, डिबरु से लाम्याजुनारदार, सकरामपुरा से भवानीपुरा और सोडा से लावा इन सड़कों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बरसों से लोग 25-30 किलो मीटर चक्कर खाकर के जाते हैं। ये मिसिंग लिंक सड़कें आप बनाने का विचार रखते हैं?

प्रश्न संख्या 2, शुभदण्ड टोपा से पथराज रोड का मिसिंग लिंक रोड, जो कि स्टेट हाईवे 116 को जोड़ता है, यह आज से 23 वर्ष पूर्व बीसलपुर प्रोजेक्ट द्वारा 2 किलोमीटर की रोड बनी थी। वह रोड बिलकुल खतम हो चुकी है। इसका मेटिनेंस न तो पीडब्ल्यूडी कर रही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): इसको मिसिंग लिंक से जोड़ने का विचार रखते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने सवाल किया है मिसिंग लिंक का, यह कुल मिलाकर के जो 5-6 सड़कें बताई हैं, इनकी लंबाई 21 किलोमीटर है। वर्तमान स्थिति यह है कि किसी में तो ग्रेवल है और बाकी में कच्चा है। डामरीकरण सड़क हेतु अनुमानित लागत जो बनी है, वह इसकी करीबन 10 करोड़ 50 लाख बनी है। यह तो वित्तीय स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा।

वैसे भी बजट की घोषणा के अनुसार 5 करोड़ रुपये हर विधान सभा क्षेत्र को दिये गये हैं। उसमें जो कुछ कवर हो सकेगा वह तो हो ही जाएगा। उसके अलावा तो फिर मैंने बता दिया आपको कि जैसी वित्तीय स्थिति होगी, उस तरीके से काम होगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

अलवर में महाराजा भर्तृहरि एवं हसन खां मेवाती के पैनोरमाओं को पर्यटकों के लिए शुरू करने की योजना

246. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में महाराजा भर्तृहरि एवं वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमाओं का निर्माण कराया जा चुका है? यदि हां, तो कितनी लागत से एवं उक्त के कब निर्माण कराये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पैनोरमाओं को आमजन एवं पर्यटकों के भ्रमण के लिए प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों नहीं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पैनोरमाओं को आमजन एवं पर्यटकों के भ्रमण के लिए शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। इस विभाग के अधीन राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा अलवर शहर में महाराजा भर्तृहरि एवं वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमा का निर्माण कराया जा चुका है। महाराजा भर्तृहरि पैनोरमा हेतु राशि 363.21 लाख रुपये का व्यय किया गया है एवं वीर योद्धा हसन खां मेवाती पैनोरमा हेतु राशि 174.50 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

उक्त दोनों पैनोरमाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिनांक 27.09.2018 को लोकार्पित कर दिया गया है। उक्त दोनों पैनोरमाओं को उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति अलवर को दिनांक 21.01.2020 को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(2) जी हां। उक्त दोनों पैनोरमाओं का मानव संसाधन एवं सुरक्षा गार्डों के लिए बजट आबंटन नहीं होने के कारण तथा कोविड-19 महामारी के कारण विधिवत संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सका। उक्त दोनों पैनोरमाओं के संचालन हेतु उपखण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति अलवर के बैंक खाते में राशि 2-2 लाख रुपये, कुल 4 लाख रुपये दिनांक 29.01.2021 को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

(3) जी हां। उक्त दोनों पैनोरमाओं को आमजन एवं पर्यटकों के भ्रमण के लिए अतिशीघ्र शुरू किया जाएगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, धार्मिक आस्था के प्रतीक महाराजा भर्तृहरि एवं वीरता एवं शौर्य के प्रतीक वीर योद्धा हसन खां मेवाती के पैनोरमा, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने भी माना कि 27.09.2018 को बन गए हैं और लोकार्पण भी हो गया है। 21.01.2020 को उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इनको हस्तांतरित भी कर दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कोविड के कारण इनको शुरू नहीं किया गया है। बजट का अभाव भी था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मुंडावर विधान सभा क्षेत्र के मुंडावर कस्बे में दिनांक 09.09.2020 को कृष्ण भक्त अली बख्श का जो पैनोरमा है, उसकी शुरुआत कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि लगभग ढाई वर्ष की देरी हुई है। उसके लिए जो अधिकारी दोषी हैं, क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे? साथ ही साथ एक निश्चित तिथि, एक तारीख, आपने कहा कि जल्दी शुरू हो जाएगा। मुंडावर में 9 सितम्बर, 2020 को शुरू हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं अगला प्रश्न लूं।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): एक निश्चित तिथि आप घोषित कर दें।

श्री अध्यक्ष: आप डेट पूछें सीधे, बात खतम हुई। माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): तिथि घोषित कर दें और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सत्र के समाप्त होने के एक महीने के अंदर-अंदर इसको शुरू कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

मणिपाल यूनिवर्सिटी दहमीकलां में बकाया लीज राशि

247. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 से 2018 के दौरान दहमीकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में संचालित मणिपाल यूनिवर्सिटी को रुपये 13 करोड़ से ज्यादा बकाया लीज राशि नहीं चुकाने पर नोटिस जारी किया गया है? यदि हां, तो उक्त नोटिस की प्रति एवं लीज राशि वसूली के लिये की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उक्त यूनिवर्सिटी प्रशासन से लीज वसूली नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण की पुन: जांच करवाकर उक्त यूनिवर्सिटी से बकाया लीज राशि मय ब्याज वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं। दहमीकलां सांगानेर तहसील जिला जयपुर में संचालित मणिपाल यूनिवर्सिटी को राशि रुपये 13 करोड़ से ज्यादा बकाया लीज राशि नहीं चुकाने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। उपलब्ध रिकार्ड अनुसार मणिपाल यूनिवर्सिटी के प्रति कोई लीज राशि बकाया नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) मणिपाल यूनिवर्सिटी के प्रति कोई लीज राशि बकाया नहीं होने के कारण वसूली का कोई शेष नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मंत्री महोदय, यह जांच का विषय है कि 04.05.2017 को एक नोटिफिकेशन, अख़बार में एक न्यूज़ आई जिसमें यह बताया गया कि 13 करोड़ रुपये की लीज राशि कैलकुलेट की गई है। इसका हैडिंग था कि जेडीए ने सीएम एडवाइजरी के मैम्बर की यूनिवर्सिटी पर करोड़ों रुपये का शुल्क लगाया। फिर उसमें उसकी गणना की डिटेल दी गई। मैं आपको इसकी प्रति प्रोवाइड करवा दूंगा, इसमें जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, अख़बार में क्या आया है, उसका प्रश्न पूछें आप। सरकार कह रही है कि है ही नहीं। अगला प्रश्न। सरकार कह रही है कि लीज बकाया ही नहीं है। अगला प्रश्न। हो गया आपका।

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न। गोतम लाल।

प्रश्न संख्या 248

श्री गोतम लाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

मेवात क्षेत्र के बालिका विद्यालयों का क्रमोन्नयन

249. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा मेवात क्षेत्र के विद्यालयों के विकास के संबंध में क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में स्थित मेवात बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के मेवात विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के जीर्णोधार के संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये पोषाहार उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में स्थित मेवात विद्यालयों में विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला पोषाहार समय-समय पर मिल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) समग्र शिक्षा एवं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मेवात क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों एवं मेवात आवासीय बालिका विद्यालयों में स्वीकृत निर्माण कार्यों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। समग्र शिक्षान्तर्गत राजकीय विद्यालयों (मेवात क्षेत्र के विद्यालयों सहित) में मूलभूत सुविधाओं यथा-जर्जर विद्यालयों के पुनर्निर्माण, मरम्मत, कक्षा-कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण कार्य/गतिविधियां स्वीकृत किये जाने का

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा 2020-21 के बिन्दु संख्या 95 के अन्तर्गत राइट-टू-एजुकेशन के तहत राज्य में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस संबंध में संभावित गैप को भरने के लिए आवश्यकतानुसार उप्रावि/मावि/उमावि खोले जाने प्रस्तावित हैं।

उक्त की पालना में विभाग को प्राप्त मानदण्डानुकूल प्रस्तावों में उक्त क्षेत्र के प्रस्ताव भी प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन किया जाकर वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों की क्रमोन्नति की जा सकेगी।

(3) समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों (मेवात क्षेत्र के विद्यालयों सहित) में जीर्णशीर्ण भवनों/कक्षों के पुनर्निर्माण के कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रावधान हैं। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं।

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष कक्षा-कक्षों की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है। रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के मेवात विकास क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में जीर्ण-शीर्ण कक्षा-कक्षों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं को भोजन एवं आवास की नि:शुल्क व्यवस्था है। साथ ही मैन्यु अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

(5) मेवात विद्यालयों में मैन्यु अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि मेवात में बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बहुत कम है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार सरकार रखती है?

वहां जो डाइट दी जा रही है उसको मैंने ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगता नहीं कि वो हाई प्रोटीन डाइट है। वहां हॉस्टल में गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उनकी डाइट को और हमें बैटर करना चाहिए, थोड़ी और हाई प्रोटीन डाइट उसमें जोड़नी चाहिए, तो क्या मंत्रीजी इस पर विचार रखते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की चिंता बिलकुल जायज है कि मेवात क्षेत्र की उन बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले गए हैं, सरकार की मंशा यही है कि वहां की बीपीएल, एससी, एसटी या मेव जाति की बच्चियां जो पढ़ नहीं पाती हैं उनको ध्यान में रख कर हम आवासीय विद्यालयों में व्यवस्था करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार की यह मंशा है कि उनको गुणवत्तापूर्ण भोजन भी मिले और उनकी क्रमोन्नति के चांसेज भी बढ़ें। मैं सदन के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि मैं मेरे अधिकारियों को एकदो दिन में भेजूंगा तो जो खाद्य सामग्री उनको दी जा रही है, उसकी गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, इस बात की जांच करवा लेंगे और आने वाले समय में हम पीएबी में लेकर जा रहे हैं, उनके जो विद्यालय हैं उनकी क्रमोन्नति का विचार करके उनको भी क्रमोन्नत करने का काम करेंगे।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि स्कूलों का पूरा डवलपमेंट समसा की विभिन्न योजनाओं के द्वारा किया जाता है लेकिन देखने में यह आता है कि सैंक्शन यदि 45 लाख है किसी स्कूल में तो 30 लाख रुपये में भी वह काम कमप्लीट हो जाता है तो ये 45 लाख रुपये किस हिसाब से सैंक्शन होते हैं? समसा के कार्यों की सूचना सीबीओ को होती ही नहीं है, उसका कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा है, सिर्फ एडीपीसी को पता होता है, वो जेईएन, एईएन के माध्यम से काम करवा देते हैं और डाइरेक्ट स्कूल को हैंडओवर कर देते हैं। हमेशा इनकी क्वालिटी खराब ही रहती है जब हम

(श्रीमती सफिया जुबेर)

उद्घाटन करने जाते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी और पारदर्शिता समसा के कार्यों में होनी चाहिए, खासतौर से रामगढ़ में मुझे लगता है कि बहुत खराब काम समसा के द्वारा किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्य स्वीकृत होते हैं निर्माण के, वो बाकायदा जो मापदण्ड है, उसके हिसाब से समसा में कक्षा कक्ष का मापदण्ड भी है, उसकी राशि भी है, उनकी पोस्ट निकाली जाती है लेकिन जब टेंडर होते हैं तो कई बार बिलो निकल जाते हैं तो पैसा बच जाता है लेकिन गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाता है। इस तरह की अगर कोई भी बात आएगी माननीय सदस्य की तरफ से तो हम हमारे इंजीनियर्स को भेजकर समसा से जांच करवा लेंगे। गुणवत्ता में किसी प्रकार का न तो खाद्य सामग्री में समझौता किया जाएगा, न निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

फलौदी में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना

250. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) प्रदेश में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में वर्तमान में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र फलौदी में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोविड-19 के चलते जितनी भी सीटें हैं फलौदी महाविद्यालय में, 2,200 छात्रों की संख्या है, 2,200 ही भरी हुई हैं इनमें 750 छात्राएं हैं। इसी प्रकार से प्राइवेट एग्जाम देने वाले हैं

(श्री पब्बाराम)

उनका नम्बर नहीं आया है उनमें 2000 स्वयं छात्र-छात्राएं हैं जिनमें से 1,000 छात्राएं हैं। फलौदी चारों तरफ से जहां महिला महाविद्यालय है उससे डेढ़ सौ किलोमीटर दूर है, चाहे बीकानेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे नागौर हो, ये सभी फलौदी से डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर हैं तो क्या इस सत्र में आप सहृदयता रखते हुए, महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से सरकार की अच्छी भावना रही है, इतने महाविद्यालय खोले हैं तो क्या मेरे क्षेत्र में भी आप खोलने का मानस रखते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत तीन वर्षों में प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 40 राजकीय महाविद्यालय खोले गये। वर्ष 2020-21 में 48 राजकीय महाविद्याल खोले गये। वर्ष 2021-22 में 28 राजकीय महाविद्यालय खोले गये और तीनों ही बजट में बालिका महाविद्यालय पर्याप्त संख्या में मांग के अनुसार खोले गये हैं। इस वर्ष जो बालिका महाविद्यालय खोले गये हैं, उसमें हमारे जो चार माननीय सदस्य अभी इस सदन में नहीं हैं, उनके विधान सभा क्षेत्रों में खोले गये हैं। दस दूसरे बालिका महाविद्यालय भी खोले गये हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और मांग के अनुसार सरकार पूरी तरह विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष: फलौदी में भी विचार करेंगे, यह पूछ रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य। फलौदी में भी कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार करेंगे, यह पूछ रहे हैं।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सर, मैं फलौदी का निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मैंने मूल प्रश्न का जवाब दिया है कि फलौदी में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचार ही नहीं है तो आप क्या पूछना चाहते हो? बैठें, माननीय सदस्य। No. I'll not allow. माननीय सदस्य, please, I'll not allow. I'll not allow. प्लीज बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

चित्तौड़गढ़ में प्रदूषण से राहत दिलाने हेतु विशेष नीति बनाने की योजना

251. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) (श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़) के स्थान पर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध जहरीली गैस का रिसाव होने एवं हिन्दुस्तान जिंक प्रशासन द्वारा जहरीला कैमिकल नदी में प्रवाहित करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां तो सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसी ही शिकायतें चित्तौड़गढ़ में संचालित अन्य फैक्ट्रियों के विरुद्ध भी आती रहती हैं? यदि हां तो विगत 2 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से प्रदूषण सम्बन्धित कितनी शिकायतें किस-किस संस्थान के विरुद्ध कब-कब प्राप्त हुईं तथा सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला चित्तौड़गढ़ को प्रदूषण से राहत दिलाने हेतु कोई विशेष नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। दिनांक 25.12.2020 को मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कम्पनी, चित्तौड़गढ़ में जहरीली गैस के रिसाव होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। घटना के समय प्लांट का दो दिन के शट-डाउन के बाद पुन: शुरू होना एवं कैलिब्रेशन का कार्य संयोगवश एक साथ होने के कारण कुछ समय के लिए उत्सर्जन निर्धारित मात्रा से अधिक हुआ, जिसे संज्ञान में आने पर तुरंत निर्धारित सीमा में लाया गया। इस सम्बन्ध में इकाई को दिनांक 30.12.2020 को नोटिस जारी किया गया। इकाई द्वारा सुधार कार्य कर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को दिनांक 07.01.2021 को पालना भेजी गयी।

जुलाई, 2020 में कैमिकल युक्त उच्छिष्ठ बेडच नदी में प्रवाहित किये जाने की शिकायत भी प्राप्त हुई है। इकाई को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 07.08.2020 को नोटिस जारी किया गया एवं साथ ही दिनांक 24.08.2020 को सम्मति के निरस्तीकरण बाबत 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया। दिनांक 08.10.2020 को राजस्थान राज्य

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इकाई परिसर का निरीक्षण किया गया एवं पुन: पत्र दिनांक 16.12.2020 द्वारा इकाई को वर्षा ऋतु में इकाई के क्षेत्र से जनित सतही जल प्रवाह को पुन: चक्रित करने, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को सुचारु/उन्नत करने, एस.टी.पी., चित्तौड़गढ़ से उपचारित जल को इकाई द्वारा उपयोग में लिये जाने बाबत निर्देश दिये गये। दिनांक 06.02.2021 को पुन: क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर से गुजरने वाले नाले, जो कि बेडच नदी में मिलता है, में कोई निःस्राव नहीं किया जाना पाया गया।

(2) जी नहीं। चितौड़गढ़ में संचालित अन्य फैक्ट्रियों से जहरीली गैस के रिसाव होने एवं कैमिकल प्रवाहित करने बाबत शिकायत नहीं आयी है।

(3) राज्य सरकार चितौड़गढ़ जिले हेतु अलग से कोई विशेष नीति बनाने का विचार नहीं रखती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, आपने अपने उत्तर में यह स्वीकारा कि हिन्दुस्तान जिंक के विरुद्ध 25.12.2020 को जहरीली गैस के रिसाव की शिकायत आपको प्राप्त हुई और प्रदूषण मण्डल को 31.12.2020 को नोटिस दिया गया। आपने इसी खण्ड के दूसरे भाग में यह भी स्वीकारा कि जुलाई, 2020 में कैमिकल युक्त रसायन बेडच नदी में डालने के लिए आपने चार नोटिस दिये- 07.08.2020, 24.08.2020, 08.10.2020 और 16.12.2020, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये नोटिस आपने किन-किन अधिनियमों में दिये? क्या चार-चार बार कैमिकल युक्त पानी को नदी में प्रवाहित करने के लिए नोटिस देना ही पर्याप्त है या कोई पीनल क्लाज भी इस एक्ट में है जिस एक्ट में आपने नोटिस दिया? क्या सरकार उस पीनल क्लाज के आधार पर कोई कार्यवाही करने की मंशा रखती है या मात्र नोटिस देने को ही पर्याप्त मानती है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कम्पनी को दिनांक 25.12.2020 को जो गैस रिसाव हुआ, उसमें सम्बन्धित जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा 30.12.2020 को एक कमेटी बनायी गयी और निरीक्षण किया गया। इसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारी, उद्योग विभाग, फैक्ट्री एवं बायलर विभाग के अधिकारी सम्मिलित

(श्री सुखराम विश्नोई)

थे। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वैसे हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की हाइड्रो इकाई में दिनांक 25.12.2020 को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में सल्फर डाई आक्साइड का उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में था।

हाइड्रो प्लांट का दो दिन का शट-डाउन 23.12.2020 और 24.12.2020 को था। दिनांक 25.12.2020 को प्रात: 09:30 बजे हाइड्रो प्लांट को पुन: शुरू करते समय उक्त उद्योग में सीएमएस का कैलीब्रेशन भी किया जा रहा था, इसलिए गैस का उत्सर्जन हुआ। इसके लिए टीम ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद वहां वायु गुणवत्ता प्रबोधन क्षेत्र भी स्थापित किये गये और हमारा जो कंट्रोल बोर्ड है, वहां उसकी निगरानी सदैव होती है। जहां तक बेडच नदी में कैमिकल उच्छिष्ट गिरने की बात है, उसके लिए बाकायदा फैक्ट्री के दोनों तरफ एक नाली बनायी गयी है ताकि नदी में वह उच्छिष्ठ प्रविष्ट न हो। साथ ही, पानी को चार बार ट्रीट करके पुन: उसी फैक्ट्री में काम में लिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मुझे यह बता दें कि आपने जो यह नोटिस जारी किया है, यह आपके घर का कानून है या किसी कानून के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये? उस कानून में पीनल इंटरेस्ट है कि नहीं, सज़ा का प्रावधान है कि नहीं? चार-चार, पांच-पांच बार नोटिस दिया गया, एक नदी जो पूरे क्षेत्र में जाती है, वह जहरीली हो गयी, कितना नुकसान हुआ, मेरे पास वह रिपोर्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। आप यह तो बताएं, आपने कौन-से एक्ट में नोटिस दिया और आगे क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): आप तो पहले वह रिपोर्ट बता दें कहां-कहां क्या-क्या नुकसान हुआ है। हमारे पास दो बार शिकायत आयी है। एक गैस की आयी है...

श्री अध्यक्ष: ऐसे आपस में नहीं, Not Allowed.

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): एक गैस रिसाव की शिकायत आयी है, दूसरी उच्छिष्ठ गिरने की आयी है। दोनों की व्यवस्था हमने की है। बाकायदा नोटिस दिया है, कमेटी गठित करके जांच की है और जांच रिपोर्ट की पालना होने के बाद ही उस प्लांट को चालू किया गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल के रख-रखाव की कार्ययोजना

252. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र के महाराणा प्रताप राजतिलक स्थल को पर्यटन से जोड़ने का विचार रखती है?

(2) क्या उक्त स्थल पर पूर्व में निर्मित किये गये कार्य का रख-रखाव किया जा रहा है? यदि हां तो किस एजेन्सी के माध्यम से? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्थल के रख-रखाव व प्रबंधन हेतु कोई उप-खण्ड स्तरीय समिति बनी हुई है? यदि हां तो उक्त समिति की कितनी बैठकें रखी गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त स्थल के रख-रखाव में कोई लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां। मेवाड़ काम्प्लैक्स योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 से वर्ष 2018-19 तक गोगुन्दा में राशि 274.60 लाख रुपये के पर्यटन विकास कार्य कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कराये गये हैं। उक्त विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मेवाड़ काम्प्लैक्स योजनान्तर्गत गोगुन्दा में निर्मित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु उप-खण्ड अधिकारी गोगुन्दा की अध्यक्षता में उप-खण्ड स्तरीय पर्यटन विकास समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा उपरोक्त स्थल का रख-रखाव किया जा रहा है।

(3) जी हां। राजतिलक स्थल में रख-रखाव/प्रबंधन हेतु उप-खण्ड स्तरीय समिति बनी हुई है जिसकी अब तक कुल 8 बैठकें आयोजित हुई हैं।

(4) जी नहीं। उक्त स्थल के रख-रखाव में लापरवाही नहीं बरती जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पर्यटन विकास समिति का गठन कौनसी

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

तारीख को हुआ और इस समिति में किस-किसको सदस्य बनाया गया? रख-रखाव में कितने कर्मचारियों को लगाया गया? जो कर्मचारी लगाये गये थे, वे स्थायी थे अथवा अस्थायी तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गयी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास सामग्री है, उसके हिसाब से आपके समय में नवम्बर, 2017 को, तारीख तो अच्छे-से नहीं दिख रही है, 20.11.2017 है शायद, इसमें उप-खण्ड अधिकारी, अध्यक्ष, तहसीलदार, विकास अधिकारी और सरपंच, ये लोग मैम्बर्स होते हैं और गोगुन्दा वाली में उप-खण्ड अधिकारी गोगुन्दा और सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, सहायक अभियंता, सहायक अभियंता, सरपंच, ग्राम पंचायत और ग्राम सेवक, ये मैम्बर्स हैं 14.07.2017 के।

इनकी जो बैठकें हुईं, वह भी मैं बता देता हूं आपको। पहली बैठक हुई थी 18.07.2017, 01.11.2017, 24.11.2017, 04.01.2018, 13.05.2019, 01.10.2019, 25.06.2019 और 10.02.2021, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने इसे दो साल के लिए रख-रखाव हेतु लिया था और फिर दो साल बाद उसे दुबारा कहा गया तो उसने कहा, विभाग ने कह दिया है कि आप बीस साल के लिए लें। बीस साल के लिए वह ले नहीं रहा था। इस तरीके से इसमें जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, केवल एसडीएम के ऊपर नहीं छोड़कर हम, एसडीएम ने ग्राम पंचायत पर डाल दिया कि आप अपनी निजी आय से इसकी सुरक्षा करें, गार्ड रखें, यह रखें, वह रखें। इसका कोई स्थायी समाधान हम ढूंढ़ेंगे जिससे वहां रख-रखाव भी हो और वहां के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी बजट की घोषणाएं की हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, नहीं तो बजट में पढ़ी हुई हैं। जैसा आप उचित समझें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ काम्प्लैक्स महाराणा प्रताप के जीवन से सम्बन्धित स्थानों में से एक है। उनमें से एक गोगुन्दा है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाह रहा हूं कि इस स्थान को डवलप करने के लिए हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन उसके मेंटिनेंस और देखभाल के लिए हमारे पास या तो पर्याप्त साधन हैं नहीं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

या हम लगाते नहीं, जिसके कारण वे स्थान बनाने, नहीं बनाने के बराबर हो रहे हैं। क्या इसके लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे फण्ड भी मिले, वहां लोग भी रहें? क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है या केवल बनाकर छोड़ना ही पर्याप्त होगा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बिलकुल सही कह रहे हैं। यह काफी वर्षों से है, चाहे आपका समय हो या हमारा समय हो। विभाग बनाकर दे देता है, फिर कोई ग्राम पंचायत को दे देते हैं, कोई नगरपलिका को दे देते हैं। उसका क्या रख-रखाव होता है, क्या नहीं होता, फिर वह जर्जर हो जाता है, फिर उसमें पैसा लगा देते हैं, यह पैटर्न चला आ रहा है। मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए अभी-अभी अधिकृत किया है तो मैंने 15 तारीख को मेरे अधिकारियों के साथ में बैठक बुलाई है, हम लोग चर्चा करेंगे और इसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है, उसको निकालने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

जल संकट समाधान हेतु नदियों को जोड़ने की योजना

253. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जल स्तर काफी नीचे जाने के कारण जल संकट गहरा गया है? यदि हां, तो उक्त संकट के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जल संकट से निपटने के लिए सरकार नदियों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक प्रारम्भ किया जाएगा व इसके तहत कितनी लागत से किन-किन नदियों को जोड़ा जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सवाईमाधोपुर के विधान सभा क्षेत्र बामनवास में गहराते जा रहे जल संकट से निपटने के क्या प्रयास किये गये? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र को भी नदियों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

भू-जल मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा भिन्न-भिन्न योजनाओं यथा बांधों का जीर्णोद्धार कार्य, एनिकट

(भू-जल मंत्री)

निर्माण कार्य, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि का निर्माण कार्य कर वर्षा जल का संचय कर एवं भू-जल पुनर्भरण कर जल संकट समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी हां। कोटा संभाग में चम्बल बेसिन की पार्वती एवं कालीसिंध सहायक नदियों के अधिशेष पानी को बनास, गंभीर एवं पार्वती बेसिन में हस्तान्तरण करते हुए धौलपुर तक ले जाने की परियोजना प्रस्तावित है, जिसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना नाम दिया गया है। इस परियोजना में पार्वती, कालीसिंध, मेज एवं चाकन नदी के अधिशेष पानी को कम उपलब्धता वाले नदी बेसिन (बनास, गंभीर एवं पार्वती बेसिन) में हस्तान्तरित कर लगभग 13 जिलों के छोटे एवं बड़े बांधों को भरने के साथ-साथ पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना पर लगभग राशि रुपये 37247.12 करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है जो कि केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है। परियोजना के एक घटक के रूप में राशि रुपये 1,595.06 करोड़ का नवनैरा बैराज का कार्य प्रगतिरत है, जिस पर अब तक 216.30 करोड़ व्यय किया जा चुका हैं। इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिले (बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली एवं धौलपुर) लाभान्वित होने सम्भावित हैं।

साबरमती बेसिन का पानी जवाई बांध में अपवर्तित किये जाने हेतु डी.पी.आर. का कार्य दो चरणों में करवाये जाने के अन्तर्गत प्रथम चरण की डी.पी.आर. तैयार कर परीक्षणाधीन है तथा द्वितीय चरण की डी.पी.आर. तैयार की जा रही हैं। संशोधित डी.पी.आर. अनुसार अन्तरराज्यीय परिप्रेक्ष्य से प्रकरण केन्द्रीय जल आयोग में विचाराधीन है।

(3) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अधीन वर्तमान में कुल 07 बांध हैं एवं 12 बांध पूर्व में पंचायती राज को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। बामनवास विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा कुल 09 माइक्रो इर्रिगेशन टैंक एवं 12 एनिकट का निर्माण करवाया गया था। इनसे क्षेत्र में भू-जल में वृद्धि एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में बनास नदी पर राठौड़ बैराज का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी भराव क्षमता 143.09 एम.सी.एम. होगी।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत मोरेल बांध को भरा जाना प्रस्तावित है जिससे बामनवास विधान सभा क्षेत्र भी लाभान्वित होगा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के माध्यम से जो पहला और दूसरा बिन्दु दिया गया है इसमें तो मंत्री महोदय, आपने केन्द्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन मैटर बताया है। मैं बिन्दु संख्या तीन में पूछना चाहूंगी कि बामनवास विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अधीन वर्तमान में कुल 7 बांध हैं वे कहां-कहां हैं? मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें। 12 बांध पूर्व में पंचायती राज को हस्तान्तरित किए गए हैं तो वे कब हस्तान्तरित किए गए थे और वे अभी कहां स्थित हैं? बामनवास विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा 9 माइक्रो इर्रिगेशन टैंक एवं 12 एनिकटों का निर्माण कराया गया है तो ये सारे कहां स्थित हैं? यह आप बताने का कष्ट करें।

दूसरा, राठौड़ बैराज का जो निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है वह कब कराया जाएगा, इसकी लोग कितनी है और इसकी लोकेशन क्या रहेगी? इसके अलावा इसमें अब तक क्या कार्य हो चुका है? यह बताने की कृपा करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो 7 बांध हैं वे मोरासागर (बामनवास), आकोदिया (बामनवास), नागतलाई (बामनवास), गंडाल (बामनवास), नयातालाब निवाली (बामनवास), ढील बांध (बौंली), नागोलाव (बौंली), इनकी भराव क्षमता वगैरह की सूची मैं इनको दे दूंगा, वह सारी की सारी मेरे पास है।

पंचायती राज को जो बांध हस्तान्तरित किए गए हैं वे गुड़ला (बामनवास), नाजिमवाला (बामनवास), पिपलाई (बामनवास), रानीला (बामनवास), सोभागसागर (बामनवास), शंकरसागर (बामनवास), भीमसागर (बौंली), बिन्दावल (बौंली), घाटा नैनवाड़ी (बौंली), खारेला (बौंली), मोरिया मंजुला (बौंली), जयसागर (बौंली) हैं।

अब इन्होंने जो बामनवास क्षेत्र में माइक्रो इर्रिगेशन टैंक की सूची मांगी है उसमें मीना मन्दिर की ढाणी, गोविन्दपुरा, भानोरा, झोंपड़ी जीवद, सुमाल, मोराज, जाखोलास कला, आजमखारी, अलोंडा, मालकलसन, ऐसे 9 हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, यह तो माननीय सदस्य को लिस्ट भेज देना। आपका जो मेन प्रश्न है राठौड़ बैराज वाला, उसका जवाब दे दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ऐसा है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत बनास नदी पर राठौड़ बैराज का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं, वह लोकेशन आप बता दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मोरेल बांध लालसोट में है और राठौड़ बैराज इनकी कांस्टीट्यूएंसी में ही आता है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है वह मैं देखकर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): तैयारी करके नहीं आए।

श्री अध्यक्ष: मदन जी, कितनी बार हाज़िरी लगाओगे?

सोजत में सीवरेज लाइन डालने की कार्ययोजना

254. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में नगरपालिका क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में कितनी नगरपालिकाओं में सीवरेज की व्यवस्था की गई है तथा कितनी नगरपालिकाओं में कार्य प्रगति पर है व कितनी नगरपालिकाओं में सीवरेज नहीं है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को सोजत नगर (पाली) में सीवरेज लाइन डालने का प्रस्ताव मिला है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लेकर सीवरेज का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। नगरपालिका क्षेत्रों में सीवरेज का कार्य चरणबद्ध रूप से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाया जा सकेगा।

(2) वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 15 नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध है, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है तथा 35 नगरीय निकायों में पूर्व में उपलब्ध सीवरेज व्यवस्था के कार्य का विस्तार किया जा रहा है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। इसके साथ ही 17 नगरीय निकायों में नई सीवरेज व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है, जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वर्तमान में 129 नगरीय निकायों में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसका विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(3) जी हां। सोजत नगरपालिका द्वारा सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में सोजतसिटी को सीवर लाइन डालने की किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, परन्तु नगरपालिका, सोजत द्वारा सीवरेज की डीपीआर बनाई गई है, जिसको संशोधित करवाया जा रहा है। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसार राज्य के 50 शहरों में FSTP लगाये जायेंगे, जिसमें सोजतसिटी सम्मिलित है तथा इसके अतिरिक्त भी एशियन डवलपमेन्ट बैंक के 5वें चरण के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं जिसमें जनसंख्या का मापदण्ड होता है। यदि जनसंख्या के मापदण्ड के अनुसार सोजतसिटी को योग्य पाया गया तो सोजतसिटी को सम्मिलित किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि खण्ड 3 में सोजत सिटी नगरपालिका में सीवरेज कार्य हेतु जनसंख्या के मानदण्ड का जिक्र किया है तो यह कितनी होनी चाहिए? साथ ही सोजतसिटी पाली जिले में नगर परिषद् पाली के पश्चात् सबसे बड़ी नगरपालिका है, यहां पर 40 वार्ड हैं और सभी शहरवासी लम्बे समय से सीवरेज का कार्य नहीं होने से परेशान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि सोजतसिटी नगरपालिका में सीवरेज का कार्य कब तक स्वीकृत हो जाएगा?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वार्डों की संख्या किस नगरपालिका में कितनी है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जनसंख्या मुख्य आधार होती है और जनसंख्या होती है 2011 की। 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही एडीबी के प्रोजेक्ट मंजूर किए जाते हैं तथा इसके अलावा भी अगर 50 हजार से ज्यादा की जनसंख्या है तब तो यह इन्क्लूड किया जा सकता था

(12.00 बजे)

लेकिन अभी जो 2021-22 की जो बजट घोषणा हुई, इसमें 50 शहरों में एफएसटीपी लगाये जाएंगे, जिसमें हम जनसंख्या को रिलेक्स करने के लिए विचार कर रहे हैं कि 50 हजार से कम की जनसंख्या, उनमें भी अगर सम्भव

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हुआ और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुए तो निश्चित तौर पर ये काम हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रामप्रताप कासनियां एवं 02 अन्य सदस्यों की ओर से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में किसान आन्दोलन से पूरे बीकानेर डिवीजन में बिगड़ रही कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से सुमेरपुर में हत्या, अपहरण एवं रेती माफिया के बढ़ते अपराधों से बिगड़ी कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री बिहारीलाल एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से बीकानेर में बजरी खनन व्यवसायियों को पट्टे जारी नहीं किये जाने से बढ़ रहे अवैध खनन एवं सरकार को हो रही राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम सेन्दडा, निमाज एवं जैतारण में रोडवेज की बसों का संचालन अन्दर से नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से सुकेत कस्बे की 15 वर्षीय अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका के साथ 16 व्यक्तियों द्वारा 25 फरवरी से 6 मार्च तक सामूहिक दुष्कर्म किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर में पंचायती राज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य ओर से राजधानी में विशेष योग्यजन कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे दिव्यांगजनों में एक अनशनकारी गंभीर बीमार हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से महावीर जयन्ती पर रीट परीक्षा कराने से जैन समाज में उत्पन्न आक्रोश एवं आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर के पुलिस थाना जवाहर नगर में एक गर्भवती महिला को गोली मारकर हत्या करने वाले अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से छबड़ा थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा में L&T कम्पनी द्वारा जीरो डिस्चार्ज वाटर को शुद्ध कर पीने योग्य नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में भवनहीन राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में पीजी, नेट एवं पीएचडी कर रहे छात्रों को गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

(14) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा सम्भाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य काफी कम होने से किसानों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती संतोष, श्री प्रताप सिंह, श्री छगनसिंह, श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी एवं श्री संदीप शर्मा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं सचिवों द्वारा महानरेगा योजना में कथित रूप से किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में।

(2) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायत सेवापुरा के आबादी क्षेत्र में स्थित वृहद् कचरा डिपो को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर शहर के नेहरू नगर निवासी धर्माराम जाखड़ के पुत्र एवं पुत्री के असाध्य रोग मस्कूलर डिस्ट्राफी का सरकार द्वारा नि:शुल्क इलाज कराये जाने के संबंध में।

(4) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ग्राम पंचायत झनून में किये जा रहे अवैध खनन की ब्लास्टिंग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत सीतारामपुरा के प्राथमिक विद्यालय काल्या को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(6) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से प्रदेश में मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (कालेज फोर एजुकेशन) को राज्य सरकार द्वारा बजट आबंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री कैलाशचन्द मीणा, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले में विद्युत विभाग द्वारा किसानों को कृषि कनेक्शन के बिलों में मिलने वाली सब्सिडी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के हमीर सागर में वैस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने के संबंध में।

(9) श्रीमती निर्मला सहरिया, सदस्य की ओर से निकटवर्ती राज्यों से राज्य के सीमावर्ती जिलों में विवाहित होकर आई महिलाओं को प्रदेश में सरकारी नौकरी में कैटेगरी अनुसार आरक्षण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में आबादी क्षेत्र में मूर्ति उद्योग होने से आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के संबंध में।

(11) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से NH-79 से लम्बी दूरी की गुजरने वाली रोडवेज बसों का संचालन गुलाबपुरा शहर के बस स्टैण्ड से होकर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से प्रदेश में सैट परीक्षा का आयोजन सहायक आचार्य (कालेज शिक्षा) की भर्ती से पहले किये जाने के संबंध में।

(13) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रधानाचार्य स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति में व्याख्याता तथा माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापकों को उनकी संख्यात्मक अनुपात के आधार पर पदोन्नति दिये जाने के संबंध में।

(14) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से पंचायत समिति चिखली के अधीन ग्राम पंचायत अम्बाड़ा, धनगांव, बडगामा, डूंगर व अन्य ग्राम पंचायतों में किये गये विकास कार्यों के दस्तावेज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस की स्मृति में प्रतिमा स्थापित किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्रीमती संतोष।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीगंगानगर के पुलिस थाना जवाहर नगर में महिला हत्यारे की गिरफ्तारी

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 मार्च, 2021 को जिला श्रीगंगानगर के पुलिस थाना जवाहर नगर की एफआईआर 70/2021 में दहेज लोभियों द्वारा मेरे अनूपगढ़ की बेटी पल्लवी मिढ़ा की उसी के देवर अनमोल व ईशान द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना जवाहर

(श्रीमती संतोष)

नगर थाने से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर हुई, लेकिन अभी तक मुख्य अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पल्लवी ने अपने परिवार को अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न, अत्याचार और देवर द्वारा व्यभिचार के बारे में दो-तीन बार पहले बताया था। जब परिवार वालों ने उसके सास, पति, देवर से इस बारे में बात करनी चाही तो पल्लवी के ससुराल वालों ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। पल्लवी जिसकी शादी को मात्र 10-11 माह ही हुए थे और वह पांच माह की गर्भवती भी थी। आज हम बात करते हैं, महिला सुरक्षा की, उसके मान-सम्मान की और एक तरफ हम अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे हैं, लेकिन एक तरफ इस प्रकार की भयावह घटना को अंजाम दिया जाता है। एक पांच माह की गर्भवती महिला की उसी के देवर द्वारा दहेज एवं व्यभिचार के लिए सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हमारी कानून व्यवस्था देखिये कि आज पांच दिन हो गये, लेकिन अभी तक जो मुख्य अपराधी है, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया, वह खुला घूम रहा है। इस घटना को लेकर आम लोगों में काफी रोष है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार एक महिला की हत्या एवं उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या एक जघन्य अपराध है। दो-दो हत्याओं के हत्यारों को आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस खानापूर्ति करने में लगी है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि ऐसे हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार करके कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए, तभी पल्लवी व उसके बच्चे की आत्मा को और उसके परिवार को न्याय मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बच्ची को न्याय दिलाएं, यही मेरी सरकार से मांग है।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के जीरो डिस्चार्ज वाटर का शुद्धिकरण

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष छबड़ा में बरसात कम होने की वजह से छबड़ा थर्मल पावर को जितने पानी की आवश्यकता थी, उतना नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में लासी, इंगलोट और बैथली बांधों से छबड़ा थर्मल को पानी मिलता था, पर बरसात की कमी की वजह से किसानों को ही पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया तो थर्मल को कहां से मिलेगा, थर्मल बंद होने की कगार पर है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे छबड़ा थर्मल

(श्री प्रताप सिंह)

का ज्यादातर काम एल एण्ड टी कम्पनी द्वारा किया गया है। जीरो डिस्चार्ज वाटर प्लांट भी एल एण्ड टी कम्पनी द्वारा लगाया जाना था, पर उन्होंने समय पर नहीं लगाकर, बहुत बड़ी अनियमितता की है। उसके कारण वहां से पानी व्यर्थ बह रहा है, नाले में जा रहा है, इस प्रकार की स्थिति है। जिस प्रकार से बरसात में पानी बहता है, उस प्रकार से पानी बह रहा है।

यह प्लांट करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से बनना था और जो डिस्चार्ज प्लांट लगा है, उससे सारा पानी आरओ के मार्फत पीने लायक बनाकर उसको क्रिटिकल थर्मल पावर में काम में लेना था पर वह काम अभी चालू भी नहीं हो पाया है, उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो प्लांट समय पर लग जाना चाहिए था, वह आज तक नहीं लगा है, उसके लिए कौन दोषी है? कंपनी को फायदा देने के लिए कौन इस प्रकार की हरकत कर रहा है? इसकी पूरी जांच करवाने का आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उसकी कोशिश करेंगे और जो भी दोषी हैं और आज जिस प्रकार की स्थिति एलएंडटी कंपनी की लापरवाही की वजह से बनी है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): थर्मल के अधिकारियों की वजह से बनी है, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति और किन्हीं थर्मल पावर प्रोजेक्ट में नहीं हो, इस प्रकार का ध्यान रखें और इसका काम शीघ्र से शीघ्र चालू करवाएं। यही मैं निवेदन करना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह।

आहोर के राजकीय महाविद्यालय में भवन निर्माण

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आहोर विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय कार्यरत है, वह भी एक छात्रावास में है। उस छात्रावास की स्थिति यह है कि वह करीब 40 वर्ष पूर्व बना था, उसकी स्थिति यह है कि वह पूरी तरह से जमीन में धंस गया है, उस छात्रावास की हाइट मात्र 6 से 7 फीट रह गई है। आए दिन छात्रों के पंखों से लगती रहती है। बुधवार को तो एक छात्रा के सिर पर चोट लगी और उसके सात टांके आये और उससे पहले भी 7 दिन पहले और भी एक छात्र के लगी थी, कंटीन्यू लग रही है। इस समस्या को लेकर छात्र एबीवीपी संगठन 5 दिन से भूख हड़ताल

(श्री छगनसिंह)

पर बैठे हुए हैं, वहां पर कई मांगों को लेकर हड़ताल किए हुए हैं, एक तो वह जो कालेज भूमि आबंटित है वहां निर्माण कार्य शुरू था। डेढ़ साल से वह कार्य बंद है कालेज का तो उसमें वह कार्य जल्दी शुरू करवाया जाए। दूसरा यह है कि वहां पर राजकीय महाविद्यालय में जो भी विषय है उनके जैसे भूगोल, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान के पद रिक्त हैं। तीसरा है कि वह सिर्फ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। धन्यवाद।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य बात यह है कि वह हड़ताल पर बैठे हुए छात्र हैं उनसे प्रशासन मिलने भी नहीं जा रहा है और उनको आश्वस्त भी नहीं कर रहे हैं कि कालेज का काम जल्दी शुरू करवाया जाएगा। मंत्री जी से मैं मिला था। मंत्री जी ने आश्वस्त तो किया है लेकिन कब तक यह कार्य शुरू हो जाएगा और प्रशासन उनकी सुध ले और छात्रों को समझाकर उनका अनशन तुड़वाकर उन्हें आश्वस्त करे कि काम जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

पी.जी., नैट एवं पीएचडी छात्रों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में रोजगार

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने का मौका दिया जो आने वाले समय के अंदर प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा, युवाओं का भविष्य तय करेगा, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीसरा बजट पेश किया है। पहले, दूसरे और तीसरे बजट में लगातार उन्होंने कालेजों की संख्या में बढ़ोतरी की, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि जो कालेज वह खोल रहे हैं और जो पूर्व में हमारी सरकार में खोले गए थे, वहां पर जो व्याख्याताओं की कमी है, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, इसका उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया, कहीं भी चर्चा नहीं की तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कालेज तो खोल दिए, वहां पर युवा पीढ़ी पढ़ने के लिए जा रही है, उनकी जिज्ञासा रहती है, इक्विजिटिवनेस रहती है, वह क्वेश्चन किससे करें, जवाब किससे मांगे, समझे किससे, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कालेज तो खोल दिए, पर जो व्याख्याताओं की कमी है उनके लिए मैं

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जो युवा पीजी कर रहे हैं, नैट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन छात्रों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में आप वहां पर स्थापित करें और आपने भी कुछ दिन पूर्व पहले सरकार को निर्देशित किया था कि आईटी का जमाना है, ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था करके जो युवा पीढ़ी प्रदेश की है और अपने प्रदेश का भविष्य तय होने वाला है, ऐसे समय के अंदर आप सरकार को निर्देशित करें कि इन युवाओं को जो पीजी, नैट और पीएचडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को शिक्षा ग्रहण कराएंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा सम्भाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कम लक्ष्य

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 15 मार्च से गेहूं की फसल की सरकारी खरीद प्रारम्भ करने की तिथि निर्धारित की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती क्षेत्र में इस बार बम्पर फसल का उत्पादन होने का अनुमान है और लगभग 22 लाख मीट्रिक टन फसल हाड़ौती क्षेत्र में अनुमानित है परंतु सरकार ने जो इसका लक्ष्य रखा है सरकारी खरीद का, वह बहुत ही कम लक्ष्य रखा है, मात्र 5.36 प्रतिशत का लक्ष्य सरकारी खरीद का रखा गया है, जो बहुत कम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पटवारियों की हड़ताल के चलते न तो फसल की टीप हो पाई है, बिना गिरदावरी के कैसे सरकारी खरीद हो पाएगी। यह विषय भी किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे ही चने की जो फसल है उसकी खरीद का एक राइडर लगा रखा है कि 25 क्विंटल प्रति किसान के हिसाब से सरकार उसको खरीद करेगी और आज वर्तमान में स्थिति यह है कि 5101 रुपये एमएसपी दर निर्धारित होने के बाद भी किसान को बाजार में 4500 से 4600 रुपये में अपना चना बेचना पड़ रहा है। लगभग 4-5 सौ रुपये कम प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना चना बेच रहा है और जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनियों ने भी बीमा प्रीमियम राशि जमा कराने के बाद भी उनको मुआवजा नहीं दिया है। 2019 में माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लिखा गेहूं पर है, चने तक चले गये आप।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मैं फसल की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 में बाढ़ आई, बाढ़ में सारी फसलें नष्ट हो गई, उसका मुआवजा नहीं दिया गया। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि गेहूं की जो सरकारी खरीद है उसके लक्ष्य को बढ़ाया जाए और चने का जो राइडर आपने 25 क्विंटल प्रति किसान रखा है उसको हटाया जाए और मुआवजे में जो राशि किसानों की पूर्व में शेष रह गई है चाहे वह बाढ़ आपदा के तहत है अथवा प्राकृतिक आपदा के तहत है, उस मुआवजा राशि को किसान को आप दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री गोपीचंद मीणा (अनुपस्थित)। श्री सतीश जी पूनियां।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सेवापुरा ग्राम पंचायत के वृहद् कचरा डिपो का अन्यत्र स्थानांतरण

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत आमेर विधान सभा क्षेत्र की सेवापुरा ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में स्थित वृहद् कचरा डिपो को अन्यत्र स्थानांतरित कराए जाने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आमेर विधान सभा क्षेत्र की सेवापुरा ग्राम पंचायत के आबादी क्षेत्र में कचरा डिपो स्थापित किया हुआ है। इस डिपो में जयपुर एवं इसके आस-पास के आबादी क्षेत्रों का कचरा एकत्रित कर डाला जाता है जिससे वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों का जीना दुश्वार हो रहा है। इस संबंध में लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई जाती रही है। इस कचरा डिपो से हमेशा दुर्गंधमय वातावरण बना रहता है। साथ ही कचरे को जलाये जाने के फलस्वरूप स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इस कचरा डिपो का स्थानीय लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा है। इस गंदे और संक्रमण वाले कचरे से वहां के लोगों को जीवन-यापन करना अत्यन्त कठिन साबित हो रहा है। इस कचरा डिपो में आगजनी की घटना एक आम बात सी हो गई है। लॉकडाउन के दौरान भी आगजनी की घटनाएं घटित हुईं। लॉकडाउन के दौरान वाहन प्रदूषण तो कम था किन्तु कचरा डिपो में आग लगने के कारण उठे जहरीले धुएं ने लोगों का जीना दूभर

(श्री सतीश पूनियां)

कर दिया था। इस कचरा डिपो के कारण आस-पास के गांव और कालोनियों में रहने वाले लोग बदबू के साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा झेल रहे हैं। स्थानीय निवासियों और अन्य माध्यमों से राज्य सरकार को यह अवगत भी कराया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस कचरा डिपो को अन्यत्र आबादी से दूर स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को इस समस्या से लगातार अवगत कराता रहा हूं किन्तु समस्या जस की तस है।

उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः मैं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन (अनुपस्थित)। श्रीमती इन्द्रा।

बामनवास की ग्राम पंचायत झनून में अवैध खनन

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ग्राम पंचायत झनून में पहाड़ों से पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। पहाड़ के आस-पास 3 गांव भेडोली, थड़ी और झनून की आम जनता निवास करती है। खनन हेतु जिन फर्मों को लीज पर खान आबंटित की गई है उनके द्वारा पत्थर तोड़ने हेतु ब्लास्टिंग नियमानुसार नहीं की जा रही है। पहाड़ के आस-पास लगभग 5000 की आबादी है। पत्थर की ब्लास्टिंग के कारण उक्त तीनों गांवों के निवासियों के घरों में दरारें आ गई हैं। अवैध रूप से ब्लास्टिंग के कारण उक्त गांव का वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा खराब हो गया है जिससे वहां के लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। ब्लास्टिंग के कारण घंटों तक दिन में भी अंधेरा छा जाता है और गांव के चारों और धूल छाई रहती है। लीज मालिक मनमर्जी से अवैध खनन कार्य कर रहे हैं और उसके पास वाली चरागाह जमीन पर भी उनके द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके संबंध में प्रशासन को कई बार शिकायतें भी की गईं लेकिन इस समस्या की ओर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं खान मंत्री जी से मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ग्राम पंचायत झनून में संचालित अवैध खनन कार्य की ब्लास्टिंग को तुरंत बंद कराया जाए ताकि वहां की आम जनता को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा के ग्राम काल्या के प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम काल्या (ग्राम पंचायत सीतारामपुरा) के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की नवगठित ग्राम पंचायत सीतारामपुरा के ग्राम काल्या में वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है। उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राएं काफी संख्या में अध्ययनरत हैं, जिनमें छात्राएं बहुतायत में हैं। उक्त ग्राम के नजदीक में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से छात्राएं गांव से दूर पढ़ने के लिए नहीं जाती हैं तथा छोटी बच्चियों को उनके अभिभावक भी दूसरे गांव में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। वर्तमान में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वह गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर उक्त ग्राम के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जाता है तो छोटी बच्चियों को पढ़ाई की काफी सुविधा मिलेगी और उनको पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार बच्चियों के भविष्य को देखते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, काल्या (ग्राम पंचायत सीतारामपुरा) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय को बजट आबंटन

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 8 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (कालेज फार टीचर एजुकेशन) हैं जो जोधपुर, जामडोली, सरदारशहर, संगरिया, डबोक, भुसावर, हटुण्डी एवं उदयपुर है। इनको कालेज फोर टीचर एजुकेशन में क्रमोन्नत किया गया था जो वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं परंतु राजस्थान सरकार द्वारा इन्हें बजट नहीं दिया जा रहा है और न ही विगत

(श्री पुखराज)

वर्ष बजट प्रावधान को भी राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अनुमोदनार्थ/ आबंटन हेतु नहीं भेजा है, जिसके कारण उक्त संस्थाओं में कार्यरत सभी 68 कार्मिकों को विगत लंबे समय से वेतन भी नहीं मिल पाया है। इससे सभी कर्मचारी व उनके परिवारजन आर्थिक तंगी से गुजरने के कारण मानसिक रूप से भी भयंकर परेशानी एवं पीड़ा झेल रहे हैं। संबंधित संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा उचित विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को पत्र व्यवहार किया गया है परंतु विडम्बना की बात है कि दोनों सरकारों एवं विभागाधिकारियों की उदासीनता के कारण पीड़ितों की मांग पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इससे भी भयंकर बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा लिखा गया है कि उक्त सभी महाविद्यालयों का कालेज फोर टीचर एजुकेशन का दर्जा वापस लेकर इन संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए, जो न्यायोचित नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में तत्परता एवं मानवता दिखाते हुए 68 कार्मिकों के बकाया वेतन के भुगतान हेतु बजट का प्रावधान कर संबंधितों को तत्काल भुगतान के निर्देश जारी कराएं। साथ ही उक्त कार्मिकों को केन्द्र सरकार द्वारा पोषित समग्र शिक्षा अभियान के मद में समायोजित कर इनका उक्त मद में ही नियमितीकरण किए जाने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजकर स्वीकृति प्राप्त करें तथा उक्त कार्मिकों को यथावत सेवा में रखते हुए कालेज फोर टीचर एजुकेशन को समग्र शिक्षा में समायोजन कर इन्हें न्याय प्रदान कर अनुगृहीत कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चन्द मीणा (अनुपस्थित)। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ के हमीर सागर में वैस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ कस्बे में स्थित हमीर सागर में वैस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़ शहर के मध्य में हमीर सागर तालाब स्थित है, जिसकी दशा अत्यंत दयनीय हो रखी है जिससे शहर की सुन्दरता तो खराब हो ही रही है, साथ में इस झील में भरा पानी भी दूषित हो रखा है। इस झील के भरने के बाद इसका ओवरफ्लो पानी

(श्री सुरेश टाक)

किशनगढ़ में स्थित दूसरे बड़े तालाब गोंदोलाव झील में जाता है और इस प्रकार दोनों ही झील दूषित पानी से प्रदूषित हो रही हैं। इसका मुख्य कारण किशनगढ़ शहर की कई कालोनियों में से वैस्ट वाटर एवं ड्रेनेज का पानी मुख्य सड़क पर बने नालों में नहीं जा पाता है क्योंकि कालोनियां सड़क से काफी नीचे लेवल पर बसी हुई हैं जिनका वैस्ट वाटर नालों में लेवल के अभाव में आ नहीं पाता है। शहर की अग्रसेन विहार कालोनी, कृष्णापुरी, चमड़ाघर, दाधीच कालोनी, सुन्दर नगर आदि ऐसी कई कालोनियां हैं जिनका ड्रेनेज का पानी बड़े बरसाती नालों से होता हुआ सीधा हमीर सागर झील में आकर मिल जाता है। इसके साथ ही किशनगढ़ नगर परिषद् द्वारा स्लाटर हाउस का निर्माण नहीं कराये जाने से भी कई अवैध स्लाटर हाउस जो विभिन्न जगहों पर बने हैं उनका गन्दा खून, मलबा व अन्य गंदगी भी इन नालों से होती हुई सीधे हमीर सागर में आती है जो कि अत्यंत ही चिंताजनक होने के साथ-साथ धार्मिक आस्था को भी ठेस लग रही है तथा किशनगढ़ के आमजन में इस बात का जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इस प्राकृतिक झील का सौंदर्य भी प्रभावित हो रहा है तथा पूरा इलाका पानी की बदबू से परेशान है। इसलिए इस शहर के लोगों की महती आवश्यकता है कि हमीर सागर में गंदे पानी व स्लाटर हाउस की गंदगी जाने से रुके और इसके लिए हमीर सागर झील के पास ही वैस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगे जिससे यह गंदा पानी हमीर सागर एवं गोंदोलाव झील के पानी को दूषित नहीं करे। यह किशनगढ़ शहर की भयंकर समस्या है जिसकी ओर सरकार का ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मैं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमीर सागर, किशनगढ़ में आ रहे शहर के सभी नालों का गंदा पानी, स्लाटर हाउस से आ रही गंदगी, गंदे खून की रोकथाम व लोगों की धार्मिक आस्था के मद्देनजर हमीर सागर से पहले एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की स्वीकृति प्रदान करने की सौगात देकर मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती निर्मला सहरिया।

अन्य राज्यों से सीमावर्ती जिलों में विवाहित आरक्षित वर्ग की महिलाओं का सरकारी नौकरी में आरक्षण

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की कार्यप्रणाली के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निकटवर्ती अन्य राज्यों

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

से राज्य के सीमावर्ती जिलों में विवाहित आरक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को सरकारी नौकरी में कैटेगरी अनुसार आरक्षण का लाभ दिलवाने बाबत निवेदन करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि निकटवर्ती अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग में जन्मी तथा राजस्थान प्रदेश के विभिन्न सीमावर्ती जिलों- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारां, एवं पाली आदि जिलों के आरक्षित वर्ग के पुरुषों से विवाहित महिलाएं पिछले 2 वर्ष से प्रदेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के लाभ से वंचित कर दी गई हैं। इन महिलाओं का संबंध आरक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग कैटेगरी से है तथा इन सीमावर्ती जिलों में इन महिलाओं की संख्या हजारों में है।

अध्यक्ष महोदय, यह महिलाएं अपने मायके व ससुराल दोनों के आधार पर समान आरक्षित श्रेणी में है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप निम्न बिंदुओं पर गहनता से विचार कर आरक्षित वर्ग की इन महिलाओं को सरकारी नौकरी में कैटेगरी अनुसार आरक्षण दिलवाने हेतु आदेश जारी कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सफिया जुबेर।

रामगढ़ में आबादी क्षेत्र में मूर्ति उद्योग से आमजन के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में मूर्ति उद्योग कार्य करने वालों के आस-पास रहने वाले लोगों में बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। पत्थर घिसाई से उड़ती धूल से टीबी और सिलिकोसिस की गिरफ्त में लोग आ रहे हैं तथा पत्थर घिसाई कार्य से उड़ने वाली धूल के कारण लोगों के फेफड़ों पर जम रही धूल की परत से बेपरवाह खनन क्षेत्र के मजदूर और पास रहने वालों को सांस फूलना, खांसी, बलगम और बिना बलगम के खांसी में रुकावट, घबराहट, छाती में जकड़न जैसे लक्षण हो रहे हैं एवं ऐसे लोगों की भी काफी संख्या है जो आक्सीजन की कमी से दम घुट कर मरने के कगार पर हैं। सड़क किनारे और आबादी क्षेत्रों में संचालित इन उद्योगों से लोगों की जान पर भी खतरे की आशंका बनी रहती है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मेरा आपसे निवेदन

(श्रीमती सफिया जुबेर)

है कि इन मूर्तिकारों के लिए आबादी क्षेत्रों से बाहर कोई अन्य स्थान चिह्नित कर इनको वहां शिफ्ट करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

एनएच-79 से लम्बी दूरी की रोडवेज बसों का गुलाबपुरा शहर में ठहराव

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द, हुरडा का गुलाबपुरा शहर जो कि NH 79 से 2 किमी. दूर अंदर पड़ता है, जहां कई वर्षों से राजस्थान रोडवेज की इस रूट पर चलने वाली सारी बसें गुलाबपुरा शहर से होकर गुजरती थीं, मगर बिना कोई भी कारण के इन सारी बसों को अंदर आने से रोक दिया है, जो सही नहीं है, क्योंकि इन बसों की वजह से कई गरीब व्यापारियों के परिवारों को भी रोजगार मिलता था, जैसे कि रेहड़ी वाले, चाय-नाश्ता वाले, पान के गल्ले वाले, ऐसे कई तरह के छोटे-छोटे गरीब तबके के लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, परंतु इन बसों के अंदर नहीं आने से सैकड़ों परिवार के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है और वे बेरोजगार हो गये हैं और इन बसों के शहर में नहीं आने व सवारियों को शहर से 2 किमी. दूर सुनसान जगह पर उतार देने से महिला यात्रियों व बुजुर्ग यात्रियों तथा दूर से आने-जाने वाले व्यापारियों एवं आम यात्रियों को काफी परेशानी होती है। विशेष तौर पर रात्रि के समय डर व भय के कारण कोई महिला यात्री व व्यापारी वर्ग तो रोडवेज की बसों में बैठने से ही डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हम इन बसों में बैठेंगे तो हमें शहर से 2 कि.मी. दूर सुनसान व वीरान जगह पर उतार दिया जायेगा। इससे विभाग को भी बहुत नुकसान हो रहा है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि गुलाबपुरा की जनता की व सभी व्यापारी वर्ग की भावना को देखते हुए NH-79 से गुजरने वाली लंबी दूरी की सभी रोडवेज बसों को गुलाबपुरा शहर के बस स्टैण्ड से होकर निकलने का विभागीय आदेश कराने की कृपा कराएं, जिससे शहर के लोगों को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

सहायक आचार्य (कालेज शिक्षा) की भर्ती से पहले सैट परीक्षा का आयोजन

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रदेश में सैट परीक्षा अंतिम बार वर्ष 2013 में आयोजित की गई थी। उसके पश्चात् दिनांक 21 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2020 तक कालेज लेक्चरर परीक्षा के आवेदन मांगे गये थे। उक्त परीक्षा की आवेदन तिथि के बाद 15 जनवरी, 2021 को सहायक आचार्य (कालेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन जारी किया तथा उक्त परीक्षा की तिथियां दिनांक 04.04.2021 से 02.05.2021 तक घोषित कर दीं। इस कारण सैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि सैट सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की योग्यता में शामिल है। सैट परीक्षा का आयोजन सहायक आचार्य (कालेज शिक्षा) की भर्ती परीक्षा से पहले नहीं कराने से अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। राजस्थान के सर्व समाज के युवाओं के रोजगार की चिंता करना हम सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष भर में ली जाने वाली परीक्षाओं का कैलेण्डर जारी हो और उस भर्ती कैलेण्डर के अनुसार ही परीक्षाओं का आयोजन हो ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना व अन्य राज्यों ने कालेज लेक्चरर परीक्षा से पहले सैट परीक्षा का आयोजन करवाया है। इन वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यहां राजस्थान में भी सैट परीक्षा का आयोजन सहायक आचार्य (कालेज शिक्षा विभाग) से पहले करवाया जाए।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि सैट परीक्षा का आयोजन सहायक आचार्य (कालेज शिक्षा) की भर्ती परीक्षा से पहले किये जाने के आदेश प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मनीषा पंवार।

प्रधानाचार्य स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति में व्याख्याता तथा माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापकों को उनकी संख्यात्मक अनुपात के आधार पर पदोन्नति

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में निवेदन है कि प्रधानाचार्य स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति में व्याख्याता तथा माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को उनकी संख्या के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए:-

1. स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 1990 से 2015 से पूर्व तक व्याख्याताओं तथा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य पर पदोन्नति का अनुपात 50:50 का रहा है।
2. दिनांक 25.03.2015 से मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश उपरांत यह अनुपात व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक के बीच 67:33 से किया जाकर पदोन्नति दी गयी थी।
3. वर्तमान में व्याख्याताओं की संख्या 53399 तथा प्रधानाध्यापकों की संख्या 3529 है, जिसका अनुपात 93:07 बनता है।

पदोन्नति में वित्तीय अधिभार की विसंगति (छठे वेतन आयोग के अनुसार) भी निम्नानुसार प्रदर्शन से न्यून प्रतीत होती है:-

पद	प्रारंभिक वेतन	ए.सी.पी. उपरांत वेतन	प्रधानाचार्य पदोन्नति पर वेतन	टिप्पणी
व्याख्याता स्कूली शिक्षा	4800	5400	6600	10 वर्ष एवं इससे भी अधिक समय तक कार्य करने के उपरांत ए.सी.पी. और वेतन वृद्धि से 6600 का वेतन भी क्रास कर जाते हैं। अत: वित्तीय भार की संभावना न्यून है।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

पद	प्रारंभिक वेतन	ए.सी.पी. उपरांत वेतन	प्रधानाचार्य पदोन्नति पर वेतन	टिप्पणी
प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय	5400	6000	6600	न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने का प्रावधान है, जिससे 5400 पर तीन वेतन वृद्धि के उपरांत ही 6600 की ग्रेड पर आने में बजट अधिभार बढ़ता है।

अत: प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापकों के संख्यात्मक अनुपात को बजट घोषणा 2021 में सम्मिलित करते हुए प्रदेश के शिक्षकों को राहत प्रदान करायें।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

चिखली पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों के गायब दस्तावेज

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति चिखली की ग्राम पंचायत अम्बाड़ा, धनगांव, बडगामा, डूंगर व अन्य कई ग्राम पंचायतों में लेखा-जोखा कैश बुक व पूर्व में जो कार्य हुए हैं, इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी ग्राम विकास अधिकारी रहा, उन्होंने अपनी मनमर्जी से कार्य किया है और यह दृष्टिगत होता है कि इस क्षेत्र में पंचायती राज विभाग की योजनाओं में आने वाले पैसे में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है और आज भी पंचायत समिति चिखली की कई ग्राम पंचायतों में यही स्थिति बनी हुई है। इस वजह से पंचायत समिति क्षेत्र के लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(श्री राजकुमार रोत)

अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर पंचायत समिति चिखली के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों का वर्ष 2020 से अब तक के समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया जाए और जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री सुमित गोदारा।

मेजर जेम्स थॉमस (कीर्ति चक्र) की स्मृति में प्रतिमा की स्थापना

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत मेजर जेम्स थॉमस कीर्ति चक्र की स्मृति में बीकानेर में प्रतिमा लगाने के संबंध में निवेदन है कि बीकानेर में जन्मे, बीकानेर बाय्ज स्कूल में मेरे जूनियर रहे और भारतीय सेना में शामिल हुए। 28 जनवरी, 2006 को कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देने के पश्चात् वीरगति को प्राप्त हो गये। मेजर जेम्स थॉमस को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से उनकी पत्नी को सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी का भी कैंसर से कुछ वर्ष पहले निधन हो गया। उनकी माताजी, दो पुत्रियां जो स्कूल जाती हैं, आज भी बीकानेर में रहती हैं। मेजर जेम्स थॉमस की स्मृति में बीकानेर शहर में पब्लिक पार्क स्थित फौजी टैंक के पास मूर्ति स्थापित की जाए। सरकारी आदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिनांक 1.10.2009 रेफरेंस नं. PT/22 के द्वारा MLA/MP लैड राशि के अनुशंसा करने पर जिला कलेक्टर को अधिकार है कि वह 500 मीटर से कम भूमि आवंटन का अधिकार रखते हैं। बीकानेर के इस सपूत के लिए मैं स्वयं अपने MLA लैड से व केन्द्रीय मंत्री व बीकानेर सांसद श्री अर्जुन राम जी मेघवाल MP लैड से मूर्ति स्थापना के लिए राशि हेतु स्वीकृति देने को तैयार हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि पब्लिक पार्क स्थित फौजी टैंक के पास भूमि का आबंटन कर कीर्ति चक्र विजेता मेजर जेम्स थॉमस की माताजी, दोनों पुत्रियां एवं पूरे बीकानेर को गौरवान्वित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22, अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,58,25,19,000/- (तिहत्तर अरब अठावन करोड़ पच्चीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-29 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण मांग पर आपने मुझे सुझाव रखने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन लगभग 38 प्रतिशत आबादी शहरों के अंदर निवास करने लग गयी है, जिसको हम अरबनाइजेशन कह रहे हैं। वह इतने तेजी से बढ़ रहा है कि सर्वे के अनुसार लगभग 53 प्रतिशत आबादी शहरों में आ जाएगी। यह जो आबादी बढ़ने का सेन्सस ग्रोथ है, वह जहां गांवों में 12 प्रतिशत है, वही शहरों में बढ़कर 23.32 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे मौके पर जब हम आयोजना की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान की बात कर हैं, शहरों की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले इस सदन के माध्यम से राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक आदरणीय गुलाब कोठारी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने 7 अप्रैल, 2004 को एक आर्टिकल लिखा था - 'क्या होना था' यह आर्टिकल मैं लेकर आया हूं। इन्होंने लिखा था कि 'क्या होना था और क्या हो गया, मेरे जयपुर का यह हाल'। ये 7 अप्रैल, 2004 को लिखा था, मंत्री महोदय। ये केवल लेखनी इनकी थी, लेकिन ये राजस्थान की 5 करोड़ जनता की आत्मा की आवाज लिखी थी इन्होंने। इसी के कारण इस लेखनी के बाद में ये शीर्षक माननीय उच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये 2011 का मास्टर प्लान था, इसमें 44 प्रतिशत रिजर्व किया हुआ था रेजीडेंशल लेकिन 2004 में ही ये पहुंच गया था 63

(श्री अशोक लाहोटी)

प्रतिशत तक। उच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद में आज भी जो हमारे विद्वान अधिकारी हैं, वह 2011 का मास्टर प्लान तो पूरा भी हो गया, लेकिन उसको उनकी सूझबूझ से, विद्वान अधिकारियों की देखरेख में आज तक यह मास्टर प्लान 2025 में भी लोग झूल रहे हैं, लटक रहे हैं और डिपार्टमेंट्स के बीच में लोग पिस रहे हैं कि ये मास्टर प्लान और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में लोग कहां जाएं?

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यदि हम आज का आकलन करें तो ये 64 प्रतिशत बढ़कर एनक्रोचमेंट तक पहुंच गया, 80 प्रतिशत तक ये एनक्रोचमेंट पहुंच गया। एक अव्यवस्थित, बेतरतीब, दिशाहीन विकास के दलदल में हमने शहरों को धकेल दिया। ये हम सभी को बैठकर चिंता करने का विषय है। जयपुर के बारे में तो सदियों से यही कहा जाता है कि ये नियोजित और व्यवस्थित शहर है। 12 जनवरी, 2017 को इसी राजस्थान उच्च न्यायालय ने 257 पृष्ठ का एक फैसला दिया, जिसमें मास्टर प्लान की सारी बातों को नियोजित किया गया। वह भी मैं लाया हूं, जिसमें लिखा है कि घुटती सांसें, मरते शहरों को संजीवनी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके अपना 257 पेज का ये फैसला दिया है। इसके बाद में इस फैसले में बहुत सारे निर्देश थे और इसमें बड़ी बात यह लिखी कि हमारी नीयत तथा सरकारी नीतियां इस सारी खराबी के लिए जिम्मेदार हैं। यानी हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार की घोषणाएं व उनकी क्रियान्विति में इतना अंतराल हो जाता है कि उनकी लागत और स्वरूप दोनों बदल जाते हैं, जिसका कल आपने भी जिक्र किया था अध्यक्ष महोदय। उनके उद्देश्य और उद्देश्यविहीन हो जाती हैं योजनाएं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य जो बातें थीं कि आबादी शहर से बाहर हो, उद्योग, फुटपाथ, आम रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, राष्ट्रीय राजमार्गों के पास में हरित पट्टी बनाई जाए, ग्रीन बैल्ट का कन्वर्जन रुके, पार्किंग के नियमों की सख्ती से पालना हो और सबसे बड़ी बात जो लिखी थी कि शहरों का विस्तार रुके। हम वर्टिकल शहरों को विकास की तरफ बढ़ाएं। वर्टिकल बढ़ाने के लिए हमें सभी हब्स को मैट्रो से जोड़ना पड़ेगा, इलैक्ट्रिक बसों से जोड़ना पड़ेगा, सभी हब्स में हमको डवलपमेंट देने पड़ेंगे, सभी हब्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, वहां कालेज, हास्पिटल देने पड़ेंगे, ये इसके मुख्य बिंदु थे। नगर नियोजन के कार्य में, मैंने पिछली बार सदन में कहा था कि ये

(श्री अशोक लाहोटी)

दुर्भाग्य है कि हम 1973 एक्ट की तो बात करते हैं लेकिन उस एक्ट को तार-तार करने का काम भी सरकारों ने ही किया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। आज शहरों का हाल यह है कि दो दर्जन से ज्यादा विभाग डवलपमेंट के काम में लगे हैं एक ही शहर में। मैं नाम पढ़ूं तो जेडीए, नगर निगम, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, यूआईटी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीएसएनएल, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, मैट्रो, रूडसिको, सिसको, हाउसिंग बोर्ड, केबल डिजिटल नैटवर्क, आवास विकास, रीको, ये ऐसे 25 से ज्यादा विभाग एक शहर के डवलपमेंट में लगे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अभी जयपुर की ह्रदय स्थली सी-स्कीम में जो 41 फीट गहरा खड्डा हुआ आज भी वहां बेरिकेडिंग की हुई है। वह क्यों हुआ? क्योंकि वहां सड़क तो बनाती है जेडीए और सीवरेज डालती है नगर निगम, वहां तार डालने की अनुमति देती है जेडीए और जब वहां होल हो जाता है, वहां पर बरसात का पानी जाता है और सीवरेज ब्लास्ट होगी। ये पिछले पांच साल में तीन बार हो गया, एक ही जगह पर। ये बेतरतीब विकास का एक नायाब नमूना हम हर साल देखते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अकेले जयपुर शहर में दोनों की सरकारों ने मिलाकर दस साल में 30 हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं। मंत्री महोदय, 30 हजार करोड़ रुपये, इन सारे विभागों ने मिलाकर, लेकिन जयपुर के नहीं पूरे राजस्थान के किसी भी शहर के 30 आदमियों को आप खड़ा करके बता दें जो यह दिल से मान लें कि हां, मेरे शहर का विकास हुआ है और नियोजित विकास हुआ है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं यदि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की बात करूं तो सांगानेर में भांकरोटा, कमला नेहरू नगर, नारायण विहार, रामपुरा रोड, क्षेत्र पृथ्वीराज नगर, रीको कांटा, कल्याणपुरा, सचिवालय नगर, विधान सभा नगर, पत्रकार कालोनी, ढाणी कुमावतान, झूलेलाल नगर, हीरावाली खावड़ा, देवराज नगर, श्रीजी नगर, मदरामपुरा, तेजा जी का बाड़ा, माल की ढाणी, डिग्गी रोड, मुहाना, शिकारपुरा क्षेत्र, जोतड़ा वाला, गोविन्दपुरा, बागड़ों का बड़, कोकावास, गोरधन नगर, टीबा टोल टैक्स, इंडिया गेट, प्रताप नगर, चक गेटोर श्योपुर, ऐसी 600 से ज्यादा कालोनियां हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी राजधानी जयपुर में भी इनमें चलने को सड़क नहीं है और सीवरेज नहीं है। इनमें ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, बिल्डर कालोनियां काटकर चले जाते हैं। जेडीए पैसा जमा करके भूल जाता है। उसके बाद वहां विकास नाम की कोई चीज नहीं है।

(श्री अशोक लाहोटी)

स्वयं जेडीए की काटी हुई स्कीमों में कई बार यहां विधान सभा में प्रश्न लग गये, वहां भी लाइटें तक नहीं लगी हुई। ये विकास का हाल है। बहुत सारी कालोनियां सोसायटियों द्वारा भी काटी जाती हैं। उनका तो इतना बुरा हाल है कि सोसायटियां काटती हैं, जब कोई नहीं रोकता, वहां मकान बन जाते हैं। आज जयपुर शहर में लाखों मकान बने हुए हैं, मंत्री महोदय, आपके कोटा में बने हुए हैं, उदयपुर, अजमेर में बने हुए हैं। लाखों मकान बन गये। वहां यूआईटी, जेडीए उनमें डवपलमेंट नहीं करता कि हमारा क्षेत्र नहीं है। नगर निगम की इतनी श्रद्धा नहीं है कि उसमें डवलपमेंट कर सके। आखिर वे लोग कहां जाएंगे? वे लाखों लोग कहां जाएं? ये बेतरतीब विकास दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। या तो इनको रोका जाए या इनमें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। बीस-बीस, तीस-तीस सालों से इनमें लोग रह रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा और धारीवाल साहब आप तो यूडीएच के एनसाइक्लोपीडिया हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान जिसकी आप बार-बार बात कर रहे हैं, इस बार वह लाओ तो पूरी तैयारी के साथ लाओ कि ये जो बीस-बीस, तीस-तीस सालों से लोग रह रहे हैं, उसमें कोई घर बचे नहीं जिसमें यदि लोग रह रहे हों, तो उनको पट्टा देने का काम, ये नेक काम आप करें। हम भी इसमें आपका साथ देंगे।

अध्यक्ष महोदय, सीवरेज लाइनें तो 25-25, 30-30 साल पुरानी हो गयीं। अभी आपने एमएलएज को मानसरोवर में फ्लैट दिये हैं। वहां सीवरेज की स्थिति यह है कि 30 साल पुरानी है। हर दिन जाम रहते हैं। आधे से ज्यादा एमएलए डेली फोन करते हैं कि सीवरेज सफाई करवाओ। प्रताप नगर में, हाउसिंग बोर्ड में 30-30 साल पहले सीवरेज डली थी। आज तक उनको कोई देखने वाला नहीं है कि आबादी से दस गुना विस्तार हो गया। इस प्रकार आज यदि यातायात जाम की भी बात करें तो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शहरों में सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आने वाले दिनों में स्वच्छता के बाद में सबसे बड़ी समस्या शहरों में जो बन रही है वह ट्रैफिक जाम की समस्या बन रही है। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात मैं करूंगा।

तीन-चार रोड की भी मैं बात करूंगा। सवाई माधोपुर रेलवे पुलिया अंडरपास जो भीलवाड़ा और मालपुरा रोड को जोड़ता है, जयपुर शहर की हृदय स्थली में होने के बावजूद लगातार दो-दो, तीन-तीन घंटे तक जाम रहता है। मैं मांग करूंगा मंत्री जी से कि जेडीए प्रस्ताव बनाकर दे। रेलवे से परमिशन की

(श्री अशोक लाहोटी)

आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी भागदौड़ करेंगे, हम भी मदद करेंगे। उसकी चौड़ाई मात्र डबल भी हो जाए तो लोगों को, आम जन को राहत मिलेगी। सेक्टर रोड, आपने घोषणा की। मास्टर प्लान के बाद में जोनल प्लान बना दिये, लेकिन आज तक रामपुरा रोड से लेकर डिग्गी रोड को जोड़ने वाली सेक्टर रोड रेलवे लाइन के सहारे-सहारे नहीं बनी। जेईसीआरसी कालेज, टोंक रोड का पूरा ट्रैफिक, यदि डिग्गी रोड, अजमेर रोड जाना हो तो पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। जेईसीआरसी कालेज के पास की जो सेक्टर रोड बननी थी, आज तक उसका सर्वे पूरा नहीं हुआ, नहीं बनी। ये ही रामपुरा, जेईसीआरसी के बाद में शांति नगर-त्रिवेणी नगर को जोड़ने वाली रोड नहीं बनी। पिंजरापोल गोशाला को लेकर नहीं बनी। पृथ्वीराज नगर की सेक्टर रोडें बाकी पड़ी हैं, माननीय मंत्री महोदय का क्षेत्र भी आता है। इनको अविलम्ब बनाएं।

मैं यह भी मांग करूंगा कि एयर कंडीशन में बैठकर अधिकारियों ने मास्टर प्लान का तोड़ निकालने के लिए जो जोनल प्लान बनाए, उसमें ऐसी लाइनें ड्रा भी कर दीं, जहां सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, हजारों मकान उसमें आ रहे हैं, या तो रोड बनाने के लिए हजारों मकान तोड़ने की यदि हिम्मत हो तो सरकार की, तो आगे बढ़ाएं अन्यथा उनको विलोपित करने का काम करें। हजारों लोगों के मकान टूटने में आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, बात हो रही है आज बजट पर चर्चा की और माननीय मंत्री महोदय ने रखा भी है कि इतना बजट पास किया जाए। मंत्री महोदय, मैं थोड़ा-सा आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2019 में भी बजट आया था सरकार का और तब भी मैंने बात की थी कि ये जब एक्चुअल आएगा, तब बात करेंगे। आज 2021-22 में ये एक्चुअल भी आ गया। 2019 में आपके पूरे डिपार्टमेंट का बजट था 6 हजार 988 करोड़ और एक्चुअल में आया है मात्र 5 हजार 54 करोड़, जो आपकी घोषणा थी, उससे 27 प्रतिशत आप कम खर्च कर पाए हैं। इस समय तो कोई कोरोना नहीं था। यह 2019-20 की बात कर रहा हूं। इसमें भी जो विकास का बजट था, आश्चर्य होगा हम सबको जो यहां बैठे हुए हैं, वह मात्र 1,181 करोड़ था और उसमें से जो विकास के नाम पर खर्च हुआ है, मात्र 721 करोड़ रुपये, 39 परसेंट कम बजट खर्च हुआ है। यह हम सबके लिए शर्म की बात है। इसके साथ-साथ 2020-21 में आपने रखा 7 हजार 428 करोड़ रुपये, मैं दिसम्बर तक के आंकड़े लाया हूं,

(श्री अशोक लाहोटी)

दिसम्बर तक मात्र 2,756 करोड़ रुपये आपका खर्च हुआ है, जो आपकी घोषणा का मात्र 37 प्रतिशत है।

मंत्री महोदय, इस साल का तो, मुझे एक बड़ी गलतफहमी थी कि सदन में तो केवल आप ही दिखते हो, तो आपका तो भारी भरकम बजट होगा। मैं पूरे बजट को लालटेन लेकर, बायनोक्यूलर लैंस से ढूंढ़ने लगा तो 2 लाख 50 हजार करोड़ के बजट में 38 प्रतिशत शहरी आबादी के लिए मुझे बजट ढूंढने पर मिला, जो विकास के लिए बजट मिला कैपिटल एक्सपेंडीचर, वह मात्र 1,431 करोड़ रुपये मिला आपके डिपार्टमेंट का। बहुत ढूंढने के बाद। जो कुल भारी भरकम बजट या घोषणाओं में निकालो तो 0.57 परसेंट है। यदि तनख्वाह वाला भी इसमें जोड़ दो, टोटल रेवेन्यू प्लस भी कर लो तो भी उसमें 3,309 करोड़ रुपये होते हैं, टोटल बजट का 1.4 परसेंट है।

अध्यक्ष महोदय, हम सदन में स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी के लिए मैं आपको खुलकर कहना चाहूंगा। भले ही हम स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हो, हम कौनसी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? एक तरफ वह स्मार्ट सिटी जो जयपुर शहर की, उदयपुर की मात्र तीन-तीन किलोमीटर की, तीन सड़कों के लिए 170 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, एक तरफ हज़ारों कालोनियों में चलने के लिए सड़क नहीं है, सीवरेज नहीं है, तार आसमान में नंगे हैं, उनको अंडरग्राउण्ड करने के लिए बजट नहीं है और हम स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं, कौनसी स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं स्मार्ट सिटी के टूर पर अमेरिका गया था। पूरी दुनिया में, स्मार्ट डस्टबिन के लिए अमेरिका का ही उदाहरण दिया जाता है। जब हम वाशिंगटन गए, न्यूयार्क गए, तो वहां पर...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिस स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं, यह स्मार्ट सिटी का प्लान किसने बनाया?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं वही आपसे अभी कहूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरी बात सुनिए। मुझे सुन लीजिए दो मिनट। स्मार्ट सिटी का प्लान किसने बनाया कि किस एरिया में स्मार्ट सिटी का काम होगा। एबीडी एरिया कहलाता है, एबीडी एरिया को किसने चूज किया। 2015 में केन्द्रीय

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सरकार द्वारा चूज किया गया है। उसकी जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार, उसी एरिया में आप काम करवा सकते हो, उसके बाहर काम नहीं करवा सकते। आप कह रहे हो कि कालोनियों में करवाओ, वहां करवाओ, वहां करवाओ। आप स्मार्ट सिटी की पूरी जानकारी लीजिए।

(12.52 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री महोदय, आपने बिलकुल सही फरमाया। मैं मूल स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को भी आपको याद दिला दूं। मूल स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव मोदी जी ने नहीं भेजा था, वह हमने यहां से पास करके भेजा था। आपने उसमें छेड़छाड़ करके, आपने मूल स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को बदल दिया। मंत्री महोदय, मूल स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव आपने बदले हैं, मोदी जी ने नहीं बदले हैं, आप इसका जवाब दे देना, जब आप जवाब दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2015 में आपकी सरकार थी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हमारी सरकार थी न, मैं कब मना कर रहा हूं। अधिकारियों ने बनाया। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमने तो नहीं भेजा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैं कह रहा हूं न। मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा। मैं सदन की बात कर रहा हूं। मैं सरकारों में नहीं जा रहा, चाहे हमने बनाया हो या आपने। मैट्रो आपने बनाई तो कौनसे दो हजार करोड़ रुपये खराब नहीं किए। (व्यवधान) माननीय, आप भी बोल लेना। अभी मैं यह रामगंज में ले आऊंगा, रूको आप।

श्री सभापति: बीच-बीच में नहीं बोलें। बिलकुल नहीं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। वाशिंगटन और न्यूयार्क में जब स्मार्ट डस्टबिन में हमने देखा, वहां चिप लगाने पर रिसर्च हो रहा था। जब मैं जयपुर आया तो यहां की स्मार्ट सिटी ने वह चिप परचेज कर ली। मैंने उसमें आब्जेक्शन रेज किया। आप फाइल मंगाकर देख लीजिए। जिस संस्था के पास डस्टबिन ही नहीं हो, वह चिप कहां लगाएगा। तीन करोड़ की चिप बेचने का काम दूसरे देश कर रहे हैं और हमारी

(श्री अशोक लाहोटी)

स्मार्ट सिटी के अधिकारी वहां घूमने जाने के नाम पर, बिना डस्टबिन के चिप की खरीद करते हैं। यह जांच का विषय होना चाहिए। मैं पार्टी से ऊपर उठकर कह रहा हूं।

सभापति महोदय, पौंडरिक पार्क की बात आई। अभी आपने स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में पौंडरिक पार्क नहीं था, मंत्री महोदय। पौंडरिक पार्क क्या है, महाराज सवाई जयसिंह जी ने पौंडरिक पार्क बनवाया। विश्व का सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ यहां पर हुआ। पौंडरिक पार्क जयपुर शहर की तीज व गणगौर यात्रा का हृदय स्थल है। इसमें यह भी लिखा है कि यह जयपुर शहर के फेफड़े हैं। उस पौंडरिक पार्क में कंकरीट का जाला बनाने का काम किसने किया? आपके ही तथाकथित विधायकों के कहने पर, आपने इस स्मार्ट सिटी का प्लान बदलने का काम किया। यह मोदी जी ने नहीं बदला। यह पौंडरिक पार्क आपने छेड़ा। मैं आपको याद दिला रहा हूं। इसी के बगल में, चौगान स्टेडियम में आपने पार्किंग का प्लान ले रखा है। आप इसमें पार्किंग डबल कीजिए। आपके मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, जयपुर में हैरिटेज वाक बनाएंगे, ट्रैफिक फ्री जोन बनाएंगे, वह तीन साल से पूरी नहीं हुई और होगी भी नहीं। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि चौगान स्टेडियम से पौंडरिक पार्क तक ट्रैफिक फ्री हैरिटेज जोन बना दीजिए, इससे जयपुर की आत्मा भी बचेगी, जयपुर के फेफड़े भी बचेंगे और आपकी बजट की घोषणा भी पूरी हो जाएगी।

सभापति महोदय, आज हम बात करें तो आधे से ज्यादा राजस्थान नगर निगम और नगरपालिकाओं में आता है। नगर निगम और नगरपालिकाओं में आता है तो आपको और हमें, सबको नगर निगम और नगरपालिकों का परिसीमन भी याद होगा। पहले सरकार ने मनमर्जी से परिसीमन कर दिया, चुनाव घोषणा होने के बाद सरकार को अचानक से याद आई कि हम दो-दो निगम बनाएंगे और आपने रातों-रात चुनाव रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद आपने क्या किया, आपने दो-दो निगम कराने के लिए, एक-एक गली, एक-एक घर को वोट व जाति की राजनीति के आधार पर, तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर बांटा। कहीं पर 300 का वार्ड बनाया और कहीं 1,800 का वार्ड बनाया। मंत्री महोदय, आप आज इस पर भी जवाब देना। मंत्री महोदय, आप जवाब देना, अभी तो बहुत सारे इश्यू हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी दे दूं हाथों-हाथ?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नहीं, नहीं। बाद में दे देना, अभी लिख लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बाद में दे देना।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आपके विद्वान अधिकारी बैठे हैं, वह लिख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय बोलने दें, प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं विद्वान मंत्री महोदय से यह भी पूछूंगा कि वह एक्ट भी पढ़कर बताएं, जिस एक्ट में यह लिखा हुआ था कि सभापति से सभापति को हस्तान्तरण होगा, यह प्रशासक कहां से आ गए, यह अधिकारी कहां से आ गए, दो साल तक? दो साल तक अधिकारी कहां से पैदा हुए, यह कौनसे एक्ट में लिखा हुआ है? मुख्य मंत्री जी जगह-जगह, देश-दुनिया में घोषणा करते हैं कि लोकतंत्र बचाना है। राजस्थान में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किसी ने किया तो वह आपकी सरकार, आपके मंत्री काल में हुआ है।

सभापति महोदय, मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछली बार भी, विपक्ष में होने के बाद भी एक बात कही कि यह नगर निगम, नगरपालिकाएं चलेंगी कैसे, इनकी आमदनी क्या है। आज सुबह आते ही, इन्होंने मुझे बुलाया। नेता प्रतिपक्ष महोदय, उपनेता प्रतिपक्ष महोदय दोनों थे। मुझे कहा, भले आदमी, यह नगरपालिकाएं, नगर निगम चलेंगी कैसे, पक्ष-विपक्ष तो बाद में करना, नगरपालिकाओं की चिंता भी करो।

सभापति महोदय, मैं आज आपके सामने कुछ आंकड़े और रखना चाहूंगा। आज यदि मैं जयपुर शहर और राजस्थान की बात करूं तो सीएजी के आडिट में आया है, देश में सबसे कम यूडी टैक्स कलेक्शन करने वाला स्टेट राजस्थान है। हम 10 प्रतिशत से कम यूडी टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं। यह हमारी सरकार का भी हाल था, यह आपकी सरकार का भी हाल है। आखिर यह कहां जाएंगे? नगरपालिकाओं के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे जयपुर बराबर के शहर की यदि मैं बात करूं, सूरत, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इनका टैक्स कलेक्शन 300 करोड़ रुपये से लेकर1200 करोड़ रुपये तक है। जयपुर का मात्र 62 करोड़ रुपये है। उदयपुर का 9 करोड़ रुपये है। कोटा का 6.5 करोड़ रुपये है, साल का है मंथ का नहीं। न हम कलेक्शन कर पा रहे हैं, न सर्वे कर पा रहे हैं, न जांच कर पा रहे हैं। इन

(श्री अशोक लाहोटी)

सबके लिए आपके पास नगरपालिकाओं में अधिकारी नहीं है। कोटा, उदयपुर में एक-एक, दो-दो अधिकारी हैं। जयपुर में 20-25 अधिकारी हैं और लाखों सम्पत्तियां हैं।

मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुला लें। हम इसमें सहयोग करेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी सहयोग करेंगे परन्तु इसके लिए कोई एक नियम बनाएं। जो मैंने अनुभव किया है, हमारे नियमों में कठिनाई यह है कि किसी आदमी को पता ही नहीं है कि मुझे कितना टैक्स देना है।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं जब जयपुर में महापौर था, मैंने इसकी जांच बिठाई, तो एक खाली प्लाट का यूडी टैक्स एक लाख रुपये आता था। उसमें बिल्डिंग बन गई तो उसका यूडी टैक्स आया मात्र 6.5 हजार रुपये। मैंने अधिकारियों की टीम भेजी, उसमें कुछ पार्षदों को साथ भेजा। जांच करने पर सामने आया कि खाली था जब तो टैक्स बनता था और जब 9 मंजिल की बिल्डिंग बन गई तो उसके फ्लैट थे, वे 1,500 स्क्वायर फीट से छोटे थे, इसलिए पूरी बिल्डिंग और जमीन टैक्स फ्री हो गई। खाली जो सोसाइटी का एरिया था वह 6.5 हजार रुपये टैक्स बना। इस तरह से, कहीं न कहीं हमारी इसमें खामियां हैं।

दूसरा, टैक्स कलेक्ट करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। आप बंदूक लगाकर टैक्स नहीं ले सकते और हर बिल्डिंग व प्रोपर्टी को हम सीज कर नहीं सकते। इसके बारे में आखिर हमको चिंता करनी पड़ेगी। लोगों को जानकारी हो कि मुझे कितना टैक्स देना है। हर आदमी देना चाहता है। पिछले दस सालों की डीएलसी मिलाकर सात लाख तरह की डीएलसी हो गई। कौनसा आदमी, किससे गणना करेगा, कैसे सैल्फ असेसमेंट करेगा।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, नगरपालिका, नगर निगम, शहरों में, जिधर देखों वहां मांस-मछली की अवैध दुकानें नजर आती हैं। यह दुकानें अवैध क्यों है। क्यों नहीं हम अच्छे स्लाटर हाउस का विकास करें, हम उनको प्रोपर तरीके से दें, जो नियम बने हैं उन नियम, कानून-कायदों के अनुसार दें। मांस-मछली ठेलों पर बिक रहे हैं। वहीं पर कटाई हो रही है, क्योंकि प्रोपर स्लाटर हाउस नहीं हैं।

(श्री अशोक लाहोटी)

(13.00 बजे)

इनकी मानिटरिंग के लिये जो कमेटियां बनी हैं, जो अधिकारी बैठे हैं वे इनकी मोनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। इसमें ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अनहाइजिनिक फूड लोगों को खाना पड़ रहा है। कितनी मौतें आज तक इसमें हो गईं, कितने रोग फैल गये, इसके लिये हमको चिंता करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं कहूंगा स्वच्छता की बात, लाल किले की प्राचीर से जब प्रधान मंत्रीजी ने स्वच्छता की बात कही, तब लोगों ने झाड़ू उठाने में अपने-आप पर गर्व महसूस किया। हर नेता, हर अधिकारी ने झाड़ू के साथ सोशल मीडिया पर पोस्टें डालनी शुरू कीं। इस स्वच्छता अभियान के बारे में हमको चिन्ता करनी पड़ेगी। डोर-टू-डोर कलेक्शन का क्या हाल है, वह चिन्ता करनी पड़ेगी। डोर-टू-डोर कलेक्शन के बाद में जो कचरा निस्तारण का काम है, जिसमें 490 रुपये प्रति व्यक्ति केन्द्र सरकार दे रही है, 160 रुपये राज्य की सरकारें दे रही है। उस ठोस कचरा निस्तारण का प्रबंध भी राजस्थान में अभी तक कहीं पर भी नहीं है। हमने यहां पर जगह-जगह, एक प्लांट कहीं लगा दिया, दूसरा कहीं पर लग गया। एक जगह खाद बन रही है तो दूसरी जगह वेस्ट कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यदि वहां पर वह हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। मुझे लगता है पूरे राजस्थान में इसमें एकरूपता हो। इसमें केन्द्र सरकार भी पैसा दे रही है और राज्य सरकार का भी पैसा लग रहा है। एकरूपता के साथ हमको इस निस्तारण के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ-साथ जो यूजर फीस है, वह भी हम पूरे राजस्थान में कहीं इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कचरा उठता ही नहीं है तो लोग यूजर फीस देंगे नहीं। इसके बारे में भी हमको चिन्ता करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में गैराज का क्या हाल है। यदि हम गैराज की बात करें तो कभी उनकी आडिट नहीं होती है। इक्कीसवीं सदी में आज भी गैराज का कोई सोफ्टवेयर नहीं है कि किस गाड़ी में कितनी बार रिपेयरिंग हो गई, कितनी बार, कितना डीजल-पैट्रोल डल गया। जब बड़े-बड़े निगम, जहां पर हैं, जहां लाखों लीटर डीजल-पैट्रोल लगता है, हम उनमें तो पैट्रोल पम्प भी खुद के खोल सकते हैं। कम से कम, जो मार्जिन है, जो वेण्डर को जाता है, वह तो बचेगा। दूसरा, गैराज और पैट्रोल, दोनों एजेंसियां अलग-अलग की जाएं, जिससे यह जो घालमेल का खेल चल रहा है, हर नगरपालिका, हर नगर निगम में, यह भी बचे।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ आज युवाओं की हम बात करें तो पार्क तो बहुत हैं, लेकिन हर पार्क में, हर कालोनी में एक समस्या है कि युवाओं के लिये खेलने का कोई मैदान नहीं है। मैं सदन में मांग करता हूं कि कुछ पार्कों में विधिवत रूप से खेल के मैदान बनाए जाएं ताकि वहां के नौजवान बच्चों को खेलने का मौका मिले। जैसे, आज मानसरोवर की बात करें तो मानसरोवर में छोटे-बड़े 160 पार्क हैं। अब 160 पार्कों में से हम 60 खेल के मैदान भी दे सकते हैं वरना जिस तरह से बच्चे दिन भर मोबाइल पर, कम्प्यूटर पर, टैब पर बैठे रहते हैं, ये डिजिटल वर्चुअल दुनिया में बच्चे चले गये, उनको खेल के मैदान की पूर्ति करना भी हमारी जिम्मेदारी है।

आज पुलिस थानों के बाहर क्या है, स्वच्छता की हम बात करते हैं तो जगह अलाट होने के बाद भी हर पुलिस थाने के बाहर सैकड़ों की तादाद में सालों से गाड़ियों के अम्बार लगे हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई कहने वाला नहीं है कि यह गाड़ियां यहां से हटाएं, या तो इनका आक्शन करें या इनका डिस्पोजल करें। यह हमारे शहरी प्रशासन को करना पड़ेगा, मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं।

बी.आर.टी.एस. कोरिडोर जयपुर शहर में, आप जवाब देंगे तब आप कहेंगे, 2006 में आप लाये थे। बिलकुल लाये होंगे। कुछ अच्छा सोच कर लाये होंगे लेकिन जिन 43 पैमानों पर बी.आर.टी.एस. कोरिडोर को काम करना था, राजस्थान में 39 पैमानों पर वह फेल है। जयपुर में मात्र 16 किलोमीटर बन पाया। 450 करोड़ रुपये का आपका बजट था, शायद 170 करोड़ खर्च भी हो गये। दो जगह, सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर यह है। अब तक ढाई सौ के लगभग मौतें हो चुकी हैं। प्रतिवर्ष 900 से ज्यादा हादसे होते हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बीआर.टी.एस. कोरिडोर को अविलम्ब हटाया जाए। वह एक प्रतिशत आबादी के काम आ रहा है और 25 प्रतिशत जगह बी.आर.टी.एस. कोरिडोर ने घेर रखी है। इस बी.आर.टी.एस. कोरिडोर को अविलम्ब हटाया जाए। यदि इन पैसों का कहीं उपयोग करना है तो मैट्रो कोरिडोर को यदि आप आगे सांगानेर तक, डिग्गी-कल्याणपुरा रोड तक लेकर जाएंगे तो मैट्रो फेज फर्स्ट भी आपका प्रोफिटेबल हो जाएगा। यह मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। 5 लाख की आबादी उससे जुड़ेगी।

इसके साथ-साथ जे.सी.टी.सी.एल., मंत्री महोदय, यह तो आपकी आंखों

(श्री अशोक लाहोटी)

के सामने ही हुआ है। आप ही की सरकार ने किया है कि 25 लाख की मिडी बसें थीं, 40 लाख में खरीदीं। इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है। आप 17 रुपये सब्सिडी लो-फ्लोर में दे रहे हो। आपने मिडी बसों में 36 रुपये प्रति किलोमीटर कर दी। जो अधिकारी सूट पहनकर आपके साथ फोटो खिंचवा रहा था, वह इसी चक्कर में शाम को पकड़ में आया। मैं ए.सी.बी. की टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने पकड़ा। लेकिन इनकी भी साथ में जांच करवा कर आज घोषणा करें, मंत्री महोदय।

यह मैंने इसलिये रखा कि, मंत्री महोदय, जैसे मैंने कहा कि नगरपालिकाएं, नगर निगम, आपके सब लोग बैठे हैं, धारीवाल साहब इस क्षेत्र में बहुत विद्वान हैं 15 साल से मंत्री हैं। लेकिन इनके अधिकार छीनने का काम भी तब-तब ही होता है जब आप मंत्री बनते हैं। नगरपालिकाएं, नगर निगम सब पंगु बनकर रह गये हैं। इनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। एक रुपये का न ये खर्चा कर सकते हैं, न आमदनी ला सकते है तो इनको कुछ स्वायत्तता देने का भी काम करें, मंत्री महोदय, आपके पास बहुत सारे काम हैं।

मैं बजट की ये घोषणाएं आपको याद दिला रहा हूं। इनमें, कोटा की तो डी.पी.आर. बन गई। जोधपुर शहर में एक आधुनिक आडिटोरियम की डी.पी.आर. आज तक नहीं बनी। जयपुर की तो मैं कल्पना ही क्या करूं, गोविन्द मार्ग का आपका वह आज तक नहीं बना। जयपुर मैट्रो की डी.पी.आर. नहीं बनी। धौलपुर-करौली के 30 करोड़ का टाउन हाल नहीं बना। सीवरेज सफाई हेतु आधुनिक मशीनें आज तक नहीं आईं। कोटा में चम्बल रिवर की पांच करोड़ की डी.पी.आर. आधी से ज्यादा बन गई। भीलवाड़ा शहर में कोठारी नदी पर हाई-लेवल ब्रिज नहीं बना। जोधपुर में सुपर-सकर मशीन आज तक नहीं आई। भीलवाड़ा शहर में 50 करोड़ की लागत का आर.ओ.बी. निर्माण नहीं हुआ। आर.यू.आई.डी.पी. के चतुर्थ फेज का 2000 करोड़ रुपया आज तक नहीं आया। ये आपकी बजट घोषणाएं हैं। उदयपुर शहर में ट्रैफिक समस्या समाधान के लिये 50 करोड़ का काम नहीं हुआ। जयपुर शहर में सिविल लाइन्स में 75 करोड़ की आर.ओ.बी. नहीं बनी। रामनिवास पार्क में 100 करोड़ रुपये की लागत की भूमिगत पार्किंग अभी तक नहीं बनी। जयपुर शहर में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 20 करोड़ का, वह कहां है, वह भी हम ढूंढ रहे हैं धारीवाल साहब।

(श्री अशोक लाहोटी)

जोधपुर शहर में तीन एस.टी.पी. प्लांट लगने थे, वे भी आज तक नहीं लगे। जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड की डी.पी.आर., यदि बन गई हो तो आज जरूर बताएं, हमको नहीं बताएं तो मुख्य मंत्रीजी को बताएं। पुरानी विधान सभा में म्यूजियम, कभी बन जाए तो अपन सारे विधायक साथ देखने चलें। हम वह पुरानी विधान सभा भी देख लेंगे।

जयपुर शहर में कोचिंग हब आपका जरूर शुरू हुआ है। भिखारी मुक्त जयपुर, इसमें तो कुछ बनाना ही नहीं था। यह तो आपकी विल पावर थी। मुझे लगता है आप भूल गये होंगे। आप थोड़ा ध्यान दे लें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): भीलवाड़ा शहर में 130 करोड़ का एक हाई-लेवल ब्रिज बनना था। परकोटे में फ्री-व्हीकल जोन, मैंने आपको बताया। उदयपुर शहर में 75 करोड़ रुपये से आयड़ के सौंदर्यीकरण के नाम पर घोषणा, इसकी तो डी.पी.आर. भी नहीं, यह तो घोषणा ही थी। गोबिन्द मार्ग पर आर.ओ.बी. था। उदयपुर शहर में पेयजल व्यवस्था के लिये 25 करोड़ रुपये खर्च होने थे। गांधी अध्ययन केन्द्र, 50 करोड़ रुपये की लागत से, आज तो दांडी मार्च भी हुआ है, तो अध्ययन केन्द्र भी, आप जल्दी उसकी तारीख की घोषणा करें। कोटा शहर में ढाई सौ करोड़ रुपये की एलिवेटेड रोड, आपके कार्यकाल में बन जाए तो उसका उद्घाटन भी करना है। पुष्कर और नाथद्वारा में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने की घोषणा, +++ वे तार अंडरग्राउंड नहीं हो रहे हैं। वे तार पुष्कर में भी अंडरग्राउंड नहीं हुए और वहां भी नहीं हुए। आक्सीजन सिटी पार्क के लिये 100 करोड़ रुपये, नये अग्निशमन व्हीकल आज तक नहीं आये। देवनारायण आवासीय योजना के लिये 300 करोड़ रुपये की योजना, यह भी कोटा की थी, मंत्री महोदय।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों के साथ-साथ आज जिस प्रकार शहरों का जो विकास बढ़ रहा है, जिस प्रकार से शहरों के विकास पर हमने रोक लगाई है, मैं आपसे निवेदन करूंगा ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी इन्होंने अध्यक्ष महोदय पर जो टिप्पणी की है, आप एक्सपंज कीजिए।

श्री सभापति: आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) इनको बोलने दें एक बार। (व्यवधान) इनको बोलने दें एक बार, पूरी बात कहने दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक्सपंज करिए आप।

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ करूंगा। आप उनको बोलने दें उनको अपनी बात।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सदस्य, आप एक घंटा बोलेंगे, आप बोल लेना। आप तो सरकार में एक घंटा बोलते हैं, आप बोल लेना। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आसन पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य, प्लीज, बोलने दें। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप एक घंटा बोलते हैं, आप बोल लेना न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने आसन पर टिप्पणी की है +++ (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप एक घंटा बोलेंगे तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह गलत है। अध्यक्ष महोदय पर टिप्पणी करना गलत है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, एक मिनट विराजिये। लाहोटी साहब, एक मिनट विराजिये आप। (व्यवधान) लाहोटी साहब, विराजिये आप। मीणा साहब, प्लीज, लाहोटी साहब, विराजिये एक मिनट।

मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। वक्ता अपनी बात कह रहा है, उसको यह अधिकार है कि वह अपनी बात कहे। आसन ने उसका नाम पुकारा है। मैं कतई इसको जरूरी नहीं समझता कि आप बीच-बीच में खड़े होकर अपनी बात रखें। आपका जब नम्बर आये, आपको जो बात कहनी हो, तब आप यह बात कहेंगे। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। बीच-बीच में आप भी इस तरह से खड़े मत होइये। दिलावर साहब, आप तो काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान) प्लीज। लाहोटी साहब, अब आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बिलकुल दो मिनट में कर दूंगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि नगरपालिकाओं में इतने किलोमीटर सड़क देंगे, नगर परिषद् में इतने किलोमीटर सड़क देंगे, नगर निगम में इतने किलोमीटर सड़क देंगे। मंत्री महोदय, आज इस बात की पुष्टि जरूर करें, खुलासा करें कि क्या इन सड़कों के लिये आप मुख्य मंत्रीजी की घोषणा का अलग से बजट दे रहे हैं या जो नगरपालिकाएं रोड खुद बनाती हैं, नगर-निगम रोड खुद बनाते हैं उन्हीं को आप अपनी घोषणा में गिनवा रहे हैं, इसका खुलासा जरूर करें। क्योंकि, आपने बजट में यह घोषणा की है और बजट में उसका प्रावधान नहीं किया है, इसलिए मेरी यह शंका है और जिसकी जरूर आप घोषणा करें और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्य मंत्रीजी इसके लिए अलग से बजट देंगे, सभी नगरपालिकाएं, नगर परिषद् और नगर निगमों के क्योंकि यह तो मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है।

अन्त में, मैं केवल इतना ही कहूंगा, माननीय सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले हमारे माननीय बड़े भाई, इनको धारीवालजी के डिपार्टमेंट की बहुत चिंता भी रहती है, यह दो-तीन दिन पहले भी चिंता व्यक्त कर रहे थे, आज भी उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं और यह एक-एक घंटा बोलते भी हैं।

श्री सभापति: आप उनकी क्यों चिंता कर रहे हैं? मंत्री महोदय अपने आप जवाब दे देंगे, आप चिंता मत करिये। विराजिये आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): वह ही कर रहा हूं, पूरा ही कर रहा हूं। सरकार तो यह चाहती है कि यह हमारी तरफ से बोलते रहें और यह चाहते हैं कि मंत्रीजी की तरफ से आधा डिपार्टमेंट ले लें तो इनको भी कोई छोटा-मोटा डिपार्टमेंट दो।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से गांवों को छोड़-छोड़कर लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, सरकार ने इस पर

(श्री जगदीश चन्द्र)

चिंता की, सरकार इस पर विचार कर रही है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आपने इस विषय को रखा और इस मांग को रखा।

राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुखिया श्री अशोक गहलोत जब से मुख्य मंत्री बने हैं तीसरी बार और सबसे ज्यादा अगर चिंतित हैं तो वह सरकार के मुखिया चिंतित हैं कि गांवों का पलायन रोकना और शहर का जो आधारभूत ढांचा है, उसको मजबूत करने की दिशा में स्वायत्त शासन विभाग का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर चर्चा के लिए सरकार ने जो मंशा जाहिर की है, निश्चित ही यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी।

माननीय सभापति महोदय, भारत के इस संविधान में मूलत: नगरपालिका, स्वायत्त शासन विभाग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया कानून बनाने के लिए। बेसिकली यह स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू है, राज्य लिस्ट में है शिड्यूल-7 के हिसाब से फिर भी संविधान के 74वां अमेंडमेंट था कांस्टीट्यूशन का, 74वें अमेंडमेंट में शिड्यूल 9-ए और शिड्यूल 12 के तहत केन्द्र सरकार ने इस पर कानून बनाने की यह कोशिश की और केन्द्र सरकार ने यह कानून बनाया भी।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 12वीं अनुसूची में यह भाग जोड़ा गया और 9 के 'ए' पार्ट में यह भाग जोड़ा गया कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर इस पर कानून बनायें और 74वां संविधान संशोधन सरकार ने किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि नगरपालिकाओं की जो बेसिक डवलपमेंट की बात थी, चाहे वह सड़क की हो या चाहे पानी की हो या चाहे बिजली की हो, केन्द्र सरकार जिसमें अपना योगदान निभाए और केन्द्र सरकार भी सुझाव दे।

ब्रिटिश कानून के हिसाब से, बेस्ट नगरपालिका का दर्जा उसको ही दिया जाता है, जिसका काम सुबह पांच बजे खतम हो जाता है। यहां हिंदुस्तान में काम की शुरुआत ही होती है सुबह आठ बजे के बाद में। जब लोग शहरों में आना स्टार्ट करते हैं, अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तब काम की शुरुआत होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि सुबह पांच बजे से पहले नगरपालिका का काम खतम हो जाना चाहिए, उसी को बेस्ट नगरपालिका माना गया है और इसी धारणा, इसी मूल भावना के साथ में नगरपालिका का

(श्री जगदीश चन्द्र)

संविधान में यह प्रावधान किया गया, इस देश में इतनी स्वायत्तशासी संस्थाओं को ताकत दी गयी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस साल का जो बजट है, बजट पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के तमाम जिलों में नगरपालिकाओं के माध्यम से जो विकास शहर का होना चाहिए, चाहे सड़क हो, चाहे गंदे पानी की निकासी हो या चाहे पार्क की व्यवस्था हो, आवारा पशुओं की रोकथाम की बात हो या चाहे अन्य बात हो जैसे- जमीन का रखरखाव हो, चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, उसकी सारी व्यवस्था की गयी है, सबके हिसाब से।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आगामी वर्ष में शहर में जिस तरीके से जो मकान, जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, राजस्थान सरकार ने आठ शहरों के अंदर जिसमें- जयपुर, निवाई, नसीराबाद, किशनगढ़, अजमेर, आबू रोड, उदयपुर और भीलवाड़ा में तीन हजार मकान बनाने का जो हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से फैसला किया गया है, यह बिलकुल स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार की जो नीति है, राज्य सरकार की जो मंशा है कि नगरपालिकाओं की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वह आपके सामने है। नगरपालिकाओं के पास में सोर्स आफ इनकम कोई ज्यादा नहीं है। नगरपालिकाओं के पास में सोर्स आफ इनकम वहां की जमीन है या हाउसिंग टैक्स है। इसके अलावा, गंदे पानी की निकासी का जो ठेका है, हड्डी रोडी ठेका है, इसके माध्यम से नगरपालिका अपनी आमदनी अर्जित करती है। नगरपालिका के पास में वित्तीय कमी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो नगरपालिका की जो सड़कें हैं, जो नगर निगम की सड़कें हैं, नगर परिषद् की सड़कें हैं, इनके लिए प्रावधान किया गया है।

माननीय लाहोटी साहब यह कह रहे थे कि इसमें अलग से प्रावधान नहीं किया गया। माननीय लाहोटी साहब चले गये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह क्लीयर कहा है

(श्री जगदीश चन्द्र)

कि यह सड़कों की जो रिपेयर है, सड़कों का जो मैंटीनेंस है, यह पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट के माध्यम से होगा, यह बजट में क्लीयर लिखा हुआ है कि पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट (सार्वजनिक निर्माण विभाग) जो है, वह इन सड़कों की रखरखाव, उनकी रिपेयर, उनकी मैंटीनेंस का प्रावधान करेगा।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जैसा शहर, जयपुर इतना बड़ा शहर है जिस शहर के अंदर रिंग रोड के जो प्रथम फेज, जो प्रथम रिंग रोड है, सैकण्ड रिंग रोड है जो आगरा रोड से दिल्ली रोड तक और प्रथम रिंग रोड आगरा रोड से अजमेर रोड तक, जिसका यह काम शुरू हो गया है और दूसरी का काम भी चालू है। इस रिंग रोड के माध्यम से 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा जयपुर के लिए। 700 करोड़ रुपये का यह प्रावधान कोई छोटा प्रावधान नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब 2017-18 में हमारे यहां राजस्थान में श्रीमती वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं तो एक द्रव्यवती नदी जो है, जिसको स्मार्ट कोरिडोर बनाने की व्यवस्था की बात की गयी थी, जिसमें बजट में यह घोषणा की गयी थी, जिसमें 30 करोड़ रुपये का यह प्रावधान रखा गया था वहां हाई-फाई होगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, नदी के दोनों तरफ पर वाकिंग-ट्रैक बनेगा, यह सारी व्यवस्था की गयी थी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं, यह बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के माननीय नेता बैठे हुए हैं, 11 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया पिछली सरकार में, जहां पर 30 करोड़ रुपये का प्रावधान था, 11 हजार करोड़ रुपया उस जयपुर की जनता का पैसा था, वह लोगों के टैक्स का पैसा था, जे.डी.ए. का पैसा था। उस पैसे को इस तरीके से यहां पर बरबाद किया गया। पिछली सरकार के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं है। अभी सांगानेर से आने वाले माननीय साथी चले गये जो बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की, मैं उनसे यह पूछना चाह रहा हूं कि जो 11 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसका कोई हिसाब-किताब है सरकार के पास? कोई हिसाब-किताब नहीं है। सारा का सारा जो टैक्स का पैसा था, उसे बरबाद किया गया द्रव्यवती नदी के माध्यम से।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जल की निकासी के संबंध में राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि जल की निकासी का जो तंत्र है, सीवरेज का जो प्लान है, वह शहर के अंदर बेहतर होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने अलग-अलग शहरों में अलग-अलग सीवरेज प्लान बनाने की बात की है और जहां तक बार-बार जो हमारे विपक्ष के साथी अजमेर की बात करते हैं, पुष्कर की बात करते हैं तो पहली दफा मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि पुष्कर एक धार्मिक नगरी है, वहां पर विश्व विख्यात ब्रह्माजी का मंदिर है और जब बरसात होती है तो सारा का सारा शहर का पानी उस तालाब में चला जाता है। उस गंदे पानी को रोकने के लिए पुष्कर जैसी नगरी में डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की गयी है। सरकार ने यह कहा है कि जितना भी पैसा लगेगा, हम उस पैसे को खर्च करेंगे।

इसके साथ ही साथ, कोटा शहर जो है, यू.डी.एच. मंत्री माननीय धारीवाल साहब जहां से आते हैं, कोटा में आर.ओ.बी. और एलिवेटेड रोड, जो पूरे कोटा को, सिग्नल फ्री पूरा कोटा होगा और यह पहला प्रयोग किया गया है कोटा के अंदर, निश्चित तौर पर कोटा की जो बढ़ती आबादी है, जिस तरीके से ट्रैफिक का जो कंजेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि कोटा शहर के अंदर सिग्नल फ्री सड़क होगी ताकि किसी प्रकार के ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारी जो कल्चरल एक्टीविटीज होती हैं, जिस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, जोधपुर जैसे शहर के अंदर, जोधपुर शहर में 1500 व्यक्तियों के बैठने के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत से एक कल्चरल आडिटोरियम बनाने की बात कही गयी है, यह भी स्वागत योग्य कदम है और जोधपुर में खासतौर से इसकी जरूरत थी, जिसको महसूस किया गया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको माना।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 700 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर जैसे शहर में जो हमारी हैरिटेज कल्चर है, हमारी संस्कृति है, पारम्परिक स्थापत्य कला है, उस संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। जयपुर में सौन्दर्यीकरण के

(श्री जगदीश चन्द्र)

लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया है कि जयपुर एक अच्छा शहर बने, विश्व स्तरीय हो, लोग यहां पर आएं, यहां पर टूरिस्ट आते हैं, यह प्रावधान भी किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से जयपुर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, सात चौराहे जो मेन चौराहे जयपुर के हैं, जहां पर 20-20 मिनट, 25-25 मिनट तक जाम लगता है, दो-दो, तीन-तीन बार जब ग्रीन लाइट होती है तब ट्रैफिक क्रास होता है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सात ट्रैफिक चौराहे हैं उनको सिग्नल फ्री करने की जो मंशा रखी है बजट के अंदर, वह स्वागत योग्य है, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं।

113 हैक्टेयर भूमि जिस तरीके का सैंट्रल पार्क है जयपुर का, आज बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो सैंट्रल पार्क में जाता है तो सैंट्रल पार्क में यह महसूस करता है कि मैं दुनिया के शानदार शहर में घूम रहा हूं। हर व्यक्ति की हैल्थ को ध्यान में रखते हुए, जयपुर शहर के लोगों की हैल्थ को ध्यान में रखते हुए 113 हैक्टेयर जमीन पर आगरा रोड पर एक नया सैंट्रल पार्क विकसित करने की जो मंशा रखी है बजट के माध्यम से, उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2012-13 में हमने ग्रामीण बस सेवाएं शुरू की थीं। गांव के आस-पास के देहात के लोगों को ट्रेवल करने के लिये ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की गयी थी पिछली सरकार द्वारा, वह बंद कर दी गई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दुबारा से घोषणा की है कि दुबारा से इस ग्रामीण बस सेवा को चालू किया जाएगा ताकि देहात और गांवों के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। इसके साथ ही, मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद इस बात के लिये करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से जयपुर में ट्रैफिक बढ़ा है, वायु प्रदूषण की चिंता करते हुए इलेक्ट्रिक बसों का जो संचालन किया गया है, वह भी स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पर जयपुर के लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए फैसला किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की

(श्री जगदीश चन्द्र)

तकनीकी जांच के लिये और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये मानव रहित एक आटोमैटिक फिटनैस सेंटर की जो बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है, उसके लिये धन्यवाद। हमारे राजस्थान के पांच शहरों में आटोमैटिक फिटनैस प्लांट लगेंगे ताकि लोगों को इसका फायदा हो। ये पांच शहर हैं - प्रतापगढ़, करौली, जैसलमेर, बूंदी और बारां।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सांगानेर से आने वाले हमारे साथी चले गये, उन्होंने बड़ी जोरदार बात कही। उन्होंने मैट्रो की बात कही थी। यह मैट्रो की जब शुरुआत हुई, यह हमारी सरकार ने शुरू की थी, उस मैट्रो के दौरान ही इनके दिमाग में इस बात की शंका पैदा हो गयी कि कहीं कांग्रेस को इसका क्रेडिट नहीं मिल जाए। लेकिन मुख्य मंत्रीजी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जयपुर के लोगों की लाइफ लाइन, यह जयपुर की आबादी को देखते हुए बहुत जरूरी था और मुख्य मंत्रीजी ने मैट्रो की शुरुआत की। आज मैट्रो की क्रिटिसाइज करने के लिये इनके पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन उस मैट्रो का कितने लोग फायदा उठा रहे हैं। जब जब मैट्रो का काम चल रहा था, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम से मैट्रो के बीच में व्यवधान पैदा करने की पिछली सरकार ने कोशिश की लेकिन, माननीय मुख्य मंत्रीजी की दृढ़ इच्छाशक्ति के सामने मैट्रो जयपुर में कामयाब हो गयी और चारों तरफ से सोसायटी के लोगों का संदेश आ रहा है कि मैट्रो को सांगानेर तक किया जाए, मैट्रो को चौमूं तक किया जाए। इधर बस्सी तक मैट्रो को किया जाए, कोटपूतली तक मैट्रो को किया जाए। यह लोगों की राय आ रही है और राजस्थान सरकार इस पर काम भी कर रही है और विचार भी कर रही है लेकिन, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, वित्तीय स्थिति को देखते हुए निश्चित तौर पर आने वाले समय में चौमूं तक, कोटपूतली तक, चाकसू तक मैट्रो जाएगी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी यहां पर सांगानेर से आने वाले सदस्य ने चर्चा की कि गुलाब कोठारी जी ने 2011 में मास्टर प्लान की चर्चा की। गुलाब कोठारी जी तो लिखते ही रहते हैं, उनका काम है लिखना। सवाल इस बात का है कि 2011 की आबादी के हिसाब से जो मास्टर प्लान था, आज 2021 शुरू हो गया है, 2011 से लेकर 2021 तक, 10 साल का समय हो गया, 10 साल के दौरान कितनी आबादी बढ़ी है, किस तरीके से मास्टर

(श्री जगदीश चन्द्र)

प्लान में जो परिवर्तन होने थे, यह तो आपका भी समय था, 2013 से 2018 के बीच में आप लोग थे, आपने क्यों नहीं सुझाव दिये सरकार को कि इसमें बदलाव किया जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से नगरपालिकाओं की जो स्थिति है, नगर निगम की जो स्थिति है, नगर परिषदों की जो स्थिति है, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए और निश्चित तौर पर अगर आधारभूत ढांचे को ठीक करना है, अगर मास्टर प्लान में कोई परिवर्तन करना है तो सरकार को इसमें करना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, हाउस टैक्स की जो बात है, नगरपालिकाओं के पास में हाउस टैक्स के अलावा आमदनी का कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि नगरपालिकाओं की आमदनी बढ़ाने के लिये नगरपालिका की जो प्रोपर्टी है, जब भी कोई चेयरमैन होता, चाहे इनकी पार्टी का हो या हमारी पार्टी का, वह सबसे पहले नगरपालिकाओं की जमीन बेचता था। अल्टीमेटली जमीन एक दिन खतम हो जाएगी शहरों के अंदर। नगरपालिका टोटल सरकार के ऊपर डिपेंड रहेगी, नगर परिषद् सरकार पर डिपेंड रहेगी। नगरपालिका को परमानेंट सोर्स आफ इनकम का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। उसका एकमात्र रास्ता यह है कि नगरपालिका को जमीन बेचने का जो अधिकार है, उसका नगरपालिका कानून में कोई प्रावधान नहीं है लेकिन सरकार ऐसा राइडर लगाये कि नगरपालिका जमीन नहीं बेच सके और उस पर कम से कम अपनी जमीन के माध्यम से कोई आमदनी करना चाह रही है, कोई मार्केट डवलप करना चाह रही है, कोई सार्वजनिक स्थान डवलप करना चाह रही है, तो उसमें प्रावधान करे ताकि नगरपालिका को सोर्स आफ इनकम हो और कर्मचारियों की तनख्वाह तो उससे निकलती रहे। नगरपालिका को किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे एक निवेदन यह भी करना चाह रहा हूं कि जयपुर में लंबे समय से हाउसिंग सोसायटी बनी हुई है और लाखों-करोड़ों रुपये का उसमें घपला हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि सोसायटियों को भंग करके आप जे.डी.ए. के माध्यम से या हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से कालोनियां डवलप करें

(श्री जगदीश चन्द्र)

ताकि लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लोगों की जो बेसिक जरूरत है, वह हाउसिंग बोर्ड और जे.डी.ए. उसको डवलप करे ताकि लोगों को अच्छे घर मिलें और सस्ती दर पर मकान मिलें और लोगों के साथ आये दिन जो फ्राड हो रहा है, रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि एक प्लाट तीन-तीन, चार-चार लोगों के नाम कर दिया गया। लोग कोर्ट-कचहरियों में धक्के खा रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि हाउसिंग सोसायटियों को भंग करके कोई न कोई नया रास्ता निकाले ताकि लोगों को राहत प्रदान कर सके।

माननीय सभापति महोदय, आज नगरपालिकाओं की स्थिति क्या है? नगरपालिकाओं में रिकार्ड गायब हैं। कई जगह तो नगरपालिकाओं में रिकार्ड ही नहीं हैं। मैं सादुलशहर नगरपालिका की आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, मैं अनूपगढ़ की नगरपालिका की चर्चा कर रहा हूं। लाखों-करोड़ों रुपये की जमीन भूमाफिया बेचकर खा रहे हैं और अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। बीस-बीस दरख्वास्त सरकार में दी हुई हैं, पिछली सरकार में भी दी हुई हैं और इस सरकार में भी दी हुई हैं। अभी तक न तो जमीन का कोई रिकार्ड है, न जमीन के कोई कागजात हैं। लोग धक्के खा रहे हैं। कभी कोर्ट-कचहरियों में घूम रहे हैं, कोई जयपुर में घूम रहा है, कोई दिल्ली में घूम में रहा है, कोई नेताओं के घर में घूम रहा है। माननीय इसका कोई न कोई समाधान करें। नगरपालिका की मास्टर फाइल बनायें। अगर नगरपालिका का कोई अधिकारी, कोई चेयरमैन उसको गायब भी करता है तो कम से कम मास्टर रिकार्ड के अंदर वह कागज मिले तो व्यक्ति को न्याय मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, अभी लाहोटी साहब ने कर्मचारियों की बात कही थी। पिछली बार 2013 से 2018 तक की सरकार थी, आपने क्यों नहीं भर्ती की? आपको किसने मना किया था? आप यह बताइए कि स्वायत्त शासन विभाग के अंदर कितनी भर्ती पिछले पांच साल में हुई? यह तो सरकार बनने के बाद में माननीय गहलोत साहब ने अनाउंस किया कि सारे विभागों में हम लोग भर्ती करने की कोशिश करेंगे। उसमें नगरपालिका भी है, नगर परिषद् भी है और नगर निगम भी है लेकिन, पिछले पांच साल की जो सरकार थी, उस पांच साल में कितनी भर्ती की, जरा यह भी आप सदन को बताएं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कुछ नगरपालिकाओं को नोटिफाइड किया था। हाई कोर्ट की वजह से कुछ नगरपालिकाएं डी-नोटिफाइड

(श्री जगदीश चन्द्र)

करनी पड़ी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह दुबारा से नोटिफाइड करें। वह सारे पैरामीटर पूरा करती हैं। सरकार के जो पैरामीटर्स हैं नगरपालिका बनाने के, जनसंख्या का अनुपात हो, चाहे दूसरे हों। दुबारा से उनको नोटिफाइड करें, जैसे सादुलशहर की लालगढ़ नगरपालिका है आदि।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो गांवों के क्षेत्र हैं, वह नगर परिषद् के क्षेत्र में आ गये, नगरपालिकाओं के क्षेत्र में हैं। नगरपालिका का जो दायरा है, उसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। अब कई ग्राम पंचायतें तो ऐसी हैं कि न नगरपालिका उनको कोई डवलपमेंट का काम करके दे रही है, पंचायत के पास फण्ड नहीं है, पंचायत कहती है कि हमारे पास फण्ड नहीं है। नगरपालिका कह रही है कि हमारे क्षेत्र में नहीं है तो उसको डी-लिमिटेशन करके, सीमांकन करके दुबारा से डी-नोटिफाइड करके उनके एरिये को एक्सटेंड किया जाए, ताकि नगरपालिका की आमदनी भी हो और जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र में सदभावना नगर, गंगानगर की एक ग्राम पंचायत है, सात हजार की दो कालोनी नगर परिषद् के क्षेत्र में है, लेकिन नगर परिषद् का यह कहना है कि हमारे रिकार्ड में ही नहीं है। यह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में है। उस क्षेत्र में कालोनी बस गयी है, वहां लोग छोटी-मोटी समस्याओं के लिये, पीने के पानी के लिये, सड़कों के लिये, सीवरेज के लिये तरस रहे हैं। बार-बार धक्के खा रहे हैं। उसका कोई न कोई समाधान करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके लिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जमीन पर नगरपालिका के पास में वारिसनामा दर्ज करने का जो राइट है, उस पर सरकार विचार करे। वह इसलिए विचार करे कि जो चेयरमैन होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे उनकी पार्टी का हो। वह चेयरमैन इतने ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं कि वारिसनामा के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को धमकाते हैं। इस पर सरकार विचार करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं सरकार से आग्रह करना चाह रहा हूं, विपक्ष के नेता कटारिया जी बैठे हैं, राठौड़ साहब भी बैठे हैं। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि नगरपालिका चुनाव के बाद में खरीद-फरोख्त होती है। कृपा करके अगर नगरपालिका को ठीक करना है, नगर परिषद् को

(श्री जगदीश चन्द्र)

ठीक करने की मंशा सब साथियों की है तो आप एंटी-डिफेक्शन लॉ लेकर आएं। एकमात्र जरिया एंटी-डिफेक्शन लॉ, जिसके जरिये नगरपालिका में भ्रष्टाचार को आप रोक सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पहले पार्टी की टिकट लेता है, उसके बाद में उसको घेराबंदी में भेजना पड़ता है, उसके बाद में क्रोस वोटिंग भी कर जाए कहीं न कहीं, उस भ्रष्टाचार को, जो करोड़ों-करोड़ों रुपये लगाकर नगरपालिका में चेयरमैन बनते हैं, नगर परिषद् में चेयरमैन बनते हैं, उसके अलावा भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? इसलिए, सरकार विचार करे और इसमें एंटी-डिफेक्शन लॉ लेकर आये। जो भी अमेंडमेंट करना पड़े, वह अमेंडमेंट करे और कम से कम इस समस्या का परमानेंट समाधान कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने बजट में जो घोषणा की है, वह बिलकुल स्वागत योग्य है। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं 2017-18 में, सबके लिये आवास योजना 2022 तक की घोषणा की थी माननीय वसुन्धराजी ने, लास्ट बजट के दौरान जनसहभागिता के माध्यम से 16 हजार मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि उस योजना के माध्यम से कितने मकान बने? मुख्यमंत्री जन आवास योजना, ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी फ्लैट्स, उनकी राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है, यह किसी को नहीं पता और कैसे-कैसे उसमें कितने बड़े घोटाले हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच भी होनी चाहिए कि जो योजनाएं लागू की गयी थीं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 2018 बजट में आडिट में अन्नपूर्णा रसोई की बात की गयी थी, जिसमें सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की बात की गयी थी। पूरे राजस्थान में चला था और आखिरी बजट में यह भी कहा गया था कि इसके एरिया को बढ़ाया जाएगा लेकिन उस योजना अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से कितने बड़े-बड़े घोटाले हुए, जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का जो फैसला था, कोविड के दौरान मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोयेगा और नगरपालिकाओं के माध्यम से इंदिरा रसोई की शुरुआत की थी। आज दस रुपये में पूरे राजस्थान में खाना मिल रहा है सक्सेसफुल, इतना स्वादिष्ट, इतना साफ-सुथरा खाना इससे पहले

(श्री जगदीश चन्द्र)

कभी नहीं हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इंदिरा रसोई का जो एरिया है उसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि गरीब को भोजन मिले और यही मुख्य मंत्री जी का संकल्प है कि मेरे राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोये। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, 2018 में सारी नगरपालिकाओं की सड़कों की मरम्मत करने के लिए और नालियों की मेंटिनेंस करने के लिए वसुन्धरा जी की सरकार ने लास्ट बजट के अन्दर एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सवा दो साल हो गये, उस बजट के प्रावधान का पता ही नहीं, वह बजट कहां चला गया। जो बार-बार हमारे साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास में तो घोषणाओं का पुलिंदा है, पिछले बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह 2017-18 की घोषणाएं जो मार्च में की थीं उन घोषणाओं का क्या हुआ? हमने तो जो घोषणाएं कीं, उन पर काम भी शुरू हो गये हैं।

कोविड की जो स्थिति थी पिछले छह-आठ महीने में, इसके बारे में सबको पता है कि क्या स्थिति थी, उसके बावजूद भी जो राजस्थान के वित्तीय हालात थे, जिस तरह से दिल्ली का जो नोन-को-आपरेशन का रवैया था उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं कर रखी हैं, उन घोषणाओं पर सरकार अमल कर रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी दो-ढ़ाई, तीन महीने में सारे काम शुरू हो जाएंगे और बेहतरीन प्रशासन राजस्थान की जनता को दे सकेंगे।

अक्टूबर में प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, मैं सरकार से मांग करूंगा कि उस पर सर्वे करवाकर ठीक से वास्तव में जो पीड़ित लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उस पर पूरी चौकसी के साथ अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि जरूरतमंद व्यक्तियों को बगैर पोलिटिकल इंटरफेयरेंस करके अगर उन लोगों को मकान दिये जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा प्रशासन शहरों के संग अभियान है उसका फायदा होगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हू।

माननीय सभापति महोदय, एक मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि शहरों के अन्दर आये दिन आवारा पशुओं की बहुत भारी समस्या है। शहरों में इतने पशु हो गये हैं कि जिसका नगरपालिका में कोई समाधान नहीं

(श्री जगदीश चन्द्र)

है। सरकार ने पैसों का प्रावधान किया, छह-छह करोड़ रुपये का प्रावधान किया है लेकिन नगरपालिका के पास जमीन ही नहीं है। नगरपालिका के पास में सिवायचक जमीन नहीं है, किसी नगरपालिका के पास में हो सकती है लेकिन ज्यादातर नगरपालिकाओं के पास जमीन नहीं है, लोगों ने जमीनें बेच खायी हैं। सरकार इसका कोई न कोई रास्ता निकालकर, कहीं शहर के आसपास सरकार की सिवायचक है तो कोई नंदी शाला या कोई न कोई इनका समाधान करे। आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, आये दिन मौतें हो रही हैं, जान माल की दुर्घटना हो रही है। सरकार इसकी कोई न कोई व्यवस्था करे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, तीसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नगरपालिका में जो शहर की स्ट्रीट लाइट का मामला है, नगरपालिकाओं में बल्ब तो रात को जलते हैं लेकिन चार-चार, पांच-पांच महीने से बिजली के बिल बकाया हैं। जो चेयरमैन आता है वो आगे की आगे एक्सटेंड करता जा रहा है। कहीं सीधी तारें डाली हुई हैं तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर विचार करके नगरपालिकाओं की स्ट्रीट लाइट के बिजली के बिल की व्यवस्था है, कोई न कोई समाधान करके उसका रास्ता निकालें।

इसके साथ-साथ शहरों में जो पार्कों की स्थिति है, पार्कों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं और मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि उनकी मंशा है कि हर नगरपालिका में हमारे जो ओल्ड एज के नागरिक बंधु हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको शाम को शहर में घूमने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करें और नगरपालिकाओं में जो पार्कों की व्यवस्था है, उनके रखरखाव की सुविधा है, उसके सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था है, वह सारी नगरपालिका के माध्यम से हो। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे ज्यादा दिक्कत है, गंदे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है और मुख्य मंत्री जी ने मंशा भी जाहिर की है कि एस.टी.पी. के माध्यम से, सीवरेज के माध्यम से शहर में गंदे पानी की व्यवस्था हो। गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए, उसको री-ट्रीटमेंट करके कम से कम खेतों में उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। राजस्थान पहले ही पानी की तंगी से जूझ रहा है लेकिन जो वेस्टेज है, जो पानी वेस्टेज है, उस

(श्री जगदीश चन्द्र)

पानी का कोई न कोई समाधान करें। इसके साथ-साथ शहरों में जो आरओ सिस्टम लगा हुआ है नगरपालिका के क्षेत्र में, गांवों में तो कम है नगरपालिका के क्षेत्र में घरों में जो आरओ सिस्टम लगे हैं उससे बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, 50 परसेंट से ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। नगरपालिका के माध्यम से या पीएचईडी के माध्यम से कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि पानी का वेस्टेज नहीं हो। अगर पानी वेस्ट जा रहा है तो उस पानी का कोई न कोई इस्तेमाल करें ताकि हम उस पानी को बचा सके।

आप सबके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस विषय को रखकर और शहर की जो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शहर के माध्यम से आम आदमी को मिलनी चाहिए, उस पर आपने गौर किया और लोगों का ध्यान रखा गया। मैं एक बार पुन: आप सबका और माननीय सभापति जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, माननीय शान्ती कुमार जी धारीवाल साहब यहां नहीं हैं। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि शान्ती कुमार जी धारीवाल साहब ने कहा कि कोटा को सुन्दर बनाएंगे।

श्री सभापति: उनके बिना नहीं बोल पा रहे हो तो जब वे आएं तब बोल लेना।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): लेकिन कोटा के कुछ भाग को स्मार्ट सिटी के नाम से जो पैसा आया और उसको खर्च करके उसका दुरुपयोग करके कई जगह पर झूठी वाहवाही लूटने का जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं यह निंदनीय है। हर जगह यह कहते हैं हम यह विकास कर रहे हैं, हमारी यह सरकार पैसा लगा रही है, यह अशोक गहलोत जी की सरकार है यह विकास करती है। मैं कहता हूं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केन्द्र सरकार का पैसा है, इनका एक भी पैसा नहीं है, अधिकांश पैसा भारत सरकार का है पर झूठी वाहवाही लूट करके और कोटा शहर के लोगों को ही नहीं, राजस्थान भर के शहरों के लोगों को ये चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, किसी शरीर का एक अंग कमजोर रह जाए और कुछ अंग सुन्दर बन जाए तो वह सुन्दर नहीं कहलाता है। कोटा शहर का भाग, लगभग 8 वार्ड रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में आते हैं जिसमें लगभग डेढ़ लाख की जनसंख्या है, वहां पर विकास नाम का कोई नहीं है। कहते हैं, मैं 100 करोड़ रुपये इधर लगा रहा हूं, 400 करोड़ रुपये इधर लगा रहा हूं, 500 करोड़ रुपये इधर लगा रहा हूं तो क्या स्मार्ट सिटी में यह है कि शहर के कुछ भागों को पानी मुहैया नहीं कराया जाए, शहर के कुछ भागों को बिजली मुहैया नहीं करायी जाए, शहर के कुछ भाग में सड़क भी नहीं बनायी जाए, शहर में नालियां भी नहीं बनायी जाएं, शहर में सफाई भी नहीं की जाए, यही विकास है? इसी को विकास कहते हैं? +++ और यह इसलिए कर रहे हैं, +++

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह जो शब्द यूज किया है...

श्री सभापति: कोई भी ऐसा शब्द जो असंसदीय हो, विलोपित कर देना।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं इसलिए कह रहा हूं कि 8 वार्ड नगर निगम सीमा में रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में आते हैं।

श्री सभापति: उनकी गैर मौजूदगी में ही बोल पा रहे हो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उसमें से 6 वार्ड अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं और वहां का एम.एल.ए. अनुसूचित जाति का है इसलिए वहां का विकास नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, +++

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा यह।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप सब्जैक्ट पर बात करिये, यहां पर जातिवाद पर कोई बात नहीं हो रही। नहीं, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आपको बोलना है तो बोलिये ...(व्यवधान) नहीं, अलाउ नहीं करूंगा मैं। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप अपने सब्जैक्ट पर रहिये। मैंने आपका नाम पुकारा है आज की विषय वस्तु पर।

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, विराजिए एक मिनट। एक मिनट विराजिए आप, विराजिए। मैंने आज की विषय वस्तु पर आपका नाम पुकारा है, आप उस पर कन्फाइन करें। अननेसेसरी कौन एस.सी. है, कौन दलित है, कौन सवर्ण है, कौन है, आज इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप कहेंगे तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को और मुख्य मंत्री महोदय को आपका संदेश पहुंचा दूंगा, एक दिन उस पर भी चर्चा कर लेंगे लेकिन आज का दिन विशेष विषय वस्तु पर है, आप पूरी तरह से उस पर पाबंद रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, रामगंज मण्डी के निरीह विधायक यही हैं, यह कमजोर विधायक यही हैं, यह इसीलिए अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं।

श्री सभापति: यह कमजोर इसलिए हैं कि आप इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब काम्पीटिशन जोगेश्वर गर्ग में और मदन दिलावर में हो तो उसमें आसन क्या कर सकता है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): असलियत तो यह है कि आप बोलने नहीं दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि शहर का समान रूप से विकास होगा तो अच्छा रहता है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यदि यह किसी शहर के साथ नहीं होता है तो यह अन्याय है, धोखाधड़ी है और उसके साथ लूटपाट है। इस क्षेत्र की अधिकांश जमीनें यूआईटी बेच रही है। पैसा कमा रही है लेकिन उस क्षेत्र में विकास का काम नहीं कर रही है। आखिर में इसके कारण क्या हैं?

माननीय सभापति महोदय, उस एरिये में भील रहते हैं, मीणा रहते हैं। उनके मकानों के पट्टे नहीं हैं। 100, 200, 400 साल से वह लोग रह रहे हैं। नगर निगम सीमा में उन गांवों को ले लिया है लेकिन उनको पट्टे नहीं दे रहे हैं। पट्टे नहीं दे रहे हैं तो उनके प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं बन पा रहे हैं। उनको इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहां नालियां नहीं बनाई जा रही हैं। वहां बिजली नहीं दी जा रही है। उन लोगों की व्यथा को कौन कहेगा? उनकी पीड़ा को कौन कहेगा?

माननीय सभापति महोदय, आप मुझे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं करें, वैसी बात नहीं करें। मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजसमंद में भी बहुत घोषणाएं करके आये हैं। माननीय मुख्य मंत्री भी करके आये और माननीय स्वायत्त

(श्री मदन दिलावर)

शासन मंत्री भी करके आये। क्या बजट में प्रावधान है? चुनाव आ रहे हैं इसलिए झूठी घोषणाएं करके लोगों का मन बहलाने का यत्न कर रहे हैं लेकिन झूठी घोषणाओं से वोट नहीं मिलने वाले हैं। यह ज्यादा दिन तक बात चलने वाली नहीं है और हम सारी पोल खोलने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, शहरों में बड़े-बड़े पार्क बनते हैं। बनने चाहिए, मैं उनका हामी हूं लेकिन इन 8 वार्डों में नालियां क्यों नहीं बन रही हैं? सड़क क्यों नहीं है? मेरा कृष्णा नगर, आंवली, रोजड़ी, रथकांकरा, बंधा, धर्मपुरा, हरिओम नगर यह सब सड़कों का इंतजार कर रहे हैं। नालियों का इंतजार कर रहे हैं। पार्क का इंतजार कर रहे हैं। पीने के पानी का इंतजार कर रहे हैं। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि कोटा शहर है, चंबल वहां बहती है, लेकिन वहां के आंवली, रोजड़ी, दौलतगज, धर्मपुरा, बंधा इनको पानी नहीं मिल रहा है। पीएसपी लगाई हुई है, उसमें कभी पानी जाता नहीं है। उन लोगों का और हमारा कितना दुर्भाग्य है कि अथाह पानी हमारे यहां है लेकिन प्रबंधन जीरो है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं? पानी नहीं पिला पा रहे हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि प्रधान मंत्री जी जल मिशन योजना में जो पैसा दे रहे हैं उसी में ही कर दो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। उनको पानी तो पिला दो। स्मार्ट योजना में ही कर दो। स्मार्ट सिटी योजना में यह नहीं है क्या कि वहां के लोगों को पानी पिलाना है। वहां सड़क बनानी है। वहां बिजली देनी है। वहां पार्क को ठीक करना है। यह सब है।

माननीय सभापति महोदय, एक कालोनी हमारे यहां हाउसिंग बोर्ड की है उसमें यूआईटी विकास का काम नहीं करती है। हाउसिंग बोर्ड कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कई बार विधान सभा में भी निवेदन कर चुका हूं। बता चुका हूं। ध्यानाकर्षण के थ्रू कह चुका हूं। स्थगन प्रस्ताव के थ्रू कर चुका हूं कि इस हाउसिंग बोर्ड की कालोनी को यूआईटी या नगर निगम में ट्रांसफर कीजिए। लेकिन नहीं कर रहे हैं। उनकी लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है कि इतने प्लाट तो यह देंगे और इतना पैसा यह देंगे, तब हम लेंगे। धारीवाल साहब के क्या निहित स्वार्थ हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? यह तो वहां के मंत्री हैं न? लेकिन कहीं न कहीं निहित स्वार्थ हैं।

माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा क्या होगा कि प्रधानमंत्री

(श्री मदन दिलावर)

आवास योजना का जो भारत सरकार का पैसा आता है, उसको यूआईटी खा गई। सैकड़ों लोगों के पैसों को यूआईटी खा गई है। एसीबी में मामला गया है। लोग जेल में गये हैं। कई लोगों के खातों पर रोक लगा दी है। कई लोगों के पैसे नहीं दिए गये हैं। कई लोगों की किस्त तब जारी की जा रही है, जब सेवा पूजा हो जाए। मैंने सुना है कि यूआईटी में 3, 4, 5 साल तक डेपुटेशन रहता है। लेकिन एक आदमी का इसलिए डेपुटेशन रहे कि वह भ्रष्ट है। उसका 15, 20 साल तक रहेगा। एक ए.ईएन. आप चाहो तो मैं नाम बता देता हूं, +++ इतने वर्षों से है, प्रधानमंत्री आवास योजना का सारा पैसा खा गया है। सारी योजनाएं उसके पास हैं। वह देखता है।

श्री सभापति: किसी अधिकारी का नाम अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कई ए.ईएन. खाली बैठे हुए हैं। कई एक्स.ईएन. खाली बैठे हुए हैं। उनको क्यों नहीं काम दिया जाता है? आखिर यह भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है?

माननीय सभापति महोदय, उनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया है। एक किस्त दे दी गई है। खाते में डाल दी गई है लेकिन फिर रोक लगा दी गई है। पैसे देने पर रोक हटाई जा रही है। यह तो हद ही हो गई। यहां धारीवाल जी को जवाब देना चाहिए। यह सारी बातें मैंने धारीवाल जी को बताई हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, आप ताज्जुब देखिए कि मांस की दुकानें खुले में लगी हुई हैं। मैं कई बार धारीवाल साहब से कह चुका हूं और यहां आपके माध्यम से भी कह चुका हूं कि कोई भी मांस विक्रेता होगा, उसको किसी जानवर को काटने से पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। उसको प्रमाण-पत्र लेना होगा कि यह स्वस्थ है। उसको खाद्य सुरक्षा में लाइसेंस लेना होगा। मांस को ढककर के रखना पड़ेगा। मांस खुले में नहीं बेच सकते हैं। फिर भी यह हो रहा है? मोटी रकम यह मांस विक्रेता वहां के बड़े लोगों को पहुंचाते हैं। सरकार में बैठे लोगों को पहुंचाते हैं। वहां के अधिकारियों को पहुंचाते हैं। इस कारण खुलेआम मांस की दुकानें चल रही हैं। कहते हैं कि क्यों नहीं बंद कराते, कानून-व्यवस्था का मामला है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह क्या कह रहे हैं?

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। शांत रहें। बोलने दें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बंद कराएंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी इसलिए उन चोरों पर अंकुश नहीं लगाएंगे। नियम तोड़ने वालों पर अंकुश नहीं लगाएंगे। कितने लोग बीमार होते होंगे? कितना पैसा सरकार का चिकित्सालयों में जाया होता होगा? इनको लोगों के मरने की चिंता नहीं है। इनको तो पैसे कमाने की चिंता है।

माननीय सभापति महोदय, कोटा जिले के रामगंज मण्डी में 2 दिन में पानी मिलता है। वहां चंबल बहती है। कोटा जिले में चंबल बहती है। यहां से भीलवाड़ा तथा पता नहीं कहा-कहां पानी जाता है लेकिन हमको 2 दिन में पानी मिलता है। रामगंज मण्डी की 34 कालोनियों में एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। टैंकरों से पानी खरीदकर के अपना काम चला रहे हैं लेकिन उनको पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। क्या कारण हो गया? क्या हो गया? मेरी तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है। यह सरकार लोगों को पानी नहीं पिला पा रही है। 2 दिन में पानी पिला रही है।

वहां सड़कें नहीं हैं। कचरे के ढेर हैं। कर्मचारी नहीं हैं। वहां तो ईओ भी नहीं हैं। ईओ लाते हैं तो चोर, उचक्कों को लाते हैं, जो एसीबी में पकड़ में आ जाते हैं। ऐसे छांट-छांट करके लाते हैं। यह धारीवाल जी का खास आदमी है इसलिए मैं इसको भेज रहा हूं। धारीवाल जी के खास आदमी जो एसीबी में पकड़ में आ जाते हैं, ऐसे क्यों रखते हो? इसका मतलब बहुत दिनों तक पैसे पहुंचाते रहते हैं। कभी-कभी पकड़ में आ जाते हैं। उनके पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं है। सारा माल उधर चला जाता है इसलिए छांट-छांट करके लाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, स्टील फैक्ट्री का एरिया है। हजारों मकान हैं। सात-सात फीट के लंबे मकान होंगे जो सोओ तो पैर को भी ऐसे करके सोना पड़ता है। गाड़िया लुहार हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं। उनको जमीन आबंटन नहीं कर रहे हैं। घुमक्कड़ लोगों के मामले में सरकार के आर्डर्स हैं कि 50 वर्ग मीटर जमीन शहर में और 100 वर्ग मीटर जमीन गांव में नि:शुल्क आबंटित करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा जा रहा है। ऐसे रामगंज मण्डी शहर में हजारों लोग हैं। वह प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास पाने की पात्रता रखते हैं। लेकिन उनको सर्वे में नहीं लिया जा रहा है। उनके मकान बनाने की बात नहीं की जा रही है। यह कहकर के टाला जा रहा है कि इनके पास पट्टा नहीं है। पट्टा नहीं है तो दो। क्यों नहीं दे रहे हो जब गरीब हैं।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय प्रधान मंत्री जी इनके मकान बनाना चाहते हैं तो यह सरकार उनको पट्टा क्यों नहीं देना चाहती है? पट्टा दे तो मकान बने। ऐसे सैकड़ों, हजारों लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है। लेकिन आज तक यह नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कोटा शहर में सूअरों का आतंक, कुत्तों का आतंक, बंदरों का आतंक, इसके साथ-साथ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ क्योंकि वहां पर विकास का काम हो ही नहीं रहा है। कुत्तों का आतंक, सूअरों का आतंक, बंदरों का आतंक और उन जैसे पागलों का आतंक। (व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब कह रहे हैं कि इनका भी आतंक है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, सांप, घोयरा, जहरीले जानवर वहां इतने हैं, आसपास इतनी झाड़ियां हैं।

श्री सभापति: राठौड़ साहब क्या कह रहे हैं? मदनजी दिलावर का भी आतंक है वहां पर। राठौड़ साहब कह रहे हैं मदनजी दिलावर का भी आतंक है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आसपास इतनी झाड़ियां हैं, वहां पर अवैध खनन होता है शहर के बीच में और पत्थर उड़-उड़ कर लोगों के सिर पर पड़ते हैं, मकानों में दरार आती है लेकिन सरकार पूछने वाली नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनके मिलने वाले हैं, उनके लोगों को रोजगार देना है, इसलिए अवैध खनन करवा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं तो समाप्त ही कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम शहर रहने लायक हो तो ये जो झाड़ियां हैं उनका जूली फ्लोरा या पता नहीं क्या नाम है, वैसी झाड़ियां हैं तो उनको कटवा तो दो, साफ सफाई तो करवा दो। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा की जनता के साथ अन्याय न करें। वहां सड़क, बिजली, पानी, पार्क, नाली, इनकी व्यवस्था करें क्योंकि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये एक तरफ तो चार-पांच वार्डों में हजार-हजार करोड़ रुपये लगा रहे हैं, एक तरफ हमारी तरफ एक भी पैसा खर्च

(श्री मदन दिलावर)

नहीं किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि वहां डेढ़ लाख की पापुलेशन है। शान्ती धारीवालजी ने मेरे से कहा था कि आप मेरे पास आना, मेरे को सूची देना कि कहां-कहां काम करवाना है। मैं आपके हर वार्ड में डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये दूंगा, वह सूची दिए हुए भी छह महीने हो गये। मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या हुआ, वे बोले कि सूची तो आई थी लेकिन यह कहा कि इसको रखी रखना, इसको स्वीकृत नहीं करना है। इसको रखी रखना है, स्वीकृत नहीं करना है। क्या करें फिर इसका? क्या करें? किसके पास जाएं? किसको रोयें? वहां की जनता कितनी परेशान है, इसलिए माननीय सभापति महोदय, या तो हमारे क्षेत्र का विकास कर दो, करवा दो नहीं तो हम नाकों चने चबवाकर क्षेत्र का विकास करवाएंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगा, इनको नाक रगड़कर क्षेत्र का विकास करना पड़ेगा।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि नगरीय विकास की मांग पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आज की इस चर्चा की शुरुआत में ही सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने गुलाब कोठारी साहब की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का जिक्र किया और उसके माध्यम से राजस्थान की मौजूदा सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं ऐसा समझता हूं कि सनातन धर्म में वेदों का महत्व है, इस्लाम में कुरआन का महत्व है, ईसाई धर्म में बाइबल का महत्व है, नगर नियोजन के लिहाज से जो राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने गुलाब कोठारी साहब की याचिका पर विस्तृत जजमेंट दिया है, नगरीय विकास में वही महत्व उस निर्णय का है।

माननीय सभापति महोदय, एक-एक बिन्दु पर बहुत विस्तार से, बहुत सिलसिलेवार खुलासा करते हुए, वह निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया है। 2017 में वह निर्णय आया, क्या हुआ? आज तो मौजूदा सरकार को आप कठघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2017 के उस निर्णय की पालना करने की बजाय, उस निर्णय को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कौन गया था? उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार का पक्ष सुना और 15 मई को एक लार्जर बेंच राजस्थान हाई कोर्ट की

(श्री संयम लोढ़ा)

गठित की, उस हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय में आई है, उन इश्यूज को राजस्थान सरकार की यह लार्जर बेंच सुनें। माननीय सभापति महोदय, तीन महीनों तक लगातार सिटिंग करके राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच ने भी राजस्थान सरकार को सुना। मुझे अफसोस है कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, इनकी सरकार ने, वसुन्धरा राजे की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने गुलाब कोठारी साहब के उस निर्णय को शून्य करने के लिए जितने नोटिफिकेशन जारी किए थे, वो सारे के सारे 2018 के अंदर हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने निरस्त कर दिये।

माननीय सभापति महोदय, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ तो फेफड़ों के अंदर हुआ, कोई भी आदमी पोजिटिव डायग्नोस हुआ तो भी लोगों ने उसे सलाह दी कि एक बार जाकर अपना सीटी स्कैन करवा लो और वह अपना सीटी स्कैन करवाता है तो उसका मालूम पड़ता है कि कितने पोइंट आए तो पता चलता है कि कोरोना का संक्रमण कितना है। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पेड़, ये वृक्ष, ये हरियाली, ये फोरेस्ट, ये पृथ्वी के फेफड़े हैं जो कुदरत ने हमको दिये हैं। गुलाब कोठारी साहब की पीटिशन में हमको यही दिखाने का प्रयास किया है कि अपने फेफड़ों की हिफाजत करो लेकिन हम लोग अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थ में, अपने लोभ में, अपने लालच में उस जजमेंट को शून्य कैसे किया जाए, उसी में लगे रहे।

माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता कि उस फैसले की लाइट में सरकार यह करती, जलवायु परिवर्तन के जिस स्तर तक हम आ गये हैं, वह लक्ष्य प्राप्त करना तो सम्भव नहीं है, पर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इंतजाम तो करें कि एक बेहतर पर्यावरण हम उनको कैसे उपलब्ध करायें।

माननीय सभापति महोदय, आप वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात है पर क्या उस फ्लैट के अंदर भी किस रूप में हरियाली हो, किस रूप में वृक्ष कैसे लगे, उसके नीचे कैसे लगे, उसकी बालकनी में कैसे लगे, उस घर के भीतर कैसे लगे, क्या हम शासन की नीति में ये चीजें शामिल नहीं कर सकते कि एक मल्टी स्टोरी काम्प्लैक्स हम बना रहे हैं तो उसके अंदर इतना तो आपको प्लांटेशन करना ही है। आप मकान बना रहे हैं तो इतना प्लांटेशन आपको करना ही है, इतने वृक्ष आपको लगाने ही हैं। अगर

(श्री संयम लोढ़ा)

आपका छोटा प्लाट भी है तो अपने घर के भीतर कैसे आप प्लांटेशन कर सकते हैं। यदि हम सब मिलजुलकर और यह सदन पूरा एक राय होकर इस बात पर आगे बढ़ेगा तब तो राजस्थान उच्च न्यायालय के गुलाब कोठारी के जजमेंट को माननीय सभापति महोदय, कोट करने की कोई सार्थकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह विनती करना चाहता हूं कि हमने मास्टर प्लान तो बना दिया, शहर का भी बना दिया, कस्बों का भी बना दिया। उस मास्टर प्लान की पालना के लिए पैसे का कितना इंतजाम किया है? हर कस्बे का आपने एक मास्टर प्लान बना दिया, एक प्राइवेट फर्म को काम दे दिया। आपका चीफ टाउन प्लानर उसको मोनिटरिंग करके एप्रूव कर देता है लेकिन एक रुपये का इंतजाम हम उस मास्टर प्लान की क्रियान्विति के लिए देते। आपने दे दिया हरित क्षेत्र, आपने दे दिया फलां तरफ से बाईपास, उस बाईपास का निर्माण होता नहीं और उस पर दूसरे निर्माण हो जाते हैं। आपने दे दिया हरित क्षेत्र, उसके अंदर मकान बन जाते हैं, तो सबसे पहले तो सरकार को यह तय करना चाहिए कि जिस मास्टर प्लान को आने वाले दस साल के लिए, बीस साल के लिए, तीस साल के लिए हम लागू कर रहे हैं, उस मास्टर प्लान में जो प्रोविजन दिए हैं, उस प्रोविजन के क्रियान्वयन के लिए हम इतने पैसे का इंतजाम करते हैं। एक छोटे कस्बों की नगरपालिकाओं के लिए आपने मास्टर प्लान बना दिये, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे वो अपने मास्टर प्लान की क्रियान्विति? माननीय सभापति महोदय, इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हमें आने वाले समय की चुनौतियों की, क्योंकि जयपुर का आप लीजिये, दिल्ली का जो पोल्यूशन है, जयपुर कोई उससे दूर नहीं है, हालात उसके करीब-करीब ही जा रहे हैं, इसलिए बहुत बेहतर होगा कि ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में हम मास्टर प्लान की क्रियान्विति के बारे में ठोस संकल्प के साथ आगे आयें।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, हमारे मुख्य मंत्री जी को, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि चरम कोरोना काल में जिस रूप में स्वायत्त शासन विभाग, हमारे स्थानीय निकायों ने, लोगों की हिफाजत के लिए समर्पित भाव से काम किया, उसका इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हमारे स्वायत्त शासन विभाग के

(श्री संयम लोढ़ा)

कार्मिकों, सफाई कर्मचारियों ने जिस तरह से योगदान दिया है, उसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

जब मुख्य मंत्री महोदय ने एक आह्वान किया था, "कोई भूखा नहीं सोएगा", स्वायत्त शासन विभाग ने चाहे कहीं दूर से पैदल चलकर लोग आ रहे हों, दूसरे प्रदेश के लोग आ रहे हों, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की भावना के अनुरूप जगह-जगह कैम्प, अस्थायी शिविर लगाकर, दूसरे लोगों की बिल्डिंग्स लेकर न केवल उनके रहने का प्रबंध किया, बल्कि उनके भोजन का भी प्रबंध किया। यह कठिन समय उनकी मेहनत और सहयोग से निकल सका।

जिला प्रशासन नगरपालिका को आदेश देता है, नगर परिषद् को आदेश देता है कि आपको यह व्यवस्था करनी है और वे उस व्यवस्था को करते हैं चाहे उनके संसाधन किसी भी रूप में हों, चाहे जन सहयोग लेना पड़े, चाहे दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं को तैयार करना पड़े, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरे राजस्थान में कोरोना काल में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया, चाहे वह हमारे स्टेट का हो या स्टेट के बाहर का हो।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा भी जो लोक जागृति अभियान स्वायत्त शासन विभाग ने चलाया, चाहे कोरोना किट बांटने का अभियान हो, चाहे जगह-जगह स्टिकर लगाने का अभियान हो, कठिन समय होता है, तब परीक्षा होती है और मैं कह सकता हूं कि न केवल राजस्थान सरकार, बल्कि हमारा यह स्वायत्त शासन विभाग भी उस परीक्षा में पूरी तरह से खरा उतरा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 8 रुपये में इन्दिरा रसोई का भोजन उपलब्ध कराया। मैं स्वयं कई स्थानों पर गया हूं। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में जाकर मैंने स्वयं खाना खाकर देखा। लोगों से पूछा। कई लोग तो जो साधारण तबके से आते हैं, कई बुजुर्ग तो इस तरह के हैं जो अपना दोनों टाइम का खाना घर पर होते हुए भी इन्दिरा रसोई में ही खाते हैं। आपने बहुत ही गुणवत्तापूर्ण, स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया है। खास तौर पर जो नगर परिषद् के क्षेत्र हैं, उनमें तो आपने तीन-तीन जगहों पर यह रसोई खोली है।

सिरोही के हास्पिटल का जिक्र करना चाहूंगा। वहां दो-तीन बार जाने

(श्री संयम लोढ़ा)

का मुझे अवसर मिला। मैंने पेशेंट्स से बात की, लोगों से बात की तो पता चला कि उनका सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत बेहतरीन है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि इन्दिरा रसोई के इस प्रकल्प को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ऊंचाई पर ले जाने की जरूरत है। इसमें आप संख्या बढ़ाएंगे तो और अधिक लोग लाभान्वित हो सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। जो आदमी वोटर है, उसे चुनाव लड़ने का हक मिलना चाहिए, पर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि बहुत लोग तमाम गुण होने के बाद भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। पारिवारिक परिस्थितियां नहीं होती हैं। हालात ऐसे नहीं होते हैं। इस कारण से वे पूरी फोर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। हजारों की तादाद में वे लोग वंचित हैं। आपने शैक्षणिक योग्यता के उस प्रावधान को हटाया और सभी लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया। इससे वे लोग जो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका मिला।

माननीय सभापति महोदय, कई जगहों पर बहुत बड़ेबड़े वार्ड बने हुए थे, जिन्हें आप पूरी सेवा नहीं दे पाते थे, उन तक पहुंच नहीं पाते थे। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने उन वार्डों को छोटा किया तथा और अधिक संख्या में वार्ड बनाये जिससे एक जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के नागरिकों की भलीभांति सेवा कर सकता है। अब जयपुर शहर को आप लीजिए। इतना बड़ा है। कोई भी जब मेयर बन जाता था तो उसे पता ही नहीं होता था कि कौन-सा इलाका कहां पर है। उसके पांच साल निकल जाते थे और वह न तो पहचान पाता था और न ही पहुंच पाता था। आपने इसे दो टुकड़ों में बांटने का निर्णय किया। कोटा में किया। जोधपुर में किया। इससे आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी और लोगों की आप अच्छे-से सेवा कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पत्रकार, साहित्यकार और हमारे अलग-अलग स्तर के अवार्डियों को रियायती दरों पर भूखण्ड देने का निर्णय किया। मैं आशा करता हूं कि सरकार के इस निर्णय को अधिकारी निचले स्तर पर जाकर लागू करेंगे जिससे सभी को सरकार की मंशा के अनुरूप लाभ मिल सके।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी विनती करूंगा कि 2010 में सरकार ने एक फण्ड बनाया था, ''राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड'', अभी पिछले दो साल से इसका मुझे नाम सुनने को नहीं मिला है। इस फण्ड को 2010 में आपने 400 करोड़ की लागत से स्थापित किया था और आपने अब इसे 1000 करोड़ का कर दिया है, लेकिन पिछले दो साल में इस आरडीएफ से हमें कोई पैसा नहीं मिला है। सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, किसी को मिला हो तो वह बता सकता है। स्वायत्त शासन विभाग पहले इस फण्ड को आपरेट करता था। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, राजस्थान सरकार फिर से इसे सक्रिय करे जिससे राजस्थान की नगरपालिकाओं में, जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी जिक्र किया कि पैसा नहीं है तो माननीय मंत्री जी जहां भी ठीक समझें, वहां वे पैसा उपलब्ध कराएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी विनती करूंगा कि आप पूरे हिन्दुस्तान के यूडी टैक्स का फीगर जुटाएं, किस शहर में कितना यूडी टैक्स मिल रहा है? इससे आपको पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं। भोपाल जैसे शहर का यूडी टैक्स कलैक्शन 200 करोड़ रुपया है और जयपुर का 62 करोड़ रुपया है। बराबरी के शहर हैं। पूरे राजस्थान के सन्दर्भ में आपको यह देखना चाहिए कि आप यूडी टैक्स को उस लेवल पर कैसे लाएं जिससे आप शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें। मैं आपके माध्यम से यह भी विनती करूंगा कि सरकार को यह भी पता नहीं है कि उसकी जमीन कहां-कहां है? मैं खुद स्वायत्त शासन मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था। मैंने उन्हें बताया था कि जयपुर में इन-इन जगहों पर आपकी ये प्रोपर्टीज हैं और लोग इन पर काबिज हैं। जैसे ही उन्होंने इस पर हरकत शुरू की, नेता लोग पहुंच गये। जब आप दृढ़ता से आगे आएंगे कि आपकी अपनी प्रोपर्टी किन-किन जगहों पर है, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, मैं दावे से कह रहा हूं कि एक लाख करोड़ रुपये की सम्पत्तियों पर शहरी क्षेत्र में लोगों के कब्जे सामने आएंगे। आप हिम्मत दिखाएं। कई बार हम कहते हैं, पक्ष भी कहता है और विपक्ष भी कि हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम विकास की लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। आपकी अपनी सम्पत्ति पड़ी हुई है, उस पर तो आप अपना कब्जा वापस लीजिए, उसका तो

(श्री संयम लोढ़ा)

उपयोग करिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने पृथ्वीराज नगर में लोगों की जो लम्बे समय से समस्या थी, उसका समाधान किया।

माननीय सभापति महोदय, हम जब मैरियट होटल में थे, आप भी थे, आपको याद होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहीं से बीसलपुर के पेयजल के उस 563 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, वरना पृथ्वीराज नगर के लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थीं। पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे थे, पानी के लिए उन्हें बहुत कष्ट थे, पर अब जिस त्वरित गति से बीसलपुर प्रोजेक्ट का आप काम कर रहे हैं, लोगों में बहुत प्रसन्नता है और मैं समझता हूं शीघ्र ही उस क्षेत्र के लोगों की इस समस्या का समाधान होगा।

इसी तरह से एशिया की सबसे बड़ी कालोनी यह कही जाती है, आपने दो सौ करोड़ रुपये के सीवरेज प्रोजेक्ट का भी वहां ऐलान किया है, जिसकी डीपीआर भी तैयार हुई है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि वह काम शीघ्र शुरू होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विनती करना चाहता हूं कि जयपुर में 160 फीट रोड हो, 200 फीट रोड हो, वहां दुकानें बनी हुई हैं, दुकानदार दुकान चला रहा है, आप उसे बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। अब बिजली का कनेक्शन आप नहीं दे रहे हो तो जिसके पास बिजली का कनेक्शन है उससे वायर खींचकर वह बिजली का उपयोग कर रहा है तो आपका दोतरफा नुकसान हो रहा है। इसलिए आप उनको बिजली का कनेक्शन दे दो। पांच हजार ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं हैं और वे दुकान चला रहे हैं तथा बिजली का भी उपयोग कर रहे हैं। कभी बिजली कम्पनी वाला जाकर पकड़ लेता है तो जुर्माना भरना पड़ता है तो हम एक कल्याणकारी सरकार हैं, हमें लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। इसके अलावा भी जो दुकानें 160 फीट रोड या 200 फीट की रोड पर दुकानें बनाकर बैठे हैं उन बेचारों के पास पट्टे नहीं हैं, सोसायटी के पट्टे हैं। अब उनको पैसे भुगतने पड़ते हैं तो आप निर्णय करो क्योंकि लोगों को रिलीफ देना हमारा काम है, कानून के दायरे में आप निर्णय करो, उनको पट्टे बनाकर दो, आपको तो पैसा मिलेगा आप पट्टा बनाकर दोगे तो। एक दुकानदार भी आपको अगर पांच लाख रुपये देता है तो पांच हजार दुकानों के कितने पैसे मिलेंगे? इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस पर कृपा करके ध्यान दें।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, जयपुर के जो आस-पास के टाउन हैं, अब सारे ही लोगों को यहां आप आमंत्रित करेंगे, उससे बेहतर है कि आस-पास के कस्बों को भी आप उस लायक बनाइए जिससे लोग वहां भी रहना पसंद करें। दूदू है, चौमूं है, फुलेरा है, अगर वहां आप सुविधाओं का विकास करेंगे तो एक आबादी का जो फ्लो जयपुर शहर की तरफ आ रहा है, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी।

अब मैं आपसे विनती करूंगा कि जेडीए का जो परिधि क्षेत्र है, पैरीफेरी एरिया है, सैकड़ों पंचायतों के एरिया में आपने कालोनी काट दी, आप लोगों को वहां बसा रहे हो और पंचायतों का जो मूल निवासी है, उसकी सुविधाओं का क्या होगा? वहां हास्पिटल का पट्टा नहीं है, वहां खेल के मैदान का पट्टा नहीं है, वहां पानी की टंकी बनानी है उसका पट्टा नहीं है। जेडीए के अन्दर पता नहीं कितने सरपंचों के आवेदन पड़े हु ए हैं लेकिन आपको फुर्सत नहीं है कि उनका निस्तारण कर दें। मैं आपसे विनती करूंगा कि एक बार जेडीए पैरीफेरी एरिया के जो सरपंच साहिबान उन सबको बुलाइये, एमएलए साहिबान को बुलाइये, एमपी साहिबान को बुलाइये और बैठकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करिए जिससे ये जो गौशाला, पानी की टंकी, श्मशान इत्यादि जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं उनके पट्टे मिल सकें।

माननीय सभापतित महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी विनती करूंगा कि यह जो झोटवाड़ा फ्लाईओवर है इसके काम में भी आप गति लाइए। पहले भैरोंसिंह जी शेखावत के टाइम में फ्लाईओवर बना था पर छोटा था और अब आप बना रहे हैं इससे नागौर तक के लोग लाभान्वित होंगे। आज जो अजमेर से नागौर आदमी जा रहा है वह लगभग इस पर डाइवर्ट हो रहा है, इसलिए अगर आप तेज गति से इस काम को करेंगे तो लोगों को सुविधा मिलेगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने राजस्थान विधान सभा के सारे सदस्यों को वहां पर 30 लाख रुपये में फ्लैट देने का जो निर्णय किया है और उसको आपने कर दिया है। इसके लिए भी मैं आपको सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार और प्रतिपक्ष के नेता

(श्री संयम लोढ़ा)

बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि जो छोटे कस्बे हैं उनके लिए सोचना चाहिए कि अर्थव्यवस्था जिस रूप में पहले नोटबन्दी के कारण और फिर कोविड के कारण प्रभावित हुई है उसमें साधारण आदमी के पास काम नहीं है। मैं सिरोही की, मेरे कस्बे शिवगंज की बात करता हूं तो शहर के अन्दर लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। आप कृपा करके शहरी रोजगार योजना लाइए, मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को भी तीन बार पत्र लिखे हैं, मैं प्रतिपक्ष के नेता से भी विनती करूंगा और प्रतिपक्ष के नेता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसदों से विनती करूंगा कि आप प्रधान मंत्री जी को समझाइए कि लोगों के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर उनके बच्चों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, स्टेट ध्यान नहीं रखेगा तो कौन ध्यान रखेगा इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि शहरी रोजगार योजना शुरू की जाए।

अब मैं एक बात और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वीकृत आवास हैं 78187, निर्माण प्रारम्भ हुआ है 5909 का और आवास पूर्ण मात्र 360 हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत चिन्ता का विषय है। इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि गरीब आदमी को, छोटे कस्बे के आदमी को कैसे आवास मिले, सरकार की यह सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए। अभी कल मैं राहुल गांधी जी का एक ट्वीट देख रहा था, 2015 से 2019 के बीच में 399 लोग हमारे मुल्क में गटर की सफाई करते हुए मर गए। अब मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार राजस्थान में इस दिशा में त्वरित गति से काम करे। आपने सीवर की सफाई के लिए बार-बार कहा है कि मानवीय उपयोग नहीं करेंगे और आपने चिट्ठियां भी जारी कीं। 03 अगस्त, 2019 को की, 01.07.2020 को की, 24 अगस्त, 2020 को की कि मशीन और उपकरण खरीदे जाएं। आपने मेनहोल का नाम मशीनहोल तो रख दिया लेकिन अभी तक कहीं पर भी उपकरण नहीं खरीदे। अनाउंस तो आप करते हैं, आपने चिट्ठियां भी लिखीं, मैंने बताया न कि स्वायत्त शासन विभाग ने तीन बार चिट्ठियां जारी कर दीं, 2019 में भी कर दी, 2020 में भी कर दी पर कहीं पर भी उपकरण खरीदने का काम आपने नहीं किया है तो मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं, यह हमारे लिए शर्म की बात है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम मशीन और उपकरण के माध्यम से उन मेनहोल की सफाई करें।

(श्री संयम लोढ़ा)

अब ठोस कचरा प्रबन्धन, इसमें क्या है? आटोकीपर नहीं है, काम्पेक्टर नहीं है, रोड स्वीपर नहीं है, अभी तक आपने उपलब्ध नहीं कराए हैं। आप चिट्ठी लिखते रहते हो, करो, पर करते नहीं हैं। यहां तक कि मैं तो कहना चाहता हूं कि जो सफाईकर्मी हैं उनको मेडिकल डायरी भी आप नहीं देते। बार-बार यह बात आती है कि हम देंगे, 2012 में मुख्य मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि हम सफाईकर्मियों को मेडिकल डायरी देंगे, तब वह पैण्डिंग पड़ा रहा। उसके बाद फिर इनकी सरकार आ गई, इनके कार्यकाल में 5 साल तो होने का सवाल ही नहीं था और अब फिर आप आ गए तो कुछ तो कृपा करो। मैं आपसे विनती करूंगा कि सफाईकर्मियों को आप मेडिकल डायरी दो। जिस वक्त हमारे परिवार की औरतें अपने बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं उस वक्त उनकी औरतें सड़कों पर सफाई कर रही होती हैं, झाड़ू निकाल रही होती हैं। कितना बड़ा त्याग है उनको और हम उस त्याग की वैल्यू नहीं करना चाहते।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिक्र किया था गुलाब कोठारी साहब के फैसले का, मास्टर प्लान का। जोनल प्लान का एक आदेश जारी किया गया बीजेपी की सरकार के वक्त में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से और 32 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 32 करोड़ 80 लाख रुपये का पेमेंट इन्होंने कन्सल्टेंसी फर्म को कर दिया और एक भी जगह पर जोनल प्लान का काम पूरा नहीं हुआ। उसके बाद में 2020 में चिट्ठी निकाल दी कि एक लाख की कम आबादी के कस्बे के अन्दर यह अनिवार्य नहीं है। यह 32 करोड़ का चूना लगाया, उसकी कोई कार्यवाही नहीं। किसी जगह पूरा नहीं। जांच करवाई और आप ताज्जुब करेंगे मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको, पूरे राजस्थान का तो सभापति महोदय, नहीं सुनाऊंगा लेकिन दो-चार जगह का आपको सुना दूंगा कि इन्होंने क्या हाल किया, किस रूप में जनता के धन को लूटा है और उसके बाद अभी तक भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में डिपार्टमेंट ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। नगरपालिका जैतारण का मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। यह डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर लोकल सैल्फ, जोधपुर की जांच रिपोर्ट का जो

(श्री संयम लोढ़ा)

हिस्सा है वह मैं पढ़कर सुनाता हूं। "पालिका द्वारा जोनल डवलपमेंट प्लान एवं सैक्टर प्लान तैयार करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के कार्यालय आदेश 142519 दिनांक 10.01.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कार्यादेश मैसर्स सिद्धू सर्वे सर्विस, जोधपुर को आदेश क्रमांक 166166 दिनांक 08.02.2018 द्वारा जारी किए गए।" एक करोड़ 65 लाख रुपये का भुगतान किया और उसके बाद में जब कमियां क्या आई हैं कि बिलों की पत्रावली प्रति संलग्न नहीं है, जो बिल पारित किए हैं उनकी पत्रावली उपलब्ध नहीं है और काम पूरा हुआ नहीं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जैतारण एक लाख से कम आबादी का कस्बा है। ऐसा ही पोकरण का भी हाल है, ऐसा ही सिरोही का हाल, ऐसा ही सभी जगह का है पूरे राजस्थान के अन्दर। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप इस पर व्यू लें, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को यह जांच रिपोर्ट सौंपे, जिससे उन पर कार्यवाही हो। अब माननीय सभापति महोदय, जो मंत्री महोदय ने चेंजेज किये हैं 2020 के अन्दर, 90बी को लेकर, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा लेकिन, एक-दो चीजें मैं उनके ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहूंगा, राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 2015 इसके रूल्स इन्होंने बनाये हैं सभापति महोदय, इसका 'Amendment of Declaration' में पाइंट 3, मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा "The Competent Authority, on receipt of the application under sub-rule (2) shall issue a written notice to the association of the apartment owners of the building, if such a association has been duly formed and shall also cause the publication of public notice in two daily newspapers circulating in that locality inviting objection."

अब आपने रूल बनाया दिया, इसमें period नहीं लिखा, कितने दिन का नोटिस दे रहे हो और फिर दूसरा इसका पाइंट 6 मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं - "Application to Competent Authority by Promoter, Allottee or Transferee about intimation of transfer of Apartment - The promoter, allottee or transferee shall file an application for one or more apartments transferred under the provision of sub-section

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) of section 11 of the Act before the Competent Authority having their territorial jurisdiction in the Form-3 along with demand draft or bankers cheque of such fees, as may be specified by the State Government, from time to time and certified copy of the registered deed of such transfer."

इसकी क्या जरूरत है। वह अपना फ्लैट बेचेगा, गवर्नमेंट से जो आथोराइज्ड उसी के यहां भेजेगा, फिर आपको सूचना देने की क्या जरूरत है? आप क्यों किसी आदमी के लिए ज्यादा पेचीदगियां पैदा करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अधिकारी हैं, कहीं दूसरे स्टेट का यूं का यूं कापी करके चेप करके, इन्होंने रूल्स जारी कर दिये।

अब माननीय सभापति महोदय, मैं एक बिन्दु और आपके माध्यम से जानकारी में लाऊंगा, Rajasthan Urban Sector Internship Program-2020 Guidelines. यह तो अच्छा है, आप कर रहे हो, उसके लिए तो आपको धन्यवाद है, लेकिन शब्दों का किस रूप में चयन करते हैं, पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, मुझे ताज्जुब है। इसमें Objectives and Guiding Principles पर लिखा है, "Department may benefit from the additional resources in the form of young talents with fresh perspectives and their outputs which shall add to its policy formulation base.", आउटपुट होना चाहिए या इनपुट होना चाहिए? फिर, बिना पढ़े जिस रूप में माननीय सभापति महोदय, करते हैं, उसका मुझे ताज्जुब है। अब इसकी इन्होंने एलिजिबिलिटी जो रखी है, वह मैं आपको पढ़कर सुना दूं, "Indian students pursuing Graduation/Post Graduation/Research Courses in the Universities/Institutions duly empanelled by the Department and specializing in areas related to Architecture, Engineering, Industrial", वगैरह-वगैरह सब लिखा है। अब इसी में नीचे लिखा है 2 में, "The eligibility criteria may be relaxed in deserving cases based on need of the Department on prior approval of Competent Authority."

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक बिन्दु और सुन लें, ज्यादा तो मैं ज्ञान नहीं बांट सकता, पर छोटा-मोटा बता देता हूं। अब इसमें उन बच्चों के लिए जो पैसे रखे हैं, वह भी आप सुन लें, "The Diploma/graduate and post graduate Interns shall be paid a consolidated stipend of Rs. 8000/-". क्या कराना चाह रहे हैं Rs. 15,000/- and 18,000/- और फिर आगे कई चीजें इनके लिए रख दी हैं कि आप इसका वायलेशन करेंगे तो आपका यह होगा, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं?

अब आखिरी बात, धारीवाल जी के खुद के एरिये की करके बात खतम करता हूं। माननीय सभापति महोदय, कोटा के अंदर, कोटा नगर निगम ने वहां जो बिजली कम्पनी जनता को चूना लगा रही है, फर्जी बिल बना रही है, नगर निगम से फर्जी पैसा वसूल कर रही है, लोगों से कर रही है, नगर निगम ने पूरी जानकारी दर्ज करवा दी, एफआईआर करवा दी। उसके दो बिन्दु मैं आपकी आज्ञा से सुना रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज-प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बारादरी किशोर सागर तालाब पर स्थित विद्युत कनेक्शन का वास्तविक उपयोग एवं मीटर के आधार पर बिल, ये नगर निगम कोटा की रिपोर्ट है, 34 हजार 500 रुपये बनता है, जबकि केईडीएल द्वारा 1 करोड़ 9 लाख रुपये का बिल दिया। केईडीएल द्वारा विभिन्न 257 स्थानों पर स्वयं के स्तर पर विद्युत कनेक्शन मीटर स्थापित करके, इनके बिल नगर निगम कोटा में भिजवा दिये गये, इन कनेक्शनों के लिए नगर निगम, कोटा द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया। अब बताइए...

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खुद स्वायत्त शासन मंत्री के क्षेत्र में यह हाल है...

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ तो कार्यवाही करें। माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, सहयोग करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, मदन दिलावर जी का अंकित नहीं होगा। माननीय वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29 के तहत नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर चर्चा हो रही है। मेरा मानना है कि सरकार का प्रादेशिक विकास के साथ कोई विश्वास ही नहीं है। ये केवल स्वयं के विकास में विश्वास करते हैं क्योंकि, आज जिस तरह की अवस्था बनी, जैसा मैं चर्चा करूं आपसे कि साधारणतया विकास में स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं, नगर परिषद्, नगर निगम तथा यूआईटी या विकास प्राधिकरण पर निर्भर रहती हैं। इनको आपने पूरी तरह प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से पंगु बना रखा है जिसके कारण जनता की किसी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है और उसमें मुख्य कारण उनके आर्थिक संसाधन तो एक पक्ष है, लेकिन साथ में लगातार सरकार के हस्तक्षेप और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कारण, जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल रही है। बड़ी घोषणा की थी, सारे शहरों के मास्टर प्लान बनेंगे। बताया जाए उत्तर में, कितने शहरों का मास्टर प्लान बन गया और साथ में स्वीकृत हो गया और उसके लिए फिर आर्थिक व्यवस्था क्या रखी तो लगेगा कि केवल जुबानी घोषणाएं थीं।

हाल ही में अजमेर का तो अभी घोषित जरूर हुआ, लेकिन जोनल प्लानिंग कहीं नहीं है और बिना जोनल प्लानिंग के उसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनका विश्वास है, इनको पंगु बनाया जाए।

अभी हाल ही में किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है। जयपुर नगर निगम की जो समितियां बनीं, वे समितियां विधिवत बनीं, 90 दिन के अंदर सरकार को भेज दी और उसके बाद उनको निरस्त कर दिया। इसी तरह अजमेर के पुष्कर नगरपालिका का यही हाल किया, समितियां बनाकर भेज दीं, चूंकि आपके मनोनुकूल नहीं थीं और उसके बाद तुरन्त आपने उस पर अपने हिसाब से समितियां बना दीं। यानी इस तरह का राजनीतिक हस्तेक्षप, आपने वार्डों का अपने हिसाब से गठन करके, हालांकि उसमें भी आप ज्यादा सफल नहीं हुए। अजमेर में खूब किया, कोई वार्ड कितने का, कोई वार्ड चौगुना जनसंख्या। कोई नियम बनना चाहिए, प्रत्येक वार्ड समान जनसंख्या का बनेगा। मैं मांग करूंगा कि इस प्रकार का कोई कानून बने कि सारी नगरपालिका, नगर परिषदें, नगर निगमों के जब वार्डों का पुनर्गठन हो तो उसमें जनसंख्या समान रूप से हो, लेकिन ये तो अपने अनुसार करेंगे और जो

(श्री वासुदेव देवनानी)

अपने अनुसार करेंगे तो उसमें राजनीतिक स्वार्थ होगा और उसके कारण से विकास कैसे होगा। कह रहे थे, छोटे-छोटे वार्ड बन गये, छोटे वार्ड तो बनाओ, लेकिन छोटे वार्ड कितने बनाओ और किस प्रकार से बनाओ, इस पर तो कहीं न कहीं कोई चर्चा होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जब घोषणाएं होती हैं विकास की, तो एडीए या वहां पर जेडीए और साथ में कुछ शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में विधायकों का कोई रोल नहीं है, विधायक उसके सदस्य नहीं बनाये जाते, एडीए और जेडीए में भी सदस्य नहीं बनाये जाते, जन प्रतिनिधि हैं, आखिर लाखों के वोटों से जीतकर आये हैं, लेकिन उसमें उनकी सहभागिता नहीं। आखिर क्या विकास कर रहे हो? जब स्मार्ट सिटी का होता है तो जिलाधीश महोदय से पूछते हैं, कहते हैं, आपको बता दिया जाएगा। एक बार केवल मीटिंग की, लेकिन उसके अंदर कहीं प्रोजेक्ट में जनता के उपयोग हैं, आखिर उसकी जानकारी, क्या अफसर अपने हिसाब से बनाएंगे? अभी पहले हमारे मंत्री महोदय यहां पर थे, वे कह रहे थे कि मोदी जी ने बनाकर भेजे। मोदी जी ने उस समय स्मार्ट सिटी की प्लानिंग नहीं भेजी, उन्होंने रुपये भेजे, उससे प्लानिंग बनी। मैं अजमेर के बारे में कह सकता हूं, जो प्लानिंग हमारी सरकार ने बनाई, उसमें आपने रातोंरात परिवर्तन किया, भागकर, हमारा ब्रह्मपुरी नाला है, उसे ढकने की, कवर करने की योजना इन अधिकारियों ने स्वीकृति की और अब इस सरकार के आते ही, उसका शिलान्यास भी हो गया था, उसको निरस्त कर दिया और अभी तो और जनता की, लेकिन कलेक्ट्रेट का भवन, इस स्मार्ट सिटी के पैसों से बन रहा है। यानी यह कहां लिखा था कि कलेक्ट्रेट का भवन, आखिर सरकार पैसे दे, लेकिन इस स्मार्ट सिटी से बनेगा यानी कि स्मार्ट सिटी के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और क्योंकि उसमें जन प्रतिनिधि बैठते नहीं हैं तो मेरी मांग है सरकार से कि यूआईटीज में, विकास प्राधिकरणों में और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में स्थानीय एमएलए किसी भी पार्टी का हो, उसको सदस्य बनाया जाना चाहिए ताकि उसमें कहीं न कहीं वह अपना रोल बता सके कि वास्तव में आवश्यकता क्या है। लेकिन जोड़ेंगे तो हिसाब-किताब हम पूछेंगे और हिसाब -किताब इस प्रकार से बन रहा है कि अफसरों को कमीशन कहां ज्यादा मिलता है, उसी प्रकार की योजनाएं वह आगे लाकर के स्वीकृत कर रहे हैं। यानी इस प्रकार का यह ढांचा जब तक खतम नहीं होगा तब तक विकास नाम की केवल

(श्री वासुदेव देवनानी)

बात करना, केवल घोषणाएं ही घोषणाएं होंगी। इसलिए मेरी मांग है कि इस प्रकार का प्रोविजन विधान में किया जाए कि विधान सभा के स्थानीय सदस्य उसके सदस्य बने।

माननीय सभापति महोदय, मैं यदि आगे बढ़ूं तो सरकार, हमारे अजमेर में एडीए है या कहीं जेडीए होगा, योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से नहीं होता है। मैं उदाहरण दूंगा अजमेर का, सन् 2000 में महाराणा प्रताप नगर योजना बनी लेकिन आज तक वहां पर पेयजल का प्रबंधन नहीं। 2007 में हमारी सरकार थी, पृथ्वीराज नगर योजना बनी और आज 14 वर्ष हो गए, सरकारें आई और गईं लेकिन वहां पर आज भी न तो पाइप लाइन है, न बिजली की सुनिश्चित व्यवस्था है और यहां तक कि अधिकांश प्लाटों के कब्जे भी आबंटियों को नहीं दिये गये हैं, यानी यह व्यवस्था है। यानी 14 साल के अंदर आप आबंटियों को यदि कब्जा नहीं दोगे तो किस प्रकार से वहां पर मकान का निर्माण होगा और उसके बाद आप की सरकार आई, 2011 के अंदर डीडीपुरम आपने योजना बनाई कुछ वर्ष पूर्व। उसके बाद विजया राजे सिंधिया नगर बना, पंचशील ई-ब्लाक बना लेकिन उसमें भी पेयजल और बिजली नहीं है, केवल प्लाटों का आबंटन करके जनता से पैसा तो लूट लिया जाता है लेकिन वहां पर विकास नहीं होने के कारण किसी प्रकार की वहां व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति आज बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, आज इन प्राधिकरणों में बड़ी संख्या में भू-उपयोग परिवर्तन और नियमन के प्रकरण बकाया हैं। इस कारण से क्षेत्रवासी आवासों का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। जब अनुमति नहीं होगी तो फिर धड़ाधड़ वह दूसरे प्रकार से बनाते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि इसको या तो रैगुलराइज की पैनल्टी दो या इसको आप तुड़वाओ। यानी इस प्रकार का समयबद्ध इसका क्यों नहीं बनाते हो? समयबद्ध उनका नियमन क्यों नहीं करते हो? तो इस प्रकार जो स्थिति बनी है, उसमें मेरी आपके माध्यम से मांग है कि सरकार इस पर पूरा ध्यान दे। स्मार्ट सिटी की मैं चर्चा कर ही रहा था और कुछ प्लान शुरू भी हुए इतने धीमी गति से हो रहे हैं जैसे धीमी गति के समाचारों से भी बहुत कम धीमी गति। मेरा एलिवेटेड रोड बन रहा है, तय था जून, 2021 तक उसको पूरा करेंगे। अभी तो साल-दो साल तो आराम से कहीं पता नहीं, उसके कारण से कितनी परेशानी हो रही है जनता को, सारा ट्रैफिक

(श्री वासुदेव देवनानी)

रुका हुआ है। अजमेर की जनता परेशान है। सड़कें खुदी हुई हैं। कहीं किसी प्रकार कोई स्कूटर वाला जाता है तो रोज गिरता है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति है और उसके बाद सीवरेज की प्लानिंग बनी, उसमें कितनी तकनीकी खामियां हैं जिसका वर्णन मैं करूंगा तो शायद काफी समय उसी में लग जाएगा और यहां तक की बात हुई थी कि 24 घंटे के लिए पानी देंगे। हमने योजना बनाई। कहीं पैसा नहीं था तो स्मार्ट सिटी से भी दिया लेकिन आज भी वही 48 घंटे में और 72 घंटे में, अजमेर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है न? लेकिन पानी 48 घंटे और 72 घंटे में दोगे और टेल एंड पर तो पानी नहीं पहुंचेगा। अधिकारियों को कह-कह कर करके, बांसुरी बजा-बजा कर के हम थक गये लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अफसर आता है और चला जाता है, बढ़िया मीठी-मीठी बातें करता है लेकिन उसके अलावा इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है और साथ में यदि मैं जिक्र करूं कि किस प्रकार की योजना बनाते हैं। वहां पर एक मोइनिया इस्लामिया स्कूल है, उसके पास में निगम का बड़ा ग्राउंड है जहां बच्चे खेलते हैं और वहां पर पार्किंग बनाने जा रहे हैं तो क्या पार्किंग बनाकर के स्कूल का सत्यानाश करोगे? स्कूल के बच्चों को क्या होगा, क्या वह वहां पढ़ाई कर पाएंगे? इस प्रकार की योजनाएं बनाकर के सारे अजमेर का सत्यानाश कर रहे हैं। उसके बाद में यदि बात करूं आपसे नगर निगम की, नगर निगम में आज आबादी विस्तार हो रहा है। मेरे यहां फायसागर रोड पर लगभग 24 नई कालोनियां बनी हैं, आवासीय कालोनियों बस चुकी हैं लेकिन वह निगम सीमा से बाहर होने के कारण उनकी सफाई व्यवस्था, उनके विकास का कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं है। वह आते हैं, नगर निगम कहती हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है, पंचायतें उसकी चर्चा नहीं करतीं। इस प्रकार मेरी मांग है कि इन सारी कालोनियों को निगम के साथ जोड़ा जाए और यहां तक जो विकास की बात है, विधायक कोष से भी पैसा देते हैं। वह कहते हैं कि इसका 90(ए) नहीं हुआ इसके कारण से इसका विकास नहीं हो सकता। 90(ए) ऐसे सारे एरिये का करो ताकि कम से कम एमएलए, एमपी के फंड से वहां थोड़ा-सा विकास करा सकें, नहीं तो वहां के लोगों का जीना बड़ा दूभर हो गया है। बरसात के दिनों में तो पानी से इतने खड्डे भरे पड़े रहते हैं कि वहां पर कोई रह नहीं सकता।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं अतिक्रमण पर आऊं तो आज

(श्री वासुदेव देवनानी)

अजमेर में तो क्या, वैसे तो सभी शहरों की समस्या है लेकिन अजमेर में अतिक्रमण भरमार हो रहे हैं और यहां 2-4 स्थान, इंद्रकोट भाटाभाव, दरगाह सम्पर्क योजना, चौरसियावास, नौसर, रातिडांग यहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बने हैं। जब बरसात आती है तो मकान ढहता तो नीचे के सारे मकानों में जानमाल का नुकसान दो-तीन बार हो चुका है, वह अतिक्रमण से मकान पहाड़ी पर बन रहे हैं और यदि शिकायत करते हैं प्रशासन को, मुझे ध्यान है कि पहले जब कलेक्टर से बात हुई तो तय करने लगे कि जमीन किसकी है तो कोई कहता है कि नगर निगम की है, कोई कहता है कि एडीए की है, कोई कहता है कि वन विभाग की है, यानी यह ही नहीं पता वह किसकी है तो वहां निर्बाध रूप से मकान आज भी बन रहे हैं। अधिकारी आंखों से देखते हैं लेकिन उधर से सीधा निकल जाते हैं। इसका कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं है और मेरा तो आरोप है, इसमें कई बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भी आकर के मकान बना लिए हैं जिसके कारण से अजमेर की जनता की आज वहां कानून व्यवस्था भी खतरे में है तो इस प्रकार वहां पर इन बांग्लादेशियों की पहचान करके, वहां पर पहाड़ियों पर कोई मकान नहीं बना सके, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यह मेरी आपके माध्यम से मांग है कि मंत्री जी इस पर भी कठोरता से कार्यवाही करें।

अभी थोड़ी देर पहले बड़ी चर्चा चल रही थी इंदिरा रसोई योजना की। हमारे समय में भी हमने अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की। हर गरीब को 8 रुपये और 5 रुपये में भोजन मिला करता था लेकिन इनको अन्नपूर्णा से चिढ़ है। आपको भामाशाह के नाम से चिढ़ है। आपको डाक्टर राधाकृष्णन से चिढ़ है। आपको तो केवल +++ के नाम से ही प्रेम है। उनसे तो प्रेम करो यह आपका है लेकिन कम से कम अन्नपूर्णा से आपको क्यों चिढ़ है, यह मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। जब जवाब दें तो बताएं कि आखिर चिढ़ क्यों है? इसलिए मेरा आप सब के माध्यम से कहना है कि आप इस मामले में व्यवस्था करें कि अन्नपूर्णा योजना, जो चल रही थी वह अन्नपूर्णा कोई बीजेपी की नेता नहीं थी, वह तो एक देवी थी। जरा उस पर तो कहीं न कहीं आप थोड़ा सोचते, लेकिन नहीं क्योंकि नंबर बढ़ाने हैं उसके कारण से मेरी सरकार बनी रहेगी। इस प्रकार से जो सरकार का सोच है, उस पर यह विचार करें कि इस प्रकार का कहीं ठीक नहीं है और आगे मैं एक बात और जोडूंगा।

श्री सभापति: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य के चक्कर में मत पड़ना आप। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य के चक्कर में मत पड़ो आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप तो 40 साल पहले ही पड़ गए। आप तो 40 साल पहले ही पड़ गए चक्कर में।

श्री सभापति: अपने स्थान पर जाइए। षड्यंत्र मत करिए। षड्यंत्र मत करिए, अपने स्थान पर जाइए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह फूफा जी और भतीजे का मामला है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, ये ठीक कह रहे हैं। आप तो 40 साल पहले ही पड़ गए थे चक्कर में।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, हमारी सरकार में जैसा मैंने कहा नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों की आर्थिक स्थिति खराब है। हमारी सरकार ने नगरपालिकाओं को 50-50 लाख का अनुदान दिया था, नगर परिषदों को दिया था, नगर निगमों को दिया था तो सरकार से मांग करूंगा कि उनके विकास के लिए आप पर्याप्त राशि उनको उपलब्ध करवाओ तो निश्चित रूप से विकास करेंगे।

तीसरा, मेरा कहना है कि आज निर्माण के काम हो रहे हैं, आप टेंडर पास करते हो, 30 से 40 परसेंट बिलो वाले को आप निर्माण कार्य का वर्क आर्डर देते हो तो 40 परसेंट यदि बिलो पर जाएगा तो उसका 10-20 परसेंट वह भी कमायेगा तो माल क्या लगायेगा तो इस प्रकार का घटिया निर्माण होता है जो हर साल उसके बाद भी आर्डर के आर्डर जा रहा है यानी सरकार का विकास के नाम पर केवल पैसा और वह परसेंटेज है या क्या है, यह तो आप तय कर लेना। लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति बनी है वह आज बड़ी शर्मनाक स्थिति बनी है, उस पर भी कहीं न कहीं नियम बंधन बनाए जाने चाहिए और साथ में जैसा मैंने कहा कि आज शहर में अवैध निर्माण के कारण से फुटपाथ बचा ही नहीं है। यानी व्यक्ति पैदल चले तो चले कहां, हर जगह लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है। जरा वहां फुटपाथ की व्यवस्था की बात करें। अवैध इमारतें होटलें बनती जा रही हैं, इस पर कहीं न कहीं गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

आजादी के बाद हमारे समाज के लोग पाकिस्तान से बहुत बड़े दुकानदार आये। आते ही उनको दुकानें दे दी गईं। कुछ लीज पर दी गईं, लेकिन कुछ वर्षों से उनसे किराये का पैसा लेना बंद कर दिया। हमारी सरकार

(श्री वासुदेव देवनानी)

ने सन् 2018 में उन पर विचार किया और उनको 99 साल की लीज का एक आर्डर भी निकाल दिया कि हर व्यक्ति इसमें पैसे जमा करायेगा। पैसा 31 दिसम्बर तक जमा कराना था। हमारी सरकार चली गई, आज ढाई साल हो गये, आपने उस पर कहीं विचार नहीं किया। मेरी आपके माध्यम से मांग है उन 800 दुकानदारों को वे दुकानें भी लीज पर दी जाएं और साथ में छत के उपयोग की भी जो हमने घोषणा की थी, उसको भी आप करें, तब जाकर इस प्रकार की व्यवस्था होगी।

सभापति महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता रहनी चाहिये, सबकी इच्छा है। टायलेट वगैरह तो सब जगह बन गये लेकिन जो सफाई है, इतना बड़ा एरिया बढ़ता जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की संख्या हर निकाय में बढ़ायी जाये, उसके बिना होगा नहीं। साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या है, जैसा मैंने कहा, आवासीय नक़्शे पास नहीं हुए, उनका किया जाये। कचरा बहुत निकलता है, कचरे के निस्तारण की भी कोई योजना नहीं है। मीटरों तक की ऊंचाई तक कचरा ही कचरा भरा पड़ा है जो आस-पास दुर्गंध मारता है। यदि मैं नसीराबाद रोड से अजमेर से निकलूंगा तो मिलियन टन कचरा भरा पड़ा है। उसके लिये घोषणा होती है कि हम प्लांट लगायेंगे लेकिन उस प्लांट के बारे में अभी तक सरकार ने गति नहीं पकड़ी।

मैंने जैसा निवेदन किया, निगमों की हालत खराब है। मेरे दो सुझाव हैं कि निगम सीमा में जो रिक्त जमीन है, वह निगम को ट्रांसफर की जाये ताकि उनकी आय का साधन बढ़ सके। साथ में विकास प्राधिकरणों ने जो कालोनियां विकसित कर दी हैं, वह निगम को ट्रांसफर करें ताकि उनकी भी कहीं न कहीं आय बने। नहीं तो आय के बिना मैं समझता हूं कहीं कोई विचार आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से होगा।

मैं दो बातें कहकर अपनी बात पूरी करूंगा कि जो पैरीफेरी गांव हैं और शहरों में जो सड़क खोदी जाती है, कभी तो सड़क पीडब्ल्यूडी खोदता है, कभी पीएचईडी खोदता है, कभी नई गैस पाइप लाइन डालने वाली कंपनियां खोदती हैं और कहीं टेलीफोन वाले खोदते हैं। एक सड़क बनाता है, दूसरे दिन खुदती हैं। जिलाधीश स्तर पर एक बार कमेटी भी बनी कि कम से कम एक साल तो न खुदे। एक तो पैसा नहीं, कहीं से पैसा आ गया तो सड़क बन गई लेकिन दूसरे दिन खुद गई। खुदने के बाद कहा जाता है कि उसमें रिपेयर करेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): दो-तीन फीट तो खोदते हैं, उसके बाद उसके पास की खुदती है, अभी एक प्रश्न के उत्तर में कहा इसका किसी प्रकार का कोई नहीं है। टेंडर में इस प्रकार की शर्तें डाली जाएं तो वहां सड़क पूरी तरह बने ताकि राहगीरों को राह मिले और शहर का विकास हो सके। इस प्रकार की यदि व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं भी दे सकेंगे, उनको राहत दे सकेंगे। आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर मुझे बोलने का मौका दिया, माननीय सभापति जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जब से मानव की उत्पत्ति हुई गांव ढाणियों में बसावट शुरू हुई। शहरी बसावट का प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मिलता है। उस वक्त में भी ड्रेनेज व सीवरेज वगैरह की अच्छी व्यवस्थाएं थीं। उसके बाद निरंतर देश में शहरों और गांवों की बसावट होती रही। जो लोग पशुपालन और खेती का धंधा करते थे, उनकी गांव और ढाणी में जहां ज्यादा जमीन खुली हो, वहां बसावट रही और जो व्यवसाय से संबंधित थे, उनका शहरों की ओर बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। 1941 में भारत देश की पूरी आबादी के 13.90 प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे। राजस्थान में 15.27 प्रतिशत रहते थे और 1951 में भारत में शहरी पापुलेशन की बढ़ोतरी 17.30 प्रतिशत हो गई और राजस्थान राज्य में 18.50 प्रतिशत हो गई। 2011 में शहरीकरण की आबादी काफी बढ़ी, भारत में 27.82 प्रतिशत और राजस्थान राज्य में 24.87 प्रतिशत हुई। वर्तमान में देश में अलग-अलग राज्यों में 30 प्रतिशत के आस-पास आबादी शहरों में बसती है। गांवों में जब लोगों को कुछ व्यवसाय नहीं मिलता है, चूंकि नया डवलपमेंट पहले शहरों में होता है तो उस वजह से शहरों की लगातार आबादी बढ़ रही है और गांवों की घट रही है। देश आजाद होने के बाद गांवों और शहरों की स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। देश आजाद होने के बाद जैसे ही अपनी सरकारें बनी, अधिकतर राज्यों में और भारत में कांग्रेस की ही सरकार रही थी। शुरुआत में राजस्थान में करीब-करीब 30 वर्ष तक लगातार कांग्रेस का राज रहा। शुरुआत में जब बिगड़ी हुई हालत थी, उसमें सुधार करने की आवश्यकताएं ज्यादा थीं, फंड्स लिमिटेड थे। रेवेन्यू अर्जित करने के संसाधन भी लिमिटेड थे। उन विपरीत परिस्थितियों में

(श्री रूपाराम)

योजनाबद्ध तरीके से शहरों के लिये बहुत कुछ तत्कालीन सरकारों द्वारा किया गया। उसके बाद देश आजाद हुए 72 वर्ष हुए, 30 वर्ष वह, 42 वर्ष में राजस्थान में लगभग बारी-बारी से सरकार रही और सबने मिलकर शहरों/ग्रामों के लिये अच्छे काम करने की कोशिश की। देश में कुल संस्थाएं 4446 हैं। राजस्थान में वर्तमान में 194 हैं, जिसमें 149 पालिकाएं हैं, परिषद् 34 हैं, निगम 10 हैं और एक नसीराबाद में सैनिकों द्वारा चलित शहर का सिस्टम है।

पूरे देश में 46 नगर निकाय ऐसे हैं जहां आबादी 10 लाख से ऊपर है। अपने राजस्थान राज्य में 4 शहर ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से अधिक आबादी है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। सबसे पहले देश में 1668 में मद्रास में नगर निगम बना और राजस्थान में सबसे पहले 1864 में माउंट आबू नगरपालिका बनी। लगातार अलग-अलग राज्य और भारत सरकार इनको आगे बढ़ाने का काम करती रही, परंतु इन संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होने से कई कठिनाइयां आ रही थीं। जब से 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ग्रास रूट लेवल पर शहरों का कैसे विकास हो, कानून बने, इसके लिये प्रयास किये गये और उसके बाद इसमें और गति बढ़ी। शहरों में जिस तरह से पुराना शहर बसा हुआ था, उसमें काफी चीजें ठीक हुईं। नया बसना शुरू हो गया और उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई। अभी भी शहरों में विशेषकर जो नया डवलपमेंट है, कच्ची बस्तियों में पेयजल की, स्वच्छता की कमी है अतिक्रमण हैं। शहरों में गरीबों के लिये आवास की अभी भी समस्या बनी हुई है। प्रदूषण की समस्या है। कच्ची बस्तियों में निवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत जबरदस्त खराब है। आधारभूत ढांचे को डवलप करने की आवश्यकता है, वह हो नहीं पा रहा है। इन सबको देखते हुए आज आवश्यकता है सभी शहरों के लिये, एक तो है वर्क एग्जीक्युशन करके उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना और एक उसको विधिवत संधारित करना। शहरों के संधारण के लिये एकरूपता से, जैसे मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने भी फरमाया, वास्तव में आज अपने घर में भी जब सफाई करते हैं तो साधारणत: लेडीज उठकर आदमी, बच्चे वगैरह सब उठें, उससे पहले झाड़ू-पोंछा का काम कर लेती हैं, झाड़ू पोंछा करते हुए ज्यादा लोग देखे। जहां शहर में कंजेस्टेड एरिया है। जहां सफाई शाप्स वगैरह अधिक हैं, उन सब जगहों पर जो भी दिन-प्रतिदिन की संधारण सफाई की आवश्यकता

(श्री रूपाराम)

हो, उसमें जिसको कांट्रेक्ट देते हैं, उसका टेंडर डाक्यूमेंट ऐसा बने कि रात्रि को दुकानें वगैरह बंद होने के बाद और सुबह दुकानें खुलने से पहले सफाई का कार्य कम्प्लीट हो, चाहे उसको सालिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट उठाना हो, सफाई करनी हो, सब चीजें रात्रि में हो जानी चाहिए। ऐसा कई देशों में हो रहा है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस शर्त को हमें कांट्रेक्ट प्रपत्रों में डालनी चाहिए ताकि इसी के अनुरूप, क्योंकि कांट्रेक्टर को सफाई तो करनी है, वह सफाई दिन की जगह रात को कर ले। रात को ईजीली कर सकता है, क्योंकि रात को पब्लिक का मूवमेंट नहीं होता है। सरकार को यह करना चाहिए कि वह इसके लिए कामन डाक्यूमेंट बनाये, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हो कि जो भी कांट्रेक्ट ले, उसके पास पर्याप्त मशीनरी हो। उसमें ऐसी कंडीशन हो कि उसको अधिकतम एरिये में, बाहर और खुले एरिये को छोड़कर। क्या मशीनरी होनी चाहिए, संकरी गलियां हैं तो क्या होनी चाहिए, खुली हैं तो क्या होनी चाहिए, मेन रोड पर क्या होनी चाहिए। पूरे राज्य में सभी शहरों के लिए वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए संधारण की व्यवस्था एकरूपता में रहे, इसके लिए एक डाक्यूमेंट तैयार करके सब पर लागू करना चाहिए।

इसके अलावा जो कच्ची बस्तियां हैं, उसमें लोग वास्तव में नारकीय जीवन जी रहे हैं। अभी कोरोना काल में सब लोग, आप लोग पधारे होंगे, मैं भी गया। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं। शहर के अंदर और अन्य जगह पर जो डवलपमेंट हुआ है, उसी रूप से कच्ची बस्तियों के लिए एक ऐसा प्लान बने, फाइव ईयर प्लान का पार्ट हो और हर वर्ष जितने भी लोग आयें, वे बस्तियां निरंतर विकसित होती रहें।

अभी हर शहर में जाकर देखें तो उसमें गैप्स बहुत ज्यादा है। आप अगर एयरपोर्ट से उतरेंगे तो बाहर निकलते ही कांच के मुताबिक सड़कें मिलेंगी। फिर आप चलते रहो, कोई चौराहा आयेगा। वास्तव में, जैसे सड़क की आजू-बाजू की स्थिति थोड़ी-थोड़ी खराब होती जाए तो आपको कच्ची बस्ती, गरीब बस्ती में जाना हो तो एड्रैस की जरूरत नहीं है। जहां रोड टूटी हुई है, आप गाड़ी घुमाते रहो। लास्ट में आप जाएंगे तो जो व्यवस्थाएं मिलेंगी, वहां गरीब लोगों की बसावट होगी, दलितों की बसावट होगी, अल्पसंख्यकों की बसावट होगी, और भी गरीब लोगों की, गरीब सब में होते हैं, सवर्णों में भी होते हैं, ऐसे जो गरीब लोग रहते हैं, वहां आप बगैर एड्रैस जा सकते हो। जहां

(श्री रूपाराम)

रोड वगैरह सबकी स्थिति बिगड़ती देखो और पहुंच जाए तो लास्ट में आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे।

शुरू में भारत सरकार एक योजना लायी थी निर्मल गांव घोषित करने की। उसके अंदर यदि एक भी घर का आदमी लोटा लेकर शौच के लिए बाहर जाता था तो उस गांव को निर्मल घोषित नहीं करते थे। शहर के अंदर अगर हम एक पार्ट का सम्पूर्ण विकास कर लें, पुराना शहर या मेन शहर या कोई मेन कालोनी डवलप हुई है लेकिन उसकी 40-50 परसेंट पापुलेशन जो कच्ची बस्तियों में रहती है, वह वर्षों तक उसी रूप में रहे तो मेरे ख्याल से हम उस शहर को अच्छे नंबर नहीं दे सकते। इसका प्लान बने। जैसे आपने शहरों में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था की है, जो-जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, वे कच्ची बस्तियों में होनी चाहिए। भले ही उसमें हम एक-दो वर्ष पीछे चलें, लेकिन निरंतरता में वे चलती रहें, इसके लिए एक प्लान बनाकर उसको विधिवत लागू कर लेना चाहिए।

वर्तमान में जो स्टाफ की कैडर स्ट्रैंथ है, वह वास्तव में शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वहां निर्माण और संधारण कार्यों की क्वांटम को देखते हुए वह अपर्याप्त है। नार्म्स बने हुए होंगे, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है। नार्म्स बनाकर जैसे-जैसे शहर बढ़ें, उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ें, उसकी गुणांक में कैडर स्ट्रैंथ कि किस-किस के पद कितने-कितने होने चाहिए, वे आटोमेटिक सेंक्शन कर लेने चाहिए और उसका बजट में प्रावधान रखना चाहिए ताकि कहीं भी, कहीं करोड़ों के काम चल रहे हैं तो वहां पर चार जे.ईएन. हैं, कहीं पद ज्यादा हैं, बैठे हैं, वहां वर्क जीरो है। ये नहीं होना चाहिए। जिस ढंग से संधारण या कैपिटल वर्क्स चलें, उसके अनुपात में कम्प्लीट स्टाफ जो भी है, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे क्लेरिकल स्टाफ हो, जितने भी हो, सब उसके हिसाब से होने चाहिए।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के बारे में भी कहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर एक शहर आता है। कोई भी किसी भी देश का वासी अगर भारत में आता है तो वह प्रयास करता है कि जैसलमेर यात्रा वह करके जाए। वहां की जो खूबी है, वह जो पीला पत्थर है, उसकी कार्विंग, वहां के टैम्पल्स, कुछ पुरानी स्टाइल के बने हुए तालाब, वहां तालाब को पूजनीय मानते थे, क्योंकि उसके अलावा कहीं पानी नहीं होता था। तालाब की पाल और उसके

(श्री रूपाराम)

आजू-बाजू बैठने की जो भी व्यवस्था करते थे, उसको सजाकर रखते थे। वे व्यवस्थाएं देखने के लिए वहां आते हैं। सैंडड्यूंस देखने के लिए भी आते हैं।

जैसलमेर शहर के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, 1156 में शहर बसा था। एक 76 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बसाया हुआ है जिसके चारों तरफ एक परकोटा वाल बनी है, जो कि 1500 बाई 750, 30 फिट ऊंचाई की है। उस वक्त जिन लोगों ने बसाया, उसको सार-संभालकर रखना, पहले वाली सुंदरता मेंटेन करना, यह हमारी और सरकार की ड्यूटी है। समय-समय पर काम होते रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रयास करके विभाग के साथ मिलकर एक कार्ययोजना बनायी है जिसमें वहां पर जितने भी दर्शनीय स्थान हैं, विशेषकर सोनार किला है, जैन मंदिर है, कलात्मक कार्विंग की इमारतें हैं, पटवों की हवेली है, आकल फोसिल है, नथमल जी की हवेली, सालमसिंह की हवेली, गड़ीसर तालाब, लुदुरवा और अमर सागर के टैम्पल्स, इन सबको, जो भी पर्यटक आते हैं, कहीं तारें लटक रही हैं, कहीं पाइप फूटा हुआ है, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको अंडरग्राउंड करें। चौराहा बढ़िया डवलप हो। जितने भी टूरिस्ट पाइंट हैं, उनका विकास हो। गड़ीसर तालाब और वाटर बाडीज का विकास हो। इन सबके लिए हमने पिछले वर्षों में आये टूरिस्ट लोड को देखते हुए, पिछले पांच सालों में इंडियन टूरिस्ट करीब 19 लाख आये, विदेशी 5 लाख आये, कुल 23-24 लाख पर्यटक आये। इसके लिए हमने एक कार्ययोजना बनायी है, जो करीब 628 करोड़ रुपये की है। इससे शहर का रूप भी बदलेगा और उसके बाद जो पर्यटकों की आवक बढ़ेगी, उससे भारत सरकार और राज्य सरकार को भी आमदनी होगी और वहां के एक कलाकार से लेकर, ऊंट सवार से लेकर हर किसी को वहां व्यवसाय या धंधा मिलेगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि इस योजना के अंदर करीब 228 करोड़ रुपये लोकल आय, वहां कुछ कंपनियां काम करती हैं, उनके सीएसआर फंड से हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। 400 करोड़ रुपये आने वाले तीन वर्षों में अगर राज्य सरकार दे तो वहां के सब व्यवसायी, ग्रामीण, टूरिस्ट व्यवसाय से जुड़े हुए लोग मिलकर हम उसको ऐसा रूप दे पाएंगे, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तीसरा बजट घोषित किया है। समय कम होने की वजह से मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद ने यहां वाचन किया, मंत्री जी भी और बताएंगे। मेरे ख्याल से जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए इससे बढ़िया बजट अरबन डवलपमेंट के लिए नहीं हो सकता।

(15.00 बजे)

जैसलमेर के अंदर वहां की नगर परिषद् के अधिकारी और कर्मचारियों, हम सबने मिलकर, हमारे यहां करीब 70 हजार लोग मजदूर थे, कोरोना एकदम आ गया, उनको शहर में लाकर व शहर की कच्ची बस्तियों में जो सेवा की, उसके लिए मैं उस विभाग के सभी कर्मचारियों को उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मांग संख्या 29 पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मांग संख्या 29 पर मुझे बोलने का मौका दिया। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य अभी चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में पहली नगरपालिका बनी थी माउंट आबू में। माउंट आबू, राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। एकमात्र पर्वतीय स्थल है हमारे पास। पर्यटन का बड़ा केन्द्र है। 31 साल से मैं भी देख रहा हूं। पड़ौस के जिले से आता हूं और उस क्षेत्र से एक बार लोक सभा चुनाव लड़ने का मौका मिला तो माउंट आबू से जुड़ने के काफी अवसर मिले मुझे।

मैं देख रहा हूं कि सरकार सबसे अधिक कन्फ्यूज अगर रहती है तो माउंट आबू को लेकर। नियम बनाना, बदलना, माउंट आबू को समझ पाना हर सरकार के लिए मुश्किल काम रहता है और वहां की जनता कुछ मांग रही होती है, पर्यटक कुछ मांग रहे होते हैं और हम कुछ और दे रहे होते हैं। सबसे ज्यादा समस्या वहां रहती है, निर्माण कार्यों को लेकर, रिपेयरिंग के कामों को लेकर। जिंदगियां, पीढ़ियां बीत जाती हैं और उनके छत के ऊपर जो छप्पर लगा हुआ है, टीन शेड जो लगा हुआ है, वह बदलकर आरसीसी की छत नहीं डाल पाते, पीढ़ियां गुजर जाती हैं साधारण लोगों को, आम आदमी को परंतु बड़ी-बड़ी हवेलियां बन जाती हैं, बड़े-बड़े होटल बन जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। कितनी इम्पोर्टेंस हम माउंट आबू को दे रहे हैं, ये इससे प्रूव होता है कि आबू विकास समिति जो हमने गठित कर रखी है, उस विकास

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

समिति की अध्यक्षता स्वयं मुख्य मंत्री करते हैं। स्वयं मुख्य मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, वह इसलिए कि उस पर ज्यादा ध्यान दे सकें। दुर्भाग्य से सालों तक उस समिति की मीटिंग नहीं होती। अभी आपकी सरकार को ढाई साल होने जा रहे हैं, एक भी मीटिंग नहीं हुई। कभी याद आती है पांच साल में एकाध मीटिंग मुख्य मंत्री कोई कर भी लेता है तो वह जयपुर में होती है, माउंट आबू में नहीं होती। इस तरह से जिसकी सबसे अधिक उपेक्षा हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि माउंट आबू की हुई है।

बहुत सारे वहां के इश्यूज हैं, बहुत सारे काम हैं, जिन पर ध्यान देना चाहिए सरकारों को, परंतु नहीं देते हैं। माउंट आबू को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षित करने का केन्द्र बनाने के बजाय हम उसको पर्यटकों को लूटने का केन्द्र बनाते जा रहे हैं। चुंगी नाके पर स्वच्छता के नाम से उनसे चार्ज लिया जाता है, फिर सनसैट पाइंट पर जाते हैं तो और चार्ज लिया जाता है और किसी पाइंट पर जाओ तो वहां, अचलगढ़ की तरफ जाओ तो वहां और चार्ज लिया जाता है। मेरी जानकारी में आया है कि वन विभाग नीचे तलहटी पर एक नाका और लगाने जा रहा है। वन विभाग के अंदर से गाड़ियां जब गुजरेंगी, उनका चार्ज और लगेगा। मतलब पर्यटक वहां जब आए तो उसको पूरा निचोड़ लें हम, दोबारा वह आने का नाम नहीं ले, इस तरह की हम वहां समस्या पैदा करते जा रहे हैं।

पानी की वहां बहुत बड़ी समस्या है। एक जो नक्की झील है, उससे पूरा नहीं पड़ता है। दूसरा डैम हमने बना रखा है, वह अंदर से लीक है। उसके कारण उसमें ज्यादा पानी नहीं रुकता है, इसलिए शाल गांव में एक और बांध बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनी, डीपीआर बन गयी। डीपीआर में फीगर आया था लगभग 250 करोड़ का, वह डीपीआर, सरकार बदल गयी, ठंडे बस्ते में पड़ी है। उस पर ध्यान देने की हमको फुर्सत नहीं है। एक तरह से इस सरकार की कार्यशैली जो आबू पर्वत के प्रति है, उस पर मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस समय वहां के चेयरमैन जो भी, उनके आडियो वायरल हुए हैं। वे पैसे मांग रहे हैं। फाइल क्यों नहीं निकल रही है चेयरमैन साहब मेरी? फाइल तो तब निकलेगी जब उसके पीछे वाइल होगा। यह आडियो वायरल हुआ है और हम कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आबू पर्वत पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यता है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य अभी चर्चा कर रहे थे कि नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले जमीन के बंदोबस्त की। मैंने पिछले बजट सत्र में, गये साल के बजट सत्र में एक प्रश्न लगाया था। प्रश्न सदन में आ गया और मंत्री महोदय ने उसका जवाब दिया और इतना लाइट-वे में, इतने मजाक-वे में उसको लेकर जवाब दिया था। मेरा प्रश्न यह था कि जैसे हम पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की, वन क्षेत्र की, पर्वतीय क्षेत्र की हर जमीन को एक-एक इंच को हमने नाप रखा है। सैटलमेंट डिपार्टमेंट ने उसको नाप कर नक्शे बना रखे हैं कि ये जमीन वन विभाग की है, ये जमीन सिवाय चक है, ये गैर मुमकिन नदी है, ये गैर मुमकिन नाला है, ये गैर मुमकिन तालाब है, सारा हमने कर रखा है। इतने लंबे चौड़े राजस्थान को जब हमने नाप लिया तो नगरपालिका को हम क्यों नहीं नाप सकते? हम नगरपालिकाओं को नापें और उसकी एक-एक इंच जमीन का अगर हिसाब निकालेंगे, मेरा दावा है कि करोड़ों रुपये की जमीनें ऐसी निकलेंगी नगरपालिकाओं के अंदर से, नगर निगमों के अंदर से, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका मालिक नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं। उसका यदि हम उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ उसमें से निकाल सकते हैं। निकायों की आमदनी बढ़ सकती है लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। मैंने प्रश्न लगाकर ध्यान दिलाने कोशिश की तो उसको बहुत मजाक में उड़ाकर मंत्री जी ने उस प्रश्न को टाल दिया। मैं फिर आज इस मौके पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाइए कि नगरपालिका क्षेत्र में जितनी जमीनें हैं, उनकी चिंता करिए और जो लावारिस हैं, सरकारी हैं, नगर निगम की या पालिका की जमीन है, उन पर कोई कब्जा नहीं कर ले और उसका ठीक उपयोग हो, इसकी चिंता हमको करनी चाहिए।

मैं जालौर की बात करना चाहता हूं। जालौर का सीवरेज प्लांट सैकण्ड फेज प्रस्तावित है। एक साल पहले उसकी डीपीआर बन गयी। लगभग 165 करोड़ के आस-पास की डीपीआर बनी है। एक वर्ष हो गया। जालौर के बोर्ड ने वह पास करके राजस्थान सरकार को भेज दिया। सरकार को उसे भारत सरकार को भेजना है, एक वर्ष से पैंडिंग पड़ा है। भारत सरकार को फोरवर्ड करना है, और कुछ नहीं करना है लेकिन एक साल से लेकर बैठे हैं। सिर्फ इसलिए कि वहां बीजेपी का बोर्ड बन गया है। बन गया तो बन गया, जनता ने बनाया है। उसके लिए आप शहर को सज़ा देंगे क्या?

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अब विकास की बातें जो आप कर रहे हैं, बजट में ढेर सारी घोषणाएं कर रहे हैं जालौर के लिए, इच्छा तो होती है कि आपको धन्यवाद दूं कि जालौर में आपने एक टाउन हाल की घोषणा की है। देना चाहिए, मैं वहां का प्रतिनिधि हूं, मुझे धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन धन्यवाद देते-देते मैं इसलिए अटक जाता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, लाहोटी जी जब बोल रहे थे, वे बता रहे थे कि जोधपुर शहर में एक बड़े टाउन हाल के लिए मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कोई पिछले बजट में। उसकी अभी तक डीपीआर नहीं बनी तो जालौर वाले की क्या आस करें हम? जोधपुर का काम ही अटका पड़ा है। बजट घोषणा साल-डेढ़ साल में पूरी नहीं हो रही है तो हम इस बजट घोषणा को लेकर कोई बहुत अधिक उत्साहित नहीं है। जिस दिन काम शुरू होगा, आप भूमि पूजन करने आएंगे, उस दिन मानूंगा कि वह काम वास्तव में हो रहा है वरना यह हवाई घोषणा बनकर रह जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।

सभापति महोदय, आम नागरिकों की एक समस्या मैं आपके माध्यम से उठाना चाह रहा हूं बिजली और पानी के कनेक्शन देने के लिए जो डिमांड क्रिएट करने के जो नियम इस समय लागू है, बहुत खतरनाक नियम है। आम, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। प्लाट की कीमत से ज्यादा बिजली के कनेक्शन की डिमांड आ रही है, पानी के कनेक्शन की डिमांड आ रही है। पूरी कालोनी का सारा कैलकुलेशन एक साथ करके फिर उसे एक-एक प्लाट से वसूल किया जा रहा है। जब तक आधे मकान नहीं बन जाएं, आधे बन जाएंगे उसके बाद वालों को फ्री में मिलने लग जाएगा या नोमिनल कोस्ट पर मिलने लग जाएगा। उसके कारण से गरीब आदमियों को बहुत अधिक तकलीफ आ रही है। बड़ेबड़े डिमांड नोट्स आ रहे हैं, जो उस प्लाट की कीमत से भी ज्यादा है। मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है।

पत्रकारों को बहुत कुछ देने की घोषणाएं मुख्य मंत्री जी ने की हैं सब जगह की हैं। जालौर में भी पत्रकारों को भू-खण्ड आबंटित हो रखे हैं और कब्जे नहीं मिल रहे हैं। कोई टैक्निकल छोटी-मोटी अड़चन है, उसको निपटाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं विशेषकर निवेदन करना चाहूंगा जो एक परम्परा है कांग्रेस की, अपने विरोधी जहां जीत गये हैं, उनको परेशान करने की। उसका एक उदाहरण हमारी जालौर नगरपालिका है। 27 नवम्बर, 2019 को बोर्ड का हमारा गठन हो गया। बीजेपी का बोर्ड बन गया, रिपीटेडली दूसरी बार, आप नहीं जीत पाए, उसके लिए मैं कसूरवार नहीं हूं। उसके बाद उसकी कमेटियों के गठन के लिए बोर्ड की मीटिंग जब-जब हमने करने की कोशिश की, सरकार ने रोड़ा अटकाया। 25 फरवरी को मीटिंग तय हो गयी, आहूत हो गयी, आयुक्त को वहां से एपीओ कर दिया और दूसरे को चार्ज नहीं दिया। एसडीएम को चार्ज दिया, एसडीएम ने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन कब किया, जब मीटिंग का टाइम निकल गया तब। शाम को पांच बजे आकर ज्वाइन किया, ताकि मीटिंग नहीं हो जाए, ताकि कमेटियां गठित नहीं हो जाएं। यह आपका लोकतंत्र का एक तरीका है। उसके बाद हमको दूसरी मीटिंग आहूत करनी पड़ी 27 मार्च को। उस दिन अघोषित रूप से कमिश्नर को जयपुर बुला लिया, डीएलबी में बुलाकर बिठा दिया। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लैटर के, मीटिंग है, इसलिए बुलाया। मैंने अच्छे से पता किया, उस दिन कोई मीटिंग डीएलबी में नहीं थी। जिस दिन कमेटियों के गठन के लिए हमने मीटिंग आहूत की थी जालौर में, उस दिन वहां से ईओ को हटाकर उस मीटिंग को फेल किया और उसी दिन रात में, डीएलबी में बैठकर, वहां कमेटियों का गठन करके, वहां भेज दिया, जिस पर हमको हाई कोर्ट से स्टे लेना पडा। स्टे इसलिए मिला क्योंकि आपने गलत कार्यवाही की थी। आप जो भेदभाव हमारे साथ कर रहे हैं, उसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं। उसमें केवल अकेला जालौर नहीं है, बहुत सारी.

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): लास्ट पाइंट है। उसमें बहुत सारी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनकी यह स्थिति है, नगरपालिकाओं को काम करने के लिए स्टाफ चाहिए होता है। जालौर में 493 पद स्वीकृत हैं, उसमें से 218 खाली हैं, लगभग आधे। वरिष्ठ लिपिक 8 में से 8 खाली। कनिष्ठ लिपिक 16 में से 11 खाली। सहायक अभियंता 2 में से 2 खाली। कनिष्ठ अभियंता 4 में से 3 खाली। राजस्व अधिकारी एक पूरा खाली। राजस्व अधिकारी सैकण्ड-2 के 2 खाली। कर निर्धारक 2 के 2 खाली, राजस्व निरीक्षक 2 के 2 खाली। काम कौन करेगा, वहां का काम कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा। इन पदों को भरने के बारे में भी चिंता करनी चाहिए।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, जिस समय हमने चुंगी बंद की थी, चुंगी बंद करके हमने चुंगी के बराबर राशि, सरकार आपको कम्पनसेट करेगी, यह हमने जब नियम बनाया था, उसके बाद कई सारे वेतन आयोग आ गए। डीए में बढ़ोतरियां हो गईं, तो फ़ार्मूले में भी हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जालौर नगरपालिका को 70 लाख रुपये महीने की तनख्वाह चाहिए, सरकार उनको 40 लाख दे रही है। वेतन के फ़ार्मूले में परिवर्तन होता है, वैसे उस कम्पनसेशन फ़ार्मूले में परिवर्तन करते हुए हम नगरपालिकाओं को अधिक राशि आबंटित करने का प्रयास करें। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। महोदय, मैं तो सिर्फ अपने विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रहूंगा। मेरे दो नगरपालिकाएं हैं देवली व उनियारा। दोनों करीब 50 साल से पुरानी नगरपालिकाएं हैं। सर, जब यह नगरपालिका बनी थी, देवली तो अंग्रेजों का बसाया हुआ शहर है, अंग्रेज़ों की छावनी थी। बहुत छोटी जगह थी। धीरे-धीरे बाहर के लोग आते गए और बसते गए। नगरपालिका में जो सुविधाएं हैं, 15 हजार लोगों के लिए नगरपालिका बनी थी, अभी भी उतने ही लोग हैं, जबकि वहां 70 हजार आदमी रह रहे हैं। पानी की सुविधा 15 हजार के लिए, बिजली की सुविधा 15 हजार के लिए, सड़कें भी। अब आदमी 70 हजार आ गए। बाहर की कालोनियां, गांव जुड़ते गए। उन गांवों में एक और विडम्बना देखिए, पट्टे दे रही है नगरपालिका और विकास कर रही है ग्राम पंचायतें। मास्टर प्लान 2003 से 2023 तक लागू है, जिसमें यह सब ग्राम पंचायतें मास्टर प्लान का हिस्सा है। पट्टे नगरपालिका दे रही है, विकास ग्राम पंचायत कर रही है। जो नई कालोनियां बसी है, उनको शहरी क्षेत्र के जो लाभ होने चाहिए जैसे पार्क, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ऐसी कोई सुविधा उन क्षेत्रों में नहीं मिल रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगती हुई कालोनियां हैं कुचलवाड़ा ग्राम पंचायत की, ऊंचाग्राम पंचायत की, देवली गांव की, उन सबको, जिनको इन्होंने पट्टे दिए हैं,शहर में लगी हुई हैं यही रह रहे हैं, उनको नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए ताकि शहर का पूरा विकास हो सके।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, देवली का गवर्नमेंट कालेज, गवर्नमेंट हास्पिटल, डाक बंगला, बिजली आफिस, बीसलपुर आफिस, सब ग्राम पंचायतों में, देवली क्षेत्र के बाहर है। देवली के कालेज या हास्पिटल में कोई भी घटना होती है तो वह भीलवाड़ा पुलिस के अंडर में आती है, वह वहां से 115 किलोमीटर दूर है। मैं चाहता हूं लगते हुए इलाके हैं, नगरपालिका क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाए।

सर, इसी तरह उनियारा में। उनियारा रियासत काल का एक शहर है। उसमें नगरपालिका भी बहुत पुरानी है। अभी भी उसमें कोई भी, नगरपालिका तो दूर, ग्राम पंचायत स्तर की सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। कुछ आमदनी है नहीं। केन्द्र सरकार का अनुदान मिलता नहीं है। उस अभाव के चक्कर में, उनियारा शहर में जो लोग रहते हैं, उनका जीवन दुश्वार हो रहा है, उनको कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं।

सरकार के सामने मैं मेरे दोनों शहर की मांग रखता हूं। मैं देवली से शुरू करता हूं। देवली में नेकचाल तालाब के लिए 2018 में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 8.5 करोड़ रुपये की एसटीपी प्लान के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई थी। अब पता नहीं क्या हुआ, 22 मार्च, 2020 को उस स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया। किस कारण से हुई, यह मैं जानना चाहूंगा। शहर के विकास का काम पुनः चालू हो।

देवली के मास्टर प्लान एवं पैरीफेरी में सम्मिलित देवली तहसील के देवली गांव, अंबापुरा, माधोसिंहपुरा एवं जहाजपुर तहसील के ऊंचा व कुचलवाड़ा कलां को नगरपालिका क्षेत्र देवली में जोड़ने की अति आवश्यकता है, सरकार इस पर ध्यान दे।

जयपुर चुंगी नाके से दोलता मोड़ अंडर पास तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु डामरीकरण, डिवाइडर निर्माण एवं डिवाइडरों के मध्य विद्युत पोल व सौंदर्यीकरण का कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।

सर, इसी तरह कोटा चुंगी नाके से चिंताहरण बालाजी तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाते हुए डामरीकरण, डिवाइडर निर्माण एवं डिवाइडर के मध्य विद्युत पोल व सौंदर्यीकरण कार्य करवाये जाने की मांग करता हूं।

सर, देवली बड़ा शहर है। 70 हजार के करीब आबादी है। पीजी कालेज है। वहां पर एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक खेल स्टेडियम देवली नगरपालिका क्षेत्र में

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

बनाया जाए, जिसके लिए भूमि उपलब्ध है, सरकार को निर्माण करवाना है। देवली में बाहर के बहुत लोग आकर बस रहे हैं। उद्योग का एक बड़ा सेंटर है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि और नगरपालिकाओं की भांति वहां भी हाउसिंग बोर्ड कालोनी की घोषणा करे, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को रहने की सुविधा मिले।

सर, इसी तरह उनियारा में। जैसा कि आप जानते हैं उनियारा पूर्वी राजस्थान में आता है, वह बरसात का इलाका है, बहुत बरसात होती है। शहर के बीच से एक गंदा नाला निकलता है। बरसात में वहां बहुत पानी बहता है, गंदगी रहती है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि देवली शहर के अंदर से गुजरने वाले जितने नाले हैं, उनको पक्के कराए जाएं और हमारी जनता को गंदगी से निजात दिलाई जाए।

सर, उनियारा के आस-पास व पैरीफेरी क्षेत्र में शामिल खातोली रोड स्थित, खातोली पंचायत के गोडो की झोपडियां, पागड़ी, मोर झाला की झोपड़ी एवं उपखण्ड कार्यालय के पीछे स्थित खेलनियां पंचायत के मीणों की झोपड़ियां, उनियारा ग्रामीण, भाटा नाला, मालियों की झोपड़ियां, पलाई ग्राम पंचायत की उनियारी, नाहरा एवं बीलोता ग्राम पंचायत की खेली ग्राम को नगरपालिका क्षेत्र उनियारा में जोड़ने की कृपा करें।

सर, उनियारा शहर में, पूरे शहर के बीच से 33 केवी की लाइन निकल रही है। इसकी स्थिति ऐसी है कि यह कभी भी गिर सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है और इससे भारी नुकसान हो सकता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 33 केवी लाइन जो शहर के बीच से निकलती है, इसको या तो अंडरग्राउण्ड किया जाए या शहर के बाहर निकाला जाए।

सर, कहने को तो वहां फायर बिग्रेड कार्यालय है, पर नगरपालिका में एक भी फायर बिग्रेड नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम एक या दो फायर बिग्रेड उनियारा नगरपालिका में उपलब्ध करवाए।

अंत में, उनियारा नगरपालिका का पालिका भवन है, यह 50 साल पुराना है। जर्जर अवस्था में है। पालिका की स्थिति ऐसी है, उनके पास कोई साधन नहीं है, या तो उसकी मरम्मत करवाई जाए, अगर मरम्मत सम्भव नहीं है तो नया पालिका भवन बनाया जाए। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, नगरपालिकाओं का करोड़ों रुपये का बजट अरबन क्षेत्र में खर्च होता है। ज़िले में मानिटरिंग के लिए कोई अफसर नहीं है।

नगरपालिका के ई.ओ. और कमिश्नर के तार सीधे डी.एल.बी. से जुड़े हैं। मेरे जिले हनुमानगढ़ में 5 नगरपालिकाएं और एक नगर परिषद् है। जिले को संयोजक के रूप में कोई नहीं देख रहा है। डी.डी.आर. जो बीकानेर में बैठते हैं, उनके पास भी शक्तियां नहीं हैं। इसलिये सीधे के सीधे डी.एल.बी. पर दबाव रहता है। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद जो नगरपालिकाओं की खामियां, नगर परिषदों, नगर निगमों की खामियां आपके सामने साथी गिना रहे हैं, इसकी वजह यह है कि ढंग से पैरवी, ढंग से काम, ढंग से निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। जब जोनल प्लान के भ्रष्टाचार का मामला आया था, करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ, वह शायद यही वजह थी। यही वजह है कि नगरपालिकाओं में सीवरेज के काम चल रहे हैं, लेकिन 2016-17 से काम आज तक पैंडिंग हैं। कम्पनियां काम ढंग से नहीं करतीं, ठेकेदार काम ढंग से नहीं करते, मानिटरिंग ढंग से नहीं हो रही है। इसलिये हम शासन से मांग करते हैं कि या तो डी.डी.आर. को ताकत दी जाए या फिर जिले में भी एक संयोजक अफसर बनाया जाए। जिस तरीके से पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी से ले करके, बी.डी.ओ. से ले करके ए.सी.ई.ओ. और सी.ई.ओ., पूरी एक पावरफुल टीम है, उस टीम के तरीके से ही नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों और नगर निगमों को देखा जाए।

सीवरेज का काम मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा में चल रहा है, वह जल्दी पूरा करवाया जाए। रुडसिको जो काम कर रही है उसको अभी तक 7 वार्ड नहीं मिले हुए हैं। उन 7 वार्डों में पहले राविल ने काम किया था। राविल के काम आज से 10 साल पहले हुए। दूसरी पाइपलाइनें थीं, उनको चैक नहीं किया गया। इसलिये मेरी मांग है कि राविल से 10 साल पहले जो काम करवाया गया था, उसके बजाय वापस रुडसिको से करवाया जाए। घर-घर कनेक्शन का काम भी रुडसिको से करवाया जाए ताकि रुडसिको अपनी जिम्मेदारियों से भाग न सके।

सभापति महोदय, भादरा शहर से साहवा रोड, जो जयपुर के लिये

(श्री बलवान पूनियां)

आता है उस पर सी-65 के नाम से ओवरब्रिज या अंडरब्रिज की मांग वर्षों से लम्बित है। भादरा शहर में एक साइड में श्मशान भूमि है और दूसरी साइड में कब्रिस्तान है। लोग जनाजे और अर्थियां लेकर खड़े रहते हैं। मेरी मांग है कि तुरन्त सी-65 को कमप्लीट किया जाए। वहां सरकार अंडरब्रिज बनाए या ओवरब्रिज बनाए। शहर में पेयजल के लिये नई योजना लेकर के आने की जरूरत है क्योंकि शहर में बढ़ती जनसंख्या घनत्व को देखते हुए पेयजल की कई वार्डों में दिक्कतें आ रही हैं। टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे बहुत भारी दिक्कत है।

शहर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की जरूरत है। शहर भादरा में ही नहीं, पूरे राजस्थान के नगर निगमों, नगर परिषदों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगें, जिससे चोरियों का खतरा नहीं रहे, चोर पकड़े जाएं, आपराधिक घटनाएं नहीं बढ़ें, लोग सुख-चैन की नींद सोएं।

(15.22 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

33 किलोवाट की के.वी. की लाइन शहर की बस्तियों के बीचों-बीच गुजरती है। हम चाहते हैं कि इन लाइनों से लोगों को निजात दिलाएं और सारी की सारी 33 के.वी. की लाइनें हटाने का काम करें।

मेरी मांग है कि वेतन सम्बन्धी जो दिक्कतें आ रही हैं, नगरपालिका भादरा में वेतन के पेटे चुंगी पुनर्भरण के प्रति माह 34 लाख रुपये प्राप्त होते हैं जबकि वास्तव में वेतन प्रति माह 52 लाख रुपये का भुगतान किया जाना होता है। इसके फलस्वरूप नगरपालिका को प्रति माह 22 लाख रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण कई बार वेतन भुगतान समय पर किया जाना सम्भव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सफाई कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर विरोध स्वरूप झाड़ू डाउन कर सफाई कार्य बंद कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है। राज्य कर्मचारियों को वेतन की गारंटी के अनुरूप पालिका कर्मचारियों के वेतन की गारण्टी होना भी जरूरी है। सफाई जैसा कार्य करने के लिये नगरपालिका कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिले तो अत्यन्त ही चिंता का विषय है। सभापति महोदय, राज्य कर्मचारियों की भांति पालिका कर्मचारियों, सफाई सेवकों को समय पर वेतन की गारण्टी लेनी चाहिए। वेतन भत्तों के अनुदान की राशि भी दी जानी चाहिए।

(श्री बलवान पूनियां)

मेडिकल सुविधा की बात करूं तो राज्य सरकार ने अपने समस्त सेवानिवृत्त और राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् मेडिकल सुविधा वर्षों से प्रदान कर रखी है लेकिन पालिका के कर्मचारियों को आज दिनांक तक मेडिकल सुविधा नहीं दी गई है। नगरपालिका का सफाई कर्मचारी गंदगी उठाता है, नालों के अन्दर घुस करके सफाई करता है, बीमार हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से ही वह अपना इलाज करवाता है। यह घोर निंदनीय बात है। इसलिये मेरी शासन से मांग है कि सफाई जैसे कार्य करने के बाद भी सेवानिवृत्ति में, पेंशन में बीमारी पर पैसा खर्च करने वाले लोगों को बीमारी के इलाज के लिये तुरन्त पैसा मिलना चाहिए।

मैं आवारा-बेसहारा पशुओं की बात करूं, शहर के अन्दर गौशालाओं को अनुदान मिलता है लेकिन अनुदान में वे सिर्फ दुधारू गायों को रखते हैं। जो नंदी शहर में घूम रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोगों की दुकानों में घुस जाते हैं, भारी परेशानी हो रही है। इसलिये न्यायोचित आदेश करना चाहिए कि जो भी शहर में आवारा नंदी घूम रहे हैं, वे भी गौशालाओं के अन्दर जाएं। सरकार उनके लिये अलग से अनुदान की घोषणा करे।

नजूल सम्पत्ति, मेरे शहर में भी दो सम्पत्तियां ऐसी हैं जो नजूल हैं, काफी दिनों से पड़ी हैं। उन नजूल सम्पत्तियों को नगरपालिका में लिया जाए और उनकी नीलामी की जाए या दूसरे कामों में, प्रयोजन में लिया जाए, जिससे नगरपालिका की आय भी बढ़े और शहर में दूसरे काम भी अच्छे से हों।

पुराना क्वार्टर, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से है, तहसील भादरा में आज से 50 साल पहले वह नाकारा घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। मेरी मांग है कि पूर्व में जिस जगह तहसीलदार और न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्वार्टर बने हुए थे, जो जर्जर और खाली पड़े हैं, उक्त भूमि के बदले में नगरपालिका ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट को जगह भी दे दी है। आवास हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के बाद पट्टा भी जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक नजूल सम्पत्ति नगरपालिका को हस्तांतरित नहीं की गई है। इस सम्पत्ति को फौरन पालिका को हस्तांतरित किया जाए। दूसरी, पुलिस थाना, सोनी बाजार, भादरा में, हम भी इस जगह को दूसरी जगह में ले जा

(श्री बलवान पूनियां)

करके दूसरे काम में लेना चाहते हैं, चाहे हमें वहां अच्छे से बाथरूम भी बनाना पड़े, जो शहर के लोगों के काम आए।

वर्षा और अतिवृष्टि में अनुदान की जरूरत होती है। सभापति महोदय, शहरी क्षेत्र में वर्षा, अतिवृष्टि से सड़कों, नालियों में प्रतिवर्ष होने वाली क्षति पर सड़कों और नालियों के पुनर्निर्माण, मरम्मत हेतु अनुदान राशि प्राप्त होती है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों में क्षतिपूर्ति अनुदान देना बंद कर दिया गया। इसके अभाव में अतिवृष्टि से सड़कों और नालियों की हुई क्षति का पुनर्निर्माण, मरम्मत नहीं होने से शहर के सौंदर्यीकरण पर विपरीत असर पड़ता है, शहर में पानी इकट्ठा हो जाता है। मेरे भादरा शहर में अम्बेडकर चौक के पास इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि आस-पास के घरों में पानी घुस जाता है, दुकानों में पानी घुस जाता है। दुकानें खराब हो जाती हैं। घरों में भी चीर आ जाती है, अपूरणीय क्षति हो जाती है। एक आदमी जिन्दगी में एक मकान बनाता है, सभापति महोदय, दूसरी बार मकान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिये मेरी मांग है कि फौरन डी.पी.आर. बनाई जाए और शहर में पानी निकासी की व्यवस्था के लिये सरकार बजट दे।

फायर ब्रिगेड की जो बात आई, तो एक गाड़ी नगरपालिका के पास उपस्थित है लेकिन बाहर गांव में, जो पूरा का पूरा किसानी का इलाका है, उस इलाके में कई बार फसलों में आग लग जाती है, नगरपालिका क्षेत्र से गाड़ी मंगवाते हैं, दमकल पहुंच नहीं पाती है, इसलिये मेरी मांग है कि दूसरी दमकल की व्यवस्था की जाए।

मैं नगरपालिका की आय की बात करूं तो नगरपालिका द्वारा कृषि भूमि नियमन पर प्राप्त होने वाली आय का 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार को देना पड़ता है। इसी प्रकार लीज राशि की 90 प्रतिशत वसूली राज्य सरकार को और 10 प्रतिशत राशि नगरपालिका कोष में शेष रहती है जबकि लीज राशि नगरपालिका द्वारा वसूल करने पर 10 प्रतिशत से अधिक तो व्यय ही हो जाती है। अतः लीज राशि पालिकाओं को दिया जाना ही न्यायोचित होगा। इन्दिरा रसोई में, राज्य सरकार द्वारा जो इन्दिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। इसमें भोजन करने वाले व्यक्ति को 8 रुपये और 12 रुपये राज्य सरकार द्वारा भुगतान अनुदान स्वरूप रसोई संचालन की संस्था को दिये जा रहे हैं। उक्त राशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना ही न्यायोचित होगा, ताकि नगरपालिकाओं पर और खर्च न बढ़े।

(श्री बलवान पूनियां)

मुख्य मंत्री बजट घोषणा में इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिये सभी नगरीय निकायों में राशि आबंटित की गई थी। यह राशि नगरीय निकायों को अनुदान स्वरूप न देकर लोन के रूप में दी गई। पंचम वित्त आयोग में इस राशि का पुनर्भरण और कटौती की जा रही है। मेरी मांग है कि मुख्य मंत्री बजट घोषणा की राशि नगरपालिकाओं को तुरन्त ट्रांसफर की जाए।

सभापति महोदय, कर्मचारियों की बात करूं तो मेरे वहां 85 पद खाली हैं। अधिशासी अधिकारी एक पोस्टेड है, लेकिन राजस्व निरीक्षक की बात करूं, सहायक राजस्व निरीक्षक की बात करूं, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की बात करूं, चाहे मैं सफाई सेवकों की बात करूं, 33 पद खाली हैं। जो जरूरत है उसके हिसाब से माली, ड्राइवर, प्याऊ मैन और चतुर्थ श्रेणी के 9 कर्मचारी हैं, कम्प्यूटर आपरेटर के 3 पद खाली हैं, कनिष्ठ सहायक के 9 पद खाली हैं। ऐसे 85 पद खाली हैं। नगरपालिका में बेहतर काम कैसे हो। यह जो निजीकरण का दौर देश में चला है वह हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में बड़ा भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिये शासन से मेरी मांग है कि तुरन्त नई नियुक्ति दी जाए, ताकि नगरपालिका क्षेत्र में तेजी से काम आगे बढ़े और जनता को स्वच्छ और साफ सुथरा शहर मिले। शहर में आकर बसने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिल पाएं। मेरी एक मांग यह भी है कि पूरे के पूरे इलाके में राज्य सरकार के उपक्रमों और पालिका के सफाई कर्मचारियों की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तौर पर ड्यूटी लगा दी जाती है। कुछ विभागाध्यक्षों द्वारा ड्यूटी लगाकर कार्यालय आदेश जारी कर रिलीव करने हेतु पत्र पालिका को प्रेषित कर दिये जाते हैं, जिससे सफाई कर्मचारियों की कमी रहती हे। कभी-कभी पार्टियों के दफ्तर में दो-दो आदमी, कभी तहसील में, कभी एस.डी.एम. के दफ्तर में, कभी थानों में, दूसरे-दूसरे दफ्तरों में सफाई कर्मचारियों को मांग लेते हैं। वहां सैटिंग मार करके कई सफाई कर्मचारी लगे हुए होते हैं, 5-5, 7-7 बैठ जाते हैं, शहर में सफाई की दिक्कत रहती है। यह अकेले भादरा में नहीं, यह पूरे राजस्थान में प्राब्लम है। इस प्राब्लम को दूर किया जाए। सफाई कर्मचारियों को सिर्फ शहर की, नगरनिगम, नगर परिषदों की सफाई के काम में लिया जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सभापति: माननीय श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। हमारे प्रात: स्मरण में लिखा है कि-

अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका।

पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका:।।

इतने सुंदर-सुंदर हमारे इस देश में शहर होते थे कि देवता भी उन शहरों में आने के लिए तरसते थे और प्रात: स्मरण में यह नाम लिखकर हमारे शास्त्रों में अमर नाम कर दिया गया कि यह शहर देखने लायक शहर हैं, इनको देखने के लिए आप सबको जाना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि राजस्थान का इनमें एक भी शहर नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): पांच साल में आपने कोई काम किया हो तो बता देना।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): वह पांच-पचास साल की पूरी बात फिर बैठकर कर लेंगे अपन लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है कि शहरों का जो विकास है, वह इस तरह से होना चाहिए जिससे वास्तव में हमारे शहर दर्शनीय बनें।

आपने जिस तरह से इस शासन में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया और शहरी निकायों के चुनावों में जो व्यवस्थाएं आपने की थीं, सारा सांप्रदायिक आधार पर आपने वार्डों का परिसीमन किया। कोई वार्ड आठ सौ का तो कोई वार्ड सात हजार का और इस तरह से आपने वार्डों को परिसीमित किया कि किस तरह से हम इन पर कब्जा कर सकें। अल्पसंख्यकों के यह जो वार्ड थे, उनको तीन-तीन भागों में विभक्त किया गया और पांच सौ, सात सौ, आठ सौ की संख्या के आधार पर उनके वोट रखे और जो हमारे अच्छे वार्ड थे, जिनको यह कहते हैं कि भाई, यह तो वार्ड कभी कांग्रेस जीत नहीं सकती, उन वार्डों को सात-सात, आठ-आठ हजार के वोटों के वार्ड बनाये गये। मेरा ऐसा मानना है कि यह लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य था। 000

श्री सभापति: यह अंकित नहीं करें। डिलीट कर दें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आज जयपुर हैरिटेज में आपने जिस तरह से यह व्यवस्थाएं कीं, अल्पसंख्यकों के 37-38 पार्षद जीतकर आये जयपुर में, उन्होंने प्रदर्शन भी किया, आपने वोट तो उनके ले लिये लेकिन आपने सभापति, चेयरमैन उनका नहीं बनाया और उनको यह धोखा फिर मिला

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

कि आपने जिस नाम से यह परिसीमन किया था, उस परिसीमन का लाभ भी उनको नहीं दिया गया। यह इस तरह का जो धोखा आपने किया है, यह इस तरह का जो परिसीमन आपने किया है, यह शहरों को बरबाद करने का परिसीमन है। मैं आपसे यह फिर कह रहा हूं कि इससे अंधाधुंध विकास होगा। कोई 900 का वार्ड है, कोई सात हजार का वार्ड है। वार्डों का पूरा सही तरीके से इससे विकास नहीं होगा इसलिए इस परिसीमन को जब भी अवसर मिले तो वापस सही किया जाए जिससे सारे वार्डों का बराबर विकास हो सके।

माननीय सभापति महोदय, स्वच्छता सर्वेक्षण जो होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण जब भी शुरू होता है कि हमारा नम्बर आना चाहिए, उस हिसाब से महीने भर पहले सब लगते हैं और सारी मशीनरी को एक्टिव करते हैं और एक्टीवेट करके जब सर्वेक्षण समाप्त होता है वापस हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो मेरा सरकार से ऐसा निवेदन है कि इस स्वच्छता को हम गंभीरता से लें और केवल अंक प्राप्त करने के लिए यदि स्वच्छता को अगर हम करेंगे तो यह जो मोदीजी का पवित्र भाव है कि हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ भारत का जो नारा उन्होंने दिया है, इस नारे को साकार करने के लिए केवल स्वच्छता के अंक प्राप्त करने के लिए हमको स्वच्छता का आधार नहीं बनाना चाहिए, हमको बराबर बारह माह स्वच्छता किस प्रकार से कायम रहे, इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे शहरों में होनी चाहिए जिससे हमारे शहरों की स्वच्छता सुनिश्चित हो सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे भीलवाड़ा शहर में हजारों लोग ऐसे हैं, जिनके अभी पट्टे नहीं बने हैं और जो शौचालय केन्द्र सरकार की योजना से बने थे, पट्टे नहीं होने के कारण से उन घरों को अभी तक शौचालय प्राप्त नहीं हुए हैं और शहर को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है जबकि अभी तक हजारों घर ऐसे हैं जहां पर शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है तो जो पट्टे अभी तक भी नहीं दिये गये हैं, जिसके कारण से उनके शौचालय की राशि पास नहीं होती है तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जो कच्ची बस्तियों में और जो घर ऐसे हैं जो बीस-बीस, तीस-तीस साल पुराने घर बने हुए हैं, उन घरों में अगर हम पट्टे देंगे या बिना पट्टे की आवश्यकता के जो घर बन चुके हैं, उनके शौचालय की व्यवस्था हम किस प्रकार से सुनिश्चित करें, जिससे स्वच्छता जो हमारा एक परमानेंट आधार है, खुले में शौच से मुक्ति, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

गरीबों को पट्टा वितरण बंद हो रखा है, वर्षों हो गये। हमारी सरकार ने भी यह प्रयास किया, आपकी सरकार भी यह प्रयास कर रही है, कोर्ट के बहाने से यह सारा काम रुका हुआ है लेकिन इससे कितनी परेशानी आम आदमी को हो रही है, इसकी कल्पना भी हमको करनी चाहिए। सारी व्यवस्थाएं इन पट्टों के कारण से बंद पड़ी हैं। स्टेट ग्रांट के पट्टे भी नहीं दिये जा रहे हैं, सारे पट्टे हमारे नगर परिषद्। पालिका में, यू.आई.टी. में बने हुए तैयार पड़े हैं, फाइलें तैयार पड़ी हैं लेकिन पट्टे वितरण का यह कार्य रुका हुआ है तो, मेरा आप सबसे, सरकार से यह अनुरोध है कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से कोर्ट का आदेश मिल सके अगर हमारी पैरवी में कोई कमी है तो उस पैरवी को सही करें लेकिन यह पट्टा वितरण का कार्य जो रुका हुआ है, इस कार्य को अब हमको प्रारम्भ करना चाहिए जिससे सारे लोगों को, चाहे वह बैंकों से ऋण लेना चाहते हैं, चाहे किसी तरह की उनको कोई सुविधा मिलनी चाहिए, वह सारी सुविधाओं से लोग वंचित हैं तो यह पट्टा वितरण का कार्य जरूर होना चाहिए। चाहे बीस-बीस, तीस-तीस साल पुरानी कालोनियां हैं, पचास-पचास साल से, शहर बसा है तब से वह कालोनियां वहां पर हैं लेकिन वह कालोनियां आज भी जैसे मेरे शहर में हरणी गांव है, मंगलपुरा गांव है, पुर गांव है, सांगानेर गांव है, कावाखेड़ा है, बिलिया है, इन गांवों पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे और सौ-सौ साल पुरानी यह बस्तियां हैं, उनके पट्टे भी आज तक जारी नहीं हुए हैं तो मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हम चालू करें जिससे लोगों को सुविधा मिल सके।

प्रशासन शहरों की ओर अभियान की घोषणा हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है कि हम शुरू करेंगे, तो इसमें मेरा ऐसा निवेदन है कि हर बार हर सरकार करती है लेकिन सारे काम लीपापोती के आधार पर चलते हैं। आज शहरों में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन के हजारों केस पैंडिंग हैं। यह अभियान अगर चले तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि विकलांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और इस तरह के जो प्रकरण हैं, खाद्य सुरक्षा से जोड़ना, आज खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे शहरों में है। इन शहरों में हम प्रशासन शहरों की ओर अभियान में इन सारी बातों का समावेश करके अगर हमने लक्ष्य रखा कि यह काम तो किसी भी कीमत में पैंडिंग नहीं रहने चाहिए तो एक बहुत बड़ा हमारा प्रशासन शहरों का अभियान सफल होगा, इसकी ओर सरकार को ध्यान देकर इस कार्य को शुरू करना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): दिल्ली से इसका पोर्टल खुलवाओ पहले तो।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): हां, वह अपन करवाएंगे। हमारे शहर में यू.आई.टी. है, नगर परिषद् है, 200-200 करोड़ रुपये का बजट है मैं तीन बार विधायक बन चुका हूं, लेकिन यू.आई.टी. ने आज तक किसी भी मीटिंग में, एम्पावर्ड कमेटी के एम.एल.ए. सदस्य होते हैं लेकिन आज तक किसी भी मीटिंग में एम.एल.ए. को आमंत्रित नहीं किया जाता है और वहां पर जितनी भी यह मुआवजे की फाइलें होती हैं, वह सारी फाइलें दलालों के घर पर पड़ी रहती हैं। अगर आज की तारीख में यू.आई.टी. में छापा डलवा दिया जाए और फाइलों की अगर जांच करवाई जाए तो मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि 60-70 परसेंट फाइलें आज भी यू.आई.टी. के दलालों के घरों पर आपको मिलेंगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): पिछले पांच साल भी यही होता था क्या?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्षजी, पांच साल तो क्या हुआ, उस कारण से छोटी-मोटी कमी रह गयी तो हम इधर बैठे हैं, आज जो इधर बैठे थे, वह उधर बैठे हो तो आपकी जो जिम्मेदारी है न, उस जिम्मेदारी को आप समझिए, आप आज भी विपक्ष में हैं क्या? आप सत्ताधारी दल के हैं, आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। आप जिम्मेदार आदमी हैं। आप प्रदेश कांग्रेस के मुखिया भी हैं और हमारी सरकार के मंत्री भी हैं। अगर आप यह बार-बार पांच साल, पांच साल की चिल्लाओगे तो पांच साल तो निकलने में आपके, आप क्या करोगे यह चिंता करो आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चेयर की तरफ इंडिकेशन करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, हमारे शहर में यह सीवरेज का कार्य चल रहा है पांच साल से, उस सीवरेज के कार्य में दो साल तक तो जो गति चली, वह यह तय किया गया था कि जिस एरिया में काम चलता है, उस एरिया का सम्पूर्ण काम होने के बाद ही आगे के एरिये में जाएंगे लेकिन इन कंपनियों ने जैसे ही सत्ता बदली, न जाने क्या सैटिंग हुई इनकी कि इन्होंने काम को धीमा कर दिया और आज शहर की यह हालत है कि अब उनका टाइम पूरा हो रहा है और वह पूरा शहर उधेड़ कर रख दिया है। हमने कलेक्टर से शिकायत की, कलेक्टर ने मीटिंग भी की है, लेकिन

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पूरे शहर की जो हालत सीवरेज वालों ने की है, पूरा शहर उधेड़कर रख दिया है। सीवरेज वालों को पाबंद किया जाये कि जो नुकसान वह करते हैं, उनकी शर्तों में लिखा हुआ है कि जो सड़कें वह तोड़ेंगे, उन सड़कों को वह नया बनाएंगे। लेकिन, वह क्या करते हैं कि मशीन से कट लगाते हैं और मशीन से जितना कट किया है, वह उतना रोड ही वापस सही करके चले जाते हैं और वह भी इस तरह से करते हैं कि 10 दिन में उनमें गड्ढे पड़ने लग जाते हैं तो पूरा शहर, जो सही तरह से व्यवस्थित सड़कों का शहर था, वह पूरा शहर अव्यवस्थित हो चुका है। इन गड्ढों को और सीवरेज खोदने वालों को हमने पाबंद नहीं किया तो यह बड़ा नुकसान हमारे शहर को होगा। इसलिए, मेरा सरकार से आग्रह है सीवरेज कंपनी को पाबंद किया जाये कि किस तरह से वह क्वालिटी का काम करें, जिससे हमारी सड़कें वापस सही हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे शहर में 40 से ऊपर प्राइवेट कालोनियां हैं। उन कालोनियों के बारे में मैंने पहले प्रश्न भी लगाये थे, माननीय मंत्रीजी ने मुझे आश्वस्त भी किया था कि इन प्राइवेट कालोनियों में जब एक बार सफाई की, बिजली की, सड़कों की व्यवस्था अगर वह कालोनाइजर कर देता है तो उसके बाद सरकार उन व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेगी, यह मुझे आश्वासन मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्रीजी ने दिया था। आज भी मेरे शहर की 50 हजार की आबादी के लिये न तो वहां कोई सफाई की व्यवस्था होती है प्राइवेट कालोनियों के नाम पर, न तो नगर परिषद् के पास लिखा हुआ है कि प्राइवेट कालोनियों में आप सफाई नहीं करोगे। यू आई टी के पास भी लिखा हुआ है कि आप नहीं करोगे, दोनों लीपापोती करते हैं। 50 हजार की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी होती है, उनके लिये सफाई की व्यवस्था, उनके लिये बिजली की व्यवस्था, उनके लिये सड़कों की व्यवस्था की आवश्यकता है। मेरे शहर में चंबल पेयजल योजना लागू है। पूरा शहर चंबल की पेयजल योजना से पानी पी रहा है, लेकिन उन 50 हजार की आबादी को आज भी प्राइवेट कालोनियों के नाम पर चंबल के पानी से नहीं जोड़ा जाता। यू आई टी ने, सरकार ने, प्रशासन ने, सबने स्वीकृति दे दी। यू आई टी ने सात करोड़ रुपया सैंक्शन भी कर दिया, लेकिन वह काम चालू नहीं हुआ है। मेरा सरकार से आग्रह है, कृपा करें और जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं- बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल, उन पर ध्यान देते हुए इन प्राइवेट कालोनियों को भी इन सुविधाओं से जोड़ा जाये जिससे हम शहर को

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

बराबर विकास की ओर ले जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पुर में मकान हैं। वहां चार हजार मकानों में दरारें आयी हैं। मेरे यहां उपनगर पुर है। मुख्य मंत्रीजी वहां स्वयं पधारे थे। उन्होंने वहां मौका देखा था। वह पुर के चार हजार मकानों में जब समझौता हुआ, मैंने 50 दिन का धरना दिया था, उस धरने के बाद जो हमारी संघर्ष समिति थी, उसका प्रशासन के साथ बैठकर समझौता हुआ। मुख्य मंत्रीजी ने पुर को आश्वस्त किया था कि आपको इसका पूरा मुआवजा मिलेगा और उन्होंने आदेश भी दे दिये थे लेकिन, यू आई टी के साथ, जिला प्रशासन के साथ जो हमारा समझौता हुआ था, उसमें लिखा था कि हम नि:शुल्क प्लाट देंगे लेकिन, अब उन्होंने अब पलटी मारते हुए 100 रुपये वर्ग फीट की जमीन का पैसा लेना शुरू किया, जिससे एक भी व्यक्ति उन मकानों को लेने को तैयार नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जब मुख्य मंत्रीजी स्वयं पधार गये हैं तो बहुत गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय को लेना चाहिए और हमारे चार हजार मकानों के मुआवजे की जो मांग है, वह नया पुर बसाने की जो योजना है, नि:शुल्क योजना के तहत उनको वापस पट्टे दिये जाएं। जो समझौता हुआ, उसके तहत मैं आपसे मांग कर रहा हूं। उस समझौते को सम्पूर्ण लागू करके इस समस्या का समाधान आप कृपा करके करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है और एशिया के सबसे ज्यादा व्हीकल मेरे भीलवाड़ा शहर में हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक आर.ओ.बी. का निर्माण, मेरे रेलवे लाइन जाती है, वह शहर को दो बराबर भागों में विभक्त करती है, करीबन 50-60 यात्री ट्रेनें निकलती हैं और 60-70 ही हमारे मालगाड़ियां निकलती हैं। पूरे दिन वह फाटक बंद रहता है और पूरा शहर अव्यवस्थित हो जाता है। 100 गाड़ियां अगर कहीं से निकलेंगी तो आप समझ लीजिए कि 24 घंटे में कितनी बार वह फाटक बंद होता होगा। अगर वहां पर एक आर.ओ.बी. का निर्माण होता है तो मेरा आपसे आग्रह है, बजट में भी मैंने मांग की थी, मैंने बजट की डिमांड पर बोलते हुए भी मांग की थी, आज फिर मैं मांग कर रहा हूं कि वहां पर एक आर.ओ.बी. का निर्माण अगर रेलवे लाइन के ऊपर से हो जाएगा शहर के मध्य में, चाहे रामधाम पर हो, उससे हमारे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुचारु हो जाएगी और सारा ट्रैफिक व्यवस्थित हो जाएगा। आप सब कृपा करें

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

और इन बातों पर गंभीरता से विचार करके निर्णय करें। यह गोविन्द सिंहजी फिर बात करने में लग गये, आप बात पूरी सुनते नहीं हो और फिर बाद में डिस्टर्ब करते हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सरकार है और हमारी इतनी वाजिब डिमांड है। इन मांगों को पूरा करिये जिससे आने वाले पांच सालों में हम आपको नहीं कह सकते कि आपने पांच साल तक क्या किया? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, अंतिम मेरी एक बात और है। मेरा शहर पैरीफेरी जो एरिया है, वहां पर यू आई टी है। पैरीफेरी के नाम पर यू आई टी का अधिकांश पैसा हमारे पैरीफेरी में राजनीतिक दखल के माध्यम से लग जाता है तो शहर का विकास अवरुद्ध होता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि यू आई टी को पाबंद किया जाये, एक परसेंटेज फिक्स किया जाये कि शहर में कितना पैसा लगेगा। इनकम सारी शहर से होती है और पैसा पैरीफेरी में लगता है, पंचायतों में लगता है तो शहर का विकास अवरुद्ध होता है। आप बैठकर करें, उसमें हम विधायकों को भी शामिल किया जाये कि किस तरह से यह व्यवस्थाएं होंगी, कितना परसेंट पैरीफेरी में लगेगा, कितना शहर में लगेगा। एक बजट फिक्स किया जाये जिससे शहर का विकास सुनिश्चित हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुतबहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल में सब जगह नगरपालिकाओं ने जो काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया। जो सफाई की व्यवस्था थी, जब सब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब भी मजदूरों ने, स्वीपरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर व्यवस्था की। सभापति महोदय, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और ऐसे जो कर्मचारी हैं, उनके लिये सरकार को कुछ करना चाहिए। उनके प्रमोशन किये जाने चाहिए और उनकी तनख्वाह बढ़ायी जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में जो गांव हैं, पहले पंचायत बनी थी, पंचायतों के कुछ गांव अब बाजारों के अंदर आ गये हैं, माननीय सभापति महोदय, उनमें विकास नहीं हो पाता है। ग्राम पंचायत के पास इतना पैसा नहीं है और जब इतना पैसा नहीं होता तो नगरपालिका का

(श्री गिर्राज सिंह)

काम हो जाता है और ग्राम पंचायत का काम अधूरा पड़ा रहता है। ऐसे काफी गांव हैं जो नगरपालिका के अधीन आ चुके हैं तो ऐसे गांवों को, ग्राम पंचायतों के गांव हैं, जो नगरपालिका से लगे हुए हैं, वह सभी मिलाये जायें, उनको नगरपालिका में सम्मिलित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, 'प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग' चलता था। मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इस तरह के जो कैम्प हैं उन कैम्पों को दुबारा से चालू कराये जायें। इससे गरीब लोगों को पट्टे, कन्वर्जन का काम है, वह बार-बार आफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं तो थोड़ी सी उनको मदद मिलेगी। उनको आफिस में नहीं भागना पड़ेगा और नगरपालिका में भी आय के संसाधन बनेंगे। पैसे की कमी हर जगह है। माननीय सभापति महोदय, जब पैसा ही नहीं है तो नगरपालिका कहां से काम कराएगी इसलिए, नगरपालिका की आय बढ़ाने के लिये ऐसे कैम्प लगाने चाहिए और ऐसे नगरपालिका क्षेत्र में जो सरकारी जमीन है, उन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां बाड़ी में भी कब्जे कर रखे हैं। मेरा तो एक सुझाव है कि अपनी नगरपालिका की जो कीमती जमीन है, नगरपालिका क्षेत्र में चाहे कोई भी प्रोपर्टी हो, वह सभी बहुत कीमती हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, जो ऐसी कीमती जमीन है नगरपालिका की, उन सबकी जमीनों की बाउंड्रीवाल करायी जाये ताकि कम से कम हमको मालूम तो पड़े कि यह हमारी नगरपालिका की सम्पत्ति है और यह सेफ है। पता ही नहीं, किसी ने मकान बना लिया, कोई खेती कर रहा है, किसी ने प्लाट काट-काटकर बेच दिये। हमारे धौलपुर के अंदर कुछ भूमाफियाओं ने नगरपालिका की जमीन दिखाकर उसकी रजिस्ट्री करा दी और लोगों ने वहां पर मकान बना लिये। गांव के लोगों को क्या मालूम कि यह किसकी जमीन है। अब नगरपालिका उनको नोटिस दे रही है, उनको तुड़वा रही है। इनके लिये कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए जो गांव के लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं है और भूमाफियाओं ने जमीन के नाम उनके साथ धोखा कर दिया। उनको नगरपालिका की जमीन बेचकर पैसा ले लिया। वहां पर उन्होंने मकान बना लिये और नगरपालिका उनसे कोई पैसा जमा करेगा नहीं, ऐसा सिस्टम किया जाये। जो गरीब लोग हैं, एक बार कैसे मकान बना पाते हैं, सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि ये काफी चीजें हैं, इस समय जनता परेशान है।

(श्री गिर्राज सिंह)

नगरपालिका में जो अपने कैम्प लगे हैं, हाई कोर्ट में रोक लगी है, क्या लगी है, इसके लिए मंत्री जी पैरवी करें और जो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर रोक लगी है, उनको चिह्नित कर लें। अपने जो महानगर हैं, बाकी प्रदेश में हर जगह तो ऐसी हालत नहीं है जो जयपुर में है, तो ऐसी जगह जो अपने को दिख रही है कि अपने बड़े-बड़े शहर हैं, जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है या कोई भी है, तो ऐसी जगहों को छोड़कर अपन बाकी जगहों में काम करें तो लोगों को थोड़ी-सी राहत मिलेगी और उस नगरपालिका के पास भी पैसे आयेंगे।

एक, सभापति महोदय, बाजार के अन्दर जो आवारा सांड घूम रहे हैं, ये मोदी जी की देन हैं। कैसे उन्होंने सब-कुछ करा दिया, सब गौ माता की रक्षा कर दी, सब नंदियों की कर दी, उन्होंने वादे तो खूब जोरदार बहुत अच्छे अच्छे किये, चुटकी भी खूब लेते हैं। कोई मन्दिर का नाम लेगा, कोई कोई का लेगा और मन्दिर में जाओ तो अगर इन्हें पूछें तो इनमें कोई मन्दिर में जाकर पूजा करने, अगरबत्ती लगाने भी नहीं जाते हैं, सिर्फ चुनाव आते हैं तब ड्रामा करते हैं मन्दिर का नाम लेकर।

सभापति महोदय, कुछ ऐसी मांगें हैं जो हमारे बाड़ी नगरपालिका में काफी समय से चली आ रही हैं। 1953 में हमारे यहां बाड़ी में नगरपालिका बनी है तब से आज तक सरकारी कर्मचारियों के तो रिटायरमेंट ही हो गये, घर चले गये, उनके कई बार प्रमोशन हो गये होंगे, अभी तक नगरपालिका वहीं की वहीं है, सी की सी में पड़ी है। सभापति महोदय, तो मैं मांग करता हूं कि उसको बी में क्रमोन्नत किया जाए।

सभापति महोदय, बाड़ी की 2011 की जनसंख्या 63 हजार है, अब लगभग एक लाख के करीबन है तो एक सीवर की पाइप लाइन डल जाए।

एक, सभापति महोदय, बीच मार्केट में पानी भरा रहता है, उस जगह को हौद कहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ पैसों की मांग करता हूं कि बाजार में जो गंदगी हो रही है, उससे हमें थोड़ी-सी मदद मिलेगी और सुंदरता बढ़ेगी। सभापति महोदय, उसके लिए कोई ऐसा फंड मिले।

एक, सभापति महोदय, जो भवन है, हमारे यहां अभी तक कोई नई बिल्डिंग नहीं बनी, जो राजा-महाराजाओं के जमाने के पुराने किले हैं उन्हीं में अभी हमारी नगरपालिका चल रही है, अभी उन्हीं में बिल्डिंग है। सभापति महोदय, उनकी हालत ऐसी है कि वो जब कभी भी मीटिंग करते हैं तो कोई

(श्री गिर्राज सिंह)

एक पत्थर इधर से गिर जाता है, कोई कहीं से गिर जाता है तो ऐसी व्यवस्था में कोई न कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इसके लिए कोई नया भवन बनाया जाए।

एक, सभापति महोदय, बाड़ी नगरपालिका में हमारे जो काम हुए पड़े हैं और पैसा है नहीं, दस करोड़ रुपये की तो अभी हमारी नगरपालिका कर्जे में डूबी है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो काम और विकास होगा वो तो बाद में हो जाएगा, जो ठेकेदार वहां पर रोजाना चक्कर लगाते हैं, वहां पर रोजाना झगड़ा होता है, कोई ई.ओ. से झगड़ा होता है, कोई जे.ईएन. से झगड़ा होता है, कहीं किसी से होता है, सभापति महोदय, दस करोड़ की देनदारी है।

एक, सभापति महोदय, बाड़ी में नगरपालिका की जो सड़कें हैं, नगरपालिका के पास कोई पैसा नहीं है तो वो सभी रोड खराब पड़ी हैं, नयी रोड बनायी जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो मांगें रखी हैं वो सभी मांगें ऐसी नहीं हैं कि कोई गलत मांग हों, सभी जायज मांगें हैं तो मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि व्यवस्था करें और थोड़ी-सी हमारी मदद करें। अगर हमारी मदद करेंगे तो मैं आपसे निश्चित कह रहा हूं कि मंत्री जी का भी यहां प्रमोशन होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि यूनेस्को ने पिछले साल जयपुर शहर के परकोटे को वर्ल्ड हैरिटेज सूची में शामिल किया था परन्तु यह अफसोस की बात है कि परकोटा क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। हैरिटेज हवेलियों को व परकोटे को जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया जाता है, यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। एक माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि परकोटा क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण का सिलसिला जारी है। मंत्री जी ने विधान

(श्री कालीचरण सराफ)

सभा में स्वीकार किया कि ड्रोन सर्वे में परकोटा क्षेत्र में 3130 अवैध निर्माण इन्होंने चिह्नित किये हैं और यह भी कहा कि हमने 739 को नोटिस दिये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 3130 अतिक्रमण चिह्नित किये हैं तो केवल 739 को ही नोटिस क्यों दिये गये? मैं मांग करना चाहता हूं कि विश्व विरासत में जयपुर का नाम कटे नहीं, इसके लिए एक अभियान चलाकर परकोटा क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण, चाहे वो किसी का भी, किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का हो, सरकार उसको हटाने का काम एक अभियान चला करके करे और जहां तक हमारा सवाल है, विपक्ष के लोग भी इसमें आपका सहयोग करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कई दिनों से आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे कि जयपुर शहर के परकोटे के अन्दर पौण्ड्रिक पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है और जैसा सांगानेर से आने वाले विधायक ने बताया कि यहां कई ऐतिहासिक तथ्य इस पौण्ड्रिक पार्क से जुड़े हुए हैं। हरियाली से भरपूर पार्क है, उसमें पचासों हरे पेड़ हैं, उसमें सुबह-शाम लोगबाग घूमने के लिए आते हैं और स्थानीय नागरिकों के लिए यह पार्क फेफड़ों का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस उद्यान में वाहन पार्किंग का निर्णय किसके इशारे पर किया गया? पौंड्रिक उद्यान के 500 कदम की दूरी पर चौगान में पार्किंग बनी हुई है और उसमें लगभग 630 वाहन क्षमता, यानी वहां 630 फोर व्हीलर खड़े हो सकते हैं, इसी प्रकार से वहां से दो मिलोमीटर दूर रामनिवास बाग में 1,500 वाहनों की पार्किंग है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो चौगान की पार्किंग है उसमें आक्यूपेंसी केवल 15 परसेंट है और जो रामनिवास बाग़ की 1,500 वाहनों की पार्किंग है वहां पर भी 40 परसेंट से ज्यादा आक्यूपेंसी नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं आप किसके निर्देश पर, किसकी सनक पर वहां पार्किंग का निर्माण करना चाहते हैं? सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय है कि कोई भी हरा-भारा पार्क है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि पौंड्रिक उद्यान में पेड़ों को काटकर, हरियाली को नष्ट करके वहां पार्किंग बनाये जाने का निर्णय किया?

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 2401 करोड़ रुपये का टोटल बजट यहां पर प्रस्तावित हुआ और इसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम तीनों की हिस्सेदारी है और स्मार्ट सिटी में यह निर्णय किया गया

(श्री कालीचरण सराफ)

कि जयपुर का हैरिटेज स्वरूप और निखरे, इसके लिए यह 2401 करोड़ रुपया यहां पर स्वीकृत किया गया।

(16.00 बजे)

इसमें यह कहा गया कि 1500 करोड़ रुपये तो जयपुर शहर के हैरिटेज को संरक्षित रखने के लिए और 900 करोड़ रुपये जयपुर शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इसमें खर्च किए जाएंगे। यह पूरी योजना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बोर्ड ने बनाई है। उसका राज्य सरकार से भी अनुमोदन करवाया और केन्द्र सरकार से भी अनुमोदन करवाया। उसमें सांसद भी मैम्बर हैं और 3-4 विधायक भी मैम्बर हैं। मैं भी उसका मैम्बर हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के, अब राज्य सरकार की अनुमति है कि नहीं है, यह तो मंत्री जी बताएंगे, उसमें कैसे यह परिवर्तन हो गया? पौण्ड्रिक पार्क में यह कम्युनिटी हाल और पार्किंग बनाए जाने का निर्णय हुआ, यह किसके इशारे पर हुआ? इसको निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी की जो योजना बनी थी, उसमें शहर के परकोटे को संरक्षित करना, मुख्य बाजारों के बरामदों को संरक्षित करना, भूमिगत 290 वर्ष पुराने नाले को दुरुस्त करना, परकोटे की मुख्य सड़कों का नवीनीकरण करना, परकोटे की बावड़ियों, झीलों आदि को दुरुस्त करना एवं संरक्षित करने का प्रावधान था। उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता के साथ करना था लेकिन निराशा से कहना पड़ रहा है कि इन सब कामों को नहीं किया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 4 साल में 2,401 करोड़ रुपये में से केवल 79 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। उसमें भी सब प्राथमिकताएं बदल दी गई हैं।

सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा कि पौण्ड्रिक पार्क में किसी भी हालत में पार्किंग और कम्युनिटी हाल नहीं बनाया जाए। यह फिजूलखर्ची है। इसको तुरंत राज्य सरकार द्वारा रोका जाना चाहिए। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी यह इच्छा है। वहां के जितने भी स्थानीय नागरिक हैं, वहां के जो नगर निगम के पार्षद हैं, वहां के जो पूर्व विधायक हैं, वहां कभी सद्बुद्धि यज्ञ हो रहा है। कभी महिलाएं वहां पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। कभी यह संकल्प लेती हैं कि हम यहां किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। आखिर

(श्री कालीचरण सराफ)

आप क्यों बनाना चाहते हैं? वहां की स्थानीय जनता नहीं चाहती तो वहां पौण्ड्रिक पार्क का आप क्यों सत्यानाश करने में लगे हुए हैं? इसका जवाब निश्चित रूप से सरकार दे।

सभापति महोदय, दूसरी जो समस्या जो जयपुर शहर में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में महेश नगर और स्वेज फार्म के बीच में करतारपुरा बरसाती नाला बहता है। इसके दोनों तरफ 60 से ज्यादा कालोनियां हैं। उनमें लगभग 50 हजार लोग रहते हैं। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने 21 करोड़ रुपया वहां पर सैंक्शन करवाया था कि यहां दोनों तरफ जो कालोनियां हैं, उनके सीवरेज का पानी नाले में गिरता है। वहां सीवरेज लाइन डाली जाए और छोटे-छोटे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं जाएं। उसका काम भी चालू हो गया था लेकिन पता नहीं कैसे जैसे ही सरकार बदली, वह काम बंद हो गया। आज उस नाले की यह स्थिति है कि वह नाला अब नाली बनता जा रहा है। वहां अतिक्रमण हो रहे हैं। जेडीए को हमने कई बार कहा। मैं स्वयं जाकर जेडीसी से मिला कि आप यह जो नाले में अतिक्रमण हो रहे हैं उनको रोकिए। उनका एक ही जवाब है कि नाले को हम रोक तो देंगे, लेकिन इसमें निजी खातेदारी की जमीन है। यदि निजी खातेदारी की जमीन है, उनको यदि मुआवजा देना है तो मुआवजा दीजिए। लेकिन यदि अतिक्रमण हो गया, अभी 14 अगस्त को बरसात आई थी, वह तो भगवान ने बचाया कि 1981 जैसी बाढ़ नहीं आई, तो वहां पर दोनों तरफ के मकानों में पानी भर गया। 3-3 दिन तक वहां से पानी नहीं निकला। मेरा यह कहना है कि उस नाले के पास जितने अतिक्रमण हैं, उनको हटाया जाए। उस नाले का डिमार्केशन किया जाए। उसमें दोनों तरफ पक्की दीवार बनाए जाए जिससे कि अतिक्रमण नहीं हो। जो सीवरेज का काम कालोनियों के अंदर चालू हुआ था, उसको पुन: चालू किया जाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। बदबू से लोग-बाग़ परेशान रहते हैं, उससे उनको निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, जेडीए के बारे में यहां पर कई बातें बताई गई। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि पिछले 5 साल में जेडीए ने कौन-कौनसे प्रोजेक्ट प्रारम्भ किए और उनकी जो डैड लाइन थी पूरा होने की, उसमें कितने काम पूरे हुए और कितने नहीं हुए? जो जवाब आया है मेरे पास, वह मैं बताना चाहूंगा। पहला प्रोजेक्ट द्रव्यवती नदी पुनरुद्धार योजना, 16 अक्टूबर,

(श्री कालीचरण सराफ)

2018 को काम पूरा होना था, जवाब आया, कार्य प्रगति पर है। अभी तक दहलावास का जो एसटीपी प्लांट लगना था वह नहीं बन पाया और उसके कारण सीवरेज का सारा पानी द्रव्यवती नदी में डलता है और वह पानी प्रदूषित होता है। इसी प्रकार अम्बेडकर सर्किल से सोडाला तिराहे तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य 9 जनवरी, 2019 तक इसको कमप्लीट होना था। उसके बारे में भी जवाब आया कि कार्य प्रगति पर है। जयपुर-सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर स्थित समपार फाटक 70, सीतापुरा पर 6 लेन के आरओबी का निर्माण कार्य, यह काम 29 मई, 2018 को कमप्लीट होना था। इसका भी जवाब आया है कि कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में स्थित झोटवाड़ा आरओबी के समानांतर पंचायत भवन से अंबा बाड़ी टी जंक्शन तक 3 लेन के नए आरओबी का निर्माण कार्य, 13 दिसम्बर, 2020 तक काम कमप्लीट होना था। इसका भी जवाब आया कि कार्य प्रगति पर है। समपार फाटक संख्या 200, बस्सी पर 4 लेन के आरओबी मय अंडर पास का निर्माण कार्य 17 जनवरी, 2019 को कमप्लीट होना था, कार्य प्रगति पर है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कार्य एक वर्ष में कम्प्लीट होना था। इसका भी कार्य प्रगति पर है।

एक भी काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रारम्भ हुआ, वह अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ। अब नई योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आज वह बात नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आज वह बात नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अच्छा, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, अभी ठहर जाओ जरा। आप चिंता मत करो। आपको जेडीए से कोई मतलब नहीं है। जेडीए के बारे में एबीसीडी आपको पता नहीं है। आप लक्ष्मणगढ़ के विधायक हो। जयपुर के हो नहीं। आपको क्या पता कि जेडीए क्या है और वहां किस प्रकार से काम होता है। हां, धारीवाल जी होते तो निश्चित रूप से पता होता।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): प्रोजेक्ट तो 2018 में ही खतम हो जाते।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): विराजो, विराजो। आपका टाइम आए तब बताना।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप लिख ही नहीं रहे हो। नोट ही नहीं कर रहे हो। हमारे इतने सीनियर हैं यह। आप नोट तो करो। लिखो तो सही कम से कम।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यहां हजारों मकान इस प्रकार के हैं जो कृषि भूमि पर बने हुए हैं। हर बार जो भी सरकार आती है वह आदेश देती है कि इतने तारीख तक जो मकान निर्माण हो गए, उनका नियमन किया जाएगा। यह सरकार ने भी आदेश निकाला कि 1999 तक जितने मकान बने हुए हैं, उनका नियमन किया जाएगा। हम लोगों ने मांग की कि 1999 की तारीख आप कहां से लाए? आज तक जितने मकान हैं उनको करो। सरकार ने माना। अब यह नया आदेश निकला है कि 2018 तक जितने भी मकान बने हैं, उनका नियमन किया जाएगा लेकिन उसमें एक लफड़ा और डाल दिया कि 1999 तक की तो नियमन राशि यह रहेगी और उसके बाद जो नियमन होगा, उसकी राशि में उन्होंने नियमन की 10 परसेंट रेट बढ़ा दी। 1999 तक के मकानों का नियमन कर रहे हो तो उसी रेट में 2018 तक के यदि नियमन कर दोगे तो उसमें कहां दिक्कत आने वाली है?

इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में लाल कोठी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 13 आवासीय कालोनियों, अभी जो आदेश निकला है उसमें आया है लाल कोठी क्षेत्र को छोड़कर, लाल कोठी के लोगों ने क्या गुनाह किया? जब आप पृथ्वीराज नगर में नियमन कर रहे हो, लाल कोठी की जो 13 आवासीय कालोनियां हैं, यह 850 भूखंडधारी हैं जिनमें से 258 को तो आपने पट्टे दे दिए। उनका तो नियमन कर दिया, बाकी का नियमन आपने नहीं किया तो मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार 2018 तक कृषि भूमि पर बनी हुई सब कालोनियों का नियमन आप कर रहे हो, इसकी जो घोषणा की है उसमें लाल कोठी क्षेत्र के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जयपुर शहर की जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से जयपुर शहर के आसपास के जो कस्बे हैं चाहे चौमूं है, अचरोल है, शिवदासपुरा है, बस्सी है, ऐसे जो कस्बे हैं इनको सैटेलाइट टाउन के रूप में डवलप किया जाना चाहिए। केवल वहां पर अपन मकान बना देंगे उससे मामला नहीं बैठेगा, इसके लिए आवश्यक है कि वहां पर सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(श्री कालीचरण सराफ)

मानननीय सभापति महोदय, जब मैट्रो चलाये जाने की बात हुई थी तो फर्स्ट फेज की बात हुई थी तो हमने कहा था कि आपने जो रूट तय किया है फर्स्ट फेज का, वह घाटे का सौदा है, यहां ट्रैफिक नहीं है पर नहीं माने, झूठी वाहवाही लेने के लिए कर दिया, 35 करोड़ रुपये पर ईयर। अधिकारियों ने कहा कि 45 हजार का ट्रैफिक रहेगा, अब है आज 15 हजार, यानी 35 करोड़ रुपया पर ईयर यहां पर घाटा हो रहा है। अभी भी जो सैकंड फेज की डीपीआर बनी है। मुख्य मंत्रीजी ने जो यहां पर घोषणा की सैकंड फेज की डीपीआर बनाई जाएगी और सैकंड फेज का काम भी चालू करेंगे तो आप यह देखिये कि उसमें भी केवल सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से अम्बाबाड़ी तक, यह फिजिबल नहीं रहेगा, उसमें आपने अजमेरी गेट से नहीं निकालकर अशोक मार्ग से निकाल दिया। मेरा कहना यह है कि मैट्रो का रूट आप सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से एयरपोर्ट होते हुए फिर अजमेरी गेट होते हुए एमआईरोड फिर आप सीधा चौमूं तक ले जाओ तब तो यह फिजिबल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कनक्लूड करें। आप बहुत सीनियर हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या हुआ? टाइम हो गया क्या?

श्री सभापति: मेरा आग्रह है आपसे कि आप बहुत सीनियर हैं, दो मिनट में आप समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां, माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में आवासन मंडल ने मालवीय नगर इलाके में जो कालोनी बसाई, वहां पांच वार्ड हैं नगर निगम के, वहां पर सीवरेज लाइन, चूंकि उस समय 20 हजार की पापुलेशन थी, सीवरेज लाइन छोटी थी, आज आये दिन वहां पर सीवरेज लाइन जाम होती है तो मेरा कहना यह है कि वहां एक लाख से ज्यादा पापुलेशन उस क्षेत्र की हो गई है तो वहां यदि सीवरेज लाइन का काम बढ़ाया जाएगा, नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से रिंग रोड का मामला है।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, गायों को पकड़ने का काम, अभी हमारे मलिंगा साहब बोल रहे थे, अब आप गायों का पकड़ने का कहते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है। गायों को पकड़ो पर उनके लिए व्यवस्था तो करो। मैं चाहूंगा कि जयपुर के चारों ओर आप डेयरी काम्प्लैक्स डवलप करें, वहां पर सब सुविधाएं उपलब्ध करायें और फिर सख्ती के साथ जितनी भी गायें पाली जाती हैं उनको आप वहां शिफ्ट करें। तब तो गायें शिफ्ट होंगी अदरवाइज नहीं होंगी। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। जयपुर शहर में जो मूर्तिकार हैं, संगमरमर की जो मूर्तियां बनती हैं, वो जयपुर शहर का विश्व प्रसिद्ध उद्योग है, करोड़ों रुपयों की मूर्तियां यहां पर एक्सपोर्ट होती हैं, करोड़ों रुपये की मूर्तियां यहां से पूरे देश में जाती हैं तो इस मूर्तिकला के लिए आप जयपुर से बाहर एक जगह निर्धारित करके डवलप करें और सर्वे करके ऐसे मूर्तिकारों को वहां से शिफ्ट करें क्योंकि शहर के अंदर रोज डिस्टर्बेंस होता है, स्थानीय नागरिक विरोध करते हैं इसलिए ये बनाकर किया जाए। आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री रफीक खान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, बहस चल रही है, एक भी काबीना मंत्री सदन में नहीं है, एक भी। ऐसा पहले कभी हुआ हो तो बताओ। (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं बैठा हुआ हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप बताओ, कहां बैठे हैं ये? (व्यवधान) ये तो वहां बैठे गप्प-सड़ाके कर रहे हैं। इनको अपनी सीट पर रहना चाहिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं तो सदन में ही हूं। मैं तो माननीय सदस्यों से उनकी टेबल पर जाकर सुझाव लेकर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

(श्री रफीक खान)

जयपुर शहर, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज सदन में चर्चा हो रही है और नगरीय आवास पर चर्चा हो रही है। गरीब आदमी तिल-तिल मरने को तैयार है, घर नहीं है, मकान नहीं है, कच्ची बस्ती में रह रहे हैं। सदन के एक भी माननीय सदस्य ने कच्ची बस्ती की बात नहीं उठाई। मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में बहुत सारी कच्ची बस्तियां हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह मैंने आपके लिए छोड़ दी है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सदस्य, आप बैठो। (व्यवधान) थारी बहुत सुन ली। मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में कच्ची बस्तियां हैं, कोई बात नहीं उठाई। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य सिर्फ अरबनाइजेशन की बात कर रहे थे, +++ उन्होंने भी कोई बात नहीं उठाई। विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य, उनके यहां बहुत सारी कच्ची बस्तियां, कोई कच्ची बस्ती की बात नहीं की। (व्यवधान) बैठ जाओ। (व्यवधान) बैठो, बैठो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय +++ या अपने शब्द वापस लें। ...(व्यवधान) ये अपने शब्द वापस लें या +++ (व्यवधान)

श्री सभापति: डिलीट कर दें। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं कनक्लूड करूंगा तो साबित हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): साबित करें आप। माननीय सभापति महोदय, आप यह तय करवाओ।

श्री सभापति: डिलीट करवा दिया।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ये कांग्रेस के, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, जो मर्जी आये ठोक रहे हैं। आप अपने मुद्दे की बात करो। सरकार इनके काम नहीं कर रही है, अभी तो फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे थे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, +++ हमारी आदत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने डिलीट करवा दिया है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अभी वहां तो फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहे थे और यहां आकर ताली बजवा रहे हो। वहां तो कह रहे थे कि मंत्रीजी सोने चले गये, क्या करूंगा बोलकर। अभी तो कह रहे थे कि मंत्रीजी सोने चले गये, फिर यहां आकर क्यों यह बात कर रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके कहने के पहले ही डिलीट करवा दिया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यहां का सारा काम धारीवाल साहब ने किया, कितना आप मेरे को बता रहे थे और वहां कैसे बोल रहे थे आप, दस आदमियों के सामने और यहां दूसरी-दूसरी बातें कर रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरी तरफ इंडीकेट करके बोलें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, चाहे टनल का मसला हो, चाहे लिवेटेड रोड का मसला हो, चाहे सेंट्रल पार्क का मसला हो, इनसे पूछें कि ये बनाई किसने? ये लोग बनाकर गये थे क्या? माननीय सभापति महोदय, पिछले तीस सालों में अठारह साल ये लोग सत्ता में थे, कोई काम नहीं किया इन्होंने जयपुर के लिए, कोई अरबन डवलपमेंट के लिए काम नहीं किया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सेंट्रल पार्क भैरोंसिंहजी की सरकार के समय में सैंक्शन हुआ, गलत बोल रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 1998 में जब कांग्रेस की सरकार आई, उसमें पहली बार धारीवालजी मंत्री थे, यही यूडीएच मंत्री थे, पालिसी को सरल बनाया गया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कालीचरणजी ने पहले तो कुछ किया नहीं और अब खड़े होकर बार-बार बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हजारों की संख्या में पट्टे बनाकर भू-स्वामियों को दिये गये, रिलीज किए गए। पहली बार ऐसा काम हुआ। उससे पहले किसी आदमी के पास तीन करोड़ का, पांच करोड़ का मकान हो, दो रुपये लोन नहीं देता था माननीय सभापति महोदय, कोई बैंक। ये धारीवाल साहब थे जिन्होंने यह काम किया और लोगों को लोन मिलना शुरू हुआ और उससे उनके शादी ब्याह निपटने शुरू हुए। कोई रैगुलराइजेशन का काम नहीं था। इन्होंने क्या काम किया, अभी मैं बताऊंगा तो ये सारे के सारे फिर खड़े होंगे।

(श्री रफीक खान)

सेंट्रल पार्क को प्रोपर्टी बनाकर प्लाट काटकर बेच रहे थे ये लोग। लोग सड़कों पर आ गये, पार्क में लेट गए आकर। इनका बस चलता, इनका बस चलता तो ये सेंट्रल पार्क को बेच देते। (व्यवधान) सेंट्रल पार्क को बेच देते। ये सब गवाह हैं, ये सारे गवाह हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): भंवरलालजी शर्मा उस समय स्वायत्त शासन मंत्री थे, उस समय सेंट्रल पार्क बनाया था, आपको पता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तशरीफ रखिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पौण्ड्रिक पार्क में पार्किंग, आपका बस चलता, आप लोग सेंट्रल पार्क को बेच देते। माननीय सदस्य, नरपतसिंहजी गवाह हैं विद्याधर नगर से आने वाले विधायक, ये बैठे चूरू से आने वाले विधायक, सबको मालूम है किसके लिए प्लाट काटे जा रहे थे। सेंट्रल पार्क कांग्रेस की सरकार आई, यही यूडीएच मंत्री थे जिन्होंने सेंट्रल पार्क को बचाया और राजस्थान की लाइफ लाइन बनी। मुझे खुशी है अनाउंस करते हुए आज कि इससे भी बड़ा पार्क आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में जामडोली में इसी बजट में घोषणा की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, गलत बात रिकार्ड में रखेंगे तो हम ऐतराज करेंगे। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): विराजो, विराजो, विराजो। बहुत देर से सुन रहे हैं आपको। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपको जानकारी ही नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बैठो, सारी जानकारी है। मेरे को सारी जानकारी है, प्रूफ दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सदस्य गलत बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इनको रामगंज के अलावा और कुछ पता नहीं है। सेंट्रल पार्क भैरोंसिंहजी ने बनाया था, भंवर लालजी शर्मा ने बनाया था। (व्यवधान) रामगंज के अलावा कोई बात पता नहीं है आपको। क्यों असत्य बोल रहे हो यहां पर? (व्यवधान) सदन में असत्य बोल रहे हो आप।

श्री सभापति: सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने ऑलरेडी कह दिया है डिलीट के लिए। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप असत्य बोल रहे हो, असत्य तो मत बोलो कम से कम, सदन की गरिमा रखो, असत्य मत बोलो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप माननीय सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप असत्य मत बोलो, रामगंज से बाहर निकलो। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ...(व्यवधान) और उसको बेचने वाले कौन थे, यह भी जानते हैं। बैठो।

श्री सभापति: जो इस तरह का कोई ठीक समझते हैं तो उसे डिलीट कर दें। (व्यवधान) मैंने आलरेडी कह दिया, मैंने आलरेडी कह दिया है श्रीमान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी दोबारा एक पाइंट पर और आ रहा हूं। (व्यवधान) ओजूं उछळोळा थे, ओजूं उछळोळा, बैठो, बैठो। (व्यवधान)

श्री सभापति: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने आलरेडी डिलीट करने के लिए कह दिया है। Please be seated. (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, ये बिना तैयारी के आते हैं। तैयारी के साथ तो आकर बोलें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सेन्ट्रल पार्क के लिए कहा जाता है, हमसे पूछें किसने बनाया। इनसे पूछें सेन्ट्रल पार्क जिसे जयपुर की लाइफलाइन कहते हैं, उसे किसने बनाया। (व्यवधान) बैठें, बैठें।

श्री सभापति: जो भी होगा, वह डिलीट कर दिया जाएगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इतिहास तो आपका ही रहा है। इतिहास में आपकी ही सरकारें रही हैं। आप आगे क्या करने जा रहे हैं, यह बताएं आप तो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, ये गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री सभापति: अगर कोई गलतबयानी होगी तो उसे enlist नहीं करेंगे। मैंने कह दिया है कि गलतबयानी होगी तो उसे enlist नहीं करेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कोई गलतबयानी नहीं है। मैं प्रूफ दे सकता हूं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): टेबल कर दें अपनी बात को साबित करने के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये बार-बार गलतबयानी कर रहे हैं सदन में।

श्री सभापति: प्लीज, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य आप तशरीफ रखें। मेरा आपसे आग्रह है। आप बहुत सीनियर हैं, 7-7, 8-8 बार जीते हैं। जयपुर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है, स्पेशली क्योंकि यह कैपिटल है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी डवलपमेंट के पाइंट्स हैं, उन्हें आप इंडीकेट करें, पर इंटरप्ट नहीं करें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सर, ये गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज, मैंने आलरेडी कह दिया। आप सीनियर हैं। मंत्री रहे हैं अनेकों बार। प्लीज।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मेरे यहां बगराना कच्ची बस्ती है, वहां पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी तो राजीव गांधी आवासीय योजना बनायी गयी। सभापति महोदय, 2 हजार फ्लैट बनाकर कमप्लीट कर दिये गये। अभी मालवीय नगर से आने वाले विधायक बोल रहे थे कि यह प्रोजेक्ट अक्टूबर, 2018 में कमप्लीट होना था। अक्टूबर, 2018 तक तो आप ही लोग थे। हम थोड़े ही थे। क्यों नहीं किया कमप्लीट? किसने मना किया था आपको? आप लोगों को करना चाहिए था। किससे सवाल कर रहे हैं? आपके टेन्योर में पूरा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ पूरा? सवाल किससे कर रहे हैं?

सभापति महोदय, राजीव गांधी आवासीय योजना बनायी और कमप्लीट की अपने टेन्योर में 2013 से पहले। इन्होंने पांच साल तक उसमें अलाटमेंट नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि उसका नाम राजीव गांधी आवासीय योजना था। गरीब लोगों को, कच्ची बस्तियों में रहने वालों को जंगल में छोड़ दिया। जो उनका हक मिलना चाहिए था, वह इन्होंने अलाट नहीं किया। सभापति महोदय, अभी यह आर्डर है मेरे पास। मैंने यह अलाटमेंट की कार्यवाही शुरू करवायी। अलाटमेंट की कार्यवाही कमप्लीट हो गयी। कोरोना के कारण वह डिले हो गयी। इस दरमियान दिल्ली से केन्द्र सरकार की चिट्ठी

(श्री रफीक खान)

आती है। भारत सरकार के शहरी मंत्रालय से और उसमें लिखा जाता है कि इन्हें अलाट नहीं किया जाए। इन्हें किराये पर दे दिया जाए। बगराना कच्ची बस्ती में 2 हजार फ्लैट राजीव गांधी आवासीय योजना में हमारी सरकार जब थी पिछली बार 2013 तक, तब बनकर कमप्लीट हो गये थे। पांच साल तक इन्होंने अलाट नहीं किया। अब जब हम अलाट करने लगे तो इन्होंने वहां से चिट्ठी भिजवा दी कि साहब, इनको किराये पर दे दें, अलाट मत करें।

एक भी आदमी ने कच्ची बस्ती के बारे में बात नहीं की। जयपुर में सैकड़ों कच्ची बस्तियां हैं। जवाहर नगर बाईपास के ऊपर कच्ची बस्ती है। पहले जब डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, उससे पहले यह मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य की कान्स्टीट्यूएंसी का भी पार्ट रहा है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं। कायदे से हम सबको मिलकर, फोरेस्ट की लैण्ड है, हमें डी-नोटिफाई करने की बात करनी चाहिए। दिल्ली से इन्हें परमिशन दिलानी चाहिए। हम यहां तैयार बैठे हैं इन्हें वहां बसाने के लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। 50 चिट्ठियां हमने लिख दीं कि इसे फोरेस्ट से डी-नोटिफाई किया जाए और राजस्थान सरकार इसके बदले में अलग से जमीन दे देगी और हम उन लोगों को वहां बसा दें। करीब एक लाख आदमियों का मसला है एक ही कालोनी के अंदर। उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे दूसरी बातों पर। अभी बहुत सारी बातों के दरमियान, यहां के जो सांगानेर से आने वाले विधायक तीन-चार मामलों में बहुत उछल-उछलकर बोल रहे थे, जबरदस्त।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यहीं हूं मैं, चिंता मत करें आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): घुटती सांसें, ये सांसें सेन्ट्रल पार्क से ही निकल रही हैं सारी। सेन्ट्रल पार्क की देन है यह सब। सभापति महोदय, पिछले टेन्योर में एलईडी लाइट का एक कम्पनी को कान्ट्रेक्ट दिया जाता है। ये मेयर थे जयपुर के। पूरे राजस्थान की लोकल बाडीज को काल किया जाता है। एक ही दिन जयपुर बुलाया जाता है और बुलाकर एक होटल में लंच का प्रोग्राम आर्गेनाइज किया जाता है और उसी दिन सारे एईओज से दस्तखत करा लिये जाते हैं फोर्सफुली, क्योंकि ऊपर से दिल्ली से डायरेक्शन आते हैं। कौन डायरेक्शन दे रहा था? किसके कहने से कर दिये एक ही दिन में? एक दिन में आपने सारी लोकल बाडीज के साइन करा लिये। क्या फार्मूला दिया, 77

(श्री रफीक खान)

परसेंट बिजली सेविंग की कम्पनी का माडल जयपुर में होते हुए, ये ही मेयर थे तब, 56 परसेंट वाली कम्पनी को दे दिया। पूरे राजस्थान का दे दिया और इस तरीके से दे दिया कि जो माडल मर्करी लाइट के लिए, हैलोजन लाइट के लिए बनाया हुआ था, जो लाइटों का डिस्टेंस, पोल्स की फिटिंग उनके लिए की हुई थी, उसके ऊपर एलईडी लाइट्स लगा दीं। उसे लगाने से उनके डिस्टेंस का फर्क पड़ गया। आज एक्सीडेंट के चांसेज बढ़ गये। कारण कि पोल में डिस्टेंस ज्यादा है। ब्लैक स्पाट्स बनते हैं। बीच में नजर नहीं आता, क्योंकि डिजाइन का फार्मूला दूसरा था और लगा दीं दूसरी। इनसे कोई पूछे किससे पूछकर लगा दीं? किसलिए लगा दीं आप लोगों ने? किसके कहने से दे दिया? कौन-सी ऐसी कम्पनी थी जिसे बिना कोई टेण्डर इन्वाइट किये एक दिन में ही सारे एईओज से साइन करवा लिये? यह सब राइटिंग में है। यह सब एक दिन के अंदर साइन किया हुआ है। फाइलों में मौजूद है। इन्हें मालूम है, पर इस पर आवाज नहीं निकलेगी इनकी। ये उठेंगे नहीं। बहुत देर से उछल रहे थे। इस बात पर आवाज नहीं निकलेगी। (व्यवधान) यह इनका फ्लाप जयपुर का पूरे राजस्थान में लागू कर दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, प्लीज। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कितने एक्सीडेंट हुए बताइए?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, आप आदेश करें इसकी वजह से कितने एक्सीडेंट हुए, बताइए। आप तो इसकी जांच कराएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय आप तशरीफ रखिए। आप बहुत बोल चुके।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आप आदेश दें इसकी जांच करवाएं। ढाई साल हो गये इनकी सरकार बने हुए। इसकी जांच करवाएं न। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, बाहर निकालें इन्हें। बार-बार बोल रहे हैं ये। माननीय सदस्य को ये बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, जांच कराएं न, ढाई साल हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप जयपुर के मेयर रहे हैं। प्लीज हाउस के इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को कन्टीन्यू करने दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये हमें प्रोवोक करेंगे तो हम बोलेंगे।

श्री सभापति: आप खुद मंत्री रहे हैं। तशरीफ रखें। प्लीज, प्लीज तशरीफ रखें।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, बाद में हम भी बोलेंगे। हम भी नहीं बोलने नहीं देंगे। बाद में बार-बार हम भी उठेंगे।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। आप तशरीफ रखें। प्लीज।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बोलते हैं तो हम उठते हैं क्या?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): चलो आज फिर मुस्कुराया जाए और कुछ लोगों को बिन माचिस ही जलाया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): दुबारा बोलें एक बार।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): चलो आज फिर मुस्कुराया जाए और कुछ लोगों को बिन माचिस ही जलाया जाए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, ढाई साल हो गये सरकार बने हुए। ये जांच क्यों नहीं करा रहे? चूड़ियां थोड़े ही पहन रखी हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बैठें, बैठें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यहां आरोप लगा रहे हैं, जांच कराएं न। ढाई साल हो गये आपकी सरकार बने हुए, जांच कराएं हिम्मत है तो। कैन्सिल करें आर्डर। यहां खाली भाषण देने से थोड़ी न कुछ होता है। सत्तापक्ष के विधायक हैं आप। भाषण मत ठोको। +++ मत बोलो।

श्री सभापति: सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज। You have interrupted so many times. आप यहां के मेयर रहे हैं। Please.

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सांगानेर वाले तो, ये क्या है +++ पर बोलकर चले गये सारा।

"चलो आज फिर मुस्कुराया जाए,
कुछ लोगों को बिन माचिस जलाया जाए।"

(श्री रफीक खान)

दो शब्द मैं मुख्य मंत्री जी और हमारे यूडीएच मंत्री के लिए बोलूंगा।

"जो फकीरी मिजाज रखते हैं,

अपनी ठोकर में ताज रखते हैं।

जिनकी कल पे निगाहें होती हैं,

वो मुट्ठी में आज रखते हैं।।"

कचरा निस्तारण पर बहुत बोल रहे थे। खूब बोले कचरा निस्तारण पर। किसने किया कचरा निस्तारण का प्रोग्राम? किसने दिया यह माडल? जब-जब जयपुर शहर सड़ेगा, आपके माडल की याद आएगी पूरे जयपुर शहर को। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हमारे टाइम जयपुर नम्बर वन आया था। अवार्ड लेकर आया था। आप लाएं न। आपकी सरकार लेकर आये अवार्ड। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जब-जब जयपुर शहर सड़ेगा, आपके माडल की याद आएगी। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अवार्ड लेकर आये हम। जयपुर को स्वच्छता का अवार्ड हमने दिलाया है। हिम्मत है तो आप दिलाएं न आपके निगम में। हमने अवार्ड दिलाया है जयपुर को नम्बर वन का। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य दोनों बोल चुके हैं। हमारे एक भी सदस्य ने यहां बीच में इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया है। आठ बार तो ये खड़े हो गये। क्या कोई स्प्रिंग लगी हुई है या आपने अलाउ कर रखा है? अगर ऐसी ही स्थिति होगी तो इनका एक भी आदमी सदन में नहीं बोल पाएगा पूरे दिनभर में। यह कौन-सा तरीका हुआ? ये बोल रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सभापति महोदय ने आपको अलाउ कर रखा है क्या? (व्यवधान) सुनने की क्षमता रखें। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जब-जब जयपुर शहर सड़ेगा, आपके माडल को याद किया जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इन्हें बाहर निकालें।

श्री सभापति: एक मिनट, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अनेकों बार मंत्री और एमएलए रहे हैं और आप इम्पोर्टेंट मेयर रहे हैं और सब जानते हैं आपने कितना अच्छा कार्य किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। जब आपका वक्त आये आप जरूर बोलें। मेरा आपसे बिलकुल कार्डियल निवेदन है कि बीच में इंटरप्ट न करें प्लीज। आप अनेकों बार मंत्री रहे हैं। आपको कोई शिकायत है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपने सही कहा है कि इंटरप्ट नहीं करना चाहिए पर माननीय सदस्य चार्ज लगा रहे हैं, अगर हिम्मत है तो जांच की भी मांग करें न सरकार से। जांच की बात करो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जांच के लिए मांग कर चुका हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अगर डायरेक्ट चार्ज हो तो मैं खुद कह रहा हूं। डायरेक्ट इंटरप्ट कर रहा हूं कि डिलीट करें अगर कोई चार्ज डायरेक्ट लग रहा हो तो। कोई चार्ज नहीं लगा रहे हैं और है तो मैं स्वयं उसको एंटर ही नहीं होने दे रहा हूं। प्लीज, कंटीन्यू।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, कोई चार्ज डायरेक्ट नहीं लग रहा। सभापति महोदय, जांच की बात है तो जांच कराएंगे। बैठो आप, आपको बोलने दिया था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): थोड़ा-सा सराफ साहब को चैक करवा लो, देखो थोड़ा तेज बोलने से सांस उठ रहा है, एक बार चैक करवा लो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरी चिन्ता मत करो, अगर ये डायरेक्ट प्रोवोक करेंगे तो उसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: ये खुद हैल्थ मिनिस्टर रहे हैं इनको पता है। माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, आप तो इनसे पहले हैल्थ मिनिस्टर रहे हैं, इनका विशेष ध्यान रखें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं, इनसे भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं। कच्ची बस्ती वालों के लिए अच्छे हृदय से सोचें।

श्री सभापति: प्लीज, कनक्लूड।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मिल-जुलकर प्रयास करें, यह कोशिश करें कि उनको उनके आशियाने मिल सकें।

श्री सभापति: कनक्लूड करें, सर।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कच्ची बस्ती वालों के लिए भी चार पंक्तियां कहना चाहता हूं-

'न जाने कैसे करता है भला ऐ खुदा तू हर इन्सां का,
किसी की आरजू बारिश की है और किसी को कच्चे मकान का डर है।
शहरों के अमीरों की क्या कहूं, कितना ऊंचा बसेरा है,
आती थी जिस मकां में रोशनी, अब उसको इन्हीं इमारतों ने घेरा है।'

श्री सभापति: माननीय, कनक्लूड करें प्लीज।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): तो मेरी बहुत मन से रिक्वैस्ट है, गुजारिश है कि हम सब मिलकर, आप भी आपके फोरेस्ट मंत्रालय को चिट्ठी लिखो, जवाहर नगर कच्ची बस्ती से मालवीय नगर से आने वाले विधायक बहुत अच्छे से परिचित हैं, जवाहर नगर कच्ची बस्ती को फोरेस्ट से डी-नोटिफाई किया जाए। मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उसके बदले में उनको दूसरी जमीन दी जाए और वहां रहने वाली एक लाख की आबादी को वहीं बसाया जाए।

श्री सभापति: लास्ट राउण्ड।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मेरा एक मुद्दा और है। सभापति महोदय, इकोलाजिकल जोन है आगरा रोड के ऊपर और दो-ढाई लाख से ज्यादा की आबादी बस चुकी है। जिस रिट की ये बात कर रहे थे उस रिट से वे भी अफैक्टेड हैं और एक लाख से ज्यादा मकान बन चुके हैं तो मेरी गुजारिश है मंत्री महोदय और सरकार से कि उन पर थोड़ा ध्यान दें और किसी तरह से उनको रैगुलराइज करने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, एक बात और सफाई कर्मचारियों पर कहना चाहूंगा। फिर ये हमारे सांगानेर वाले विधायक थोड़े से ऊंचे उछलेंगे। (व्यवधान) बोलने दो, थोड़ी शांति रखो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आज +++ खा ली इन लोगों ने।

श्री सभापति: +++ शब्द डिलीट कर देना।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों में नोर्मली जयपुर के अन्दर क्या होता है कि वाल्मीकि समाज के लोग काम करते हैं और उन्हीं को जोब दिया जाता था। इन्होंने अलग से भर्ती प्रक्रिया एडोप्ट करके उसमें जनरल लोगों को भी भर्ती कर लिया। उसके क्या दुष्परिणाम हुए कि वे जो सारे आदमी जो वाल्मीकि समाज से नहीं हैं, वे सफाई का काम तो करते नहीं हैं, कभी किसी से सिफारिश लगाकर, कभी किसी से सिफारिश लगाकर दफ्तरों और अन्यत्र स्थान पर ड्यूटी लगा लेते हैं, इससे सफाई की व्यवस्था अफैक्टेड होती है तो मेरी गुजारिश है कि आगे एक माडल उन्होंने दिया हुआ है कि जो भी वाल्मीकि समाज का आदमी आने वाले समय में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेता है तो उनके बच्चों को उसमें भर्ती कर लिया जाए जिससे जयपुर की सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। यह मेरी सदन से गुजारिश है और यह मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी की बात कर ली, हैरिटेज सिटी की बात कर ली, पर गरीब आदमी की कोई बात नहीं करना चाहता। दस हजार से भी ज्यादा जयपुर में स्ट्रीट वेंडर हैं और अलग-अलग जगह लोकेटेड हैं, पर उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मेरी गुजारिश है कि जो स्मार्ट सिटी का फार्मूला है जिसमें एरिया के आधार पर 5 परसेंट जमीन, 5 परसेंट लोगों को यह लोकेशन दी जाती है तो उसमें जल्दी से जल्दी स्टेप लेकर स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस दिए जाएं ताकि आने वाले समय में उनको बार-बार डिस-लोकेट नहीं होना पड़े और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारु रूप से चलती रहे।

सभापति महोदय, मेरे यहां गोविन्द मार्ग के ऊपर एक मार्केट, शॉपिंग मॉल बना हुआ है पिंक स्क्वायर शापिंग मॉल। सभापति महोदय, यह जमीन पहले सेठी कालोनी मेंटल हास्पिटल की जमीन थी, पर पता नहीं किस तरीके से क्या षड़यंत्र रचकर यह जमीन कैसे अलाट कर दी, तो इसकी जांच की मैं मांग करना चाहता हूं। मैं एक शेर बैठने से पहले इसी बारे में बोलना चाहता हूं -

"फलसफा समझो न असरारे सियासत समझो,
जिन्दगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो,
जाने किस दिन हो जाएं हवाएं भी नीलाम यहां,
आज सांस भी लेते हैं तो गनीमत समझो।"

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर के आस-पास अलग-अलग विधान सभा क्षेत्र के लोग चाहे उसका बालक-बालिका अच्छी शिक्षा प्राप्त करे तो शहर की ओर आता है या गांव में रहने वाला वह किसान का बेटा रोजगार की तलाश में जब अलवर शहर की ओर आता है तो वहां पर चाहे नगर विकास न्यास हो, उनके द्वारा कोई आवासीय योजना नहीं होने के कारण वह मजबूरीवश कृषि भूमि पर जो कालोनियां बसी हुई हैं या प्रोपर्टी डीलर्स द्वारा जो कृषि भूमियों पर प्लॉटिंग की जा रही है उस पर प्लाट खरीदता है क्योंकि वे सस्ती दर पर मिलते हैं। वह आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं होता है और जब सस्ती दर पर उसको प्लाट मिलता है तो उस पर वह मकान बनाकर वहां रहने लग जाता है। मकान बनाने के बाद जो उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वह सड़क के रूप में हो, चाहे नाली के रूप में हो, चाहे पार्क के रूप में हो, उन सुविधाओं से वह महरूम रह जाता है। अलवर विधान सभा क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा वर्तमान में दो योजनाएं चाहे विज्ञान नगर हो, चाहे शालीमार योजना हो, उसके अन्तर्गत आवासीय कालोनी बसाई जा रही है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह है, क्योंकि जिले का भार अलवर शहर के ऊपर है, अलवर शहर अलवर जिले का मुख्यालय है, इस नाते से और नई आवासीय कालोनी नगर विकास न्यास, अलवर के माध्यम से वहां शुरू की जाए जिससे अन्य विधान सभा क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उनको सस्ती दर पर भूखण्ड मिले और मूलभूत सुविधाएं जो उसको चाहिए वह उसको मिल सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, जो कृषि भूमि पर विकसित आवासीय कालोनी हैं जिन पर नगर विकास न्यास द्वारा पट्टे जारी कर दिए गए हैं, उनमें अमृत योजना के तहत सीवरेज की लाइन डाली गई थी लेकिन बहुत सारी ऐसी कालोनियां अब भी बाकी हैं जहां सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता है और उस आवश्यकता से वे अभी भी कोसों दूर हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि शहर में वे कालोनियां

(श्री संजय शर्मा)

जो पूर्व में नगर विकास न्यास द्वारा बसाई गई थीं, उनके साथ-साथ शहर में वे कालोनियां जो कृषि भूमि पर बसी हुई हैं जिनमें सीवरेज की लाइन नहीं डली हैं उनमें भी सीवरेज की लाइन डालकर वहां पर रहने वाले आमजन को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह है। माननीय सभापति महोदय, नगर विकास न्यास, अलवर में काफी सालों से, मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्र के बारे में बताया, काफी सालों से पत्रावलियां लम्बित हैं जिन्होंने पट्टों की मांग कर रखी है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि एक विशेष अभियान चलाकर जो पत्रावलियां लम्बित हैं उनको पट्टे जारी करें जिससे सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होगी और उस भूखण्ड मालिक को जब पट्टा मिलेगा तो उसको भी मूलभूत सुविधा मिलेगी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर में दीनदयाल फेज-2 जिसको नगर विकास न्यास द्वारा आवासीय कालोनी बनाने के लिए अवाप्त किया गया था, लेकिन वहां बहुत बड़ी संख्या में मकान बने हुए हैं जिस कारण से नगर विकास न्यास द्वारा यह जो आवासीय कालोनी बनाने का प्लान था, उसको ड्रोप कर दिया गया, लेकिन उसको अवाप्ति से मुक्त नहीं किया गया है। इस कारण वहां पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं, नियमन नहीं किया जा रहा है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि दीनदयाल फेज-2, जो योजना नगर विकास न्यास द्वारा निरस्त कर दी गई है, वहां पर रहने वाले बाशिंदों को सुविधा दी जाए और पट्टे जारी करके, उनका नियमन किया जाए, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा जो आवासीय कालोनी बसाई जाती है, जो प्लाट बेचे जाते हैं, उसके रख-रखाव, साफ-सफाई हेतु नगर परिषद् अलवर का अधिकार है, जो 15 प्रतिशत राशि, नगर परिषद् अलवर को मिलनी चाहिए, लगभग 6 साल से अधिक हो गया, 15 प्रतिशत राशि यूआईटी अलवर द्वारा नगर परिषद् को नहीं दी गई है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे नगर विकास न्यास, अलवर को आदेश जारी करें और जो 15 प्रतिशत हिस्सा राशि नगर

(श्री संजय शर्मा)

परिषद् अलवर का अधिकार है, उस राशि को जारी करके, नगर परिषद् अलवर द्वारा जो विकास का काम 65 वार्डों में हो, उसके लिए वे राशि देंगे तो निश्चित रूप से नगर परिषद् अलवर को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा लगभग दो वर्षों से आबंटन समिति की बैठक नहीं की गई है, जिसके कारण हमारे भूखण्डधारी, हमारे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि नगर विकास न्यास की जो आबंटन समिति है, उसकी बैठक शीघ्र बुलाई जाए, उसके आदेश नगर परिषद् के अधिकारियों को माननीय मंत्री महोदय जारी करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा लगभग 20 कालोनियों को बसाकर, नगर परिषद् को हैंड ओवर कर दिया गया है जिसमें आरयूआईडीपी के द्वारा सीवरेज लाइन डाली गई थी और ऐसी बहुत सारी कालोनियां हैं, जिनमें सीवरेज की लाइनें ब्लाक पड़ी हुई हैं। नगर परिषद् हो या नगर विकास न्यास, दोनों के पास ही उच्च क्वालिटी के ऐसे संसाधन नहीं हैं, जिससे उन सीवरेज की लाइन को साफ किया जा सके। उस कारण दिल्ली से वे मशीनें मंगाई जाती हैं और जब तक वे मशीनें नहीं आएं, जब तक गंदा पानी और मल सड़कों पर बहता रहता है, जिससे आमजन को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि नगर विकास न्यास और चाहे नगर परिषद्, अलवर दोनों को उच्च क्षमता वाले ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे ब्लाक सीवरेज को साफ किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, नगर परिषद् क्षेत्र में परिसीमन के बाद 50 वार्ड से बढ़कर 65 वार्ड हो गये हैं और आटो-टीपर जिससे घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जाता है, मात्र 50 आटो-टीपर हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आटो-टीपरों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 70 आटो-टीपर, 20 ऑटो-टीपर और नगर परिषद् को उपलब्ध कराए जाएं, जिससे घर-घर कचरा संग्रहण करने का जो काम है, उसमें सुविधा मिले और आमजन को फायदा मिले।

(श्री संजय शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र हो, चाहे अलवर नगर परिषद् क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख से अधिक हो चुकी है। मैंने प्रश्न के माध्यम से चौथे सत्र में सरकार से मांग की थी और उसमें मापदंड पूछे थे कि नगर निगम बनाने के क्या मापदंड हैं, जो मुझे जवाब आया, उसमें यह माना गया कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर निगम बनाया जाता है। उस मापदंड को अलवर नगर परिषद्, अलवर विधान सभा क्षेत्र पूरा कर रहा है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि अलवर नगर परिषद् को नगर निगम बनाकर अलवर की जनता को राहत प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, उसके साथ-साथ अलवर शहर के जिन क्षेत्रों में सीवरेज डालने का काम हुआ। उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं जिसको ठीक करने का काम जिस कम्पनी ने सीवरेज डाली, केवल उसके ऊपर-ऊपर तो ठीक कर दी, लेकिन दोनों तरफ जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं उसको न तो यूआईटी कर रही है, न नगर परिषद् कर रही है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा चाहे वह यूआईटी हो, चाहे नगर परिषद् हो, नगर परिषद् के पास खुद का कोई आय का संसाधन नहीं है, इसलिए नगर विकास न्यास के माध्यम से जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, माननीय मंत्री महोदय उनको ठीक करने का आदेश प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाहूंगा कि अलवर नगर विकास न्यास में, अधीक्षण अभियंता का एक पद रिक्त है, वरिष्ठ विधि अधिकारी का एक पद रिक्त है, नगर आयोजन सहायक का एक पद रिक्त है, भू-अभिलेख निरीक्षक का एक पद रिक्त है, पटवारी के दो पद रिक्त हैं, वरिष्ठ प्रारूपकार का एक पद रिक्त है, ट्रेसर का एक पद रिक्त है, फोरमेन के दो पद रिक्त हैं, वरिष्ठ लिपिक के चार पद रिक्त हैं, सहायक कर्मचारी के 18 पद रिक्त हैं, कम्प्यूटर सहायक का एक पद रिक्त है, कम्प्यूटर प्रोग्रामर का एक पद रिक्त है, ड्राइवर तीन, सफाई कर्मचारी दो, इलेक्ट्रीशियन दो। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ-साथ नगर परिषद् में भी बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी चाहे, सफाई निरीक्षक हो, चाहे मुख्य सफाई निरीक्षक हो, उनके पद रिक्त हैं।

(श्री संजय शर्मा)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि इन पदों को भरकर अलवर नगर परिषद् हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, उनमें कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं, उनको भरकर अलवर शहर विकास में और इसके साथ-साथ सफाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। आपका संरक्षण चाहेगा अलवर शहर का प्रत्येक आमजन। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस बजट में घोषणा करके हमें राहत प्रदान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत-जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती मनीषा पंवार।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6.00 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

समय बढ़ा दिया गया। (स्वीकृत)

प्लीज कंटीन्यू।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29-नगर नियोजन एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज हमारा सम्पूर्ण भारतवर्ष जो विकासशील देश है, उसमें नगर नियोजन का महत्व अपने आपमें बहुत ही महत्व लिये हुए है। शहरी आबादी का तेजी से विकास हो रहा है, इस विस्तार को सही व सुव्यवस्थित तैयार किया जाए तो उस शहर का एवं वहां की रहने वाली जनता, दोनों को सुकून देने वाला साबित होता है। माननीय सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, पश्चिमी राजस्थान और हमारा सम्पूर्ण राजस्थान एक अलग एवं विविधता लिए हुए सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक विविधताओं से भरा हुआ है और उसी नजर से हमारा जोधपुर शहर भी अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए माना जाता है। यहां का रहन-सहन, यहां का व्यवसाय, अलग-अलग क्षेत्रों की ओर, अलग-अलग लोगों को प्रभावित करता है।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर इंगित करना चाहूंगी कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जहां से मैं आती हूं जोधपुर से, वहां लम्बे समय से, हम चालीस वर्ष पूर्व देखते हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे तो बारिश का हमें नाम भी नहीं मालूम हुआ करता था। जहां रेगिस्तानी इलाका था और जब बच्चे हुआ करते थे और जब वे बड़े हो जाते थे, तब उनको पता चलता था कि बारिश क्या होती है, पानी क्या होता है, उस क्षेत्र से हम आते हैं।

जोधपुर शहर में जल संकट कभी भी विकराल रूप ले सकता था, ऐसी स्थिति पूरे पश्चिमी राजस्थान में हुआ करती थी और पेयजल संकट उत्पन्न होने की संभावना बहुत अधिक लगने लगी थी। उसी समय हमारे आज के मुख्य मंत्री, जो उस समय एमपी हुआ करते थे, उन्होंने दूरदर्शी सोच के साथ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से जोधपुर की जनता को पेयजल की योजना का लाभ दिलवाया जिससे आज पूरे जोधपुर का विस्तार और विकास हुआ। इसी तरह उन्होंने ब्रोडगेज रेलवे लाइन से शहर को जोड़ा, एडीबी आदि बड़ी परियोजना के माध्यम से जोधपुर शहर का विकास किया, पूरे पश्चिमी राजस्थान का विकास हुआ और नये पंख लगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के इन्हीं अथक प्रयासों से आज भारतवर्ष में राजस्थान का जोधपुर शहर रहने के लिए उत्तम स्थानों में अपना स्थान रखता है।

आदरणीय सभापति महोदय, ज्यों-ज्यों शहर की आबादी बढ़ती है, उसका विस्तार होता है तो सचेत रहते हुए आगामी समय को दृष्टिगत रखते हुए शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से वहां की सुविधाएं चाहे वह सड़क हो, चाहे वह परिवहन हो, जल वितरण प्रणाली हो, सीवरेज सिस्टम हो, बरसाती नाले हों, विद्युत प्रणाली हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, उद्यमियों की स्थापना हो, बाजारों की व्यवस्था हो, पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन स्थल का विकास हो, मंडी व्यवस्थाएं हों, जिसमें फल, सब्जी, अनाज मंडी हो, साथ ही वहां के क्षेत्र के रहवास एवं व्यवस्था, आगामी दूरदृष्टि रखते हुए विस्तार की योजना बनाने की दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए।

यहां मैं बात करना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन सभी को चरितार्थ करते हुए पूरे राजस्थान के विकास को एक नयी दिशा दी है, जिसकी झलकियां इस बजट में देखने को मिलती हैं। इस कड़ी में जोधपुर भी अछूता

(श्रीमती मनीषा पंवार)

नहीं रहा जहां हम देखते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने जोधपुर की अलग-अलग ऐतिहासिक धरोहरों के विकास को चाहे वह जेडीए से हो, चाहे वह नगर निगम से हो, इस बात को ध्यान में रखा और सभी उद्देश्यों को साथ में लेते हुए इस बजट में कई सौगातें दी हैं।

मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे जोधपुर शहर के घंटाघर से मेहरानगढ़ तक ब्लू कोरिडोर के कार्य की योजना बनाई। हैरिटेज संरक्षण हेतु नये सड़क के बरामदों, रेलवे स्टेशन से रणछोड़दास जी मंदिर जाते हुए पूरी तरह के भवनों का जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई। बारी रोड से पावटा तक सड़क के समानांतर सड़कों का उपयोग करते हुए लूपिंग सिस्टम विकसित करने की योजना बनाई जो कि यातायात में बहुत विकसित होगा। यहां तक कि फ्री लाइट यातायात की व्यवस्था की सुविधा अब उत्पन्न करने जा रहे हैं। जहां हम नगर निगम की बात करते हैं हमारा भीतरी शहर एक सकड़ा शहर है, जहां व्यवसाय ज्यादा है। जहां बाहर से लोग खरीददारी करने आते हैं। जहां दूरदराज गांव से लोग आते हैं वहां सफाई की बड़ी अव्यवस्था रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सफाई व्यवस्था हेतु कर्मचारियों का प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या और परिधि के अनुसार समानीकरण किया। वर्तमान में सफाई कर्मचारी बहुत व्यवस्थित ढंग से लगे हुए हैं और इसके साथ अभी जिस तरह से बात हुई थी कि सफाई व्यवस्था रात को लागू होनी चाहिए।

मैं यह धन्यवाद देती हूं हमारे अधिकारियों और मुख्य मंत्री जी को और मंत्री जी को कि उन्होंने हमारे जोधपुर की सफाई व्यवस्था को रात को चालू करने का किया जो कई समय पहले शुरू हो गई थी। हमारी सफाई व्यवस्था रात को भी शुरू होती है। जोधपुर के भीतरी शहर व्यापारिक क्षेत्र में भी यह व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से चालू है। जोधपुर के भीतरी शहर में पर्यटकों की आवाजाही के मध्य जिस तरीके से रोजाना हम देखते हैं कि जब बाहर से कोई आता है और हमारे शहर को देखता है, जो हमारा हृदय स्थल है, वहां की सफाई व्यवस्था को सुचारु रूप से चालू करने के लिए सारी सीवरेज व्यवस्था को बदलने का जो प्रावधान मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में किया है, मैं इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। इसके साथ-साथ उन्होंने नगर निगम के माध्यम से, जिस तरह से कोरोना पिछले पूरे वर्ष रहा, फिर भी मुख्य मंत्री जी ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। वीसी के माध्यम से

(श्रीमती मनीषा पंवार)

सैकड़ों उद्घाटन भी हुए और शिलान्यास भी हुए। इसके साथसाथ एक नारा दिया उन्होंने कि कोई भूखा नहीं सोये। उस बात को ध्यान में रखते हुए नगरपालिकाओं के माध्यम से उन्होंने इंदिरा रसोई योजना शुरू की जिसमें हर आम आदमी को 8 रुपये में खाना मिलता है सुबह और शाम। इसके साथ-साथ जहां हमारे हास्पिटल्स हैं, उन्होंने यह अपने भाषण में बात कही वीसी के माध्यम से कि हास्पिटलों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि दूरदराज से जो आदमी आता है अपने परिवार के साथ, मरीज के साथ उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके साथ-साथ इस व्यवस्था में बैठकर खाने की व्यवस्था, सम्मानपूर्वक खाने की व्यवस्था जो मुख्य मंत्री जी ने की, उसके लिए हम उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

इसके साथ-साथ पाक विस्थापितों के लिए उन्होंने 17 हजार परिवारों को घर देने की जो बात कही है, एक श्रवण की तरह, एक भागीरथ की तरह उन्होंने काम किया है हाउसिंग बोर्ड के तहत, वह केवल और केवल मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ही कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं चाहे वह घंटाघर हों, चाहे वह हमारा मेहरानगढ़ किला हो, चाहे वह हमारा कायलाना रिसोर्ट हो, उन सब को पर्यटकों के लिए व्यवस्थित और सुंदर करने के लिए भी उन्होंने अलग से बजट का प्रावधान रखा है। इसके साथ-साथ नगर निगम में हमारी सड़कें हैं सुव्यवस्थित रहें, इसके लिए भी जो उन्होंने हर नगरपालिका, हर नगर निगम को 5-5 करोड़ रुपये दिए उसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं।

इसके साथ-साथ आने वाला समय, जिस तरह सभी कह रहे थे कि प्रशासन शहरों की ओर एक ऐसी योजना है जिसके तहत आम आदमी को जो घर मिला है जिस घर में वह रहता है उसके पट्टे की व्यवस्था, मुख्य मंत्री जी ने हमेशा जब भी 5 साल रहे हैं प्रशासन शहरों की ओर एक सुव्यवस्थित योजना लाकर लोगों को पट्टा देने का काम किया है, इस बार भी उन्होंने 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों की ओर लाकर गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए घर में रहने की जो सुविधा दी है वह सराहनीय है। वह बहुत ही अधिक सराहनीय है।

आदरणीय सभापति महोदय, हम केवल यह मांग करते हैं कि हमारे दो नगर निगम हो गये हैं। दो नगर निगम भी इसलिए हुए कि मुख्य मंत्री जी ने जाना कि जिस तरह जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, सभी जगह जो बड़े शहर बन रहे हैं, जो शहर विकसित हो रहे हैं उनके लिए सुविधा हो इसलिए

(श्रीमती मनीषा पंवार)

दो नगर निगम की व्यवस्था की। आज 2 नगर निगमों के माध्यम से हर जनप्रतिनिधि आम आदमी से मिल सकता है। उसके बारे में जान सकता है। उसके वार्ड में, उसकी गली में क्या समस्या है, उसके बारे में जान सकता है। इसलिए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं लेकिन इन दो नगर निगमों में कुछ मांग करती हूं कि हमारे सीवरेज सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नई सीवरेज जेट मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए। पुरानी सीवरेज लाइनों को बढ़ाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने जो बजट दिया है उसको और अधिक बढा कर दिया जाए।

हमारा एक क्षेत्र है झालामंड जो नया विकसित हो रहा है जहां मुख्य मंत्री जी ने अभी हाल ही में एक करोड़ रुपये की सीवरेज लाइन की घोषणा करके उनको राहत प्रदान की है लेकिन फिर भी मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जो हमारे नए वार्ड विकसित हो रहे हैं उनमें भी और अधिक पैसे अतिरिक्त देकर उनमें जो सीवरेज व्यवस्था है, सड़क व्यवस्था है और लाइट व्यवस्था को सुचारु करें ताकि हमारे लोग आसानी से रह सकें।

इसके साथ-साथ हमारे ऐतिहासिक हैरिटेज भवनों तथा प्राचीन गेटों पर रोशनी की व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। मेरे यहां जो पुराना शहर है जहां मेरा विधान सभा क्षेत्र है वहां पर अलग-अलग जगह के परकोटे हैं जहां से पहले जोधपुर शहर शुरू हुआ करता था जैसे जालोरी गेट, मेड़ती गेट, सोजती गेट, चांदपोल आदि के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की मांग मैंने पहले भी की थी। इस बार भी मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इन सभी गेटों का जो हमारे जोधपुर का हृदय स्थल है, उन को अतिक्रमण मुक्त कर उनकी रंगीन रोशनी की व्यवस्था करें और उनका जीर्णोद्धार किया जाए और इसके साथ-साथ शहरों के अंदर हमारे बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो हजारों लाखों वर्ष पुराने हैं, जिनमें घनश्याम जी का मंदिर, अचल नाथ का मंदिर, कुंज बिहारी जी का मंदिर, यह अनेक मंदिर हैं जहां जोधपुर की पूरी जनता दर्शन करने के लिए जाती है। इनके जीर्णोद्धार के लिए भी हम आगे कदम उठाएं।

मैं धन्यवाद देती हूं मंत्री जी को कि आने वाले समय में उन्होंने देवस्थान और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काफी पैसा दिया है, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए लेकिन फिर भी जो हमारा हृदय स्थल है, उनको और अधिक बेहतर बनाने के लिए पर्यटकों की सुविधा और बेहतर करने के लिए, इनके जीर्णोद्धार के लिए काम करें और इसके साथ-साथ आने वाला समय,

(श्रीमती मनीषा पंवार)

कोरोना का जिस तरह पिछला साल रहा है, अब लोग वापस पार्कों की तरफ दौड़े हैं, लोगों ने सड़क पर वाकिंग करना शुरू कर दिया है और वापस मोटरसाइकिल और गाड़ियों को छोड़कर लोगों ने साइकिल को चुना है। मैं यह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि एक बार वापस पुन: इन पार्कों के निर्माण में कोई कमी नहीं रहे। वापस हम जिस तरीके से जिमनास्टिक उपकरण लगा रहे हैं, वहां पर वहां लोग रोज आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए। इसके साथ-साथ एक और साइकिल पथ की भी मैं मांग करती हूं कि हमारे जोधपुर में रातानाडा से लेकर झालामंड तक एक साइकिल पथ का निर्माण हो क्योंकि लोग वापस साइकिल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। यही सारी मांगें मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगी।

सभापति महोदय, हम यह सोचते हैं कि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और जेडीए मिलकर जोधपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हैं, मैं हमेशा से, जब अधिकारियों से भी मिलती हूं तो यही कहती हूं कि इन सभी विभागों में सामंजस्य होना चाहिए। एक सड़क बनाता है, दूसरे दिन जाकर पीएचईडी उस सड़क को तोड़ देता है, तीसरे दिन पीडब्ल्यूडी आता है वह वापस कुछ न कुछ करता है। यह बात बहुत मायने रखती है कि सभी विभागों में सामंजस्य होगा तभी हमारे शहर का, मौहल्ले का, हमारे राज्य का विकास सुव्यवस्थित हो पाएगा। इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए।

सभापति महोदय, नगरों का सुव्यवस्थित विकास आने वाली पीढ़ियों के विकास एवं सुंदर शहरों के सपने को साकार करने के लिए बहुत आवश्यक है। इन सपनों को साकार करने का कार्य हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने बखूबी किया है। माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं स्वयं गौरवान्वित महसूस करती हूं कि हमें एक ऐसे गांधीवादी एवं दूरदर्शी विकासवादी सोच के धनी माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने हर प्रयास, हर अवसर को राजस्थान व उनके लोगों और यहां के विकास के लिए लगाया है। आपने मुझे मांग संख्या-29 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में नगरपालिकाओं की जो व्यवस्था है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जैसे हमारे यहां पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद् है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में शहरों में एक व्यवस्था लागू होती है। हमने क्या किया कि राजनीतिक आधार पर छोटे-छोटे कस्बों को भी नगरपालिका घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत एक व्यवस्था है, जो छोटे कस्बे हैं, जिनकी 15 हजार से नीचे पापुलेशन है, वहां एक कानून बनाकर नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका, चार स्तरीय व्यवस्था है। राजस्थान को भी ऐसी चार स्तरीय व्यवस्था करनी चाहिये। राजनीतिक आधार पर जो बार-बार नगरपालिकाओं की मांग आती है, वह मांग भी समाप्त हो जाएगी और 15 हजार से नीचे की को नगर पंचायत घोषित करें। माननीय मंत्री महोदय ने पिछली बार मुझे कहा था मेरी विधान सभा मावली में मैंने उनसे निवेदन किया था कि वहां पर फतेहनगर के कस्बे में आस-पास की पंचायतें जुड़ गई हैं। आप कोई हाउसिंग बोर्ड की स्कीम की व्यवस्था करवाएं, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि मैं इसका सर्वे करवाऊंगा।

मेरी आपसे पुन: प्रार्थना है कि फतेहनगर पालिका के आस-पास की पंचायतों का सर्वे करके हाउसिंग बोर्ड की कोई स्कीम की व्यवस्था कराएं। अभी ऋषभदेव नगरपालिका की घोषणा की। ऋषभदेव कस्बा, यह ठीक है कि दयाराम जी मंत्री रहे हैं, उनका क्षेत्र है, परंतु बिना राजनीतिक भेदभाव किये मेरी मावली को भी नगरपालिका घोषित किया जाए, यह मेरी प्रार्थना है। वहां की बड़ी समस्या है, आजादी के बाद विनोबा भावे फतेहनगर आये थे और उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और सरकार से जमीन लेकर अनेक गरीबों को दी। आज उन गरीबों की जमीनों को पैसे वाले लोगों ने ले ली। भूदान बोर्ड से वह जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकती, उसके बाद भी लोगों ने यहां एनओसी लेकर पैसे वाले लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है ऐसी जमीनों की जांच करवाकर ऐसी व्यवस्था करें। फतेहनगर कस्बे में 87 बीघा जमीन, वल्लभनगर के एसडीएम ने वह जमीन अलाट की। उसके बाद हमारे यहां पंचायती राज कानून लागू हो गया। फतेहनगर कस्बा सनवाड़ पंचायत में आ गया। सनवाड़ पंचायत ने वह दुकानें अलाट कर दीं, घर अलाट कर दिये। आज पूरा फतेहनगर कस्बा जो 87 बीघा में बसा हुआ है, वह

(श्री धर्मनारायण जोशी)

सरकार के हिसाब से अवैध है। 1955 के उनके पास जमीन अलाटमेंट के कागज हैं, उसकी रसीद है और उसके बाद पंचायत ने पट्टे दिये, उसकी भी रसीद है परंतु नगरपालिका ने अभी उनको पट्टे नहीं दिए हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि फतेहनगर बसने के साथ ही उस 87 बीघा में जो 100-100 साल से लोग बसे हुए हैं, उनको वहां बसाकर उसकी व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मावली क्षेत्र के कुछ गांव उदयपुर की यूआईटी में पैरीफेरी में आये हैं। पैरीफेरी गांवों की व्यवस्था यह है कि वह जमीन पंचायत की नहीं है, जमीन यूआईटी में चली गई। पंचायत उसका पट्टा नहीं दे सकती। विकास का काम यूआईटी करवायेगी। पहले जब जनप्रतिनिधि चेयरमैन होते थे, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, पैरीफेरी के गांवों में उन्होंने विकास के काम किये, परंतु जब से अधिकारी आये हैं, वहां सड़कें टूट गईं, पंचायत पट्टा दे नहीं सकती, यूआईटी पट्टा दे रही है। मेरी प्रार्थना है मावली विधान सभा के 15 गांवों में जो विकास के काम पैंडिंग हैं, उनको करवाया जाए। उदयपुर जिले के कुल मिलाकर 27 गांव हैं। उनको निर्माण की अनुमति नहीं। शहर में यूआईटी में ऐसी स्थिति है कि काम्प्लेक्स की परमिशन मिल गई, लोग रह रहे हैं, लोगों ने पट्टे ले लिये। वहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यूआईटी के पास आदमी भटकता है तो यूआईटी कहती है कि सामने निजी जमीन आ गई है और निजी जमीन के कारण पानी की निकासी नहीं है। वहां भारी गंदगी फैल रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको भी ठीक किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, शहर से लगा बेडला कस्बा है, जो मावली विधान सभा में आता है, बिलकुल शहर में ही है। वहां की स्थिति यह है कि वहां एक पुलिया बनानी है। अभी राजस्थान पत्रिका अख़बार में एक फोटो आया था कि वहां एक व्यक्ति की डैथ हो गई। श्मशान घाट जाने के लिये तीन-तीन फीट पानी में डैड बाडी को लेकर जा रहे हैं। मैंने यूआईटी को अनेक पत्र लिखे। माननीय मंत्री महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बेडला की पुलिया व श्मशान घाट का रास्ता बनाया जाए। इसी प्रकार जो हमारी बिछरी पंचायत है, बिछरी पंचायत का चंगेडी गांव है, वह बारिश में कट जाता है, वह भी शहर से लगा हुआ एरिया है। मेरी प्रार्थना है आपसे, पहले यूआईटी ने रपट बनाई थी, उसकी बजाय नये सिरे से वहां पुलिया का निर्माण कराया जाए।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

कृषि भूमि के पट्टे दिये जा रहे हैं और डवलपमेंट के काम यूआईटी के पास हैं। हमारे उदयपुर में लगभग 100 कालोनियां ऐसी हैं जहां पर सरकार को आय हो सकती है। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सरकार उनको किसी भी कीमत पर बेदखल नहीं कर सकती। मेरी सरकार से प्रार्थना है, उदयपुर में जैसे सहेली नगर है, शहर के बीच में आ गया। महाराणा प्रताप कालोनी है, हमारा हर्ष नगर है, वहां सैकड़ों मकान बन गये। यूआईटी किसी भी कीमत पर कोई सी भी सरकार हो, उनको हटा नहीं सकती। क्यों नहीं उनको कन्वर्ट करके, मिनिमम सड़क निकालकर, सरकार को उससे रेवेन्यू प्राप्त होगी और लोगों को पट्टे मिल जाएंगे, यह भी एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। उदयपुर की यूआईटी रेन हार्वेस्टिंग नाम से पैसा लेती है। 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर के प्लाट पर पैसा जमा करती है। पैसा जमा करा लिया, वह पट्टा ले गया, उसको निर्माण की स्वीकृति हो गई। वह निर्माण कर रहा है परंतु उसने सिस्टम नहीं लगाया। यूआईटी के पास मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वह भी व्यवस्था करें।

एक और मेरा निवेदन है, पिछली बार भी निवेदन किया था छोटे प्लाट हैं, 1000-1200 फीट के प्लाट हैं। क्यों नहीं आप मानक तय करके एक माडल बनाकर कि 30 फीट रोड पर हैं, यह 200 नक्शे हैं, इसमें सलेक्शन कर लें कौनसा आपको चाहिये। यूआईटी, नगरपालिका में पैसा जमा करा दें और पैसा जमा कराकर अपना काम चालू करें। कोई भी इंस्पैक्टर जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जो नियम से चलने वाले लोग हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, अभी उदयपुर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। 1200 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिये हैं। आपको आश्चर्य होगा स्मार्ट सिटी में कोई बाहर का अधिकारी/कर्मचारी नहीं है। नगरपालिका के कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं। अभी लगभग डेढ़-दो महीने पहले दो लाख रुपये रिश्वत लेते एक अधिकारी पकड़ा गया। आपसे मेरी प्रार्थना है स्मार्ट सिटी में मानिटरिंग की व्यवस्था कराई जाए। अलग से एजेंसी की व्यवस्था कराई जाए। आपको आश्चर्य होगा सीवरेज की लाइन पड़ रही है। सीवरेज की लाइन में कहीं-कहीं पर 6-6 इंच के पाइप हैं। समतल एरिये में क्या होगा कि

(श्री धर्मनारायण जोशी)

आदमी के बैडरूम में उसका पाइप फूटेगा, गंदगी वहां फैलेगी। फिर आपसे प्रार्थना है उदयपुर में सीवरेज लाइन, पहले भी 9 जोन में पिछोला में, फतेहसागर में होकर सीवरेज लाइन पड़ी है। वहां कई बार ऐसा होता है कि उस सीवरेज के फव्वारे उसमें छूटते हैं। फिर अधिकारी दौड़ते हैं परंतु किसी के खिलाफ आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी आपसे प्रार्थना है इसको भी ठीक किया जाए।

सामुदायिक भवन यूआईटी में बना रखे हैं, नगरपालिका में बना रखे हैं। सामुदायिक भवन एक बार बना दिये, पैसे लगाये लेकिन उस पर मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसको भी आप ठीक करें।

मेरी आपसे प्रार्थना है, अवैध निर्माण यूआईटी तोड़ती है, फिर वापस बन जाता है। पता नहीं वे कहां से परमिशन लाते हैं। छोटे गरीब आदमी का निर्माण तोड़ते हैं तो वह दूसरी बार बनाने की हिम्मत नहीं करता है। परंतु जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके काम्प्लेक्स बने हुए हैं आपको आश्चर्य होगा सब जगह परमिशन 4-5 मंजिल की है, उसने दो-दो, तीन-तीन मंजिल एक्स्ट्रा बना दी हैं। मेरा आपसे निवेदन है सामूहिक रूप से इसको किया जाए। उदयपुर में एक निजी हास्पिटल है जिसको सरकार ने एक रुपये में जमीन दी है। सरकारी बंगलों को तोड़कर उसको जमीन दी है। आज वहां लूट मची हुई है। सरकार की कोई मानिटरिंग नहीं है। आपसे मेरी प्रार्थना है इन सब बातों पर ध्यान देकर, मानिटरिंग करके व्यवस्था को ठीक किया जाए, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं धन्यवाद सम्माननीय महेन्द्र चौधरी साहब को भी देना चाहता हूं कि मुझे मौका दिया। पहली बार ही मौका दिया है, इसलिए धन्यवाद जरूरी बनता है।

सभापति महोदय, चम्पावती नगरी मेरी चाकसू है, उसका इतिहास बहुत पुराना है। सभापति महोदय, पहली बार ऐसी नगरपालिका होगी, जिसमें तीन बार उलटा-पलटी हुई है, जिस तरह से भूकम्प आते हैं। तीन बार उसका भूमि परिवर्तन हुआ है ऊंचाई पर बसा हुआ है। उसके बाद भी पिछले तीन टर्म से वहां कांग्रेस का बोर्ड है। पिछला बोर्ड भी कांग्रेस का था। पिछले टर्म के

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

पांच सालों में हमारे कांग्रेस के चेयरमैन को कोई काम करने नहीं दिया गया। काम तो करने दिया या नहीं करने दिया, कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, इनकी सरकार ने बिना किसी कारण, बिना कोई जांच कराये, उसको सस्पैंड तक कर दिया। भला हो कोर्ट का कि उसने स्टे दिया और उस चेयरमैन ने पांच साल पूरे किये।

माननीय सभापति महोदय, चाकसू जयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। कोरोना काल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया तो सफाई कर्मचारियों ने किया। एक भी गांव ऐसा नहीं, मैं नगरपालिका चाकसू की बात नहीं कर रहा हूं। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने पूरी की पूरी 60 पंचायतों में जाकर अपने-अपने, जो समय नगरपालिका का था, वह तो था ही, उसके अलावा स्वैच्छिक रूप से पूरे सफाई कर्मचारियों ने गांवों के अंदर जाकर एक-एक जगह को सेनिटाइज किया और सफाई की व्यवस्था की, इसलिए आपके माध्यम से मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने बहुत शानदार काम किया था।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब पिछली सरकार थी तो एससी का एक पार्षद नोमिनेट करने के लिए कह दिया और जो हरिजन थे, उनको उससे बाहर कर दिया। जो हरिजनों का कोटा था, जो वास्तव में नगरपालिका में जाने के हकदार थे, जिनका प्रतिनिधित्व नगरपालिका में नहीं पहुंचता था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने वापस से हरिजनों को पार्षद बनाने का मौका दिया और साथ ही एक एससी का पार्षद और बनाने के लिए कहा तो अब एक एससी का पार्षद जाएगा और एक नगरपालिका या नगर निगमों में एक नुमाइंदा जो हरिजन समाज का हो, वह भी रहेगा, इसके लिए वे बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

(17.13 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां जेडीए की पैरीफेरी में 12 पंचायतें आती हैं। पिछले 15 सालों से जितनी भी जेडीए की कालोनियां कटी हैं। 15 साल पहले रोहिणी नगर फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड, हरिअंत विहार। जितनी भी कालोनियां कटीं, जेडीए ने उन भूखंडों का सारा पैसा इकट्ठा करके जमा कर

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

लिया। माननीय सभापति महोदय, एक भी पैसा अभी तक वहां पर नहीं लगाया है। जेडीए ने 15 साल पहले रोहिणी में दी थी, मैं फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड, तीनों की बात कर रहा हूं। उन तीनों में अभी तक सिर्फ तीन मकान बने हुए हैं, वह भी फर्स्ट के अंदर। जब हम जयपुर से चाकसू में एंटर होते हैं तो पैरीफेरी में सबसे पहले शिवदासपुरा और चंदलाई पड़ते हैं, हमारा रेनवाल मांजी। यहां पर स्थिति यह है कि आज भी शिवदासपुरा में जेडीए के द्वारा हास्पिटल के लिए जमीन चिह्नित नहीं हुई है। वहां पुरातत्व विभाग के चार गेट बने हुए हैं। तीन-चार बार संबंधित अधिकारियों को और संबंधित लोगों को कहने के बाद भी, वे चार-द्वार जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, गिरने की स्थिति में हैं, परंतु जेडीए अभी तक उनकी मरम्मत कराने के लिए तैयार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने रेनवाल मांजी के लिए घोषणा की थी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रेनवाल मांजी को थाना बनाया, पीएचसी को सीएचसी बनाया, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन जेडीए रीजन में होने के बाद भी नगरपालिका और हमारे पंचायत की एक गज जमीन भी, आबादी की भूमि नहीं है। जेडीए वालों ने वहां इतनी काट दी, तीन-तीन रोहिणी नगर बसा दिये, लेकिन बसावट नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जेडीए ने न तो वहां पर पार्क की जमीन छोड़ी, न ही स्कूल के लिए जमीन छोड़ी, न हास्पिटल के लिए जमीन छोड़ी, न वहां पर हमारे पुलिस थाने के लिए जमीन है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जिन अलाटियों को जेडीए के प्लाट अलाट किये गये हैं, उनको 10 साल तक टाइम दिया था, उनको 15-15 साल हो गये हैं। जिन भूखंड धारियों ने अभी तक वहां पर मकान नहीं बनाये हैं, उनको कैंसिल करके उनको वापस पंचायत के सुपुर्द करे, जिससे कि जमीन विकास के काम आ सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, पहले भी बात हुई थी। हमारे यहां चंदलाई के अंदर एक बहुत सुंदर बांध है। पूरे वर्ष भर उसमें पानी रहता है और घाना, भरतपुर के प्रवासी पक्षी वहां आते हैं और विदेशी पक्षी भी वहां पर आते हैं। अगर जेडीए उसकी पाल के ऊपर सौंदर्यीकरण करके पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास करे तो घाना की तर्ज पर चंदलाई बांध हो सकता है। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

और मंत्री महोदय से भी मांग करता हूं। इस पर्यटन स्थल को जेडीए व अधिकारियों ने देख भी लिया है। अभी भी कम से कम हजारों पर्यटक वहां आते हैं। अगर सुव्यवस्थित व्यवस्था के रूप में वह पाल डवलप हो जाए तो वहां पर सैलानियों की संख्या बढ़ सकती है और चाकसू एवं चंदलाई का नाम विश्व मानचित्र पर आ सकता है।

माननीय सभापति महोदय, जब मैं चुनाव लड़ा तो चाकसू विधान सभा क्षेत्र की दो मांगें प्रमुख थीं। एक जब इनकी सरकार थी। हमारे यहां एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। एयरपोर्ट अथोरिटी, दिल्ली ने लिखकर दे दिया था कि यहां पर एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, न ही एयरपोर्ट यहां पर बन सकता है। उसके बाद भी वहां पर जेडीए द्वारा जमीन अवाप्त कर ली गयी थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के आंसू पौंछे, क्योंकि किसान वहां पर 15 साल से रो रहे थे। अपनी जमीन होते हुए भी वे एक-एक मकान नहीं बना पा रहे थे। एक कमरे का निर्माण भी नहीं कर पा रहे थे, परंतु माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों छह महीने पहले ही उसे अवाप्ति से मुक्त किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इसके साथ-साथ जो रोहिणी के पास, उसी समय का एक प्रकरण था, माननीय सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड ने 317 बीघा जमीन को अवाप्त किया था।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): हमारे वहां के किसानों की मांग थी, 317 बीघा जमीन में 200 बीघा जमीन में हास्पिटल और प्राइवेट हास्पिटल बन गये। हमारे वहां पर सारे शो-रूम बन चुके हैं। गरीब छह सौ-सात सौ परिवारों, क्योंकि वहां रेनवाल मांजी के अंदर भट्टे का काम है, वहां पर छोटे-छोटे मकान बनाकर गरीब लोग रह रहे हैं। वहां पर 200 बीघा में निर्माण कार्य हो चुके हैं, परंतु अभी भी हाउसिंग बोर्ड वहां की जमीन को अवाप्ति से मुक्त नहीं करना चाह रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बची हुई जमीन है, उसमें जिन लोगों ने प्लाट काटकर दे दिये, गरीब लोगों को 50-50 गज के प्लाट, वे अब यह चाहते हैं कि जमीन का मुआवजा भी हमें मिल जाए और गरीब अपने आंसू रोता रह जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे रेनवाल की जो जमीन हाउसिंग बोर्ड ने अवाप्त कर रखी है, उसे अवाप्ति से मुक्त किया जाए।

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जितने भी नगरपालिका में काम किये हैं, वे सारे काम हम नगरपालिका बजट से करा लेंगे लेकिन हमारी खुद की नगरपालिका रोड से छह-सात फीट नीचे है। जब कभी भी बारिश आती है, पिछली बार भी बाढ़ आयी थी, वहां के सारे कर्मियों ने अच्छा काम किया, परंतु मुझे बड़ा दु:ख हुआ जब मेन पृष्ठ पर छपा कि नगरपालिका खुद पूरी डूब गयी, नगरपालिका खुद अपना एक कागज नहीं बचा पायी थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस नगरपालिका को नये रूप में बनाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): धन्यवाद, सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 29 पर आपने बोलने का अवसर दिया। मैं सीधे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आता हूं। समय की सीमा है। वर्ष 2012 में फलौदी नगरपालिका क्षेत्र के 8 गांवों को पैरीफेरी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, उसकी सीमा को बढ़ाया गया जिसमें लोरढ़िया, एका भाटिया, गज्जा, खींचन, मोहरा, डेडीसरा, जुनेजो की ढाणी और फलौदी ग्रामीण थे। लोग वहां पर बहुत बसे हुए थे। कई कस्बों में जो राजकीय तो थे परंतु लोगों की बसावट है, जिस प्रकार से गांवों के अंदर लोग बसते रहते हैं और बाड़े बना लेते हैं और रहते हैं, दशकों से वहां पर रह रहे थे। उनको मूलभूत सुविधा न तो ग्राम पंचायत दे रही है, न ही नगरपालिका दे रही है। मेरा यह निवेदन है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े। उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली 8 तारीख अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस था और 9 तारीख फलौदी के इतिहास के अंदर काला और क्रूरतम दिवस, जिस प्रकार से नगरपालिका प्रशासन ने गुपचुप तरीके से अतिक्रमण हटाने की जो कार्यवाही की। सुबह-सुबह किस प्रकार से उन्होंने मैनेज किया है, किस प्रकार से लोगों के पास यह बात पहुंची तक नहीं, सूचना तक नहीं पहुंची। आरएसी की एक टुकड़ी भी आ जाती है। तीन-तीन थानों की पुलिस भी आ जाती है। प्रशासनिक अधिकारी भी आ जाते हैं और यह बात छिपा कर सुबह-सुबह इतनी जल्दी, जिस प्रकार से गुपचुप तरीके से आतंकियों को घेर कर उन्हें ढेर किया जाता है, उस प्रकार से उन्होंने लोगों के मकानों पर बने

(श्री पब्बाराम)

हुए, दशकों से बने हुए मकानों के ऊपर शत्रु सेना जिस प्रकार से दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ती है, उस प्रकार से मकानों को ध्वस्त किया। अगर आप ये वीडियो और उनकी फोटो देखें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस प्रकार संवेदनशील और पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार और मैं समझता हूं, अगर यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी तक पहुंचेगी, अगर मंत्री जी पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर से इसका एक्शन लेंगे और किसकी जवाबदेही थी, मुझे पूरा उनके ऊपर विश्वास है, परंतु इस प्रकार की कार्यवाही निश्चित तौर से घोर निंदनीय है। माननीय सभापति महोदय, वह पल बड़ा ही वीभत्स, क्रूर था और बड़ी ही विनाशकारी कार्यवाही की गयी। बीस-बीस साल से बने हुए मकान, मैं मानता हूं अतिक्रमण करता है, ऊपर पट्टियां खड़ी करता है, ऊपर छत डालता है, इस प्रकार के हटाने में हमें कोई नहीं है, परंतु वे पैरीफेरी क्षेत्र में जो पहले से ही बसे हुए लोग थे और उनका कोई सर्वे नहीं किया गया। बगैर सर्वे किये हुए ही उसको शहर में ले लिया, सरकारी रकबे को उन्होंने बिलकुल खाली मान लिया और आज उनको अतिक्रमी मानकर इस प्रकार किया जा रहा है। उस समय का जो दृश्य था, बड़ा ही कारुणिक दृश्य था। चारों तरफ से चीत्कार, क्रंदन, सिसकियां लेते बालक और कोई सुनने वाला नहीं, बिलबिलाते बच्चे, वह दृश्य कोई देख नहीं सकता। इस प्रकार का क्रूरतम कृत्य फलौदी के इतिहास में काला दिवस के रूप में अंकित होगा। कंकर-कंकर चुनकर उन्होंने अपना घरौंदा बनाया और उनको नष्ट कर दिया। आज कश्मीर से जो बेदखल होकर आए हैं, उनको शरणार्थी के रूप में बसाया तो जा रहा है परंतु आज वे सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। 25 लाख तक का मकान, 50 लाख तक का मकान ध्वस्त कर दिया गया। सुबह-सुबह आरएसी आती है, कई थानों की पुलिस आ जाती है। किस प्रकार से इन्होंने किया। अभी मुख्य मंत्री महोदय जी प्रशासन शहरों की तरफ अभियान चलाने वाले हैं। दुनिया भर के शहरों के अंदर आप कालोनियां नियमित करते हैं तो जो दशकों से बैठे हुए हैं, उनका नियमितीकरण नहीं किया जा सकता था? उनकी पूरी कीमत ले लेते। उनके घरौंदों को नष्ट क्यों किया? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी तक, माननीय मंत्री जी यह बात पहुंचाइए। उनके जेहन में यह नहीं है, उनके गृह जिले के अंदर यह कुकृत्य हुआ है। अगर उनके पास यह पहुंचेगी, निश्चित तौर से इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। जो प्रशासनिक

(श्री पब्बाराम)

अधिकारी, जो नगरपालिका उसके लिए जिम्मेवार है, उसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे।

सभापति महोदय, मेरी दूसरी मुख्य बात यह है कि आप अचंभित होंगे, 105 वर्ष पूर्व जोधपुर और फलौदी की नगरपालिका का गजट नोटिफिकेशन होता है, एक साथ में नगरपालिका बनती है। ये आजादी से पूर्व की बात है। उस समय फलौदी व्यापारिक केन्द्र होता था। सिंध से सीधा व्यापार होता था। बड़ा सम्पन्न शहर था। दोनों एक साथ गजट नोटिफिकेशन होते हैं। मेरा ख्याल है राजस्थान में ऐसी नगरपालिका जो 105 वर्ष, 1915 में जिसका गजट नोटिफिकेशन हुआ हो और उसके अंदर सीवरेज की व्यवस्था नहीं हो, या तो वह नगरपालिका रही नहीं, नगर निगम और नगर परिषद् बन गये, अगर है भी तो उनके अंदर पूरी व्यवस्था है। एक फलौदी शहर है, यह गंदगी के अंदर जीने के लिए मजबूर है। इस बात को जब कभी भी मैं यूडीएच मंत्री जी के पास जाता हूं, he place his ears towards me. वे मेरे से सुनने के लिए वे अपना दूसरा वाला कान उधर करते हैं। दूसरे जाते हैं तो उसको सुनने वाला कान करते हैं। माननीय मंत्री महोदय कल्ला जी, आप हमारी जो बात है, उनको सुनने वाले कान में थोड़ा डाल देंगे तो बड़ी कृपा होगी। सबसे बड़ी तो यह है कि 50 हजार तक की जनसंख्या को अमृत योजना में लिया गया है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मेरे शहर की जनसंख्या 2011 में मात्र 50 हजार से 113 कम, 49887 थी। अब 113 की इस छोटी-सी गिनती के कारण ये सीवरेज लाइन से वंचित रह गया है। हमने पिछले कार्यकाल में 1531 लाख की लागत से 12 कच्ची बस्तियों में सीवरेज डाली परंतु शहर उस गंदगी में जीने के लिए मजबूर है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट बोलकर मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। आपके आदेश की पालना करूंगा। शहर जब विकास की तरफ है। वहां पर पास में रामदेवरा मेला है। पश्चिम की काशी के रूप में है। 70 लाख वहां पर लोग आते हैं, पैदल आते हैं। इसी प्रकार से जाम्बा मेला है, जिसमें 20 लाख लोग आते हैं। सोलर हब है। वहां पर जो फ्लोटिंग पापुलेशन है, उस पापुलेशन को गिनकर सीवरेज लाइन देने की कृपा करें। मेरा आपसे निवेदन है कि अन्य शहरों के अंदर जो इस मापन में नहीं

(श्री पब्बाराम)

आते, उनको भी दिया गया है। क्यों नहीं मेरे शहर फलौदी को सीवरेज लाइन दी जाए? एक विशेष पैकेज के तहत दिया जाए। आपने बोलने का समय दिया और आपके आदेश की पालना के तहत मैं समय पर बैठ रहा हूं। मेरा ख्याल है कि एक मिनट बचा हुआ भी है।

श्री सभापति: आप बोलना चाहें तो एक मिनट और बोलें। श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर मुझे बोलने का अवसर दिया। चूंकि समय कम है इसलिए मैं मेरी विधान सभा क्षेत्र से संबंधित बात तक सीमित रहूंगा। बस्सी विधान सभा क्षेत्र के 41 गांव जेडीए क्षेत्र में आते हैं और जेडीए क्षेत्र में आने की वजह से वहां सारी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी विकास से संबंधित कार्य होते हैं, वे जेडीए द्वारा ही कराये जाते हैं। पिछले 5-6 साल से अब तक जो भी वहां कार्य हुए हैं, उनमें मेरे ख्याल से बहुत कमी रही है। न वहां पर कोई रोड्स बनाई गई, न वहां पर कोई पार्क विकसित किये गए हैं। सार्वजनिक उपयोग के लिए ज़मीनों का आबंटन, जैसे जीएसएस का निर्माण, अस्पताल, पंचायत भवन, इनके लिए भी वहां पर ज़मीनों का आबंटन नहीं हो पा रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति जी, 1981 में बाढ़ आई थी। ढूंढ नदी के ओवरफ्लो होने से काफी गांवों में तबाही मची थी। उस टाइम पर तत्कालीन जयपुर जिला प्रशासन उन लोगों को चरागाह में या सिवाय चक की जहां भी जमीन उपलब्ध थी, ऊंचाई में वहां बसा दिया था। उसके बाद जेडीए आता है। वह सारी ज़मीनें चाहे चरागाह की हो, सिवाय चक की हो, जेडीए की खातेदारी में दर्ज हो गई हैं। वह लोग, उनका अभी भी पुनर्वास नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनके परिवार बढ़ गए, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। वे मकान बनाते हैं, पुलिस व जेडीए का एनफोर्समेंट का दस्ता जाता है और उनके मकानों को तोड़कर तबाही कर दी जाती है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी व सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके मकानों को बेदर्दी से नहीं तोड़ें, उनका पुनर्वास करें। उनको 1981 में बाढ़ के टाइम प्रशासन ने ही

(श्री लक्ष्मण मीणा)

बसाया था। प्रशासन का एक हाथ उनकी मदद कर रहा है, दूसरा हाथ उनको उजाड़ रहा है। ऐसा नहीं करके, जेडीए द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर, 41 गांवों में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनका पुनर्वास किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, बस्सी के अंदर एक आरओबी बन रहा है। आरओबी 2011 के बजट में अनाउंस हुई थी परन्तु किसी वजह से वह आरओबी नहीं बन पाई। अभी साढ़े तीन साल से वहां आरओबी बन रही है, कम्प्लीट नहीं हुई है, रेलवे से परमिशन नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करुंगा कि रेलवे से परमिशन लें और उसको ठीक करें। उसकी वजह से डेढ़-डेढ़ किलोमीटर वहां वाहनों की लाइन लग जाती है। डिलीवरी के केस होते हैं, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है। कई डैथ हो जाती हैं। यह मानवीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रूप से संचालित हो। दस साल से आरओबी बनती आ रही है, उसको कम्प्लीट कराए जाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, बस्सी बहुत बड़ा कस्बा है। उसमें अभी तक जेडीए की तरफ से पार्क की व्यवस्था नहीं है, 50 हजार की आबादी वाला कस्बा है। वहां एक पार्क की भी मैं मांग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, और भी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि मैट्रो अभी यहां बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति में नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि इसका चाकसू तक तथा बस्सी तक विस्तार किया जाए। वहां से काफी संख्या में मजदूर आते हैं, दोनों एरिया से करीब 15-20 हजार मजदूर रोज काम के लिए अप डाउन करते हैं। नौकरी पेशा हैं, उन लोगों का आना-जाना होता है, अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है तो शहर का विस्तार होगा, लोगों के लिए फैसिलिटी बढ़ेगी, उन लोगों को सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय यूडीएच मिनिस्टर साहब से भी हम मिले हैं, मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि इंदिरा गांधी नगर से लेकर बस्सी तक एक सैक्टर रोड निर्माण होना चाहिए, जो रेलवे ट्रैक के पैरेलल जाएगी। इसके होने से एक तो जेडीए की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, क्योंकि वहां काफी ज़मीनें जेडीए की हैं। दूसरा, शहर का काफी विस्तार होगा।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, पहले आगरा रोड पर जयपुर सिटी का विस्तार नहीं था। लेकिन पिछली बार कांग्रेस सरकार ने, गहलोत साहब के टाइम, जब से टनल बनाया है, काफी तेजी से उस इलाक़े में विस्तार हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, बस्सी में बहुत प्राइवेट कालोनाइजर ने कालोनियां बसा रखी हैं। खातेदारी की जमीन है, उनका भूमि रूपान्तरण नहीं हुआ, इसकी वजह से बेसिक फैसिलिटी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी उन कालोनियों का नियमन किया जाए, ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल सकें।

माननीय सभापति महोदय, बस्सी तीन बार नगरपालिका बन गई। 1978 से 91 तक नगरपालिका रही, अचानक उसको डी-नोटिफाई कर दिया। उसके बाद 2000 में नगरपालिका बनी। 2015 में उसको डी-नोटिफाई कर दिया। अभी पिछले बजट में, इसी सरकार ने उसको नगरपालिका बनाया लेकिन कोर्ट की अड़चन की वजह से उसको फिर डी-नोटिफाई कर दिया। ऐसी और भी नगरपालिकाएं हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जिनको डी-नोटिफाई किया है, उनको जल्दी से जल्दी नगरपालिकाएं बनाया जाए। उनका इलेक्शन भी नगरपालिकाओं के द्वारा ही होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, रिंग रोड बनी तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में से होकर रिंग रोड गुजरी है। जेडीए ने उनकी जमीनें अवाप्त कर लीं। अभी तक कई इश्यू हैं काश्तकारों के, वे सैटल नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि उन किसानों की सुनकर अधिकारियों को निर्देश देकर उनको सैटल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, द्रव्यवती नदी बनाई है, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र से गुजरती है। कई गांवों के बीच से द्रव्यवती नदी निकल रही है, उनकी ज़मीनें एक तरफ हैं और उनका निवास दूसरी तरफ है। उनको करीब-करीब 8-10 किलोमीटर, ब्रिज पर होकर, अपने खेत में जाना पड़ता है। किसान के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह पैदल जाकर अपने खेत पर खेती कर पाए। मैंने पहले भी माननीय यूडीएच मंत्री जी से निवेदन किया था, उन्होंने दिखवाया भी है। मैं पुन: यह मांग करता हूं कि सरकार द्रव्यवती नदी पर विशनसिंहपुरा के पास पुलिया का निर्माण करवाए।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र में जेडीए की तीन कालोनियां, राजभवन, कल्पना नगर, कल्पतरू के नाम से हैं। इन्होंने वहां सारा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें भी बिछा दीं, ट्रांसफार्मर भी लगा दिए, रोड्स बना दिए, लेकिन आज तक वहां एक भी मकान नहीं बना है। उस जगह, इन्हीं की जमीन पर सारे ट्रांसफार्मर चोर ले गए। जितने भी पोल थे, उनको उखाड़कर चोर ले गए। जेडीए का कोई अधिकारी वहां जाकर नहीं देखता है। उसी जमीन पर, वहीं से मिट्टी खोदकर, लोग लेकर जा रहे हैं। इन्होंने तीन कालोनियां विकसित की हैं, जिनको बसाना चाहते थे, यहां के पृथ्वीराज नगर वालों को, वहां कोई भी जाने को तैयार नहीं है। पिछली टाइम भी हमने ध्यान आकर्षण के जरिए यह प्रश्न किया था।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): एक मिनट में करता हूं। यह पब्लिक प्रोपर्टी है, दो-ढाई करोड़ की वहां चोरी हुई है। जेडीए ने केस दर्ज कराया था, उस केस का क्या हुआ, प्रोपर्टी रिकवर हुई या नहीं हुई कुछ भी पता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कि पब्लिक प्रोपर्टी को बचाकर रखे। कालोनी में इल्लीगल माइनिंग हो रही है, उसको भी बंद किया जाए, जमीन को प्रोटेक्ट किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रादेशिक विकास और नगर निगम से संबंधित डिमांड है। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मुख्य बिन्दु, मेरी विधान सभा से और नीतिगत विषयों पर चर्चा करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में सफाई पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ाई से सतत रूप से जोड़ने हेतु बहुत सारी घोषणाएं कीं और यह कहा कि वाल्मीकि जातियों के कल्याण हेतु गठित आयोग को सक्षम बनाया जाएगा। इन जातियों में शिक्षा व रोजगार को बढ़ावा देने हेतु विशेष सहायता की जाएगी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, स्थानीय निकाय में जितने कर्मचारी हैं, उनमें बहुत बड़ी भूमिका वाल्मीकि समाज से आने वाले सफाई कर्मचारियों की रही है। अभी जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, उन सब सदस्यों ने कोरोना काल में सफाई का कार्य नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने या स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों ने किया, उसके लिए बहुत सराहना की, बहुत तारीफ की। उसके लिए वास्तव में वह बधाई के पात्र हैं लेकिन माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा का परिलाभ और मेडिकल डायरी इन लोगों को आज दिन तक भी नहीं मिल रही है। यह सिलसिला 1995 से शुरू हुआ है। माननीय सभापति महोदय 1995 से इस बिंदु पर सरकारों ने सोचना-विचारना प्रारम्भ किया। 1995 से लेकर के 2021 हो गया, लेकिन आज तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, मंत्रिमण्डलीय समिति की आज्ञा 4/2012 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि हमें इस बाबत विचार करना चाहिए और इस बारे में हमें सोचना चाहिए। इसके बाद में मैंने जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया तो बाद में मेरे को जो जवाब मिला, उस जवाब में आप देखिये, 2012 के सन्दर्भ में जारी पत्र, दिनांक 10.10.2012 पर राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विसेज पेंशन मेडिकल फंड्स रूल्स बनाए गए और 16.05.2013 को उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भिजवाया गया। 16.05.2013 के बाद में 06.01.2020, 2013 के बाद में सीधे 2020, यानी सात सालों तक पत्रावली लम्बित रहती है, 2020 में यह पत्रावली वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट 09.01.2020 को कहता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से हम इनको मेडिकल की सुविधाएं नहीं दे सकते।

माननीय सभापति महोदय, सिर्फ सरकार तारीफ कर दे, इससे काम नहीं चलने वाला है, जब तक कि उन सफाई कर्मचारियों को आप पूरी तरह से वैल-इक्यूप्ड न करें, जब तक आप अन्य लोगों के समकक्ष उनको सुविधाएं प्रदान न करें, और कहा किसलिये गया, सभापति महोदय, कि आर्थिक रूप से संसाधन नहीं हैं, इसलिये हम नहीं दे सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे पास ये आंकड़े भी हैं। आप देखिये, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल और हमारी जो बिजली कम्पनियां हैं, वे बिजली कम्पनियां घाटे के सौदे में चल रही हैं, 60 हजार

(श्रीमती अनिता भदेल)

करोड़ रुपये का कर्जा, उनकी देनदारियां सरकार ने पिछली बार चुकाई हैं, उसके बावजूद वे 60 हजार करोड़ के घाटे में चली गई हैं लेकिन उनको मेडिकल डायरी की सुविधा है, पर इन कर्मचारियों को मेडिकल डायरी की सुविधा क्यों नहीं है, यह मेरा निवेदन है। इसलिये आप सफाई कर्मचारियों के बारे में यदि बात करते हैं, यदि आप म्यूनिसिपल कारपोरेशन के बारे में बात करते हैं तो माननीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर विशेष रूप से आप ध्यान दें। विशेष रूप से इस ओर काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनका वास्तव में भला होने वाला है, नहीं तो उनका वास्तव में भला होने वाला नहीं है।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी के कामों की चर्चा हुई कि स्मार्ट सिटी के काम अजमेर में भी चल रहे हैं, जयपुर में भी चल रहे हैं और बाकी के शहरों में भी चल रहे हैं लेकिन स्मार्ट सिटी के कामों की मानिटरिंग समय पर नहीं हो पाती है। मानिटरिंग समय पर नहीं हो पाने से काम पूरी तरह से अव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। बार-बार यह कहा जा रहा है कि हम एरिया बेस्ड डवलपमेंट करेंगे लेकिन यह एरिया बेस्ड डवलपमेंट की सीमा किसने तय की है। ये एरिये किसने चुने हैं। न तो वहां के स्थानीय विधायकों को पूछा गया, न एम.पी. को पूछा गया, न और स्थानीय जन प्रतिनिधियों को पूछा गया, तो यह एरिया बेस्ड डवलपमेंट जो आप कर रहे हैं, इस एरिया बेस्ड डवलपमेंट में, माननीय सभापति महोदय, मुझे बताइये कि कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनने का काम किसने स्वीकृत कराया, किसने सहमति दी। जब आप कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बना सकते हैं तो नगर निगम की भी इसके अन्दर बिल्डिंग बना दीजिए क्योंकि नगर निगम की बिल्डिंग में आपने पार्षदों की संख्या पहले, मुझे मालूम है, सभापति महोदय, जब मैं पार्षद बनी थी और सभापति बनी थी, तब 55 पार्षद हुआ करते थे। 55 पार्षदों से 60 हो गए, 60 के बाद फिर 80 हो गए। अब उन 80 पार्षदों को बैठक में बैठाने की नगर निगम में जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में आप नगर निगम की बिल्डिंग के लिये नहीं सोचो, लेकिन आप कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग के लिये सोचो तो यह अन्याय होगा। जब निगम अपना पैसा लगा रहा है, अपना 10 प्रतिशत शेयर नगर निगम, स्थानीय निकाय दे रहे हैं तो आपको भी देना चाहिए, यह मेरा एक निवेदन है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ, यह मेरे पास ज्ञापन की कापी है। इतने सारे ज्ञापन के कागज इसके अन्दर लगे हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत जिस एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य हो रहा है, वह एलिवेटेड रोड टैक्निकल रूप से एकदम गलत बन रहा है। इसके कारण से मेरे अजमेर-दक्षिण का जो बाटा चौराहा है, वह बाटा चौराहा या तो दुर्घटना का जोन बनने वाला है या ट्रैफिक जाम का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। अधिकारियों ने सिर्फ कागज में ड्राइंग बनाई है। मौके पर जाकर देखें तो न तो वहां स्लिप लेन है, न फुटपाथ है। फुटपाथ के अभाव में यदि आप बाटा चौराहे पर इस एलिवेटेड रोड को उतारते हैं, उस समय जब यह डी.पी.आर. बन रही थी, जब कलेक्ट्रेट में इसका प्रजेंटेशन हो रहा था, तब भी मैंने आपत्ति की थी कि यह एक्सीडेंट का जोन बनेगा लेकिन उस समय भी, आपत्ति करने के बावजूद भी उसको दरकिनार किया गया। आज जब लोगों के सामने वह समस्या खड़ी हुई तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस एलिवेटेड रोड का उतार आपने बाटा चौराहे पर रखा है, उसको वहां न करके, जो पहले से इस नक्शे में स्वीकृत था, वहीं पर आप इसको उतारें तो यह एक्सीडेंट जोन बनने से बच पाएगा और हमारा अजमेर, यातायात की सुविधा आप इस एलिवेटेड रोड से देंगे, न कि आप दुविधा का कारण बनेंगे क्योंकि एलिवेटेड रोड सिर्फ एक साल-दो साल के लिये नहीं बन रहा है, यह वर्षों-वर्षों के लिये बन रहा है। जिस तरह से अजमेर का माट्रिनल ब्रिज अंग्रेजों के जमाने में बना, आज तक भी उस ब्रिज के कारण से यातायात की सुविधा मिलती है, उसी तरह से यह एलिवेटेड रोड वर्षों-वर्षों तक अजमेर की यातायात की समस्या का समाधान देने वाला है। इसलिये अजमेर की यातायात की समस्या आप बनाएंगे ही नहीं, बल्कि उसमें सुधार करेंगे, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के कामों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। स्मार्ट सिटी में पार्कों का निर्माण हो रहा है, सड़कों को चौड़ी करने का काम किया जा रहा है। सूचना केन्द्र के डवलपमेंट का काम हो रहा है, मेडिकल कालेज की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। मेरा आपसे इस बाबत निवेदन है कि अजमेर स्मार्ट सिटी तब बनेगा, जब अजमेर में गंदे पानी के निकासी की पुख्ता व्यवस्था होगी। अजमेर अंग्रेजों के जमाने में केन्द्र की टेरिटरी रहा है। अजमेर का वातावरण इस कदर शांत और शुद्ध था

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि अंग्रेजों ने उस शहर को पसंद किया। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होने के कारण से उसके पानी निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस वजह से यदि नालों का निर्माण अमृत योजना के तहत इसमें किया जाए, पहले स्वीकृत हुए थे, लगभग 10 नालों का निर्माण कार्य इसमें स्वीकृत हुआ था लेकिन उन 10 नालों का निर्माण कार्य सरकार के आने के बाद कैंसिल कर दिया। कैंसिल होने से वे लोग आज भी परेशान हैं, जो कच्चे नाले की वजह से हर वर्ष बारिश होने के समय में, जब बारिश का पानी उन कच्चे नालों के माध्यम से आस-पास की बस्तियों में भरता है, माननीय सभापति महोदय, स्वयं अधिकारियों को मालूम है, यहां गैलरी में जितने अधिकारी बैठे हैं, वे अजमेर के अधिकारी भी रहे हैं। उनको पता है कि हर वर्ष वर्षा ऋतु में पानी का जब भराव होता है, गढी मालियान, जॉर्ज गंज, सुभाष नगर, नारीशाला रोड पर, उस भराव में प्रशासन रातों रात व्यवस्था करता है भोजन के पैकेट पहुंचाने की, रातों रात व्यवस्था करता है उनको कहीं और स्थापित करने की, क्योंकि वहां पानी भर जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन नालों को पक्का करने का इस अमृत योजना में यदि आप काम करेंगे तो वास्तव में अजमेर को स्मार्ट बनाने का काम आप कर सकते हैं अन्यथा, अजमेर कभी स्मार्ट नहीं बनेगा, जब तक कि आप इनके गंदे पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले वर्षों में बजट भाषण में घोषणा की कि हम नंदी शालाएं खोलेंगे। जितने भी माननीय सदस्य आज बोले हैं, उन सबने आवारा पशुओं की चर्चा की। मेरा निवेदन है कि नगर आयोजना विभाग जो स्कीम बनाता है, आवासीय योजना बनाता है और आवारा पशुओं के लिये भी नियम, कायदे-कानून बनाता है, तो मेरा निवेदन है कि यदि पिछली बार माननीय वसुन्धराजी ने प्रत्येक नगरपालिका मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर अम्बेडकर भवन बना करके दिये थे। क्या मुख्य मंत्री महोदय ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले बजट में या इस बजट में प्रत्येक शहर में गो-ग्राम के नाम से योजनाएं बनें? उस गो-ग्राम में जितने पशुपालक हैं, चाहे वे गाय पालते हैं, चाहे भैंस पालते हैं, चाहे बकरी पालते हैं, उन सब पशुपालकों को वहां पर चिह्नित करके, सर्वे करवाकर यदि वहां उनको जगह आबंटित की जाए और वहां उस जगह पर अपना पूरा व्यापार करें, पशुओं को चराने की भी

(श्रीमती अनिता भदेल)

व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से जो यह हर शहर की आवारा पशुओं की समस्या है, आवारा पशुओं की उस समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। हर शहर इससे मुक्त हो सकता है। यदि इस प्रकार की योजनाएं हम बना सकते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें इससे लाभ मिलने वाला है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से पट्टों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। अभी रामगंज से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कच्ची बस्तियों की कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कच्ची बस्तियों की चर्चा सब लोग करना चाहते हैं, पर कच्ची बस्तियां, कच्ची बस्ती न रहें, वह विकसित बस्ती बन जाएं, ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए। हम कच्ची बस्ती बढ़ाने का काम करते जाते हैं और हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप सरकारी भूमियों पर जा करके बसें। वह वापस कच्ची बस्ती बने और फिर उसको आप वापस ठीक करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यह 2003 का पट्टा है, 2003 का कागज है। 2003 से आज 2021 हो रहा है। आप यह देखिए कि इसमें यह एक पैराग्राफ है, इसको मैं पढ़कर सुना रही हूं जो कि अधिकारियों का जवाब है। भवानी सिंहजी का जवाब है। यह कि वर्ष 2003 में जन कल्याणकारी शिविर में नगर परिषद्, अजमेर, हाल- नगर निगम, अजमेर द्वारा पट्टों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को नगर निगम की सरकारी भूमि पर कब्जा मानते हुए सर्वे नम्बर देते हुए कब्जा भूमि का नाम् नाप लेकर एक पीले रंग का प्रमाण-पत्र दिया गया था, जिस पर साफ-साफ यह लिखा हुआ है कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा इस बाबत जो भी नीति निर्धारित की जाएगी, उसके अनुसार इस प्रमाण-पत्र के आधार पर नियमन होगा और उसको पट्टा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, वह जो पीले रंग का प्रमाण-पत्र है, वह मेरी मलूसर रोड, आशागंज, धानक्या बस्ती, हरिजन बस्ती, ट्राम्बे बस्ती और इसके साथ में गुजर धरती के लोग, कम से कम ऐसे दस हजार लोग वे होंगे जिनको यह पट्टे देने की आवश्यकता है और सिर्फ करना इतना-सा ही है कि क्योंकि अंग्रेज़ों के जमाने में वह क्षेत्र चांदमारी का क्षेत्र होता था, वहां पर प्रैक्टिस की जाती थी और चांदमारी के नाम से वह रेवेन्यू में दर्ज है। वह आज

(श्रीमती अनिता भदेल)

पी.डब्ल्यू.डी. के नाम से जमीन दर्ज है तो क्या हम आपस में दो डिपार्टमेंट में को-आर्डिनेशन करके, पी.डब्ल्यू.डी. आज वहां पर कुछ काम करने वाली नहीं है, पी.डब्ल्यू.डी. में आज कोई बसावट नहीं है, पी.डब्ल्यू.डी. की वहां पर कोई सड़कें नहीं हैं। वहां पर लोग बस गये हैं। इसी प्रकार से चांदमारी में भी घनी आबादी में लोग रहे हैं तो उनका रेवेन्यू रिकार्ड आज की स्थिति के अनुसार, आज की आबादी के अनुसार यदि हम दुरुस्त करवा देंगे तो उस रेवेन्यू रिकार्ड को दुरुस्त करवाते हुए यदि उसको सिवायचक या खातेदारी, सॉरी, खातेदारी के बजाय उसको सरकारी भूमि में दर्ज करके यदि हम पट्टा देने का यह काम करेंगे तो दस-पन्द्रह हजार लोग, जो इन कालोनियों के रहने वाले लोग हैं, उनको पट्टा मिल जाएगा और उनको यह कहना नहीं पड़ेगा कि भाई, आप तो पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन पर बैठे हुए हो या आप चांदमारी की जमीन पर बैठे हुए हो इसलिए आपको पट्टा नहीं मिल सकता। मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन यह है कि अजमेर में स्ट्रीट लाइट का कांट्रेक्ट दिया गया था ई.एस.एल. कम्पनी को, यह ई.एस.एल. कम्पनी के पास में जो ठेका था वह सात वर्षों के लिए ठेका था और सात वर्षों के ठेके में पर-ईयर जो बिजली के बिलों में सेस राशि नगर निगम काटता है, बिजली के बिलों में आर.एस.ई.बी. हमको सेस राशि, उन शहरों से कटती है, वह सेस राशि जो है, वह बिजली के बिल में एडजस्ट होती है, जमा होती है लेकिन पिछले कई वर्षों से दस करोड़ रुपया बकाया इस कम्पनी का है और इस वजह से अजमेर की स्ट्रीट लाइटों को बंद करने की वह बार-बार धमकी देता है कि मैं स्ट्रीट लाइटें बंद कर दूंगा या तो मेरे पैसे का भुगतान किया जाए तो यदि हमने सेस के रूप में अजमेर के लोगों से यह पैसा लिया है तो हम स्ट्रीट लाइट का भुगतान क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है, इसलिए स्ट्रीट लाइटों का भुगतान भी तुरंत करवाया जाना चाहिए, इतना मेरा आग्रह है।

इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदय, अजमेर की 48 चिह्नित कच्ची-बस्तियां हैं। वह 48 चिह्नित कच्ची बस्तियां जो हैं वह अजमेर विकास प्राधिकरण के पास हैं। अब अजमेर विकास प्राधिकरण उनको नगर निगम को हैंडओवर करना चाहता है। नगर निगम उनको लेना नहीं चाहता है। ऐसी

(श्रीमती अनिता भदेल)

स्थिति में वह दो डिपार्टमेंट्स के बीच में अधरझूल में घूम रही है। अभी यह जो 48 कच्ची बस्तियां हैं, इन 48 कच्ची बस्तियों को नगर निगम को हैंडओवर कर दिया जाता है तो इसमें विकास के जितने भी काम होने हैं वह हो सकेंगे, अन्यथा ऐसे ही यदि वह बीच में झूलता रहा तो कोई भी एजेंसी उसमें विकास का काम करने वाली नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, अंतिम एक बिंदु कहकर मैं अपनी बात को पूरा करती हूं। ठोस कचरा प्रबंधन, चूंकि, नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन हो इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। अजमेर शहर का पूरा कचरा, मेरे विधान सभा के माखुपुरा में जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है वहां जाकर डम्प होता है और उस ट्रेंचिंग ग्राउंड में इतनी अव्यवस्थित तरीके से जो कांट्रेक्टर है, वह कचरा डम्प करते हैं कि पूरे चील-कौआ और जब बारिश होती है तो वह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, वह पूरी तरह से जहरीला हो जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री हाकम अली खां।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जहरीला होने कारण से यह भूमि भी प्रदूषित हो गयी है और पानी भी प्रदूषित हो गया है। आस-पास के कुओं का पानी पीने लायक नहीं रहा है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर पर्वतपुरा, माखुपुरा गांवों में आज भी खेती होती है और उस वजह से यह ठोस कचरा प्रबंधन को ठीक करना चाहिए। ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो कचरा डलता है, उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए, उसको अलग-अलग छांटना चाहिए और उसकी प्रोसेसिंग चालू होनी चाहिए। यदि उसको प्रोसेस नहीं किया तो लोग फिर आंदोलन करेंगे और आपको कचरा डालने की जगह अजमेर शहर में नहीं बचने वाली है। इसलिए अजमेर शहर में यदि यहां पर आपको कचरा डालना है तो उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना पड़ेगा, इतना ही निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 29-नगर

(श्री महेन्द्र चौधरी)

आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर मंत्रीजी के जवाब देने एवं मांग पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर मंत्रीजी के जवाब देने एवं मांग पारित होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर मंत्रीजी के जवाब देने एवं मांग पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय को एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को कि राजस्थान के नगर निगम में 30, नगर परिषद् में 20 किलोमीटर, नगरपालिका में 10-10 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत कार्य के लिए जो एक हजार करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। हर नगर निगम एवं नगर परिषद् या नगरपालिकाओं में पार्क बनाने की जो घोषणा की है, इससे आम आदमी को शुद्ध वातावरण में घूमने का अवसर मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किये हैं। मेरे सामने बैठे हुए हमारे विपक्षी साथियों को मैं यह बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार में अन्नपूर्णा रसोई के नाम से जो योजना थी, उसमें बहुत लूटखसोट भी हुई और यह सफाई की बात करते हैं तो इनकी सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई के द्वारा खाना खिलाने के नाम पर लोगों को सड़कों पर खड़ा करके खाना खिलाने का दिखावा करते थे जबकि हर आदमी खाना साफसुथरी जगह पर खाना चाहता है एवं इज्जत के साथ खाना चाहता है। माननीय

(श्री हाकम अली खां)

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री ने आम आदमी की इस पीड़ा को देखते हुए अब इंदिरा रसोई चालू करके आम आदमी को इज्जत के साथ और साफसुथरी जगह पर बैठाकर खाना खिलाया जाता है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान नगरपालिका में लगे सफाई कर्मचारियों की ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान की हर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी है। इसलिए कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए और इस भर्ती में यह एक विशेष ध्यान देना होगा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में विशेष रूप से जो पहले से सफाई कर्मचारी काम करते आ रहे हैं, उन्हीं के समाज से लगाये जाएं क्योंकि पिछली सरकार के वक्त सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हुई थी, उसमें ऐसे लोगों की भर्ती हो गयी थी जो सफाई का काम नहीं करते हैं और अपनी पहुंच से या सिफारिश से अच्छी जगह पर आफिसों में या कहीं दूसरी जगह पर लग जाते हैं और उन सफाई कर्मचारियों पर उनके काम का भार पड़ता है। इसलिए इसमें एक नोट डाल दिया जाए कि जो भी कर्मचारी सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती होगा, वह सफाई का ही कार्य करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को एवं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगरपालिका फतेहपुर और रामगढ़ में सीवरेज का कार्य मंजूर किया और नेचुरल पार्क बनाने की घोषणा की। इससे शहर के आम आदमी को शुद्ध पर्यावरण में घूमने का अवसर मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो नगरपालिकाएं- फतेहपुर और रामगढ़ की ओर दिलाना चाहूंगा कि फतेहपुर में 55 वार्ड हैं, फतेहपुर की आबादी लगभग दो लाख से ऊपर है तो फतेहपुर को नगरपालिका से नगर परिषद् बनाया जाए और नगरपालिका रामगढ़ में 35 वार्ड हैं, 60 हजार से ऊपर उसकी आबादी है, वह तृतीय श्रेणी की नगरपालिका है, जिसको द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका बनाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं फतेहपुर शहर की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शहर में काफी लंबे समय से

(श्री हाकम अली खां)

बरसाती पानी की बहाव की समस्या है। बारिश के मौसम में शहर दो भागों में बंटा रहता है। शहर के लोगों को घर से बाजार या बस स्टैंड तक जाने के लिए तीन-तीन, चार-चार दिन तक इंतजार करना पड़ता है। बस स्टैंड पर भी पानी भरने से गांवों से आने वाले लोगों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता है कि बस स्टैंड में तीन-तीन, चार-चार फुट पानी भर जाता है और बस स्टैंड को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाता है इसलिए इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए। अत: मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय आज ही इस समस्या से फतेहपुर की जनता को निजात दिलाने की घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका फतेहपुर और रामगढ़ में सफाई कर्मचारियों के बहुत पद रिक्त पड़े हैं और आबादी को देखते हुए वह कर्मचारियों के पद कम हैं इसलिए यह पद भी बढ़ाये जाएं और जो रिक्त पद पड़े हैं, उनको भरा जाए और रामगढ़ नगरपालिका में कचरा निस्तारण की एक बहुत बड़ी समस्या है तो उस कचरा निस्तारण की समस्या की तरफ भी ध्यान देते हुए कचरा निस्तारण प्रबंधन प्लांट लगाया जाए, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इन दोनों शहरों में वाल्मीकि समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके मोहल्लों में कहीं कोई सामुदायिक भवन नहीं है और जब वह विवाह-शादी समारोह या कोई भी समारोह करते हैं तो उनके सामने एक समस्या रहती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनके मोहल्लों में या तो अम्बेडकर भवन या कोई सामुदायिक भवन बना दिया जाए तो उनकी इस समस्या का समाधान हो सकता है एवं शादी समारोह एवं अन्य समारोह आयोजित करने में यह सामुदायिक भवन काम आएंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सुबह से स्वायत्त शासन नगरपालिका और नगर परिषदों पर चर्चा चल रही है, बराबर तीसरा बजट है। मैं सीधा-सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र पर ही आ जाऊं, क्योंकि आपका ध्यान घंटी पर ही रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सूरतगढ़ नगरपालिका इनकम की दृष्टि से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में नंबर एक पर थी, क्योंकि बेशकीमती सरकारी जगह उपलब्ध थी और अब वहां इतना ज्यादा कब्जा हुआ है जिसका मैं बखान ही नहीं कर सकता और भाव जयपुर के बराबर है सूरतगढ़ के अंदर। माननीय सभापति महोदय, कब्जा करने का तरीका यह है कि कुछ लोग ठेके पर रातों-रात एक मकान बनाकर, उसका दरवाजा लगाकर पुरानी कली और लीपापोती करके ऐसा करेंगे कि जैसे कोई चार साल पुराना मकान है। यह इस तरह की परिपाटी हो गयी। नगरपालिका वाले कई बार आकर जे.सी.बी. से तुड़वाकर वहां बोर्ड लगाएगी, यह सम्पत्ति नगरपालिका की है और उसी स्थान पर फिर वापस कब्जा हो जाये तो बिना मिलीभगत के कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी बहुत ज्यादा सरकारी जगह उपलब्ध पड़ी है। भूमाफियाओं के चंगुल में वह सरकारी भूमि फंसती जा रही है, तो समय रहते हुए इसका कोई समाधान करने का विचार करो। हमारे यहां पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। तोड़-फोड़ करके बड़े-बड़े भवन बिना स्वीकृति के बना लिये जाते हैं और फिर अपनी भाषा में बताऊं, दावने दे-देकर जेवड़ी बांध देवे। उसको सीज कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, एक भी भवन मैंने नहीं देखा, जो वह दुबारा बना नहीं हो, चालू नहीं हो। मुझे पता नहीं टाउन प्लानर से लाते हैं या डी.एल.बी. से करवाकर लाते हैं। दो-चार महीने में, चाहे कितना ही नाजायज हो और वह किस तरह से होता है, यह सदन को भी पता है। वह काम ऐसे नहीं होता, कुछ न कुछ यत्न करना पड़ता है। बिना यत्न के वह काम हो नहीं सकता। यह सबके लिये सोच का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, सीवरेज की अच्छी स्कीम है अगर बने तो। जिस तरह का शिड्यूल है, अगर उसके मुताबिक सीवर लाइन डाली जाये

(श्री रामप्रताप कासनियां)

तब तो यह सुखदायी है, पर यह तो, माननीय सभापति महोदय, अरबों रुपये लगकर दु:खदायी है। सारे माननीय सदस्य सीवरेज की शिकायत करते हैं। सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मैंने इस सदन में कहा था कि करोड़ों रुपये, प्रामाणिक नकल लाकर पेश की थी। गटर खाली करने के नाम पर एक करोड़ रुपये के करीब बिल बनाकर उठाये हैं और एक भी गटर खाली किया हो तो सूरतगढ़ पूरा पड़ा है, जाकर जांच कर लो। प्रामाणिक शिकायत है और मैंने पिछली बार पूरा रिकार्ड दिया है आपको नकल समेत। कुछ जरा सा भी बाल बांका नहीं हुआ है। सीवरेज वालों ने उलटा कहा कि हमारे 10-20 लाख लग गये, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शब्द, माननीय सभापति महोदय, मुझे सुनने पड़े। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, यह पीड़ा मेरे अकेले की नहीं है, जहां-जहां सीवरेज बन रही है, सब जगह यही है। पेयजल के पाइपों में सीवरेज का पानी मिल जाता है। इससे और ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, सीवरेज का जहां काम होता है, नगरपालिका दो महीने पहले रोड बनाने का काम करती है या इंटरलाकिंग का काम करती है और दो माह बाद वह रोड उखाड़ दी जाती है। उनके किये हुए खोटे कामों को करने का काम वह सीवरेज वाले मिलीभगत से कर देते हैं। यह सब जगह ही चल रहा है, मेरे यहां अकेले के नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, बिना एन.ओ.सी. के नगरपालिका ने आजकल एक धंधा बना रखा है इंटरलाकिंग और पाइप, पी.एच.ई.डी. वाली जो पाइप है, वह बहुत महंगी आती है पर नगरपालिका वाले लाते हैं, वह 50 और 60 रुपये मीटर की पाइप नहीं होती और पी.एच.ई.डी. का जो मापदंड है, उसके हिसाब से 300-350 रुपये मीटर, तीन इंच के पाइप की बात कर रहा हूं। उसके अंदर रेट वही होती है, मोहर वह लगा ही देते हैं, तो इस तरह से पाइप डालने में जनता को पानी नाम की चीज नहीं मिलती। उस पाइप से कोई फायदा नहीं है। करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिये जाते हैं। कहीं भी जांच करके पूछ लो, बिना पी.एच.ई.डी. के एन.ओ.सी. दिये जबर्दस्ती पाइप डालकर राजनीतिक दबाव से एन.ओ.सी. प्राप्त करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस तरह की चीज पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कब करोगे, कौन देगा? यहां बोलने से कोई फायदा होता है कि नुकसान होता है, यह भी मेरे आज तक समझ में नहीं आया।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

माननीय सभापति महोदय, सुबह से देख रहा हूं स्वायत्त शासन मंत्री यहां हैं ही नहीं, किसके आगे रोयें? वैसे तो माननीय कल्ला जी बैठे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं। आज मैं सोच रहा हूं, मेरी बात पर सरकार कुछ न कुछ ध्यान देगी। लिखने से क्या फायदा हो।

श्री सभापति: वह यहीं हैं। आपको सुन रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): जो बात मैं कह रहा हूं उस पर सरकार कार्यवाही करे तो मैं मानूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बेसहारा पशु कह दो, आवारा पशु कह दो, शहर के अंदर आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और बुजुर्ग कई बार चोटिल हो जाते हैं। रास्ते चलते ही यूं करना पड़ता है और उसका काम तमाम। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी आपको कहा था कि आप नन्दीशाला बनाओ और टैक्स लगाओ। हम आपका सहयोग करने के लिये तैयार हैं। मैंने सुझाव दिया था शराब पर, मार्बल पर, सौंदर्यीकरण के साधनों पर आपने टैक्स तो लगा दिये, स्टाम्प ड्यूटी लगा दी। दुनिया भर के सब पर टैक्स लगा दिये और आपने नन्दीशाला के स्थान पर ऊंट के मुंह में जीरे के समान कार्यवाही की है आज तक। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह जो बेसहारा पशु हैं, इनका इंतजाम समय रहते हुए करो।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करो। माननीय सदस्य, आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, नगरपालिका का ई.ओ. हाईवे रोड पर करोड़ों-करोड़ों रुपये लेकर के रिश्वत के छह-छह लाख, एक पट्टे के दस लाख और हाईवे पर पट्टे बना दिये और कच्ची बस्ती वाले पीछे-पीछे रोते फिर रहे हैं, एक भी पट्टा बनाने का काम नहीं करते तो मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार अभियान चलाकर के कच्ची बस्तियों के अन्दर जन प्रतिनिधियों की देखरेख में, शायद आप सोचोगे कि यह तो अपने फायदे के लिए कह रहे हैं, कोई जन प्रतिनिधि हो वह जनता का ध्यान रखेगा, यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मास्टर प्लान यह एक इतनी गंदी बीमारी है कि यह छोटे व्यक्ति पर तो लागू है और जो बड़ा भू-माफिया है उस पर यह मास्टर प्लान लागू नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मेरे सूरतगढ़ शहर के अन्दर हास्पिटल के लिए भूमि आबंटन करवायी और काम चल रहा है दुकानदारी का, यानी अपने आप ही लैंड यूज चेंज, कहां हास्पिटल के लिए सरकार ने जगह आबंटन की। कोई धर्मशाला के लिए करता है उसमें दुकानें तो, सभापति महोदय, यह अच्छा काम नहीं है। जिस मकसद के लिए भूमि आबंटन की हो उसमें वही कार्य होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर वारिस प्रमाण पत्र...

श्री सभापति: समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): वारिस प्रमाण पत्र बनाने का काम आज दिन तक नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका के ई.ओ., पार्षद, चेयरमैन करते थे और अब अचानक ऐसी कौनसी प्राब्लम आ गयी कि सरकार ने ग्राम पंचायतों को निर्देश दे दिये कि आप वारिस प्रमाण पत्र नहीं बना पाओगे और स्वायत्त शासन विभाग ने भी पत्र जारी करके मना कर दिया कि आप वारिस प्रमाण पत्र नहीं बनाओगे। सभापति महोदय, एडीजे के पास जाकर कोई गांव का आदमी वारिस प्रमाण पत्र बना सकता है? उसको वकील लूटकर खा जाएंगे तो, मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई संशोधन करना हो, जो कुछ करना है वह तो आप जानो पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह पूरी राजस्थान की समस्या है। लोगों के इंतकाल पड़े हैं 12-12 महीने 6-6 महीने के, क्यों, क्योंकि वारिसनामा ही नहीं बनता तो इंतकाल ही रुके पड़े हैं। और भी है, स्कालरशिप लेनी है, कोई हैसियत प्रमाण पत्र बनवना है तो कहां जाएं, कोर्ट में?

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, अंत में फिर वही बात। यह जो जनसंख्या का विस्फोट है ...(व्यवधान) हां, मैं बार-बार कह रहा हूं तो इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य है। आपकी सारी स्कीमें कम पड़ती जाएंगी चाहे नगरपालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो या कोई और हो।

मैं पुनः सरकार से मांगता हूं कि शहर के अन्दर ये जो बेसहारा पशु हैं इनकी कोई न कोई व्यवस्था करें। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात रखने का आपने मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मेरी विधान सभा से ही बात शुरू करूंगा। माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पहली बार नगरपालिका और नगर परिषद् क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की सड़कें दीं। यह पहली बार ऐसा हुआ है और सरकार की तरफ से एक बड़ा काम नगरपालिकाओं में रहने वाले, नगर परिषद् शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक सौगात सी है और धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि सबसे पहले बजट घोषणा पूरी करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया जो हमें आज फोन आ गया था हमारी विधान सभा से। मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बजट घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया, वह आपने उठाया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सड़कें हैं, इसमें आपने जो बायलाज तय किये हैं, पानी और सीवरेज की जो लाइन डली हैं उन सड़कों को छोड़ते हुए बनाना है, तो यह भी एक बहुत बढ़िया बात है। जो जोन रह गये हैं, जिनमें वास्तव में सड़क बननी चाहिए वहां बने। जहां सीवरेज ने तोड़ दी वहां सीवरेज बना देगी, जहां पीएचईडी ने तोड़ी वो पीएचईडी बना देगी, तो यह बहुत अच्छी बात है पर मैं इसमें चाहूंगा कि एक लाइन डाल दी जाए कि विधायक की अनुशंसा हो ताकि सड़कें वास्तव में वहीं बनें जिनकी जरूरत है। यह बहुत आवश्यक काम है कि यह जरूरी है कि जब सरकार ने दिया है और इस हाउस में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और आपने घोषणा करी है तो उसका फायदा सीधे-सीधे विधायक के मार्फत से जनता को मिले, मैं यह चाहूंगा।

साथ ही, माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य सरकार द्वारा 2014-15 में ईईएसएल कंपनी द्वारा स्ट्रीट लाइट, एलईडी लाइट क्रय की गयी थी, जिसमें

(श्री सुरेश टाक)

किशनगढ़ को भी 13500 एलईडी लाइट मिली थीं। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि 2014-15 में टेंडर हुआ था, 2017- 18 में लगना शुरू हुई और मेंटिनेंस के अभाव में 40 परसेंट लाइटें आज भी बंद पड़ी हैं। वह कंपनी मेंटिनेंस नहीं कर रही है, वह लगाकर छोड़ गई और आधा शहर अंधेरे में पड़ा रहता है। सर, हालत यह हो गई है कि जनता लाइट के लिए सीधा-सीधा विधायकों को फोन करती है तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और इससे सम्बन्धित कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करें ताकि लोगों को जो तकलीफ उठानी पड़ रही है वह तकलीफ कम हो या फिर सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे यह लाइटें चालू हो जाएं, चाहे अलग से कोई फंड नियोजित करें, चाहे अलग से कोई व्यवस्था करें क्योंकि जनता को अंधेरे में नहीं रख सकते। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसा कोई सर्कुलर या ऐसा कोई आदेश जारी करें जिससे वार्डों की जो 30-35 से 40 परसेंट लाइटें बंद पड़ी हैं वह वापस जल जाएं।

इसी सम्बन्ध में मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने आपसे आग्रह किया था और आज फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं कि मेरी विधान सभा बहुत बड़ी विधान सभा है। मेरे 3 लाख वोटर हैं, 210 गांव हैं, 41 पंचायतें हैं, नगर परिषद् में केवल दो दमकल हैं। कई बार गांवों में आग लग जाती है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई बार ऐसे हादसे हुए कि तीन-तीन जगह आग लग गई और गाड़ियां नहीं पहुंच पातीं। आसपास की नगरपालिकाओं से भी एरिया बहुत दूर पड़ता है, नहीं आ पाती है। आप मेरी नगर परिषद् में कम से कम एक एक्स्ट्रा दमकल की स्वीकृति करवाएं ताकि जब तक ग्रामीण क्षेत्र में दमकल की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक शहरी क्षेत्र की दमकल उन गांवों में, जहां आग लग रही है, उनको बुझाने का काम अच्छे तरीके से करें।

नगरपालिका, नगर परिषदों में स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। मेरे यहां आज भी 200 पद खाली हैं। मैं चाहूंगा कि आप जरूरी पदों को आवश्यक रूप से भरने की कार्यवाही करें। जैसे हमारे यहां अग्निशमन अधिकारी के दो पद खाली हैं, दोनों के दोनों ही रिक्त हैं। फायरमैन के 20 पद हैं उसमें से 11 रिक्त हैं, सर, और यह बहुत जरूरी है। सफाईकर्मियों के 70 पद रिक्त हैं, इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अभी कान्ट्रैक्ट बेस पर जो सफाई व्यवस्था दी हुई है वो भी दस दिनों से हड़ताल पर हैं। उनको जो दैनिक

(श्री सुरेश टाक)

भत्ता मिल रहा है कम मिल रहा है, इस वजह से दस दिनों से उन्होंने सफाई बंद कर रखी है, अभी ठेका प्रणाली से सफाई नहीं हो पा रही है इसलिए शहर में गंदगी भी बढ़ रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो 70 सफाईकर्मियों की कमी है वो पूरी हो ताकि हम ठेका पद्धति पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहें और नगर परिषदों का पैसा बचे।

एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी सभी साथियों ने आवारा पशुओं की बात उठाई थी। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि शहरों में जहां सड़कें बन गई हैं, जहां सड़कें चौड़ी हैं वहां पर मशीनों से सफाई हो, नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था हो ताकि जो सफाई करने वाला स्टाफ है, एक्स्ट्रा स्टाफ है, वह इन आवारा पशुओं को पकड़ने में लगा दिया जाए ताकि शहर में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार-बार रोज, आये दिन कोई न कोई आवारा जानवर, आवारा पशु किसी न किसी मोटर साइकिल वाले को, किसी पैदल चलने वाले राहगीर को कहीं न कहीं चोटग्रस्त करता है और यह घटना बहुत तेजी से वायरल होकर फैलती है, लोगों में आक्रोश बढ़ता है तो इस व्यवस्था की तरफ हमें हमारा ध्यान देना बहुत जरूरी है।

शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग जोन, हालांकि आपने आदेश कर रखे हैं कि वेंडिंग जोन और नोन वेंडिंग जोन बनें और आपको नगर परिषद् द्वारा सूचना भी दी गई है कि हमने यहां पर वेंडिंग जोन बना दिया, यहां पर नोन वेंडिंग जोन बना दिया पर, सर, पालना नहीं हो रही है। आपसे मेरा अनुरोध है कि जहां वेंडिंग जोन बने हैं वहां पर शिफ्टिंग की कार्यवाही हो और जहां नोन वेंडिंग जोन है वहां पर कोई भी ठेला, कोई भी ऐसी चीज नहीं लगे जिससे यातायात प्रभावित होता हो और शहर की सुंदरता खराब होती हो, लोगों को आवागमन में असुविधा होती हो। तो इस चीज को आप मेंडेटरी लागू करवाएं ताकि लोगों को सुविधाजनक आवागमन मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि निर्माण स्वीकृति मिलना सबसे बड़ी तकलीफ का काम हो रहा है। भवन बनाने के लिए लोग नगर परिषद् में स्वीकृति लेने जाते हैं जबकि अवैध निर्माण करने वाले या अतिक्रमण करने वाले को स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो स्वीकृति लेने जाता है उसको स्वीकृति मिलती नहीं है। मैं आपसे निवेदन

(श्री सुरेश टाक)

करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया जाए और उसकी समय सीमा आप तय कर दें। नगर परिषद् में निर्माण स्वीकृति जिस दिन मांगी जाए, उससे 15 दिन के अंदर-अंदर किसी भी सूरत में निर्माण स्वीकृति जारी कर दी जाए। एक चैक लिस्ट बन जाए। उस चैक लिस्ट पर पहले ही दिन नगर परिषद् जितनी फार्मेलिटी मांगे, उतनी फार्मेलिटी भवन निर्माता को दे और उसको 15 दिन में किसी भी रूप से निर्माण स्वीकृति मिल जाए, ताकि अवैध निर्माण से बचे।

बहुत सारी बातें सामने आई हैं। कई मंजिलें बना ली जाती हैं। पार्किंग नहीं छोड़ी जाती है। शहर की सुंदरता खराब होती है। इन सब चीजों से बचें और आम उपभोक्ता को निर्माण की स्वीकृति जल्दी मिले ताकि सरकार की तरफ से लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए कि जो निर्माण की स्वीकृति लेने वाले लोग हैं, उनको सरकार की वजह से नगर परिषद् द्वारा बहुत अच्छी तरह से निर्माण की स्वीकृति मिल गई। अवैध निर्माण करने वालों पर बहुत जबरदस्त अंकुश लगना चाहिए। अवैध निर्माणकर्ताओं ने सरकार को राजस्व का नुकसान तो पहुंचाया ही है। इसके साथ-साथ एक गलत मैसेज भी शहर में करप्शन का जाता है। करप्शन होता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नगर परिषद् के कर्मचारी मिलीभगत से कहीं न कहीं ऐसी बिल्डिंगों को बनने देते हैं या आंख बंद कर लेते हैं, जहां पर प्रभावशाली व्यक्ति अपना प्रभाव रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी और आपने प्रशासन शहरों के संग जो कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह होना बहुत ही जरूरी है। यह बहुत सालों से इंतजार था। बहुत सालों से लोगों के दिमाग में यह था कि कब प्रशासन शहरों के संग लगेगा। ऐसे कैंपों से ही लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। अगर यह कैंप नहीं लग रहे हैं तो लोग कहीं न कहीं परेशानियों में हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी सर, मैं खतम कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें थोड़े-थोड़े आमूलचूल परिवर्तन करें।

सबसे पहले जो कच्ची बस्तियां हैं, जहां पर थोड़े-बहुत लोग रहते हैं। उनके पट्टे अनिवार्य रूप से जारी किए जाएं ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिलें। मेरे सभी साथियों की यह समस्या थी कि कच्ची बस्तियों में जो लोग

(श्री सुरेश टाक)

रह रहे हैं, उनका भी जीवन हमारी तरह खुशहाल हो। वह भी सारी सुविधाओं का उपभोग करें। उनको भी यह लगे कि हम भी अच्छे माहौल में रह सकते हैं। जब तक पट्टे नहीं मिलेंगे, तब तक वहां पर सड़क निर्माण नहीं होगा। वहां नाली नहीं बनेगी। वहां लाइट नहीं जाएगी। वहां और सुविधाएं डवलप नहीं हो पाएंगी। मेरा निवेदन है कि कि इन कैंपों में विशेष तौर से फोकस कच्ची बस्तियों पर किया जाए कि उनके पट्टे जारी हों।

माननीय सभापति महोदय, कृषि भूमि पर बसी हुई जो कालोनियां हैं कई बार सड़क की चौड़ाई की वजह से उनको रोक दिया जाता है। इस बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसमें थोड़ी शिथिलता दी जाए ताकि अधिक से अधिक कृषि भूमि पर बने हुए मकानों का नियमितीकरण हो जाए उनको पट्टा मिल जाए।

एक बात और, इस बार के अभियान में आप एक विशेष लाइन जरूर जोड़ दें कि अभियान वार्डों में ही लगे, नगर परिषद् के कैम्पस में नहीं लगे। जिस वार्ड में जाना है, उस वार्ड में कैंप लगे ताकि लोगों को सुविधा मिले। उस सुविधा से ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार द्वारा बनाई हुई योजना का फायदा ले सकें। उनको यह लगे कि सरकार हमारे घर तक आई। हमारे घर पर आकर हमारी समस्याओं का समाधान किया। अधिक से अधिक चीजों को इसमें जोड़ें। हस्तांतरण, नाम हस्तांतरण, खांचा भूमि, कृषि भूमि पर बसे हुए पट्टे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक नहीं हल हो पा रही हैं, उनका हल हो। निर्माण स्वीकृति को भी आप इसमें जोड़ें।

उस कालोनी में, उस वार्ड में रहने वाले लोगों को अगर निर्माण स्वीकृति लेनी है तो कैंप में जाएं और उनको उसी दिन मिले। जितने विभागों को आप इसमें जोड़ रहे हैं, वह सारे विभाग अनिवार्य रूप से प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैंप में बैठें। उनकी मानिटरिंग हो और वह लोग पूरी तरह से काम करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): हम भी वहां जाएं, अगर जनता हमारे पास कोई समस्या लेकर आए तो हम तुरंत उस विभाग को दें और उसी दिन उस समस्या का समाधान हो जाए। जरूरी है कि आप यह आदेश निकालें कि जो समस्या आ रही है, उसका समाधान प्रशासन शहरों के संग कैंप में उसी

(श्री सुरेश टाक)

दिन हो जाए। अगर कागज पूरे हैं तो किसी भी सूरत में उसी दिन हो जाए। अगर कागज पूरे नहीं हैं तो जितना समय लग सकता है, उतना ही समय लगे।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक विशेष बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कृषकों, खातेदारों व गरीब काश्तकारों के लिए राजस्व कैंप कोर्ट लगाए जाते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं। मेरा निवेदन है कि 1 मई से शायद प्रशासन गांवों के संग कैंप लग रहा है, 2 अक्टूबर से आप प्रशासन शहरों के संग शुरू कर रहे हैं तो इस तरह के कैंप शहरी क्षेत्र में भी आयोजित किए जाएं। राजस्व से संबंधित काम शहरों में भी हैं। वहां भी गैर खातेदार लोगों को खातेदारी में कन्वर्ट कराना होता है। यह काम हो नहीं पा रहा है। शहर के लोगों को यह बड़ी समस्या है कि उनकी गैर खातेदारी जमीन खातेदारी में नहीं जाती है, जिससे उनको लोन नहीं मिलता है, वह बेचान नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो वे कर नहीं पाते हैं। इस कैंप के साथ आप उपखंड अधिकारी को निर्देश जारी करें कि यह जो राजस्व कैंप कोर्ट हैं, यह भी प्रशासन शहरों के संग एड हो जाए ताकि एक बड़ी समस्या जो रेवेन्यू की है, वह भी सोर्ट आउट हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, सुबह 295 में मैंने आपको मेरे शहर की दो झीलों के बारे में निवेदन किया था। उनके बारे में एक बार फिर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे वहां पर वैस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे ताकि यह दोनों झीलें प्रदूषित होने से बचें। इन झीलों का पानी पीने योग्य हो जाए। शहर का सौंदर्यीकरण हो जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29-नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, ब्यावर शहर में मिशन ग्राउंड जो कि ब्यावर का मुख्य समारोह स्थल है, यहां पर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व अन्य सरकारी समारोह आयोजित होते हैं। ब्यावर शहर में बसावट के समय से

(श्री शंकर सिंह रावत)

ही ईसाई समाज की संस्थाएं यहां काफी रही हैं। इनके नाम से आज भी मिशन ग्राउंड हैं। यहां कई भूमियां ईसाई समाज के नाम से दर्ज हैं। मिशन ग्राउंड की भूमि ईसाई समाज के नाम से रिकार्ड में दर्ज है।

यूनाइटेड चर्च आफ नार्दन इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, ईसाई समाज की एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका मुख्यालय मुम्बई में स्थापित है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2912 सन् 1938-39 दिनांक 09.03.1939 है। इस संस्था के नाम पर पूरे भारत में भूमियां दर्ज हैं। ब्यावर में भी इसकी बेशकीमती भूमियां हैं। स्टीफन पुत्र एबी सिंह तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर यूसीएनआई रजिस्ट्रेशन नंबर 114, 2004-05 चंडीगढ़ में फर्जी तरीके से पंजीकृत कराकर ब्यावर शहर में 5 सम्पत्तियों का अवैध बेचाननामा किया है। इस प्रकरण में स्टीफन तथा अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा नंबर 27/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018 और 9/2018 दर्ज होकर उपरोक्त लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरे बेचान को अवैध मानते हुए पूरे प्रकरण की जांच कर चालान पेश किया गया था। इसमें यूनाइटेड चर्च आफ नार्दन इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड संस्था का न तो सचिव और न ही पदाधिकारी होना पाया गया। अभी 20 जुलाई, 2020 को रेव रफीक मसीह नामक व्यक्ति द्वारा ब्यावर में ऐतिहासिक स्थल मिशन ग्राउंड की भूमि जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, की बेशकीमती भूमि खसरा नंबर 201/1 को टुकड़ों में करके फर्जी तरीके से राजकुमार भाटिया, निवासी जयपुर के नाम अवैध बेचान पंजीकृत करवाने का प्रयास किया गया जिसको मैंने जनहित में रुकवाया है। बेचान पंजीकृत होने और उक्त फर्जी व्यक्ति को 27 जुलाई, 2020 को कार्यालय उप पंजीयक, जिला कलेक्टर, अजमेर के बेचान पंजीकरण करवाने हेतु पत्र दिया। इस पर उप महानिरीक्षक पंजीयन, अजमेर द्वारा उप पंजीयक, ब्यावर को पत्र लिखकर कार्यवाही करने को कहा। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार जो शहर की बेशकीमती भूमियां हैं, उनको बेचान करने वाले फर्जी तरीके से जो लोग आते हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तो ब्यावर में इतनी बड़ी भूमि सरकारी समारोह के लिए बचेगी भी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर की बिल्डिंग करीब 100 वर्ष पुरानी है, जो अंग्रेजों के समय की बनी

(श्री शंकर सिंह रावत)

हुई है। यह वर्तमान में काफी जर्जर अवस्था में है। इसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसी बिल्डिंग के साथ ब्यावर शहर के डाक बंगले की बिल्डिंग भी उसी समय की बनी हुई है। जो रात में भरभराकर अचानक पूरी की पूरी धराशायी हो गयी है। रात का समय होने के कारण वहां पर किसी प्रकार की कोई जन हानि नहीं हुई। अगर दिन में गिरती तो काफी संख्या में जन हानि हो सकती थी। इसी प्रकार यदि अमृत कौर अस्पताल की बिल्डिंग गिरती है तो हजारों की संख्या में जन हानि हो जाएगी। अत: उस बिल्डिंग का सर्वे करवाकर निश्चित तौर पर उसके लिए बजट की व्यवस्था करायें ताकि वहां अस्पताल की जगह वापस अस्पताल बन सके। अभी कोविड वाला बजट भी उस पर जा रहा है, उसमें कहीं और आवश्यकता हो तो हमारा भी सहयोग ले सकते हैं लेकिन उस बिल्डिंग को नया बनाने की कोई व्यवस्था करें। ऐसा माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है।

माननीय मंत्रीजी, नगर परिषद् में करोड़ों रुपये का घाटा चल रहा है, सफाई कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए नगर परिषद् परेशान होती है। परकोटे के बाहरी वार्ड हैं जो कच्ची बस्तियों में बने हुए हैं वहां न पानी है न पाइप लाइन है, न बिजली है, कच्ची सड़कें हैं, वहां पर भूमाफिया अपनी कालोनियां काटकर बिना मापदंड के और भोली-भाली जनता को बेचकर इतिश्री कर लेते हैं, बाद में जनता को तकलीफ होती है और बाद में वे नगर परिषद् के गले पड़ते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर सड़कें तो कम से कम बन जानी चाहिए, सड़कों के लिए नगर परिषद् के पास बजट नहीं है, राज्य सरकार की तरफ से सड़कों के लिए ब्यावर को एक रुपया नहीं दिया गया है। माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि आप स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से ब्यावर में हमको कच्ची सड़कें जो परकोटे से बाहर बनी हुई हैं, नगर परिषद् क्षेत्र में, मैं कोई बीजेपी, कांग्रेस नहीं कर रहा हूं, नगर परिषद् में कांग्रेस के पार्षद भी जीते हुए हैं, वे भी आशा करते हैं, उनके लिए भी, आप उनके नाम पर भी कच्ची सड़कों को पक्की करने के लिए 20 करोड़ रुपये की घोषणा करें। आप आज जो बोलेंगे उसमें आपको घोषणा करनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि ब्यावर में चांद गेट से सूरजपोल गेट तक और अजमेरी गेट से मेवाड़ी गेट तक जो मुख्य

(श्री शंकर सिंह रावत)

बाजार है, उसमें अतिक्रमण इस प्रकार का हो गया है माननीय मंत्रीजी कि वहां पर ठेले वाले, सब्जी वाले और जो जाने वाले बाजार में, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। वहां पर बिजली के जो पोल खड़े हैं, ज्यादा समस्या उनकी वजह से आ रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां सर्वे करवाएं बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने का और आप उसका बजट दें ताकि आने जाने वाले लोगों को समस्या से निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कंचन पैट्रोल पम्प से जय क्लिनिक तक मुख्य रोड पर अतिक्रमण हटवाया जाए। वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए जो सड़क है, वह बहुत कम सड़क है ...(व्यवधान) यह अतिक्रमण की बात नहीं हो रही है। जहां पर छोटी सड़कों के ऊपर काम्प्लैक्स पास कर दिए गए हैं, नगर परिषद् के द्वारा पास नहीं किया गया है, वो डीएलबी के द्वारा यहां से पास किया गया है। डीएलबी के द्वारा इस प्रकार का कौनसा काम नहीं होता है, वो दलाल को दे दो, घंटों का काम मिनटों में करवाकर लाएंगे। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन आपके विभाग के अंदर इस प्रकार के दलाल हैं जो डीएलबी को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों का पता लगाकर कार्यवाही करें।

आज जितने भी काम्प्लेक्स पास हो रहे हैं अवैध, ब्यावर के अंदर मुख्य सड़क के ऊपर हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है। अभी जो निर्माण हो रहा है उसके लिए मैंने पहले बताया कि वह फाइल सीधी एसीडी ने मंगवा ली और एसीडी वाले, दो साल हो गये उस फाइल को रोककर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, कागजों को चाट रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, यह समझ में मेरे भी नहीं आया। दो साल से कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान) कल भी बोला था। आप परेशान क्यों हो रहे हो, समस्या का हल कर दो, हम बोलना बंद कर देंगे। आप कैसे बोल रहे हो कि कल भी बोले और आज भी बोले, हम रोज बोलेंगे। (व्यवधान) आप कैसे रोक पाओगे? हमारा समय है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मेरा समय मंत्रीजी ने ले लिया प्लीज।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से

(श्री शंकर सिंह रावत)

निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे काम्प्लैक्स को जनहित में आपको तुरंत कार्यवाही करके रुकवाना चाहिए। काम्प्लैक्स मालिक और एसीडी वाले मिलकर दोनों चला रहे हैं, हम फाइल भेजेंगे नहीं, आप रात-दिन काम चालू करके रखो। उन्होंने रात-दिन काम चालू करके रखा है। हास्पिटल के मरीज किस वाहन में बैठकर वहां से निकलेंगे? अंडे वाले, शराब की दुकान, छोटी सड़क पर अतिक्रमण हो रहा है, मरीजों को आने-जाने के लिए जगह नहीं है और आपका काम्प्लैक्स बन रहा है शानदार, उनके वाहन कहां खड़े रहेंगे, अस्पताल का रोड अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय कि ऐसे काम्प्लैक्स पर कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आपके सहयोगी बोलते हैं कि बार-बार, कल भी आया था, परसों भी आया था, यह रोज आएगा और रोज उठेगा लेकिन एक विषय की बात नहीं है, तकलीफ है इसलिए उठा रहे हैं। आपका एरिया होता तो आप भी उठाते। माननीय सभापति महोदय, जो बात मैंने कही है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इतना ही कहकर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बजट में नगर निगम, नगर परिषद् और नगरपालिका को 30-20-10 किलोमीटर की सड़कें दीं। इंदिरा रसोई शुरू की जिसमें अच्छे से बैठकर खाने की व्यवस्था की, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना सा अपनी ओर से कहना चाहूंगा नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में कि पहले जब अवैध कालोनी कटती है...

श्री सभापति: जितना वोल्यूम आप रोजाना रखते हो, उतना तो नहीं लेकिन थोड़ा-सा बीच में रखो आप। (व्यवधान) रोज वाले जितना तो नहीं, बीच में।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): पहले जब अवैध कालोनी काटी जाती थी, तब पता नहीं विभाग कहां सोया रहता है और जब कट जाती है या अवैध

(श्री बलजीत यादव)

मकान बन जाते हैं, अवैध मॉल बन जाते हैं, फिर उनको सील किया जाता है और फिर सील करके क्या खेल होता है वह शायद किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैंने तो कोई ऐसा उदाहरण देखा नहीं कि सील किया हो और फिर उस पर कार्यवाही हुई हो। ईवन एक नया खेल देखा मैंने कि जो प्रोपर्टी डीलर हैं जो अवैध काम्प्लैक्स बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, उनकी कोई यदि ज्यादा शिकायत करता है तो उसको वे सील करवा लेते हैं और रिकार्ड पर आ जाता है कि यह अवैध है और इसको हमने सील कर दिया है। उसके बाद निर्माण कार्य चालू हो जाता है और सील को बिना कोई आदेश लिए ही खुद ही सील को तोड़ देते हैं। सील हटा दी, उसको बेच-बाच दिया और चले गये। इतना भयंकर गड़बड़झाला रहता है कि बस पूछो मत।

माननीय सभापति महोदय, जहां नगरपालिका में या नगर परिषद् है वहां पर अगर विभाग चाहे तो अच्छी कालोनी खुद काट सकते हैं और काटकर खुद अच्छे से डवलप किया जा सकता है, जो प्रोफिट प्रोपर्टी डीलर लेकर जाता है, उस प्रोफिट से डवलपमेंट हो जाए, मैं तो यह कहता हूं कि महंगे नहीं बेचे प्लाट, जिस रेट में प्रोपर्टी डीलर बेच सकता है तो क्या विभाग नहीं बेच सकता है? सरकार का काम वैलफेयर का है तो करना चाहिए लेकिन किसी अधिकारी की उसमें रुचि नहीं होती है। जब वह कालोनी कटती है तो मंथली उसकी आ जाती है, पैसे उसके आ जाते हैं। जनता को फैसेलिटी देने से कोई मतलब नहीं है। सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार ऐसे-ऐसे काम करती है, मुझे तो कई बार लगता है कि अगर कहीं स्वर्ग-नरक है तो ऐसे काम करने वालों का क्या हश्र होता होगा? सभापति महोदय, 20-20 साल से जयपुर में कालोनियां काट दीं। 2014 और 2018 के बीच में तो 30 कालोनियां काट दीं और आज तक लाखों रुपये लोगों ने अपनी खून-पसीने की गाढ़ी कमाई के उनमें लगा रखे हैं। आज उनमें आंकड़े, झाड़-बोझड़े खड़े हैं। कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई सीवरेज नहीं। ईवन हालत यह है कि यदि कोई प्लॉट मालिक अपने प्लाट को देखने जाए तो वह पैदल भी नहीं जा सकता, गाड़ी तो छोड़ें।

सभापति महोदय, मैं एक एग्जाम्पल देकर मंत्री जी को बताना चाहता हूं। आनन्द लोक और स्वप्न लोक, दो ही बता रहा हूं, सीकर रोड पर, 2006-2007 में कटी हुई कालोनियां। जब विधान सभा में कोई एमएलए जवाब

(श्री बलजीत यादव)

मांगता है तो वे कहेंगे, रोड बना रखी है और विभाग के अधिकारी क्या जवाब देंगे, नल-पानी जरूरत के हिसाब से उपलब्ध करा देंगे। क्या खाक उपलब्ध करा दोगे तुम। जाने का रास्ता नहीं है वहां पर, झाड़ियां खड़ी हैं, मिट्टी खोद-खोदकर मंत्री जी, वहां से ले गये लोग भर-भर के। प्लाट का नहीं पता अगले को। वह मकान कैसे बनाएगा? कब तो नल-बिजली देंगे? कोई जाकर देखे उन प्लाट्स को। वे सिर्फ लूट लेंगे। बेचकर सरकारी सम्पत्ति को खा गये चोर-उचक्के। सिर्फ बेचो और खाओ। जेडीए में पैसा ले आये, अब इस रोड को खोद दो। अब यहां सीवर लाइन डलेगी, अब यहां पेयजल की लाइन डलेगी। सभापति महोदय, मुझे एक जानकार अधिकारी ने बताया, मैंने पूछा, यह क्या नाटक चलता है इस जेडीए में, कभी रोड नयी बनी हुई है चमाचम, अब उसे जेसीबी से खोदकर आ जाते हैं। क्या करेंगे, अब नाला इधर शिफ्ट करेंगे। बनती है, फिर उसे उखाड़कर आ जाते हैं। क्या करेंगे, अब नाला फिर वहीं शिफ्ट करेंगे। मतलब पहले था, वहीं ले आएंगे उसे। करोड़ों रुपये जनता की गाढ़ी कमाई के कमीशनखोर लूट ले जाते हैं। जनता भूख से मर रही है। किसी ने लोन लेकर प्लाट लिया, इन्वेस्ट किया कि मैं यह प्लाट ले लेता हूं, इसके पैसे बढ़ जाएंगे, जेडीए वाले इसे डवलप करेंगे, रेट बढ़ेगी, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी होगी तो इसे बेचकर मैं उसकी शादी कर दूंगा।

सभापति महोदय, हालत यह है कि वह किसी भी दाम में नहीं बिक रहा है। वह किसी को दिखाने ले जाता है, कब प्लाट खरीदा था, कि प्लाट को खरीदे तो 15 साल हो गये। 15 साल में इसकी यह हालत है। उस हालत में तो वह प्लाट बिकेगा ही नहीं किसी भी रेट में। लोग मर जाएंगे। लोगों की जान निकल रही है। किसी का दम निकल रहा है, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। सभापति महोदय, छोटी-सी जिंदगी होती है और जो भी आदमी दुनिया में आता है, कोई भी मां-बाप चाहे वे गरीब हों, मजदूर हों, उनके मन में भी सपना होता है कि उनकी बेटी की अच्छे-से शादी हो, अच्छे घर में शादी हो। बेटे को अच्छी कोचिंग दिलाएं, अच्छे-से उसे पढ़ाएं या उसे व्यापार कराएं, लेकिन इतने बदतमीज और इतने भ्रष्ट, चोर ये अधिकारी ऐसे निकम्मे, नालायक हैं कि मैं कहता हूं इन्हें जितनी सज़ा दी जाए उतनी कम है। एक

(श्री बलजीत यादव)

अपवाद को छोड़ दें तो ऐसे डाकू मिलेंगे। कोई उनके पास आएगा गंदे-से कपड़ों में तो उन्हें बदबू-सी आएगी और कहेंगे, 'बाहर ही भगाओ इसे तो' और जूं नहीं रेंगती है। अभी-अभी कोई मेरे घर पर आए, कि साहब यह जो 200 फीट की रोड है डीपीएस स्कूल के सामने से सेज में जा रही है, किसान आया, आबंटन पत्र है मेरे पास उनके, मतलब इतने नालायक हैं, सपोड़े दे-देकर लाल कर दें उनके गाल, ऐसा मन करता है, लेकिन सब कहेंगे कानून हाथ में ले रहा है, मैं अधिकारी को फोन करता हूं, कितना गुमराह कर रहा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह 'नालायक' शब्द असंसदीय है।

श्री सभापति: असंसदीय शब्द निकाल दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): और यह 'नालायक' शब्द मुख्य मंत्री जी का पेटेंट शब्द है। इसे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सदन के नेता कर सकते हैं अपने सहयोगी के लिए।

श्री सभापति: जितनी भी असंसदीय बातें कही गयी हैं, वे सब विलोपित कर देना।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, जो मैंने फोन किया...

श्री सभापति: मैंने आपको वोल्यूम बढ़ाने के लिए कहा था, शब्द बदलने के लिए थोड़े ही कहा था।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैंने फोन किया, बहुत गम्भीर विषय बता रहा हूं, मंत्री जी, आपके ध्यान में ला रहा हूं, 200 फीट की रोड जा रही है, 200 फीट रोड के आबंटन पत्र मिल जाते हैं, रोड का नक्शा बन जाता है और फिर किसी सेठ की जमीन होती है डेढ़ बीघा, उसकी जमीन का पैसा उठ जाता है। उठने के बाद में महापुरा और जो खटवाड़ा है, उसके अंदर, उस रोड को वापस उस किसान के खेत में डाल दिया जाता है। फिर उसे कहते हैं, बाद में उसे डीएक्वायर किया जाएगा। वह जा रहा है, उसे अधिकारी चक्कर कटा रहे हैं और मुझे क्या कह रहा है कि सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पोसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इस तरह के ये जो कृत्य किये जाते हैं,

(श्री बलजीत यादव)

इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह नहीं हो कि गोलमोल जवाब दे दिया और टाल दिया। उसको भेज देना, उसको मैं देख लूंगा। उसको भेज देना, उसको मैं देख लूंगा, इसलिए इस तरह से न हो। विभाग कम से कम ऐसी प्रोपर्टी डीलिंग तो न करे जैसी कि 2014 से 2018 के बीच में हुई, जैसी कि 2006-07 में हुई। जमीन बेच दिया, पैसा लगाया नहीं और चला गया।

साफ मन रखते हुए, मंत्री महोदय, आप कर सकते हैं, एक बार यह करें कि हर नगरपालिका पर, नगर परिषद् पर हम जमीन को लेंगे और फिर उसे डवलप करेंगे। शानदार कालोनी बनाकर प्रोपर्टी डीलर जो प्रोफिट ले जाता है, डबल पैसे ले जाता है वह प्रोपर्टी डीलर। जब वह जमीन के डबल पैसे कर लेता है तो सरकार डबल पैसे से उसका डवलपमेंट कर दे। क्यों नहीं कर सकती सरकार? इच्छा शक्ति नहीं होती तो नहीं बनता है। अधिकारी के ऊपर बर्डन होता है, इसलिए वह बर्डन लेना नहीं चाहता है। मंत्री जी कहेंगे तो वे अधिकारी ऐसा कहेंगे, नहीं, नहीं सर, यह हमारा काम थोड़ी है, यह नहीं है, वह नहीं है, क्योंकि उनका धंधा नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, इतना अंधा खेल चलता है, मेरे बहरोड़ में पेयजल वाले से एमओयू कर लिया कि साहब, रोड्स यह बना देगा, अभी खोद दो, पूरा शहर खुदा पड़ा है। खोदकर पैसे उठाकर चला गया पिछली सरकार में ही जो कान्ट्रेक्टर था। अब जाकर मैंने उसे रुकवाया। रोड्स खुली पड़ी हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अब वे कहते हैं, हम बनाएंगे नहीं, हमने एमओयू साइन कर रखा है। एमओयू कर रखा है आपने, कम से कम यह किया जाना चाहिए कि हमारी इस गली को खोदेगा तो इसका पैसा जमा करा दे वह विभाग। जमा करा दे, वह न बनाये तो अपना विभाग बना ले। आपने उस पर छोड़ दिया।

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): खतम कर रहा हूं साहब। एक मिनट में ही कर रहा हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि यह जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई है। हमें किसी को भी पावर में आने का यदि मौका मिला है, वे कोई पिछले जन्म के पुण्य कर्म थे, भगवान ने हमें मौका दिया है अच्छे काम करने का। आप गरीब को राहत दें, आप न्याय करें लोगों के साथ और यदि आप

(श्री बलजीत यादव)

उसके साथ न्याय नहीं करेंगे, उसकी पीड़ा, उसके दर्द को महसूस नहीं करेंगे तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो चिरस्थायी बनकर, अमर होकर आया हो भीष्म पितामह की तरह जिसके पास इच्छा मृत्यु हो। मरना उसे भी है, पता नहीं किस बार आप जन्म ले लें। आज वह पीड़ित है, कहीं उसकी जगह पर आप पहुंच गये तो आपको पता लगेगा, इसलिए मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है, मुख्य मंत्री जी की मंशा साफ रहती है, लेकिन फिर भी बहुत सुधार की आवश्यकता है और इन अधिकारियों से घिरी न रहे सरकार, इनसे प्रभावित न हो सरकार। सरकार में आते ही आपको अधिकारी तो जाने भगवान दिखने लग जाता है, पुलिस अधिकारी भगवान दिखने लग जाता है, कार्यकर्ता कोई कहे न कि साहब, यह काम मेरा नहीं हो रहा है, चाहे उसके लिए गर्दन कटाने वाला कार्यकर्ता हो,...

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): किसी भी मंत्री या सरकार के लिए, उसकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन अधिकारी ने अगर कुछ कह दिया तो इसको नाराज कैसे कर दें। क्या है वह, क्या है वह?

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अविनाश गहलोत। समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री सभापति: बैठिए, अंकित नहीं होगा। इसमें जो 'आईएएस' शब्द लिखा है न, विलोपित कर देना, 'अधिकारी' कर देना उसकी जगह।

श्री अविनाश (जैतारण): वे रफ्तार बढ़ा रहे थे साहब आपने बोला इसलिए। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और उप-नेता प्रतिपक्ष महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति जी, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कर मेरे विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रहूंगा। चूंकि यहां माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं लगभग पूरे राजस्थान की अगर एक कामन समस्या पर इस सदन में कोई चर्चा हुई तो वह सीवरेज की समस्या थी। इस सीवरेज के कारण राजस्थान में जहां-जहां सीवर लाइन स्वीकृत हुई उस सीवर लाइन में जैतारण में भी आज से चार साल पहले 47 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार के मार्फत जैतारण की सीवर

(श्री अविनाश)

लाइन को ठीक करने के लिए, गंदे पानी की व्यवस्था करने के लिए स्वीकृत हुए और आज चार वर्षों के बाद में अगर ईमानदारी से उस सीवरेज कार्य की जांच करवायी जाए, हालांकि विधान सभा में पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था, माननीय मंत्री महोदय के समक्ष क्वेश्चन भी लगाया, लेकिन आपने उसके जवाब में यह बताया था कि 80 प्रतिशत सीवरेज का काम पूरा हो चुका है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे इतना-सा निवेदन करूंगा, एक बार आप उसकी जांच करवा दें, यदि गांव का एक भी व्यक्ति, मेरे जैतारण क्षेत्र की बात बता रहा हूं, आपकी डाली गयी सीवर लाइन के पक्ष में आपके सामने खड़े होकर बोल जाए या आपको शाबाशी दे दे, इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप उसकी एक बार जांच करवा दें। बारम्बार एक ही मुद्दे को सदन में रखने के बावजूद उस पर कार्यवाही न होने से डीएलबी के प्रति जिस प्रकार की आम धारणा लोगों के मन में बनी है कि डीएलबी में पैसे देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है। यह आम धारणा मेरी नहीं पूरे राजस्थान की बनी हुई है। जितना पैसा देंगे उतना काम हो जाएगा। मेरे इस नगरपालिका क्षेत्र में प्रार्थी श्यामलाल माली ने आज से ठीक साल या डेढ़ साल पहले चार प्रमुख मुद्दों पर एक शिकायत डीएलबी में दी, डीडीआर को दी। दो साल बीत जाने के बाद चार में से एक के ऊपर जांच हुई, जांच में तत्कालीन ईओ, जेईएन को आपने दोषी माना। मैंने कहा था कि 16 सीसीए का नोटिस देकर उनको बर्खास्त करो, कार्यवाही करो, लेकिन आपने मात्र 17 सीसीए का नोटिस दिया और आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, वह ठण्डे बस्ते में चल रही है। तीन जो जांचें लम्बित हैं, मैं बार-बार डीडीआर साहब के पास गया, डीएलबी डायरेक्टर साहब के पास गया, आपके साथ में पत्र व्यवहार किया, विभागीय अधिकारियों को लिखे, वह प्रार्थी गया, लेकिन उन पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह डीएलबी की कार्यशैली को दर्शाता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में दस किलोमीटर सड़कें पीडब्ल्यूडी के द्वारा देने की घोषणा की है। इन दस किलोमीटर सड़कों को नगरपालिका भी बना सकती है पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा क्यों? आपने उसमें राइडर लगाया कि जहां सीवर लाइन नहीं है, जहां पीएचईडी की लाइन नहीं है वहां पर ये सड़कें बनेंगी। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये जो दस किलोमीटर

(श्री अविनाश)

की सड़कें नगरपालिका क्षेत्र में दी हैं वहां विधायकों की अनुशंसा के आधार पर हो क्योंकि आपने कल एक सर्कुलर जारी किया उसमें जिला कलेक्टर, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी और आयुक्त/ईओ, इन तीन की कमेटी होगी और तीन के माध्यम से दस किलोमीटर की सड़कों का सर्वे होगा और इन तीन के आधार पर वे स्वीकृत होंगी। मेरा निवेदन रहेगा कि हम जैसे सदस्यों को भी अगर उस कमेटी में सदस्य बनाएं तो हमारी अनुशंसा के आधार पर जहां वास्तव में जरूरत है वहां पर ये सड़कें बनाएं तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा।

नगरपालिका में जिस प्रकार से इनकम बढ़ाए जाने का सोर्स अगर कोई है, हालांकि भवन निर्माण हो, चाहे दुकान निर्माण हो, किसी पर भी नगरपालिका द्वारा बिना एनओसी के किसी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप राजस्थान सरकार के माध्यम से ऐसा कानून बनाकर नगरपालिकाओं को निर्देशित करें कि कोई भी भवन हो, चाहे दुकान हो, व्यावसायिक गतिविधि हो, चाहे डोमेस्टिक, कोई भी अगर बने तो उसकी बिना एनओसी के किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो। कुछ लोग जो नगरपालिका में बैंक का लोन लेने के लिए एनओसी के लिए एप्लाई करते हैं तो नगरपालिका के कर्मचारी, अधिकारी उनको तीन-तीन, चार-चार महीने तक घुमाते हैं और आखिर में जब उनको परमिशन नहीं मिलती है तो वे जबरदस्ती के अन्दर वहां दुकान का, भवन का निर्माण करते हैं। फिर नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी पैसे खाने के लिए वहां ध्यान रखते हैं और वहां अपने सफाईकर्मी, किसी अधिकारी, कर्मचारी को भेजते हैं और उसको बोलते हैं कि जेईएन साहब से मिल लेना, ईओ साहब से मिल लेना, इतने पैसे दे देना तो तुम्हारा काम चल जाएगा। इस प्रकार के छोटे-छोटे जो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए तौर-तरीके नगरपालिका, नगर परिषद में अपनाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाने की जरूरत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण की एकमात्र नगरपालिका जैतारण में दस-दस सालों से पट्टे लम्बित हैं और उसका कारण है कि आपने ईओ के पद पर सेनिटरी इंस्पैक्टर को लगा दिया, आपने आरआई को लगा दिया, आपने एआरआई को लगा दिया। उन लोगों के पास अनुभव तो है नहीं और जो पैसे देते हैं उनके पट्टों का निस्तारण हो जाता है

(श्री अविनाश)

और जो पैसे नहीं देते हैं उनके आज भी पैसे जमा हो रखे हैं पर दस-दस साल पहले के पट्टों की पत्रावलियां जैतारण नगरपालिका में लम्बित हैं।

इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला है उसमें स्टोर के द्वारा जो खरीददारी की जाती है उसमें माननीय मंत्री महोदय, मैं एक -दो उदाहरण देना चाहूंगा कि नगरपालिका, जैतारण के माध्यम से केबल खरीदी गई जो सौ रुपये मीटर की आती है और नगरपालिका, जैतारण में एक हजार रुपये मीटर की केबल खरीदी गई। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और आज की तारीख में वह ठण्डे बस्ते में पड़ी है। फेरोकवर, जो 1700-1800 रुपये का एक फेरोकवर बनता है उसको 3500-4000-4500 रुपये में खरीदा गया इसी नगरपालिका जैतारण के अन्दर और उसकी भी शिकायत हुई, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई, कोई उसमें दोषी नहीं पाया गया। यह डीएलबी की लापरवाही का नमूना है।

इसके अलावा, आपने कुछ समय पहले वार्डों का परिसीमन किया। मेरी जैतारण नगरपालिका में 20 वार्ड थे, आपने 25 वार्ड कर दिए। एक हजार वोटों का जो वार्ड बीजेपी का था वह वैसे का वैसे रहा और जो 700 की आबादी का मुस्लिम वार्ड था उसको तोड़कर दो वार्ड कर दिए। 350 का एक वार्ड बना, 380 वोटर का एक वार्ड बना और नतीजा क्या निकला? सीटें आपकी वह की वह रहीं और दस साल के बाद में जैतारण की जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया और आज दिन तक जितनी सीटें बीजेपी की नहीं आईं वे जैतारण के अन्दर आईं और नगरपालिका का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बना। मतलब आप वार्डों का परिसीमन तो गलत कर सकते हैं, लेकिन जनता के अन्तर्मन की जो आवाज है उसको आप खतम नहीं कर सकते, यह जैतारण की जनता ने पिछले दस सालों के कांग्रेस के कुशासन का, जो बोर्ड के कार्यकाल का नतीजा था उसको उन्होंने साफ किया।

माननीय मंत्री महोदय, आज भी नगरपालिकाओं में बहुत सारे पद रिक्त हैं। कहीं यूडीसी के पद रिक्त हैं, कहीं ईओ के पद रिक्त हैं, कहीं जेईएन के पद रिक्त हैं, कहीं एईएन के पद रिक्त हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि जैतारण नगरपालिका में जितने भी पद रिक्त हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी भरें क्योंकि आपने आने वाले समय में प्रशासन शहरों के संग कैम्प की भी

(श्री अविनाश)

घोषणा की है, आने वाले समय में ये लगेंगे। आपके पिछले कार्यकाल में भी प्रशासन शहरों के संग अभियान लगा था और उस समय माननीय मंत्री महोदय, ऐसा हुआ कि पट्टे देने के चक्कर में बहुत सारे पट्टे वितरित किए गए लेकिन बाह्य विकास शुल्क जो था वह नहीं लिया गया। उसके बाद में नगरपालिका ने नोटिस निकाले। अब करोड़ों रुपये बाकी तो हैं, लेकिन जब लोगों के पास में पट्टे आ गए तो अब वे बाह्य विकास शुल्क देने में कतरा रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं हो।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): जी, सभापति महोदय। इस बार ऐसा नहीं हो इसलिए पहले से ही इस प्रकार के नियम बनाए जाएं कि बाह्य विकास शुल्क पहले ही उसके साथ में लिया जाए।

जैतारण नगरपालिका में ठोस कचरा प्रबन्धन का डम्पिंग यार्ड नहीं है। नगरपालिका द्वारा पिछले पाँच वर्षों में शहर के मुख्य चौराहों पर, मुख्य सड़कों के दोनों तरफ गन्दगी का आलम लगा रहता है, मृत पशुओं के ढेर वहां लगे रहते हैं और शहर की आबादी के बीचों-बीच गन्दगी फैलती है। लोग सुबह-शाम मार्निंग वाक पर, इवनिंग वाक पर जाते हैं, लेकिन उनको बहुत परेशानी होती है तो ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, सीवरेज के कारण, अभी पहले रामप्रताप जी कासनियां बता रहे थे कि सीवरेज लाइन की वजह से शहर इतना अव्यवस्थित हो गया कि जो पीएचईडी की लाइनें हैं, माननीय सभापति महोदय, सही बात है कि जो सीवरेज की लाइन का पानी है वह पीएचईडी की पानी की लाइनों के अन्दर आ रहा है और घरों में गन्दा पानी जा रहा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां डीएलबी में कौन बैठे हैं, मंत्री कौन है, राजस्थान में सरकार किसकी है। सारे के सारे जो लोकल लोग हैं उनको इन शिकायतों का सामना करना पड़ता है तो यह सारा हुआ है यह सीवरेज का कार्य है उसके कारण से हुआ है।

इसके अलावा, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी मैंने इस सदन में कहा कि मेरे जैतारण क्षेत्र में जगह हमारे पास अवेलेबल है, मेरा निवेदन रहेगा कि आप टाउन हाल की स्वीकृति प्रदान करें ताकि

(श्री अविनाश)

जैतारण क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम के लिए बहुत ही अच्छी जगह हम लोग उपलब्ध करा देंगे इसलिए आपसे निवेदन है कि टाउन हाल की घोषणा करें। जैतारण नगरपालिका क्षेत्र में 2015 से लेकर आज दिन तक स्वच्छ भारत मिशन के अन्दर जितना भी सामान क्रय किया गया, उसकी एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर जांच करवाई जाए और जांच करवाने के बाद जो दोषी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, जो भी जन-प्रतिनिधि हैं, उनको सज़ा दिलाये जाने का आपसे निवेदन करता हूं।

इसके साथ में सफाईकर्मियों की भर्ती के बारे में मैंने आपसे कहा कि उसमें भी जो तत्कालीन ईओ दोषी है उसके खिलाफ आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है वे कुछ दिनों बाद में अपने ऊंचे रसूखात के कारण, राजनीतिक प्रभाव के कारण वहां से ट्रांसफर कराकर चले जाते हैं तो बाद में तकलीफ हमारे नगरपालिका क्षेत्र में इतनी रहती है कि जब 10-20 लोगों का आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं तो पोस्ट इतनी वेकेंट रह जाती हैं तो कम से कम उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): मंत्री महोदय, मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि ये जो मैंने बातें बतायी हैं, ये सुबह से लेकर माननीय सदस्यों ने बतायी हैं, मैंने भी जो बातें आपको बतायीं, उन पर विस्तृत रूप से आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। या तो इन शिकायतों का निवारण कर दें या मेरे जैतारण के अन्दर टाउन हाल की घोषणा कर दें, यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। समय की सीमा को देखते हुए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात ही सदन में रखूंगा।

सबसे पहले मेरे यहां एक नगरपालिका है और उसका क्षेत्र वर्षों से जैसा था वैसा ही चला आ रहा है, सिर्फ वार्डों की संख्या बढ़ती रहती है तो मेरा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि नगरपालिका का क्षेत्र

(श्री सुरेश मोदी)

बढ़ाया जाए। इसके पैरीफेरी क्षेत्र में जो पंचायतें आ रही हैं, गोडावास, हीरानगर, कुरबड़ा आदि को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया जाए। ये लोग नुकसान नगरपालिका का उठा रहे हैं। डीएलसी रेट नगरपालिका की इनके लगती है, स्टाम्प ड्यूटी इनके नगरपालिका की लगती है, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं इन्हें नहीं मिलतीं। सड़कों की सुविधा, लाइटों की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं से ये वंचित हैं जबकि ये बिलकुल शहर के अन्दर बसी हुई पंचायतें हैं तो शीघ्र इस ओर ध्यान देकर मंत्री महोदय मेरी नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ाने की कृपा करें।

(19.00 बजे)

मेरे नगरपालिका क्षेत्र में रेलवे फाटक नम्बर 76 पर ओवर ब्रिज बना है और वह ओवर ब्रिज गलत डिजाइन की वजह से नगरवासियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। उसे एक तरफ उतारा गया है और दूसरी तरफ जो जाने वाले लोग हैं, उनको एक किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस थाने की ओर भी इस ओवर ब्रिज को उतारा जाए। इसकी योजना बनवाई जाए और इसे स्वीकृति दी जाए।

इसी प्रकार, इसी फाटक के नीचे अंडरपास प्रस्तावित है। पैदल जाने वालों के लिए, मोटर साइकिल के लिए, इतना लम्बा चक्कर लगाकर शहर में जाना पड़ता है। दो हिस्से हिन्दुस्तान, पाकिस्तान हो गये हैं रेलवे लाइन की वजह से, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अंडरपास का जो काम है, वह शीघ्र शुरू करवाकर पूरा करवाया जाए और एक अंडरपास स्वीकृत है, उसकी जगह डबल अंडरपास बनवाया जाए, जिससे वन-वे हो सके। एक साइड जाने के लिए हो सके, एक साइड आने के लिए हो सके और वाहन उसमें फंसें नहीं, चूंकि अंडरपास की साइज बहुत छोटी होती है।

सभापति महोदय, नीम का थाना का जो मास्टर प्लान बनाया गया है। उसमें बहुत सारी कमियां हैं और नगरपालिका ने उसे संशोधित करने के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया है। राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति भी दे दी, लेकिन लम्बे समय से वह मास्टर प्लान संशोधन के लिए टाउन प्लानिंग विभाग में पड़ा है। कई बार मैंने भी उनसे सम्पर्क किया, तो सीकर वाले कहते हैं कि साहब, जयपुर से हमारे पास कोई आदेश नहीं आए तो कोई ऐसी समय सीमा इसकी तय हो, जिससे कि संशोधन हो सके। महीने में, दो

(श्री सुरेश मोदी)

महीने में, तीन महीने में, उनको समय दिया जाए कि इस समय सीमा में आप इसको संशोधित करें।

एक और निवेदन इसमें मेरा है कि हर नगरपालिका की स्थितियां अलग-अलग हैं तो नगरपालिका का मास्टर प्लान बनाने में और स्वीकृत करने में नगरपालिका की बात को वज़न दिया जाए। वे अपने हिसाब से नगर की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां, क्या स्थिति है, उसके बारे में वे लोग ज्यादा समझते हैं। इसलिए उनकी बात को तवज्जोह दी जाए और उनको महत्व दिया जाए उस मास्टर प्लान को संशोधित करने में।

मेरी नगरपालिका में सीवर योजना स्वीकृत हुए बहुत समय हो गया है। पिछले साल कोरोना हो गया, लेकिन अभी तक उस सीवर योजना का पता नहीं है, उस पर क्या कार्यवाही हो रही है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है आपके माध्यम से जो स्वीकृत सीवर योजना है, उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि नगरपालिका क्षेत्र में जो गंदगी है, उससे नगरवासियों को निजात मिले।

महोदय, पूरे नगरपालिका क्षेत्र में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, जहां पर कुछ हरियाली हो, कुछ पेड़ लगे हुए हों, जहां पर नगरवासी जाकर आक्सीजन ले सकें, भ्रमण कर सकें, अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकें, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे सरकार ने और जगहों पर नैचर पार्क स्वीकृत किये हैं, वैसा ही एक नैचर पार्क नीम का थाना नगरपालिका में भी स्वीकृत करने की कृपा करें।

इसी प्रकार, हाउसिंग बोर्ड की भी कोई योजना नीम का थाना में नहीं है तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि नगरपालिका नीम का थाना में भी हाउसिंग बोर्ड की कोई योजना लागू करें। जिस तरह से आप सस्ते और अच्छे मकान लोगों को उपलब्ध कराते हैं, उस तरह के मकान वहां की जनता को भी उपलब्ध कराएं।

इसी प्रकार, नीम का थाना में कोई टाउन हाल भी नहीं है। बरसों पुरानी नगरपालिका है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए कोई जगह वहां पर नहीं है इसलिए, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर टाउन हाल निर्माण की भी कोई योजना बनाकर उसकी भी स्वीकृति दी जाए।

एक और मेरा निवेदन मंत्री महोदय से है कि बड़ा विधान सभा क्षेत्र है, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी, इसके बावजूद

(श्री सुरेश मोदी)

यहां पर सिर्फ एक नगरपालिका है। पाटन एक दूसरा बड़ा कस्बा है नीम का थाना के बाद, जहां पर उप-तहसील है, कालेज है, ब्लाक सीएमएचओ का कार्यालय है, पीडब्ल्यूडी ए.ईएन, रेंजर, पुलिस थाना, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, ये सभी कार्यालय वहां पर हैं तो एक नई नगरपालिका पाटन में शुरू की जाए, खोली जाए, इस बात का भी मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

एक निवेदन मंत्री महोदय से और करना चाहूंगा कि जो सफाई कर्मचारी हैं, खासतौर से वाल्मीकि समाज के, नई भर्तियों में इन्हीं को प्राथमिकता दी जाए और इनकी सुविधाओं में और इनके वेतनमान की ओर ध्यान दिया जाए, इसमें बढ़ोतरी की जाए। कैसी परिस्थिति में वे लोग काम करते हैं, उस परिस्थिति के हिसाब से उनके वेतन आदि में बढ़ोतरी की जाए।

नगरपालिका क्षेत्र में बजट घोषणा के अंतर्गत आपने हर नगरपालिका में दस किलोमीटर सड़क बनाने की स्वीकृति दी है, लेकिन उसमें आपने जो कमेटी गठित की है, एक तो कलेक्टर को आपने अध्यक्ष बनाया है। जहां एसडीओ है, वहां कम से कम अध्यक्ष एसडीओ को बना दें, कलेक्टर को नहीं बनाएं। इसी तरह जहां एक्स.ईएन है पीडब्ल्यूडी का, वहां एसई को सदस्य न बनाकर एक्स.ईएन को बनाएं और इसी प्रकार विधायक को भी उस समिति में कहीं न कहीं स्थान दें, यह मेरी आपसे गुजारिश है।

शहर में कई जगह बिजली की बड़ी-बड़ी लाइनें हैं और उनके नीचे मकान बन गये हैं, बड़ी लाइनें 33, 133 के.वी. की और उनके नीचे मकान बन जाने से, वहां के निवासियों के साथ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी जगहों को चिन्हित करके अंडरग्राउड केबल, वहां पर डाली जाए ताकि इन दुर्घटनाओं पर रोक लग सके।

एक और निवेदन मेरा मंत्री महोदय से है कि कोटा को जैसे आपने एक यादगार शहर बनाया है, आपने कोटा में बहुत सारी गिफ्ट दी हैं। उसी तरह हर नगरपालिका में कम से कम एक ऐसी योजना आपकी तरफ से आए, जैसे कोटा आपको हमेशा याद रखेगा, वैसे सारा राजस्थान आपको याद रखे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए पुन: धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

लिखित वक्तव्य

(मा. सदस्य श्री महेन्द्र विश्नोई द्वारा सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, आज मांग संख्या-29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर सदन में चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ, गम्भीरता के साथ और सक्रियता के साथ इस पूरी चर्चा में भाग लिया, उन सबको अपनी तरफ से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने तो पूरी सक्रियता के साथ पूरी नींद ली आज, पूरे पांच घंटे बाद आप सदन में आए, आपको क्या मालूम, कौन माननीय सदस्य सक्रियता के साथ, किसने भाग लिया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चैम्बर में जो है, बाकायदा टीवी लगा हुआ है। आप जब कभी यहां पर बैठे-बैठे थक जाओ तो मेरे चैम्बर में आकर टीवी देख लिया करो।

श्री सभापति: आपकी सारी हरकतें वहां से देख रहे थे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो-जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, बहुत बहुमूल्य सुझाव हैं, सुझाव के साथ-साथ उन्होंने कई समस्याएं भी बताईं, भ्रष्टाचार के कई किस्से भी सुनाए। इन सब बातों को लेकर के, मैं बहुत गम्भीरता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन पर काम करने का प्रयत्न करूंगा।

सभापति महोदय, सबसे पहले स्वायत्त शासन से अपनी बात चालू करता हूं और मुझे उम्मीद है कि जिन सदस्यों के द्वारा यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें उठाई गई हैं, चाहे वे अशोक लाहोटी साहब हों, चाहे संयम लोढ़ा साहब हों, चाहे देवनानी साहब हों वगैरह-वगैरह, वे मेहरबानी करके मेरा जवाब पूरा सुनें, तभी जाकर मैं मानकर चलूंगा कि आप सक्रियता से भरपूर हैं और अगर आप बीच में उठ करके चले गये, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, अगर आप बीच में उठ करके चले गये तो निश्चित तौर पर फिर मैं आइंदा आपकी बात का जवाब नहीं दिया करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या अंदाज है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप तो आज बोले ही नहीं। इसका मतलब यह है कि नगरीय विकास के बारे में आपकी जानकारी है ही नहीं क्योंकि इसमें टप्पेबाजी नहीं चलती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे को आपके बारे में जितनी जानकारी है, किसी को नहीं है। मुझे मालूम था कि मेरे बोलने का अर्थ क्या होगा इसलिए नहीं बोला मैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अच्छा। तो स्वायत्त शासन के बाबत मैं बताना चाहता हूं कि रूफटाप बायलाज पहली बार बनाए गए हैं। आज तक कभी इन 70 सालों में रूफटाप बायलाज नहीं बनाए गए हैं जो हमने बनाए हैं। नगरीय विकास कर, गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज पर पैनल्टी में छूट, विवाह स्थलों को लाइसेंस फीस की पैनल्टी की छूट भी दी गई। डेयरी बूथ आबंटन में विशेष योग्यजन को 5% का बूथ का आरक्षण भी किया गया है। राजस्थान माडल टीनेंसी अधिनियम, 2020 का प्रारूप, आपको ध्यान होगा कि 1998 से लेकर के 2003 तक की सरकार में भारत सरकार ने एक माडल रेंट कंट्रोल एक्ट भेजा था और उस पर एक बाकायदा यहां पर सब्जेक्ट कमेटी बैठी थी, उस सब्जेक्ट कमेटी ने खूब अच्छी तरह से विचार करके एक नया एक्ट बनाया था। उसके बाबत फिर एक माडल बायलाज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो उसका प्रारूप भी हमने तैयार किया है और आमजन से आपत्ति और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र के संरक्षण, विरासत संरक्षण बायलाज, 2020 यह भी पहली बार बने हैं। विरासत के संरक्षण के बाबत कोई बायलाज आज तक 70 साल में कभी नहीं बनाए गए लेकिन यह पहली बार बनाए गए हैं। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप माडल बायलाज जारी करके प्राधिकृत प्राधिकारियों और अपील अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसमें संयम लोढ़ा साहब ने जो सुझाव दिए हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। नाम हस्तांतरण, विक्रय स्वीकृति, ऋण की एनओसी के प्रकरण में मौका निरीक्षण की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी चीज में होता था तो इनमें होता था। जब वह नाम हस्तांतरण के लिए जाता था या विक्रय की स्वीकृति के लिए परमिशन लेने के लिए यूएलबी में जाता था तो बाकायदा एक जेईएन को या किसी को भी वहां मौका देखने भेज दिया जाता था। अब अगर मान लीजिए जिस वक्त उसको स्वीकृति मिली थी नगरपालिका के द्वारा या यूआईटी के द्वारा या जेडीए के द्वारा, बिल्डिंग उसने खड़ी कर ली और बिल्डिंग खड़ी करने के बाद में उसने कोई छज्जा निकाल लिया या कोई बालकनी निकाल ली या कहीं खिड़की खोल दी तो उसी का एतराज लेकर वह हजारों रुपये की रिश्वत लिया करता था, वह सब बंद

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कर दिया हमने। हमने साफ-साफ यह आर्डर कर दिया कि नाम हस्तांतरण और विक्रय स्वीकृति और ऋण के लिए कोई भी मौका जाकर नहीं देखेगा, दस्तावेजों के आधार पर उसको 10 रोज के अंदर-अंदर बाकायदा उसकी इजाजत देनी पड़ेगी।

अग्निशमन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण - 155 फायर ड्राइवरों की भर्ती की गई। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भिवाड़ी के लिए एरियल हाइड्रोलिक लेडर क्रय किए जा रहे हैं तथा 200 फायर ब्रिगेड के क्रय की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

इंदिरा रसोई- इंदिरा रसोई के बाबत 358 रसोइयों के माध्यम से अब तक 2 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। देवनानी साहब ने इस पर सवाल उठाए थे, मैं उस बात का जवाब भी दूंगा।

कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन- एक करोड़ 70 लाख नि:शुल्क मास्क, 4 करोड़ फूड पैकेट, एक करोड़ स्टीकर चस्पा, 44 लाख लीटर सोडियम तथा दुर्घटना अगर किसी सफाई कर्मचारी की हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपये का बीमा, 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को राज्य सरकार की तरफ से 3500 रुपये प्रति स्ट्रीट वेंडर भी दिया गया।

अमृत योजना में 3224 करोड़ रुपये के 94 कार्य स्वीकृत किए गए। सीवरेज परियोजना में 2065 लाख और 57 हजार, 26 शहरों में 1477 करोड़ रुपये एवं 2359 किलोमीटर की सीवर लाइन और 38 एसटीपी कुल क्षमता 128.95 एमएलडी एवं 11 एसटीपी का अपग्रेडेशन भी किया गया।

जल निकासी योजना- इसमें 68 करोड़ 43 लाख बारां, चूरू, झुंझुनूं, उदयपुर में 32 करोड़ का कार्य पूर्ण किया गया और जोधपुर में कार्य प्रगति पर है।

जलापूर्ति योजना- 1023 करोड़ 23 शहरों में 24 जलापूर्ति कार्य हेतु सात सौ तीन करोड़ के कार्य पूर्ण किए गए। 5 शहरों में कार्य पूर्ण और शेष में प्रगतिरत हैं। यह सब अमृत योजना में चल रहा है।

पार्कों का विकास - 52 करोड़ में 106 पार्क, 37 करोड़ खर्च करके 90 पार्कों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और 16 का कार्य प्रगति पर है।

स्वच्छ भारत मिशन- 3 लाख 46 हजार घरेलू शौचालयों को और 2774 सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और 5379 वार्डों में घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य भी किया जा रहा है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- 25,553 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। 17,101 समूह को 17 करोड़ 10 लाख रुपये का रिवाल्विंग फंड भी जारी किया गया। 53 हजार व्यक्तियों को बैंकों से 245 करोड़ का ऋण और 34,304 शहरी बेरोजगारों को विभिन्न कोर्सों में प्रशिक्षण दिया गया। 29,818 शहरी पथ विक्रेताओं को पुन: व्यवसाय करने हेतु 7% अनुदान ब्याज की दर पर 10,000 रुपये उपलब्ध कराए गए। यह भारत सरकार की योजना है।

किशनगढ़ में समपार फाटक 34 करोड़ 15 लाख, अजमेर में नाका मदार अंडर पास 2 लाख 70 हजार, श्रीनगर रोड अंडरपास 4 लाख 42 हजार तथा चौहटन रोड रेलवे फाटक बाड़मेर में राशि 31 करोड़ 51 लाख, बारां में समपार फाटक संख्या-38 पर 33 करोड़ 22 लाख की लागत से आरओबी की प्रक्रिया करीब-करीब पूरी होने जा रही है।

आरयूआईडीपी को ले लें आप। आरयूआईडीपी के तीसरे चरण में 12 शहरों में 3490 करोड़ के कार्यों से 18 लाख की आबादी को लाभान्वित किया गया है। चतुर्थ चरण में लागत 5000 करोड़ रुपये प्रथम ट्रैंच के अंतर्गत 3076 करोड़ के पेयजल, सीवरेज की कार्य योजना 14 शहरों में, 9 शहरों में प्रारम्भ कर दी गई है। जयपुर में देहलावास स्थित दो एसटीपी जिसकी क्षमता थी एक एसटीपी की 62.50 एमएलडी, इस प्रकार के दो एसटीपी का अपग्रेडेशन और 90 एमएलडी क्षमता के एक नये एसटीपी का 278 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जैसलमेर में अधूरे टाउन हाल का निर्माण रुपये 16 करोड़, सिरोही में रुपये 17.47 करोड़, धौलपुर में 16.37 करोड़, करौली में टाउन हाल बनाने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गई है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1039 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गई है।

75 करोड़ की लागत से ऐतिहासिक आयड़ नदी के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। सीवरेज, मैनहोल सफाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये 88 करोड़ की लागत से, आज किसी माननीय सदस्य ने यह बात भी उठाई थी कि 88 करोड़ का जो आप खरीदने जा रहे थे उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वह मशीनें करीबकरीब आने वाली हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के बाबत 3972 करोड़ रुपया, जिनके द्वारा 392

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

परियोजनाओं में से 106 पूर्ण हो चुकी हैं और 191 प्रगतिरत हैं। राजस्थान पांचवें स्थान पर माना जाता है। 2015 से अब तक 1375 करोड़ रुपया व्यय किया गया। दिसम्बर, 2018 के पश्चात् 1190, 2015 से लेकर आज तक कुल मिलाकर खर्च हुआ है 1375, उनमें से दिसम्बर, 2018 के बाद 1190 करोड़ रुपया व्यय किया गया है। यानी तीन साल के अंदर आपके समय में कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपया भी इस पर खर्च नहीं हुआ। यानी 2015 से 2018 तक 185 करोड़ रुपया ही आपके द्वारा खर्च हुआ। आपकी सरकार ने स्मार्ट सिटी में धीमी प्रगति से काम किया।

उदयपुर स्मार्ट सिटी, 883 करोड़ की 105 परियोजनाएं, मैं कोई गलत हूं तो आप बोल देना साहब, करेक्ट कर देना मुझे। 883 करोड़ की 105 परियोजनाएं, 46 पूर्ण हो चुकीं, 44 प्रगतिरत हैं और 6 निविदाधीन हैं, 551 करोड़ का कुल व्यय हुआ है। जयपुर स्मार्ट सिटी, 1298 करोड़ की 135 परियोजनाएं, 21 पूर्ण हो चुकी हैं, 56 प्रगतिरत हैं और 9 निविदाधीन हैं, कुल मिलाकर 285 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। कोटा स्मार्ट सिटी, कोटा 8वें स्थान पर आता है। 881 करोड़ की 47 परियोजनाएं, 16 पूर्ण, 23 प्रगतिरत हैं और 1 निविदाधीन है, कुल मिलाकर 243 करोड़ रुपये हो चुके हैं स्मार्ट सिटी के तहत। अजमेर स्मार्ट सिटी, 910 करोड़ रुपये की 105 परियोजनाएं, 23 पूर्ण हो चुकीं, 68 प्रगतिरत हैं और 10 निविदाधीन हैं और 296 करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट में 2 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने की घोषणा की थी, जिस पर विभाग आज तैयारी में जुटा हुआ है। नगरीय निकायों में 2000 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में, किसने उठाया था यह सवाल कि साहब आपने सड़कें बनाने की घोषणाएं कर दीं लेकिन आपके पास बजट तो है ही नहीं कि नगर निगम में 30 किलोमीटर बनेगी, नगर परिषद् में 20 किलोमीटर बनेगी और नगरपालिकाओं में 10 किलोमीटर सड़क रिपेयर होगी, बजट है ही नहीं। यह पीडब्ल्यूडी के द्वारा करवाया गया है। यह मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी और 1000 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा।

गणगौरी बाजार अस्पताल जयपुर में चिकित्सा सुविधा विस्तार। चार दीवारी में सीवर लाइन, जोधपुर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़ सीवर में ड्रेनेज सिस्टम,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जोधपुर में ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, दौसा, जालौर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर। बूंदी में टाउन हाल, नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका के पार्कों में जिम स्थापित करना। 24 जिलों के 50 शहरों में एफएसटीपी स्थापित किये जायेंगे। कोटकासिम अलवर में, बोरावड़ नागौर, धरियावद प्रतापगढ़, गोविन्दगढ़, बरबोक अलवर, ऋषभदेव उदयपुर, नगरपालिका का गठन भी किया जायेगा।

अब मैं इस बाबत कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। (व्यवधान) अमृतकौर अस्पताल, याद रहेगा, लिखकर देना मुझे। इंदिरा रसोई में सीसी टीवी कैमरे एवं लाभार्थियों को ऑनलाइन फीड बैक लेने हेतु रेस्पोंस सिस्टम भी लगाये जा रहे हैं। देवनानी साहब ने इंदिरा रसोई के बाबत सवाल उठाये थे, मैं उनका जवाब दूंगा आपको। अजमेर सिटी के बाबत भी आपने बात कही थी। अजमेर सिटी में 8 करोड़ 75 लाख लीगेसी वैस्ट के निस्तारण पर व्यय किया जायेगा, यह घोषणा है, अब होगा। 6 करोड़ 78 लाख व्यय करके जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में 100 शय्याओं का आइसोलेशन विंग का निर्माण भी किया जायेगा। (व्यवधान) करवाया तो आपने है, उन्होंने थोड़े ही करवाया है। यह ताली नहीं बजायेंगे, जब तक कटारिया साहब नहीं कहेंगे ताली कोई नहीं बजायेगा। 60 करोड़ व्यय करके 128 स्लाइस की सीटी स्केन अजमेर में। स्मार्ट सिटी के तहत 15 करोड़ का 300 टन प्रतिदिन क्षमता का सोलिड वैस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी अजमेर में लगाया जायेगा।

जयपुर स्मार्ट सिटी के तहत कंवर नगर विद्यालय परिसर में वर्तमान विद्यालय भवन का विस्तार किया जायेगा। नवीन स्नातक महाविद्यालय का निर्माण किया जायेगा। खेल कूद की बुनियादी सुविधाएं एवं नवीन सभागार 16 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाया जायेगा।

उदयपुर स्मार्ट सिटी में ब्रह्मपोल से चांदपोल झील के ऊपर सड़क का निर्माण कार्य 11 करोड़ 78 लाख की लागत से बनाया जायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह सब स्मार्ट सिटी में है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां स्मार्ट सिटी के, मैं यह सब स्मार्ट सिटी के ही पढ़ रहा हूं। लेकिन स्मार्ट सिटी पर कोई केन्द्र सरकार का ही ठेका नहीं है, 50 परसेंट पैसा हमारा भी लगा हुआ है, यकीन मानो आप। स्मार्ट सिटी को कुछ लोग यह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

प्रचारित करते हैं कि यह सारा का सारा पैसा केन्द्र सरकार के द्वारा दिया गया है, 50 परसेंट हमारा है। पैसे के अलावा भी सारे के सारे एम्प्लाइज जो स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वह भी सब हमारे हैं। उनकी तनख्वाह भी हम देते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): स्मार्ट सिटी में आपका शेयर 30 परसेंट है, करेक्ट कर लो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 30 परसेंट है तो फिर यह 20 परसेंट जो नगरपालिकाओं का है, यह गुजरात की हैं क्या? कुल मिलाकर 50 आ गया न। आईटी समाधान और निगरानी नैटवर्क कार्य के लिये 15 करोड़ की लागत से बनाया जायेगा। यह सब आपने ही रखवाया होगा, हम तो कोई बोलते नहीं हैं उदयपुर में आपकी वजह से। 1 करोड़ 43 लाख से आयुर्वेद विभाग और राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लिये उपकरणों की खरीद भी की जायेगी।

कोटा स्मार्ट सिटी के तहत 20 करोड़ रुपये व्यय लीगेसी वैस्ट के निस्तारण के लिए किया जायेगा। बस, कोटा में यह 20 करोड़ ही है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक संगठन संस्थागत विकास घटक के तहत 3000 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर अनुदान की राशि जारी की जायेगी। 3000 शहरी गरीबों को 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत एवं समूह ऋण उपलब्ध कराना और एक लाख पथ विक्रेताओं को, स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हजार रुपये का अनुदानित ऋण वितरित करना और 41334 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन सैकण्ड फेज में सेनिटेशन, सालिड वैस्ट और मैनेजमेंट के कार्य इस वर्ष लिये जायेंगे। जल जीवन मिशन (शहरी), एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में एसटीपी और सीवरेज ट्रीटमेंट कार्य किये जायेंगे। जिन शहरों की जनसंख्या एक लाख से ज्यादा होगी, वहां पर बाकायदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी वगैरह लगाये जायेंगे।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जोधपुर, जयपुर और कोटा में एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए प्रथम किश्त के अनुदान के रूप में 140 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है। इन शहरों में ग्रीन स्पेस डवलपमेंट, आधुनिक मशीनों के द्वारा रोड की सफाई, सड़कों की मरम्मत, एंटी-स्मोक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गन से वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय किये जाएंगे। अलवर और भिवाड़ी नगर परिषद् को भी एक-एक एंटी-स्मोक गन उपलब्ध करायी जाएगी।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बलजीत यादव साहब ने एक बात कही थी कि प्राइवेट कोलोनाइजर खातेदार के साथ एग्रीमेंट कर लेता है और कालोनी डवलप कर लेता है। डवलप करके उसमें सारी सुविधाएं न देकर बस्ता उठाकर भाग जाता है और अल्टीमेटली वह सारा का सारा बर्डन नगरपालिकाओं या सरकार के ऊपर पड़ता है। इस बात के लिए हमने यह कोशिश की है कि, मैं हर जगह की तो नहीं कह सकता, लेकिन जेडीए और कोटा की कोशिश आपको बताता हूं, क्योंकि बाकी के लिए अभी मैंने जानकारी प्राप्त नहीं की है। जितने भी प्राइवेट कोलोनाइजर्स हैं, हम उनको डिसकरेज करेंगे। डिसकरेज करने का तरीका एक ही है कि नगरपालिकाओं के पास अपना खुद का इतना स्टाफ नहीं है, चाहे वह परिषद् हो, निगम हो, चाहे पालिका हो। उनके लिए हमने 150 ए.टी.पी. (असिस्टेंट टाउन प्लानर) की नियुक्ति के लिए फाइल चला दी है और मुख्य मंत्री जी की स्वीकृति हो गयी है। वह फाइल फाइनेंस में पड़ी हुई है, शायद निकल जाएगी। जब मुख्य मंत्री जी की स्वीकृति हो गयी है तो क्या बात है। उनकी यह ड्यूटी होगी कि वे ये देखेंगे कि जितने भी प्राइवेट कोलोनाइजर्स हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए और नगरपालिका के लिए कालोनी के लिए किस प्रकार से प्लान किया जाए, ताकि उन कालोनियों को बसाने से जो आमदनी होगी, वह नगरपालिका के खाते में जाएगी। आज भी जिन यूआईटीज ने इस तरह का काम हाथ में ले रखा है, उनकी फाइनेंशल पोजिशन अच्छी है।

जैसे अभी मोदी जी ने सवाल उठाया। अभी नहीं है, बता देना। उन्होंने यह सवाल उठाया था कि नगरपालिकाओं के पास जमीन नहीं है। हमने कलेक्टर को ये निर्देश दिये हैं कि नगरपालिका को अपनी सीमा बढ़ाने के लिए, अगर कोई सिवाय चक जमीन उपलब्ध है तो प्राथमिकता के तौर पर नगरपालिका को वह जमीन दी जानी चाहिए, अलाट की जानी चाहिए।

'प्रशासन शहरों के संग' की बात भी चली। मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा है कि 2 अक्टूबर से 'प्रशासन शहरों के संग' योजना चलेगी। जैसा कि आपको विदित है कि 2012-13 में हमने जो प्रशासन शहरों के साथ चलाया था, पांच लाख पट्टे उस वक्त बांटे गये थे। उन नगरपालिकाओं को, जिनके

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पास तनख्वाह चुकाने का पैसा नहीं था, उनके पास उस अभियान के दौरान 30-40 करोड़ रुपये इकट्ठे हो चुके थे और जनता को बहुत बड़ी राहत मिली थी। वह तो वे बिंदु थे, लेकिन अब जो प्रशासन शहर की ओर चलेगा, उसमें हम कई नये बिंदु और जोड़ रहे हैं। वे तो चलेंगे, 2012-13 वाले तो कंटीन्यू रहेंगे, लेकिन दूसरे ऐसे बिंदु जोड़ रहे हैं, जिनसे आम आदमी को राहत मिलेगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको दो-तीन बिंदु बता देता हूं। बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। एक तो वक्त जो पट्टे दिये जाते थे, वे कंडीशनल पट्टे दिये जाते थे, उन पर बैंकों का लोन नहीं मिलता था। अब अनकंडीनल पट्टे दिये जाएंगे, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। उनको पट्टा दिखाकर बैंक से लोन लेना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, कच्ची बस्ती के सभी मान्य पट्टों पर ऋण मिलेगा। भूखंडों के उप विभाजन के पश्चात् आराम से पट्टे मिल सकेंगे।

जैसा कि लाहोटी साहब ने कहा था कि जब भी आप आते हो, नगरपालिकाओं के अधिकारों को समेट लेते हो। इस बार हमने जितने अधिकार दिये हैं, मेरा ख्याल है कि आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं दिये होंगे। उप विभाजन का अधिकार उनको दे दिया। सब-डिवीजन का दे दिया, रिकोगनाइजेशन का दे दिया, वगैरह, कई तरह के अधिकार उनको दिये जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आती थी कि एक मकान बना हुआ है, क्राउन एक्ट में नहीं आता। क्राउन एक्ट की तो सीमा है कि इतने वर्ष का पुराना मकान बना हुआ है तो क्राउन एक्ट में उसका फायदा मिल सकता है। एक रुपये में वे पट्टा सरकार से ले सकते हैं लेकिन वह क्राउन एक्ट में नहीं आता और मकान भी इस तरीके का बना हुआ है, पुराना है, नया नहीं बना हुआ है, लेकिन उसमें ऊपर तो रेजिडेंशल है और नीचे छह दुकानें बनी हुई हैं। रेजिडेंशल का पट्टा तो नगरपालिका ने दे दिया था, पिछला जो प्रशासन शहरों की ओर अभियान चला था, उसमें लेकिन उन दुकानों का पट्टा नहीं दिया था। अब हम समूचा पट्टा चाहे वह कामर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशल हो, वह सारा का सारा पट्टा देने का अधिकार नगरपालिका को दे देंगे। इस तरह के कई चेंजेज किये गये हैं।

सारे महापौर, सभापति, अध्यक्ष, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, संबंधित अधिकारी की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। नियमों में वांछित शिथिलता हेतु मंत्रिमंडल के लिए नोट तैयार किया जा रहा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

है। मैंने यह जो कुछ घोषणा की है कि 'प्रशासन शहर की ओर' में यह देंगे, यह घोषणा मेरी है। अभी मंत्रिमंडल से स्वीकृति होना बाकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जब मंत्रिमंडल की आपको स्वीकृति नहीं मिली तो सदन का समय खराब क्यों कर रहे हो? जब आप खुद कह रहे हो कि मंत्रिमंडल से इसको स्वीकृति नहीं मिली तो फिर आपका अधिकार ही नहीं है। सभापति महोदय, फिर ये क्यों हमारा समय नष्ट कर रहे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे कब कह रहा हूं कि ये लागू कर देंगे। मैं तो यह कह रहा हूं कि ये तो हमारे प्रस्ताव हैं जो मंत्रिमंडल में रखे जाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये मंजूर होंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनके कहने का मतलब है कि सरकार कह रही है, समझो आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी जो संविधान ने दी है, पर इस मंत्रिमंडल में कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी इनके पास नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां नहीं है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री जी का कहने का मतलब सरकार ही कह रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप जिम्मेवारी ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जब इस प्रकार की लोक-लुभावन घोषणाएं होंगी तो निश्चित तौर पर इनके पेट में दर्द तो होगा ही होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह दर्द की बात नहीं है। जो अधिकार हमें हैं, जिस पर स्वीकृति नहीं हुई है उसके विवरण को केवल यहां पढ़ना है, उसके लिए उचित नहीं है। जब वहां से निर्णय होता है, उसके बाद पढ़ो तो कोई एतराज नहीं है। आज वास्तव में आप उस स्टेज पर नहीं हो कि इन बातों की घोषणा आप अधिकृत रूप में यहां कर सकते हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैंने कभी यह नहीं कहा। मैंने कहा कि ये हमारे प्रस्ताव हैं जो मंत्रिमंडल को जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कृपया हमारा समय जाया मत करिये, यह सदन है, कोई सब्जी मंडी नहीं है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। सभापति महोदय, जो मंत्रिमंडल ने अनुमोदित नहीं की, वह सुनने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, ये लगातार खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, फिर बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री सभापति: इनका नाम शान्ती धारीवाल जी है, ये काम्पीटेंट है, अपनी रक्षा करने के लिए आपको जरूरत नहीं है, इधर से खड़े होने की। ये अपने आप निपट लेंगे। आप बैठिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, यहां पर इस प्रकार के हजारों सवाल आते हैं, जिस पर सरकार की तरफ से यह जवाब मांगा जाता है कि 'क्या सरकार उस पर विचार करेगी' तो मंत्री जवाब देते हैं कि 'हां सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी' तो मैंने आपको प्रस्ताव रखे हैं। ये हमारे प्रस्ताव हैं, जो मंत्रिमंडल में जाएंगे। इसमें कोई अपराध नहीं है। सभापति महोदय, एक सवाल यहां पर दो-तीन रोज पहले आया था।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप घोषणा चाहे न करें, लेकिन आप एक बार रामप्रताप कासनियां जी का नाम जरूर बोल लो। कई देर से वे आपको पुकार रहे हैं। आप कासनियां साहब का नाम जरूर ले लो, घोषणा चाहे करो या करो।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): इनका सेफ्टी टैंक खाली नहीं हो रहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सेफ्टी टैंक पूर्णतया खाली है, चाहे आप जांच करवा लें।

श्री सभापति: खाली होता तो यहां नहीं बोलते।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति जी, आप कम से कम इनका सेफ्टी टैंक खाली करवाएं, यह तो गलत बात है।

श्री सभापति: मैं यह निर्देश दूं कि इनका सेफ्टी टैंक खाली करवाया जाए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, दो-तीन दिन पहले एक सवाल यहां पर रखा गया था लेकिन वह लग नहीं पाया। उसके बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि संस्थानों को रियायती दर पर..

श्री सभापति: कृपया शांति रखें। प्लीज, सहयोग कीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): संस्थानों को रियायती दर पर इस शर्त के साथ भूमि आबंटित की जाती है कि वह निर्धारित समय अवधि में निर्माण कर सुविधाएं और सेवाएं जनता को उपलब्ध कराएं। ऐसे सभी आबंटनों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश मैंने जून और नवम्बर, 2020 में मेरे विभाग को दिये थे जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैंने फिर 02 दिसम्बर को यह निर्देश दिया था कि जब किसी संस्था का भौतिक सत्यापन शेष हो तो 15 दिवस के अंदर-अंदर उसकी रिपोर्ट भेज दें। साथ ही यह भी कहा था कि अगर कहीं शर्तों का पालन नहीं किया गया हो तो उस संस्था को नोटिस और सुनवाई का अवसर देकर आबंटन को निरस्त करने की अभिशंसा गवर्नमेंट की एप्रूवल के लिए भेज दें। एप्रूवल मिलते ही आबंटन को निरस्त कर आदेश करके उस पर तीन दिन में कब्जा ले लिया जायेगा।

सभापति महोदय, यह पहली बार हो रहा है। आज तक सैकड़ों की तादाद में भूमि आबंटन हो गयी रियायती दरों पर लेकिन उन लोगों ने, कई लोगों ने शर्तों की पालना न करते हुए इस तरीके के निर्माण कर लिये जो कि अवैध निर्माण की संख्या में आते थे। विकास प्राधिकरणों के द्वारा, नगर विकास न्यासों के द्वारा और आवासन मंडल के द्वारा 1436 संस्थाओं का आबंटन किया गया है अभी तक। नगरपालिकाओं का अलग है। उसका सत्यापन करवाया गया जिनमें 166 के द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इनमें से 150 के विरुद्ध नोटिस जारी कर दिये गये हैं, 16 के विरुद्ध न्यायिक वाद के कारण नोटिस जारी नहीं कर पाए हैं। नगरपालिका संस्थाओं के द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर भी किया गया, 710 का सत्यापन करवाया गया है जिसमें से 531 सही पाये गये हैं और 58 सही नहीं पाये गये हैं। शेष कार्यवाही पर है। मैं सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी संस्था ने भूमि आबंटन की शर्तों का उल्लंघन किया या निर्माण की अवधि में निर्माण नहीं किया और उसकी अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित यूएलबी से या जेडीए से या किसी से भी स्वीकृति नहीं ली तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। ये आज तक कभी नहीं हुआ। हमने पहले शुरू किया है।

मैं नगरीय विकास की कुछ बातें करना चाहता हूं। गत वर्ष की विषम परिस्थितियों में आमजन को हुई परेशानियों को देखते हुए बकाया लीज राशि, भवन निर्माण स्वीकृति, उप विभाजन पुनर्गठन शुल्क व भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, पुनर्ग्रहण शुल्क आदि जमा कराने की सीमा को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है और आगे की परिस्थितियां देखते हुए आगे और फैसला ले लिया जायेगा। भवन मानचित्र अनुमोदन में देय बैटरमेंट लेवी की राशि के भुगतान की अवधि को दो वर्ष में चार किश्तों के स्थान पर चार वर्ष में, दो वर्ष के स्थान पर चार वर्ष कर दिये गये और पांच किश्तें कर दी गयी हैं। ये फायदा उनको दिया गया है कोविड की वजह से। नीलामी से विक्रय भूखण्डों पर देय राशि को जमा कराने की अवधि में राहत प्रदान करते हुए 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन कर दिया गया है। कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भू-रूपांतरण व भवन मानचित्र शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही कृषि आधारित वेयर हाउस पर उक्त राशि के साथ-साथ लीज राशि भी शत-प्रतिशत माफ कर दी गयी है। कृषि आधारित वेयर हाउस या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के हेतु भूमि आबंटन आरक्षित दर की 50 प्रतिशत किये जाने का प्रावधान किया गया है। मान लीजिए 10 वेयर हाउस बनाने के लिए जमीन आरक्षित की गयी है, दरख़्वास्तें आ गयीं 20 तो लाटरी के हिसाब से उसका फैसला हो जायेगा परंतु 50 प्रतिशत, आरक्षित दर का 50 प्रतिशत। मुख्य मंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में एफएआर, बिना बैटरमेंट लेवी के लगभग दोगुना कर दिया गया है। बैटरमेंट लेवी भी माफ कर दी गयी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

है और एफएआर भी उनका दोगुना कर दिया गया है ताकि मुख्य मंत्री जन आवास योजना में ईडब्ल्यूएस हाउसेज और एलआईजी हाउसेज ज्यादा से ज्यादा बन सकें।

वर्तमान शहरी परिद्दश्य में भवन निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित एवं आमजन को राहत प्रदान करने के लिए नये भवन विनियम, 2020 जारी किये गये हैं जिसके तहत 250 वर्गमीटर के स्थान पर, पहले 250 वर्गमीटर से ज्यादा अगर कोई भूखण्ड होता था तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती थी नगरपालिका से, अब उसको 500 मीटर कर दिया गया है। 500 मीटर के बाद भी अगर 2500 मीटर तक का भी कोई भूखण्ड होगा तो उसमें भी आपको नगरपालिका के पास जाने की जरूरत नहीं है या जेडीए के पास जाने की जरूरत नहीं है या न्यास के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं, अगर वह लिखकर देता है कि जो यह बिल्डिंग बनाई जा रही है, यह बिलकुल बिल्डिंग बायलाज के अनुसार बनायी जा रही है तो उसको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निर्धारित शुल्क वह बाकायदा जेडीए में जमा करा सकता है, नगरपालिका में जमा करा सकता है।

इसके साथ-साथ वर्टिकल जाने के लिए, माननीय एक सदस्य ने वर्टिकल की बड़ी वकालत की थी। यह बात सही है और यह वर्टिकल कब से बनना चालू हुआ? राठौड़ साहब, बताओ आप, 1998 के पहले पूरे जयपुर में एक बिल्डिंग ऐसी थी जो कि चार या पांच मंजिल थी, वह थी अजमेर रोड के ऊपर, अजमेर पुलिया के नीचे, एक बिल्डिंग थी। 1998 में जब गहलोत साहब की सरकार आई, उसके बाद में हमने सारे बिल्डिंग बायलाज बदल दिये। स्टिल्ट की ऊंचाई को भी खतम कर दिया कि स्टिल्ट की ऊंचाई भी जो है, वह हाइट में नहीं गिनी जायेगी, तब से जाकर यह वर्टिकल ज्यादा बनना चालू हुआ। आज हजारों की तादाद में पूरे राजस्थान में वर्टिकल इतनी बिल्डिंग बनी हैं। यह बात सही है कि हमें वर्टिकल ही जाना पड़ेगा वरना ये शहर अगर बढ़ता ही जाएगा तो सारी अव्यवस्था हो जाएगी। 15 मीटर तक की जो पाबंदी थी कि 15 मीटर से ज्यादा की हाइट आपको नहीं मिल सकती, हाईराइज बिल्डिंग किसे कहते थे कि 15 मीटर, अब उसको 18 मीटर कर दिया गया है।

सभापति महोदय, राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2010 में संशोधन कर आवासीय योजना के साथ-साथ, पहले सिर्फ आवासीय योजना था इस

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

टाउनशिप पालिसी में, इसी के साथ-साथ व्यावसायिक वेयर हाउसिंग, गोदाम, डेयरी, संस्थागत औद्योगिक रिसोर्ट हाउसिंग इत्यादि विशिष्ट योजनाओं के हेतु भी मापदंड पहली बार सम्मिलित किये गये हैं। टाउनशिप पालिसी में सब चीजें डाल दी गयी हैं, पहले आवासीय ही था। शहरों में सड़क मार्ग आदि का, कोई निजी भूमि के बीच स्थित राजकीय भूमि जिसका स्वतंत्र उपयोग सम्भव नहीं होता है, ऐसी भूमि में से भी आरक्षित और डीएलसी दर, या तो आरक्षित दर ले लो या डीएलसी दर ले लो, से जो भी अधिक हो, उस राशि को लेकर पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। हजारों केसेज इस बाबत अदालतों में जैरकार हैं, जिनमें है कि आपने रास्ता नहीं दिया और वे रास्ता मांग रहे हैं।

नगरीय क्षेत्र उपयोग परिवर्तन अधिनियम, 2010 में संशोधन करते हुए प्रक्रिया में सरलीकरण कर मास्टर प्लान में अनुज्ञेय भू-उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रहेगी इन नियमों के तहत। नगर सुधार नगरीय भूमि निस्तारण, लैंड डिस्पोजल रूल्स, 1974 में व्यापक संशोधन करते हुए भूखण्डों के निर्माण की अवधि को समान रूप से पांच वर्ष किया गया है। डिफरेंस आता था कि जब वह बिल्डिंग प्लान पास करवाता था या लैंड उसको अलाट होती थी तो शर्त लगा दी जाती थी कि पांच साल में आप निर्माण कार्य करोगे लेकिन नियमों में प्रावधान दो साल का था, लैंड डिस्पोजल रूल्स में। तो इनको सबको बराबर कर दिया गया है। पांच वर्ष किया गया है एवं दस वर्ष की अवधि में पैनल्टी लेकर बढ़ाने और दस वर्ष की अवधि के पश्चात् नोटिस देकर निरस्त करने का प्रावधान किया गया है, ताकि भूखंड लंबे समय तक खाली नहीं पड़े रहें। रियायती दर पर आबंटन करने वाली संस्थाओं को चार वर्ष में निर्माण करना आवश्यक होगा अन्यथा आबंटन निरस्त होकर जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

नगरीय निकायों को आरक्षित दर, मतलब रिजर्व प्राइस, रिजर्व प्राइस को मार्केट सिनेरियो के अनुसार, यह पहली बार हो रहा है। पहली बार चूंकि, रिसेशन का पीरियड है। रियल एस्टेट बिलकुल एक तरह से मरा पड़ा है। यह अधिकार हमने पालिकाओं को दिए हैं, परिषदों को दिए हैं, यूआईटीज को दिए हैं, जेडीए, वगैरह-वगैरह को दिए हैं कि आरक्षित दर आप अपने हिसाब से तय

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कर सकते हो। वह भी तय किस तरीके से कर सकते हो मार्केट सिनेरियों को देखकर। कई बार मार्केट की आरक्षित दर इतनी ऊंची होती है, उससे कम दामों पर ज़मीनें बिक रही हैं। आरक्षित दर आपकी बहुत ऊंची है तो आपकी जमीन लेगा कौन तो जो मार्केट सिनेरियो है, उसके हिसाब से आप अपनी आरक्षित दर खुद तय कर लो, यह अधिकार भी उनको दिया गया है। लाहोटी साहब, ठीक है न।

ऑनलाइन सेवाओं में आमजन की सुगमता, सहूलियत व कार्य में पारदर्शिता हेतु 9 विभिन्न सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन 9 की। आगे बढ़ा रहे हैं, और भी सेवाएं इसमें शामिल की जाएंगी।

मास्टर प्लान, राजस्थान की 193 नगरीय निकायों में, आप कहते हैं कि मास्टर प्लान नहीं बनाया। मुझे आप नाम बता दें, कौनसी सिटी का मास्टर प्लान नहीं बना।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कितने मास्टर प्लान स्वीकृत हो गए?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पता नहीं क्या कह रहे हैं। सिर्फ उन 9 नगरपालिकाओं का मास्टर प्लान नहीं बना है, जिसको आपकी सरकार 2018 में जाते-जाते अनाउंस कर गई थी। सिर्फ नौ। बाकी सारी जितनी भी आपकी नगरपालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम हैं, इन सबके मास्टर प्लान बन चुके हैं। 184 शहरों के, क़स्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भी हो चुके हैं। इनमें लंबे समय से पैंडिंग जोधपुर व अजमेर के मास्टर प्लानों को भी अनुमोदित किया जा चुका है। शेष नवगठित 9 नगरीय निकायों के मास्टर प्लान का कार्य प्रगति पर है, क्योंकि यह 2018 में थे, तो टाइम लगेगा।

एक लाख से कम जनसंख्या के शहरों में जोनल प्लान की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए एक लाख से अधिक आबादी के 29 शहरों में जोनल डवलपमेंट प्लान का कार्य 30.06.2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।

रियल एस्टेट रैगुलेटरी अथोरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया जा चुका है। दोनों संस्थाएं नियमित रूप से काम कर रही हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन, जयपुर मैट्रो के बाबत, लाहोटी साहब ने कहा था कि पैसा बरबाद कर दिया। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई। कल्याणकारी सरकार की ड्यूटी होती है कि वह सस्ता ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करवाए। अगर यह नहीं होती, तो यह रोडवेज तो कभी का, आज के 30 साल पहले बंद हो जाता, लेकिन चल रहा है। बाकायदा चल रहा है और नई बसें और आ रही हैं। हमने जिस वक्त मैट्रो बनाई थी, उस वक्त यह सोचकर नहीं बनाई थी कि इससे कुछ आमदनी होगी।

जयपुर में शहरी व्यवस्था को बढ़ाते हुए मैट्रो फेज वन, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। फेज टू में सीतापुरा से अंबाबाड़ी के रूट पर डीपीआर के लिए आमजन से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर भारत सरकार का सहयोग और वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के पश्चात् ही उचित समय पर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। जब तक इसमें भारत सरकार का सहयोग नहीं होगा, अकेली राज्य सरकार नहीं कर पाएगी, जो आज की वित्तीय स्थिति है।

राजस्थान आवासन मण्डल। हमारी सरकार ने कार्यभार संभाल, तब आवासन मण्डल मरणासन्न अवस्था में था। गत सरकार के मुख्य सचिव से आदेश जारी करवाकर आवासन मण्डल को किसी भी प्रकार का नया कार्य प्रारम्भ करने के लिए रोक दिया गया था। हमने इसका पुनरुद्धार करने का निश्चय किया और आवासन मण्डल में पुन: ऊर्जा का संचार किया। मण्डल के अधिशेष 21 हजार मकानों में से 7 हजार 100 मकानों का ई-आक्शन बुधवार नीलामी उत्सव के माध्यम से किया जाकर 1100 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। साथ ही 275 प्रीमियम प्रोपर्टीज और अपनी दुकान, अपना व्यवसाय अंतर्गत 838 छोटे व्यवसायी भूखण्डों का निस्तारण किया जाकर 464 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। यह मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी कि जो 21 हजार मकान बेकार पड़े हुए हैं, जिनकी खिड़कियां गायब हैं, दरवाजे गायब हैं, टूट-फूट हो रही है, उनको 50 परसेंट में दे दिया जाए। उसका नतीजा है कि इस प्रोपर्टी से कुछ पैसा तो आ रहा है।

मण्डल के द्वारा रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करने के लिए मानसरोवर में 52 एकड में सिटी लेवल पार्क, प्रतापनगर में कोचिंग हब। जयपुर, जोधपुर, कोटा में चौपाटी योजना सहित 195 करोड़ की लागत के कई कार्य किए जा रहे हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

ग़रीबों के लिए आवास के मूल उद्देश्य पर कार्य करते हुए निवाई नसीराबाद, शाहपुरा, किशनगढ़, बांसवाड़ा आदि छोटे शहरों में भी ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी हाउस के 8 हजार 200 मकानों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि इनमें से ज्यादातर योजनाओं में ओवर सब्स्क्रिप्शन आ रही है, 100 मकान बनाने थे, 150 की, 200 दरख़्वास्तें आ रही हैं, जिसको आप बंद करने जा रहे थे।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): शाहपुरा भीलवाड़ा का या जयपुर का?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): शाहपुरा कौनसा है, भीलवाड़ा वाला या जयपुर वाला?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप कह दें तो मैं इसमें भीलवाड़ा लिख देता हूं ब्रेकिट में। जयपुर विकास प्राधिकरण, जब हमने सत्ता संभाली थी जब जेडीए कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। विकास कार्य न के बराबर चल रहे थे। जयपुर में 4 आरओबी एवं 2 एलीवेटेड रोड के काम पिछली सरकार ने अधूरे छोड़ दिए लाहोटी साहब। एक काम बता दीजिए जो 1998 से लेकर 2003 की सरकार, 2008 से लेकर 2013 की सरकार के द्वारा, अगर कोई भी काम चालू किया गया हो और वक्त के अंदर-अंदर खतम नहीं कर दिया गया हो। आपके लिए एक काम बकाया छोड़ा लेकिन हम पचासों काम ऐसे बता सकते हैं कि जब आपकी सरकार जाने लगती है न, तो वह काम अधूरे के अधूरे छोड़ जाते हैं, जिनको पूरा हमें करना पड़ता है। आप पिछली बार के भी देख लीजिए। खासाकोठी का फ्लाईओवर जो गलत बनाया गया, ट्रांसपोर्ट नगर का फ्लाईओवर भी हमने ही पूरा किया। इस बार भी आप चार-चार छोड़ गए।

जयपुर में 4 आरओबी और 2 एलीवेटेड रोड के काम पिछली सरकार के द्वारा अधूरे छोड़े गए। आपको मैं उन चार को भी गिना देता हूं। पिछली सरकार के अधूरे छोड़े गए, जो लगभग बंद थे। यह शाहपुरा तो साहब वाकई पहले से भीलवाड़ा का है, मैं क्या करूंगा। आपको मुबारक हो।

हमने उन 4 आरओबी में से 3 आरओबी दांतली, सीतापुरा, जाहोता का

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कार्य पूरा कर लिया। शेष बस्सी आरओबी और हवा सड़क सोडाला, एलीवेटेड रोड और झोटवाड़ा एलीवेटेड रोड का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लेंगे।

हमने कोविड महामारी के दौरान जेडीए में लगभग एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। कर्जे भी चुकाए। कर्जे काफी चुका दिए। चुकाने के बाद एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। पुराने स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने का कार्य भी किया है। लगभग 500 करोड़ रुपये के नवीन विकास कार्य आज भी स्वीकृत हैं और वे चल रहे हैं, 500 करोड़ के।

(20.00 बजे)

इसके अतिरिक्त जयपुर शहर में यातायात सुगम बनाने के लिये रामनिवास पार्क के दरवाजे से ले करके जवाहर सर्किल तक जितनी भी रैड लाइट्स हैं, रैड-लाइट फ्री रोड करने के लिये हम मई के महीने में पूरी रोड पर काम शुरू कर देंगे। कमप्लीट हो चुका, डी.पी.आर. बन चुकी, निविदाएं जारी हो रही हैं। उस पर 700 करोड़ रुपये जे.डी.ए. के द्वारा खर्च किया जाएगा। यह काम मई-जून में प्रारम्भ कर दिये जाएंगे और 2 वर्ष के अन्दर-अन्दर कर देंगे। हमारी सरकार के अन्दर-अन्दर ही पूरा कर देंगे। हम आपके लिये बाकी नहीं छोड़ते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): दुबारा अपन ही आ रहे हैं। अपनी ही सरकार आएगी दुबारा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अपनी आएगी, फिर नया काम करेंगे।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों के नवीनीकरण, विद्युतीकरण, नई योजनाओं के निर्माण, पार्कों का सौंदर्यीकरण, पार्किंग स्थलों आदि विकास कार्यों के लिये 2 वर्षों में 248 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। सुरपुरा बांध, मनोरंजन पार्क, नया तालाब, गोशाला मैदान में नवीन मल्टी परपज इन्डोर हाल, अमृत लाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा में, स्वीमिंग पुल, मण्डोर उद्यान में मन्दिर पर थ्री-डी मैपिंग कार्य, बरकतुल्ला खां स्टेडियम में अपग्रेडेशन व रिनोवेशन सहित कई कार्य प्रगति पर हैं।

कोटा शहर में चम्बल रिवर फ्रंट, 800 करोड़ रुपया खर्च होगा भाई साहब इस पर। पशुपालकों के लिये देवनारायण योजना। यह पूरे देश में एक अद्भुत योजना होगी, जिसमें हमने 1250 मकान बनाये हैं। हर मकान में दो कमरे, लैट्रिन-बाथरूम, स्टोर रूम, आगे की जगह और साथ-साथ ही उसी के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

साथ ही एक शैड, जिसमें 20-30-40, जितने भी पशु हैं, वे सब आ जाएं और भूसा रखने के लिये जगह भी आ जाए, पूरा बनाया है। शहर के जितने भी आपकी 900 करीब डेयरियां हैं, उन सब डेयरियों को शिफ्ट करेंगे। करीब-करीब 400 आवेदन आ चुके हैं, बाकी जिन्होंने आवेदन नहीं किये उनको बाई-फोर्स शहर के बाहर निकाल करके उनको रखेंगे। इस देवनारायण योजना में अस्पताल होगा, सीनियर सैकण्डरी स्कूल होगा, मिडल स्कूल वगैरह सब हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सालय होगा, बायो-गैस प्लांट होगा, पानी का पूरा इंतजाम, वहां हाई-राइज टैंक्स बन रहे हैं, वह होगा। सारे इंतजामात किये गये हैं। सड़कों की चौड़ाई भी 60-60 फुट ली गई है, 60 फुट की चौड़ाई की सड़क ली गई है। यह योजना, मैं कोई गर्व की बात नहीं कहता, लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप भी देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आपके यहां पर भी इस तरह की योजना हो क्योंकि पशु जिस तरीके से, भरतसिंहजी नहीं बैठे हैं, भरतसिंहजी यह सवाल उठाते रहते हैं। पिछले साल कोटा में 52 आदमियों की मौत सिर्फ इन पशुओं की टक्कर से हुई है। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि इन सबको शहर से बाहर निकाला जाए और पूरी सुविधाएं दी जाएं। सस्ती जमीन दी जाए, बहुत सस्ता दिया जाएगा। 13-13, 14-14, 15-15 लाख रुपये में यह मकान उनको दे दिया जाएगा, बैंक लोन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर तरह की वहां पर सुविधाएं दी गई हैं। तालाब बनाया गया है, ताकि भैंसें तालाब में नहाती रहें। हर तरह की पूरी सुविधाएं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कभी कोटा आप आएं तो इस योजना को जरूर देखकर जाएं। इसको और चम्बल रिवर फ्रंट को कम से कम जरूर देखकर जाएं। इसके साथ-साथ सौ करोड़ रुपये का एक आक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है कोटा में, उस पर सौ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा 4 फ्लाई-ओवर, तीन अंडरपास का निर्माण भी वहां पर हो रहा है, जो यू.आई.टी. अपने खर्चे से करवा रही है। इसमें राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। केन्द्र सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। केन्द्र सरकार का तो स्मार्ट सिटी योजना में जो आज तक खर्च हुआ है वह 248 करोड़ रुपया खर्च हुआ है उसमें आधा आपका, आधा हमारा। यह सब यू.आई.टी. के द्वारा खर्च हो रहा है और कोई कर्जा नहीं लिया गया है। शहर में कालोनियों की इस तरीके से प्लानिंग की गई है कि आराम से वहां पर उठते जा रहे हैं, दाम कम रखे हैं, प्लाट उठ रहे हैं, आमदनी हो रही है। विकास का काम उससे चालू हो गया।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राज्य के अन्य शहरों में भी स्थानीय आवश्यकताएं एवं वित्तीय संसाधनों के अनुसार आधारभूत सुविधाओं के कार्य किये जाएंगे।

अब ये 2-3 घोषणाएं हैं। बजट में घोषित ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, राजकीय अस्पताल, राजकीय विद्यालय को शहरी क्षेत्र में शीघ्र भूमि आबंटन के उद्देश्य से आबंटन नीति के तहत स्थानीय निकायों को ही अधिकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है। इन चीजों के लिये स्थानीय निकाय ही अलाटमेंट कर देंगे ताकि इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर तुरन्त काम शुरू हो सके।

जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा चंदलोई बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। (व्यवधान) चंदलाई, वेदप्रकाशजी ने उठाया था न, गायब हो गये।

जयपुर में जोनल प्लान 2018 में बी.जे.पी. की सरकार के समय जल्दबाजी में बनाये गये थे। लाहोटी साहब, जो आप कह रहे थे न कि कमरे में बैठ करके मास्टर प्लान बना दिये गये, यह आपके वक्त की बात कह रहे हैं आप। हमारे वक्त में कमरे में बैठ करके कोई एक मास्टर प्लान नहीं बन पाया बल्कि आपके टाइम पर जो मास्टर प्लान बने, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, उनमें कई ए.सी.बी. के केसेज हो गये और कई लोगों को हमने सस्पैंड किया है। 32-33 करोड़ रुपये की जो गड़बड़ हुई, जिसको लोढ़ा साहब ने उठाया था, उनके खिलाफ एक्शन लिया। अगर किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया हो तो अब बता दो, और ले लेंगे।

अब मैं ज्यादा के लिये तो माफी चाहूंगा कि सारे, सब लोग, जितने भी बोले हैं उनका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों की थ्रस्ट जिन बातों पर थी उन कुछ बातों को ले लेता हूं, 8-10 मिनट में खतम कर दूंगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

नगरीकरण के बाबत आपने कहा, लाहोटी साहब, आपने वृद्धि बताई वह गलत है। वृद्धि 29.26 परसेंट है। नगरों की जनसंख्या 25 परसेंट है, 30 शहर तो ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या डिफरेंस 63 परसेंट है। मास्टर प्लान 2025 का, 05.09.2011 को लागू हो चुका। इसके अलावा हमारी सरकार ने प्लान डवलपमेंट के लिये जितने पालिसी डिसीजंस लिये हैं उतने किसी सरकार के द्वारा नहीं लिये गये। बी.जे.पी. सरकार ने जाते-जाते 9 नगरपालिकाएं बनाई थीं। मास्टर प्लान, यह मैं कह चुका हूं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आप टाउनशिप पालिसी को ले लें, उसमें भी रद्दोबदल किया गया है। स्लम डवलपमेंट पालिसी, जो 2010 की थी उसमें भी रद्दोबदल किया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी, 2009 उसमें भी रद्दोबदल किया गया है। RUIDP के प्रोजेक्ट्स जो आज 42 सिटीज में चालू हैं, अब फिफ्थ चरण और लिया जा रहा है, ताकि 50 हजार से कम की जनसंख्या पर और 50 हजार से ऊपर की जनसंख्या के, दोनों तरह के नगर उसमें शामिल किये जा सकें। EDR पालिसी में भी बदलाव किया गया है। इसी के साथ-साथ हाई-राइज बिल्डिंग्स.... 2020, लैंड पूलिंग पालिसी हमने अपना ली है, उस पर काम चालू कर लिया है। बिल्डिंग बाइ-लाज, 2020 नये बनाए गये हैं, जिसमें कई तरह के परिवर्तन किये गये हैं, और जितने भी परिवर्तन किये गये हैं, वह आम आदमी को लाभ पहुंचाते हुए किये गये हैं। सरलीकरण इतना किया गया है कि उसको कहीं पर भी चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।

हमारी सरकार गुलाब कोठारीजी के केस में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना के लिये प्रतिबद्ध हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम गुलाब कोठारीजी की रिट में जो जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला था, उसको मानने के लिये कटिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इन आदेशों के लिये हमने एस.एल.पी. दायर की है, अपील की है, ताकि 12.01.2017 के बाद बनने वाले मास्टर प्लान में इनकी पालना कर सकें। हमने तो सिर्फ कोर्ट से यह आदेश चाहा है कि 2017 के बाद जो बनने वाला प्लान है, उसकी पालना हो सके। मास्टर प्लान में 2025 को लागू किये जाने की अपील की है कि 2025 तक का जो मास्टर प्लान किया है, उसको लागू करवा दें।

परकोटे में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। परकोटे में ज्यों ही, हां-हां, मैं आपको बता रहा हूं। परकोटे में हमने ड्रोन का सर्वे करवाया। पूरे परकोटे में ड्रोन का सर्वे करवाया और मैनुअल सर्वे भी करवाया। मैनुअल सर्वे भी करवाया और ड्रोन का सर्वे भी करवाया, इन दोनों में मिलाकर लगभग 3100 के करीब वायलेशन पाये गये और जो 3100 वायलेशन पाये गये, उनके 800 नोटिसेज हमने जारी कर दिये हैं। इसी बीच कोविड-19 आ गया, काम रुक गया। कर भी नहीं सकते थे कि किसी के मकान को तोड़ देते हम कोविड के दौरान, लॉकडाउन चल रहा था, यह था, वह था, अब उसको शुरू कर रहे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो निश्चित तौर पर इन पर काम किया जाएगा।

भवन विनियमन में ग्रीन एरिया के मापदंड को दुगुना किया है। पहले जितना था उससे दुगुना किया है कि इतना ग्रीन एरिया रहना चाहिए। 2017 में एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के स्थान पर 750 वर्ग मीटर पर 10 परसेंट, ग्रीन एरिया पहले एक हजार वर्ग मीटर था, अब उसको 750 वर्ग मीटर कर दिया गया है। 50 वर्ग मीटर प्रत्येक भूखण्ड क्षेत्रफल पर वृक्ष लगाने का, पांच हजार वर्ग मीटर से अधिक के ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर पांच परसेंट के स्थान पर दस परसेंट हरियाली का प्रावधान किया गया है।

संयम लोढ़ा साहब ने यह कहा कि जोनल प्लान बनने में 32 करोड़ रुपये के घोटाला का मामला उन्होंने उठाया था तो मैंने आपको यह बता ही दिया कि यह बी.जे.पी. के टाइम का था। उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। ए.सी.बी. में भी गया है और फिर भी आपके पास जेब में कोई कागज पड़ा हो तो मुझे दे देना। नहीं, जेब की बात कही है मैंने, यह नहीं की है।

झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड को शीघ्र ही पूरा करने की मांग माननीय विधायक संयम लोढ़ाजी ने की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण में 600 दुकानें, यह एलिवेटेड रोड कोई मामूली एलिवेटेड रोड नहीं थी, यह बी.जे.पी. की सरकार ने चालू की थी, इसमें 600 दुकानें और मकान प्रभावित होते हैं। पिछली भा.ज.पा. सरकार ने परियोजना तो वहां प्रारम्भ कर दी परंतु प्रभावित दुकानों और मकानों के पुनर्वास की कोई योजना नहीं बनाई। इसके कारण से योजना अधूरी की अधूरी पड़ी रह गयी। हमने निवारू रोड पर प्रभावित दुकानों और मकानों के पुनर्वास की योजना बनाई है और शीघ्र ही इस अधूरी परियोजना को हम पूर्ण करेंगे।

रामनिवास बाग़, जैसा कि लाहोटी साहब ने कहा कि साहब, रामनिवास बाग़ में आपने अंडर पार्किंग अनाउंस की थी, उसका क्या हुआ? हुजूर उसके टेंडर हो गये और टेंडर मंजूर भी हो गये। अब मोबेलाइजेशन में टाइम लगता है, आखिर किसी भी ठेकेदार को, आप तो खुद ठेकेदारी का काम करते हैं। हां-हां, सही कह रहा हूं मैं, आपके परिवार में वह कांट्रेक्टरशिप है, कई ठेके लेते हैं, यह समझते भी हैं। (व्यवधान) यह कर ले तो भी अपन कुछ नहीं कर सकते। पर, यह पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं निविदा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आमंत्रित करके 83 करोड़ रुपये का कार्यादेश 10 फरवरी, 2021 को जारी किया जा चुका है और कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर इसी कार्यकाल में पूर्ण कर लिया जाएगा।

जयपुर मास्टर प्लान के अनुरूप सेक्टर सड़कों का विकास तीव्र गति से करने के उद्देश्य से हमने एस.ओ.पी. बनाई है। पृथ्वीराज नगर में अभी तक सेक्टर सड़कों के विकास हेतु 164 करोड़ रुपया एवं आंतरिक सड़कों के विकास के लिए 183 करोड़ रुपये, कुल 348 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी करके 336 करोड़ रुपये की सड़कें बनाई जा चुकी हैं और कार्य प्रगति पर है।

पृथ्वीराज नगर में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हमने डी.पी.आर. तैयार करवा ली है। इस वर्ष सीवरेज कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, लाहोटी साहब, 200 करोड़ रुपये का।

बी.आर.टी.एस. के बाबत कई बार चर्चाएं होती हैं यहां पर और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब भी काफी नाराज होते हैं कि इसको हटाओ और यह बात भी सही है कि कोई यूज तो है नहीं उसका। यूज नहीं है लेकिन हमने एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करवाने की भी बात कही लेकिन यह सारा का सारा पैसा भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। जब हमने भारत सरकार के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने यह कहा कि इसको आप नहीं हटा सकते, आप देख लीजिएगा। हमें बाद में यह पता लगा कि साहब, दिल्ली में तो हटा दी और भोपाल में मना कर दी। भाई, दिल्ली में क्यों हटाई? तो कहा कि यह दिल्ली में बढ़िया चल रहा है इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां पर मैट्रो चल रही है, इस तरीके के जवाब वहां से मिलते हैं। चूंकि, जब तक भारत सरकार इस बात के लिए हमें इजाजत नहीं देगी तब तक इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे।

रफीक खान साहब ने कर्मचारियों के द्वारा स्वैच्छा से त्याग-पत्र देकर उनके वारिसान के बाबत बात की और कासनियां साहब ने भी एक बात कही थी कि साहब, वारिस प्रमाण पत्र लेने में दिक्कत आती है। यह आती है, यह बात तो सही है। वह चले गये लेकिन बात सही थी पर सक्सेशन सर्टिफिकेट एक अलग चीज है। लॉ में प्रोविजन है उसका, उसका क्या करें? जब तक उस लॉ में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट देता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब वारिस का प्रमाण पत्र तो आपको कानूनन तौर पर वहां से ही लेना पड़ता

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

है तो खैर, इसका परीक्षण करवाया जाएगा। टी.वी.सी. गठन के उपरांत स्ट्रीट वेंडर्स की सूची अनुमोदित कर लाइसेंस जारी करवाने की कार्यवाही भी की जाएगी।

एल.ई.डी. लाइट के लिए आपने कहा तो केन्द्र सरकार ने इस कार्य के लिए ई.ई.सी.एल. जो कि केन्द्र सरकार की एक संस्था है, उसको अधिकृत किया है, यह कंपनी पूरे देश में काम कर रही है। राजस्थान में एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए किसी कंपनी से एम.ओ.यू. 23 जनवरी, 2015 को किया गया था। इसी क्रम में सभी नगरीय निकायों के द्वारा एम.ओ.यू. हस्तांतरित किया गया है एवं वर्तमान में यह कार्य चल तो रहा है लेकिन शिकायतें आती रहती हैं।

देवनानी साहब ने कहा कि विधायकों को स्मार्ट सिटी की प्लानिंग मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जाता? यह आपकी शिकायत है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम, जिसको सी.एल.ए.एफ. का गठन, जिस तरह से कहा जाता है कि गठन किया गया था, जिसमें माननीय सांसद, विधायकगण सदस्यगण हैं। सभी सदस्यों को समय-समय पर आयोजित होने वाली सी.एल.ए.एफ. बैठक में आमंत्रित किया जाता है, जैसा मुझे बता दिया गया। अब आपको निमंत्रण नहीं दिया, नहीं मिला हो, कहीं आप उसमें चले जाते हो न शाखा में...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक ही बार मीटिंग हुई है केवल और उसको भी आज चार महीने हो गये, मीटिंग होती ही नहीं है, जानकारी मिलती ही नहीं है, आप पता कर लेना। किसी भी विधायक को नहीं बुलाया गया। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह मैं कहूंगा। हां, मैं वहां के कलेक्टर से भी कहूंगा कि आपको जरूर बुलाया करें। आनासागर एस्केप चैनल के बाबत आपने कहा, ग्यारहवीं बोर्ड मीटिंग में कवर नहीं करने का निर्णय ले लिया गया। जल संसाधन विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राकृतिक नाले को कवर नहीं किया जा सकता है, इसके स्थान पर एस्केप चैनल की मरम्मत व टेल तल को पक्का करना व पुलियाओं के सुधार के कार्य हेतु 16 करोड़ 22 लाख का कार्य प्रगति पर है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

तीसरी बात आपने महाराणा प्रताप नगर के बाबत कहा, इसमें स्मार्ट सिटी के तहत में, उसमें 6 करोड़ 98 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है एवं उसके कार्यादेश भी जारी कर दिये गये हैं। एलिवेटेड रोड का काम, एलिवेटेड रोड की सड़क का कार्य 31.12.2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। लेगेसी बेस का कार्यादेश दे दिया गया है, सड़क रेस्टोरेशन का कार्य भी साथ-साथ किया जाएगा। ठोस कचरे का निस्तारण के लिए निविदा प्राप्त कर ली गयी है। यह सब बातें हैं जो बातें आपके द्वारा कही गयी हैं।

दो-तीन बातें और आपने कही हैं। एक तो वह अन्नपूर्णा रसोई के लिए, पहले क्या था कि एक एजेंसी जीवन संबल चैरिटेबल ट्रस्ट, कोटा को पूरे राज्य में मोबाइल वैन से रसोई चलाने का व्यावसायिक एम.ओ.यू. किया गया था।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किसकी है यह?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किसकी है, वह तो मालूम करके बताऊंगा आपको। जिला कलेक्टर के द्वारा 300 से अधिक स्थानीय अलाभकारी संस्थाओं का चयन कर उनके माध्यम से न लाभ-हानि के आधार पर सेवा भाव से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना के अन्तर्गत 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से सम्मानपूर्वक बिठाकर, बाकायदा जैसे कैंटीन में बिठाते हैं न, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, आराम से बैठे हुए हैं और वेटर लाकर आपको थाली दे रहा है। वेटर ही लाकर आपको पुरसगारी कर रहा है। पहले क्या होता था, जैसे सड़क के किनारे बस खड़ी हो जाती थी, वहीं लाइन लगाकर आदमी खड़े होते थे और सड़क पर खड़े-खड़े खाना पड़ता था। कितना बड़ा फर्क पड़ गया? फिर दूसरी बात और है, मेन बात। 248 करोड़ रुपये का प्रावधान पिछली सरकार ने इसमें किया था। हमने किया है सिर्फ 100 करोड़ का। वह कम क्यों किया? वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि योजनान्तर्गत नाश्ते हेतु 18 रुपये 95 पैसा प्रति प्लेट और दोपहर व रात्रि के भोजन के लिये 19 रुपये 95 पैसा प्रति थाली अनुदान देय था। पहले 8 रुपये तो लेते थे आप उससे और ब्रेकफास्ट वाले से 5 रुपये लेते थे और सुबह-शाम दोनों के खाने के टाइम पर 8 रुपया लेते थे, लेकिन उसको सरकार कितना देती थी, 18 रुपये 95 पैसे और 19 रुपये 95 पैसे। अब हम क्या करते हैं, हमने 100 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट रखा है और प्रति थाली सिर्फ 12 रुपये का अनुदान देते हैं और क्वालिटी देख लीजिए आप। गरम रोटी, गरम दाल, गरम सब्जी और फिर स्थानीय स्वाद के अनुसार भोजन बनता है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

संयम लोढ़ा साहब की बातों का तो मैं ज्यादातर जवाब दे चुका हूं। लैण्ड पुलिंग पालिसी के लिये कह दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दुकानों के बिजली कनेक्शन। पृथ्वीराज नगर की दुकानों के बिजली कनेक्शन और पट्टे। जो जयपुर के प्रतिनिधि नहीं बोले, उनकी बात भी तो आनी चाहिए न। पृथ्वीराज नगर की दुकानों के जो बिजली कनेक्शन हैं और पट्टे हैं और वह के.डी.एल. के खिलाफ कोटा में एफ.आई.आर. है।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोटा में जो के.डी.एल. के खिलाफ नगर निगम ने एफ आई आर करवायी है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): के.डी.एल. वाला मामला अलग है। उसके खिलाफ तो मैंने भी एफ आई आर दर्ज करवा रखी है। उसने सारे के सारे नकली बिल बनाकर नगर निगम को भी लूटा और नगर विकास न्यास को भी लूटा। जिस नगर निगम का बिल साल भर का पहले 10 करोड़ रुपया आता था, के.डी.एल. कंपनी के आने के बाद उसका बिल आने लग गया 30-30 करोड़ रुपया। नगर विकास न्यास का अधिकतम बिल, मुश्किल से 12-13 करोड़ रुपया आता था, उसका बिल आने लग गया 25-25 करोड़ रुपया। उस पर हमें शक हुआ तो हमने वहां पर टीम भेजी। टीम भेजकर देखा कि गड़बड़ी थी तो एफ आई आर दर्ज हो गयी। उसका शायद अब चालान पेश होगा।

श्री सभापति: कितनी देर जूझना पड़ेगा मंत्री महोदय?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप कहो तो साहब, मैं तो खतम करता हूं। एकदो बात रह गयी हैं।

श्री सभापति: आपको भी जाना है, दो दिन की छुट्टी है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लाहोटी जी की एक बात रह गयी साहब।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): लाहोटीजी की बात बहुत हो गयी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं-नहीं, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आपको यह वहम तो नहीं हो रहा है कि लाहोटी जी अभी भी नगर निगम में मेयर हैं। अब यह विधायक बन गये। आप इनको मेयर वाली बातें क्यों याद दिला रहे हो?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, एक बात का जवाब दे देता हूं बस। 25 लाख रुपये की बसों के लिये आपने कहा कि 40 लाख रुपये में खरीदी। ए.सी. बस की कीमत 34 लाख, नोन ए.सी. की कीमत 29 लाख, जिसका क्रय जे.सी.टी.सी.एल. ने नहीं किया है, यह संवेदक के द्वारा किया गया है। उसने खरीदी है, हमने नहीं खरीदी और जो मेरे यहां पकड़ा गया, वह मेरे यहां से जो बाहर निकला था, उसका क्या नाम था, वर्मा, वह तो आपका मित्र था।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब यह पौण्डरिक पार्क के बाबत तो साहब, तरह-तरह के विवाद हैं। अब जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का बोर्ड तय करेगा, उस तरीके से काम होगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या-29 को पारित किया जाए।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,58,25,19,000/- (तिहत्तर अरब अठावन करोड़ पच्चीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 15 मार्च 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.26 बजे सोमवार, दिनांक 15 मार्च 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जाखम नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में कमाण्ड प्रीमियम राशि के ब्याज पर छूट

248. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जाखम नहर परियोजना के लाभान्वित सिंचित क्षेत्र के किसानों को जारी कमाण्ड प्रीमियम राशि के ब्याज पर छूट का प्रावधान है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कमाण्ड प्रीमियम के ब्याज राशि पर छूट के प्रावधान को वर्तमान में बन्द कर दिया गया है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूर्व की भांति ब्याज राशि पर छूट के प्रावधान को जारी रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 की शर्त 15-क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजना के काश्तकारों को ब्याज में छूट प्रदान करने का प्रावधान है। प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। पूर्व में वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट घोषणा संख्या 221 की पालना में विभागीय अधिसूचना दिनांक 20.03.2020 द्वारा बकाया किश्तों को दिनांक 31.12.2020 तक एकमुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज में छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 291 अनुसार उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि की बकाया किश्तों पर 01 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 की अवधि में ब्याज पर छूट प्रदान की गई है।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 291 अनुसार उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि की बकाया किश्तों पर 01 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 की अवधि में ब्याज पर छूट प्रदान की गई है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

चंबल सिंचित क्षेत्र में बाराबंदी प्रणाली लागू करने की योजना

255. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री द्वारा 23 नवम्बर, 1960 को कोटा बैराज का उद्घाटन करने के पश्चात् से चम्बल सिंचित क्षेत्र में बाराबंदी प्रणाली लागू किये जाने के लिए निरन्तर किये जा रहे प्रयासों के उपरान्त अब तक भी सफलता नहीं मिल पाने से प्रतिवर्ष टेल क्षेत्र के किसानों को समय पर पानी पहुंचाने में विलम्ब होता रहता है? यदि हां, तो सरकार के द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कार्यों एवं प्रयासों में सफलता प्राप्ति के लिए राजकीय राशि भी व्यय की गई है? यदि हां, तो कब-कब, कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त प्रयासों में समयबद्ध योजना बनाकर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या चम्बल सिंचित क्षेत्र में जल उपयोक्ता समितियां प्रभावशाली तरीके से कार्यरत हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में वर्ष 1983 से 1996 के मध्य प्रायोगिक तौर पर बाराबन्दी लागू करने के प्रयास किये गये थे, परन्तु निम्न कारणों से बाराबन्दी के प्रयास सफल नहीं हो सके:-

1. अधिकांश नहरें कच्ची होने एवं कमाण्ड क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण।
2. चम्बल परियोजना में लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या अधिक होने के कारण (जिनके पास भूमि का रकबा 1 हैक्टेयर से भी कम है) मुरब्बा बन्दी किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि एक हैक्टेयर तक के काश्तकार को बाराबन्दी के अन्तर्गत बारी का समय कम मिलता है, जिसमें कृषक द्वारा अपने खेत में पानी लगाया जाना सम्भव नहीं होता है।

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

3. बाराबन्दी हेतु कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई जल हेतु केवल माइनरों से ही आउटलेट दिये जाते है। जबकि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में वितरिकाओं से भी सीधे आउटलेट दिये गये हैं।

(2) जी हां। वर्ष 1983 से 1996 के मध्य प्रायोगिक तौर पर बाराबन्दी लागू किये जाने के लिए राशि रु. 471.23 लाख व्यय किये गये थे। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 1 में वर्णित कारणों से चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में बाराबन्दी लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी हां। राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 व नियम 2002 के तहत चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में 1 परियोजना समिति, 36 जल वितरण समितियां एवं 282 जल उपयोगिता संगम कार्य कर रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली में छात्राओं को गार्गी पुरस्कार

256. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में शिक्षा सत्र 2019-20 में किस-किस क्षेत्र के किस-किस विद्यालय में, किस-किस कक्षा की, किस-किस छात्रा को गार्गी पुरस्कार हेतु पात्र पाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस छात्रा को, किन-किन कारणों से गार्गी पुरस्कार की राशि अब तक नहीं दी जा सकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पुरस्कार से वंचित उक्त पात्र छात्राओं को कितनी अवधि में पुरस्कार की राशि दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) शिक्षा सत्र 2019-20 में गार्गी पुरस्कार योजना में पाली जिले की कक्षा 10वीं उत्तीर्ण 11वीं में अध्ययनरत 746 छात्राएं प्रथम किश्त एवं 12वीं में अध्ययनरत 679 छात्राओं के लिए द्वितीय किश्त, कुल 1425 छात्राएं चयनित हुई थीं। विवरण परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) चयनित 1425 पात्र छात्राओं में से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण 11वीं में अध्ययनरत 10 छात्राओं के बैंक खातों का मिलान नहीं होने के कारण राशि स्थानान्तरित नहीं की जा सकी थी लेकिन अब बैंक खाते का मिलान कर सभी शेष 10 छात्राओं के खातों में राशि स्थानान्तरित की जा चुकी है, विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) प्रश्नोत्तर भाग संख्या 02 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कालेज व्याख्याता भर्ती में आरक्षित वर्ग के पदों में कटौती

257. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कालेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014-15 में लिखित परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् अनुसूचित जाति के 87 व अनुसूचित जनजाति के 66 कुल 153 पदों की कटौती कर दी गयी थी? यदि हां, तो उक्त में कटौती के क्या कारण थे? यदि नहीं, तो वस्तु-स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के कालेज व्याख्याताओं के पदों में कटौती की जानकारी सरकार के ध्यान में आने के पश्चात् जुलाई, 2020 में राजस्थान लोक सेवा आयोग को 153 पदों की अनुशंषा सूची भेजने हेतु लिखा गया था, किन्तु आयोग द्वारा सरकार के पत्र का अब तक संज्ञान नहीं लिया है? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2014-15 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1248 पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया था। अभ्यर्थना भिजवाये जाते समय विषयवार एवं वर्गवार विवरण राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (RES) तथा राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा (RVRES) को सम्मिलित कर दर्शाया गया जबकि राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के नियम-5(II) में (RVRES) पर नियुक्त किये गये कार्मिकों के संबंध में स्पष्ट रूप से वर्णित था कि "ऐसे पदों पर जिन पर ऐसे कर्मचारियों

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

की सरकार में नियुक्ति की जायेगी, कर्मचारियों के प्रत्येक संवर्ग के लिये पृथक मृत संवर्ग गठित होगा।" (RVRES) मृत एवं पृथक संवर्ग होने के कारण इसमें नई भर्ती का प्रावधान नहीं है, इसलिये इनकी गणना नवीन भर्ती हेतु नहीं की जा सकती थी। त्रुटि संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा वर्गवार एवं विषयवार विवरण के संबंध में कार्मिक विभाग से परामर्श किया गया। कार्मिक विभाग में कुल पदों में से (RVRES) श्रेणी के व्याख्याताओं को पृथक कर नये सिरे से इकजाई विवरण आयोग को भिजवाने की सलाह दी। इसके अनुसार भूल सुधार करते हुए पुन विषयवार एव वर्गवार विवरण आयोग को भिजवाया गया, जिसमें (एस.सी. के 87 एवं एस.टी. के 66) आरक्षित पदों की संख्या परिवर्तित हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित कुल पदों में कोई कटौती नहीं की गई है।

(2) नवीन विषयवार एवं वर्गवार विवरण के कारण आरक्षित वर्गों की परिवर्तित संख्या के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर परीक्षण के उपरांत विभाग द्वारा 153 अतिरिक्त पदों पर चयन कर अनुशंसा प्रेषित करने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 09.07.2020 को लिखा। उक्त क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कार्मिक विभाग से महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 के नियम 16 के क्रम में मार्गदर्शन मांगा। महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 के नियम 16 के संबंध में कार्मिक विभाग ने निम्न अभिमत दिया:-

"नियम 16 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयेाग, अजमेर के द्वारा चयन से पूर्व विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विज्ञापित पदों की संख्या में 50 प्रतिशत तक अभिवृद्धि की जा सकती है।"

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कार्मिक विभाग से प्राप्त राय के आधार पर दिनांक 22.01.2021 को विभाग को अपने निर्णय से अवगत कराया कि "चूंकि विज्ञापन दिनांक 12.01.2015 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 01.09.2016 में विज्ञापित 29 विषयों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अत: चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त विभिन्न विषयों के 153 पदों हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों की अनुशंसा चयन सूची प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं है।"

श्रीगंगानगर में संचालित आरा मशीनों का औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरण

258. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में वर्तमान में कितनी आरा मशीन कार्यरत हैं और उन आरा मशीनों पर लाइसेंस, विद्युत कनेक्शन, अवैध लकड़ी की कटाई, बाल मजदूरी संबंधित जांच कितनी बार और कब हुई व उक्त जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी आरा मशीनें इंडस्ट्रियल एरिया में कार्यरत हैं?

(3) उक्त जिले में वर्तमान में कितनी आरा मशीन रिहायशी भूमि पर संचालित हो रही हैं? क्या सरकार उक्त आरा मशीन को इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करने या व्यावसायिक भूमि में रूपांतरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में कुल 241 लाइसेंसशुदा आरा मशीन कार्यरत हैं। वन विभाग द्वारा इन आरा मशीनों पर लाइसेंस एवं अवैध लकड़ी के संबंध में नियमित तौर पर निरीक्षण एवं जांच की जाती है। वर्ष 2020-21 में जांच दौरान अनियमितता पाये जाने पर 7 प्रकरण दर्ज किये जाकर 1.37 लाख रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से प्राप्त सूचना अनुसार अवैध विद्युत कनेक्शन एवं बाल मजदूरी के कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आये हैं।

(2) 31 आरा मशीन इंडस्ट्रियल एरिया में कार्यरत हैं।

(3) श्रीगंगानगर जिले में रिहायशी भूमि पर 210 लाइसेंसशुदा आरा मशीन संचालित हैं। इन आरा मशीन को इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करने या व्यावसायिक भूमि में रूपांतरित करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी

259. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना में कुल कितने परिवारों को कितना अनाज वितरित किया जाता है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 के मध्य जिला अजमेर में कितने नये नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गये? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में राजकीय कर्मचारियों के नाम भी उक्त सूची में जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में माह फरवरी 2021 में खाद्य सुरक्षा योजना में 1,07,19,223 (एक करोड़ सात लाख उन्नीस हजार दौ सो तेईस) परिवारों को 210446.081 मै. टन अनाज वितरित किया गया। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है

(2) जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के मध्य अजमेर जिले में खाद्य सुरक्षा सूची में 4,405 नाम जोड़े गये। माहवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है

(3) अजमेर जिले की प्रचलित खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल 1606 सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों के नाम हटाकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर 897 कर्मचारियों/अधिकारियों से 1,11,05,366 (एक करोड़ ग्यारह लाख पांच हजार तीन सौ छियासठ) रुपये की राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराई गई है। शेष 709 कार्मिकों के संबंध में उनके पैतृक विभाग से सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बसेड़ी में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

260. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की ग्रामीण जल योजनाओं अंतर्गत पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने का कार्य विभाग के बाड़ी मुख्यालय स्थित विभाग के खण्ड कार्यालय के अधीन है तथा इस खण्ड कार्यालय के अंतर्गत सहायक अभियन्ता, उपखण्ड बाड़ी एवं उपखण्ड बसेड़ी कार्यरत है।

सहायक अभियन्ता, उपखण्ड कार्यालय बसेड़ी एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय बाड़ी का सृजन राज्याज्ञा दिनांक 06.09.2013 एवं 03.10.2013 के द्वारा किया गया था।

बाड़ी मुख्यालय स्थित विभाग के खण्ड कार्यालय के अधीन वर्तमान में उपलब्ध कार्यक्षेत्र एवं कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए तथा उक्त खण्ड कार्यालय द्वारा विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी एवं बाड़ी की जल योजनाओं की पेयजल व्यवस्था के सुचारु रूप से प्रबन्धन किये जाने के कारण, विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में अधिशासी अभियन्ता के नवीन खण्ड कार्यालय का पृथक से सृजन किये जाने की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता नहीं है।

नीमराना (अलवर) में सिविल न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना

261. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उपखण्ड मुख्यालयों पर सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के उपखण्ड मुख्यालय नीमराना पर सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में किसी स्थान पर नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना हेतु उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने का मानदण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है।

(2) नीमराणा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(1)न्याय/2020 दिनांक 31.10.2020 के द्वारा कर दी गई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर ग्रामीण में खाद्य सुरक्षा की उचित मूल्य की दुकानों का निलम्बन

254. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में खाद्य सुरक्षा की उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं तथा ऐसी कितनी दुकानें हैं जिनका तीन माह का निलम्बन होने के पश्चात् भी दुकानें चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उचित मूल्यों की दुकानों को तीन माह से ज्यादा निलम्बन नहीं रखने का नियम है? यदि हां, तो क्या? जिस डीलर की दुकान का निलम्बन किया जाता है, उसे ही बाद में बहाल कर दिया जाता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दुकानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में 88 उचित मूल्य की दुकानें हैं। वर्तमान में 3 माह से अधिक समय से कोई भी दुकान निलम्बित नही है।

(2) जी हां। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाज 08 (2) में निलम्बन की अवधि 90 दिन से अनधिक किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर बहाल/निरस्त की कार्यवाही की जाती है।

(3) उत्तर बिन्दु संख्या 1 में समाहित है।

अलवर में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण माफी योजना में अनियमितता

255. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक, अलवर में ऋण माफी

(श्री रमेश चन्द मीना)

योजना में अनियमितता के संबंध में बहरोड़ थाना में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक की प्रत्यक्ष भूमिका होने के बाद भी उक्त के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

(3) प्रधान कार्यालय अधिकारी द्वारा किस आधार पर प्रबन्ध निदेशक स्तर पर होने वाली प्रविष्ठियों के सत्यापन का कार्य किया?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक की भूमिका की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर में ऋण माफी योजना में अनियमितता के संबंध में पुलिस थाना बहरोड़ जिला भिवाड़ी पर दिनांक 22.01.2019 को मुकदमा नम्बर 77/2019 धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471,120बी भारतीय दण्ड संहिता तथा दिनांक 13.02.2019 को मुकदमा नम्बर 141/2019 धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471,120बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुए। प्रकरण संख्या 77/2019 में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 15.07.2020 को तथा प्रकरण संख्या 141/2019 में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 06.07.2020 को न्यायालय श्रीमान एसीजेएम बहरोड़ में पेश की जा चुकी है। उक्त दोनों प्रकरणों में किसी को अनुचित लाभ या हानि नहीं होना पाया गया। केवल गलत डाटा एंट्री करना पाया गया, जो धारा 465 भारतीय दंड संहिता नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस का होने के कारण नतीजा एफआर अदमवकु नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस धारा 465 भारतीय दण्ड संहिता में दिया गया, जिसमें माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा ही या उनके आदेश पर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अलवर में ऋण माफी योजना 2018 में अनियमितता के संबंध में प्रबंध निदेशक, बैंक की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका के संबंध में कोई शिकायत सहकारिता विभाग के संज्ञान में नहीं है। अत: कोई भी जांच कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 के अन्तर्गत पोर्टल पर प्रबन्ध निदेशक स्तर पर प्रविष्ठियों के सत्यापन का कार्य किये जाने का कोई प्रावधान नहीं था।

(गृह मंत्री)

उक्त योजना की सुचारु रूप से क्रियान्विति हेतु प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अलवर द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर पर ऋण माफी प्रविष्ठियों के परीक्षण/जांच हेतु आदेश दिनांक 14.05.2018 के द्वारा शाखावार बैंक अधिकारियों के दल गठन किये जाकर शाखा प्रबन्धकों द्वारा भेजी गयी प्रविष्ठियों का समिति/बैंक रिकार्ड से मिलान कर परीक्षण/जांच करवायी गयी। उक्त आदेश परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, अलवर में ऋण माफी योजना 2018 में अनियमितता के संबंध में प्रबंध निदेशक, बैंक की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका के संबंध में कोई शिकायत सहकारिता विभाग के संज्ञान में नहीं है। अत: कोई भी जांच कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बड़ी सादड़ी में वाहन चोरी के दर्ज प्रकरण

256. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के विभिन्न थानों में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए तथा उक्त में से कितने प्रकरणों में बरामदगी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में वाहन चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए तथा उक्त में से कितने वाहन बरामद हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के विभिन्न थानों में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक चोरी के कुल 91 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 21 प्रकरणों में माल बरामद हुआ है। इसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2019 से जनवरी, 2021 तक वाहन चोरी के 69 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से 16 प्रकरणों में वाहन बरामद हुए हैं। इसका विवरण परिशिष्ट -ब पर संलग्न हैं1

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

257. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरापायटन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा (आर.आर.डी.एस.) के अधिकारियों की पदोन्नति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के समस्त पदों पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही कि उक्त सेवा के अधिकरियों के लिए पदवार कोई नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या नियम एवं उक्त में कौन-कौन से पदों को सम्मिलित नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आर.ए.एस. व आर.आर.डी.एस. समान परीक्षा प्रणाली एवं समान वेतन श्रृंखला के अधिकारी हैं? यदि हां, तो उक्त को पदोन्नति व सेवा शर्तो एवं अन्य देय सुविधाओं में भेदभाव क्यों है? क्या सरकार उक्त को उक्त के समान सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हेतु पदों के निर्धारण के संबंध में पत्रावली प्रक्रियाधीन है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारी कार्यरत हैं जिनके लिए पदों का निर्धारण पद की आवश्यकता एवं कार्य की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। समस्त पदों को एक ही सेवा राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा को दिया जाना नियमानुसार एवं अन्य संवर्गों के हितों के अनुरूप नहीं है।

(2) जी नहीं। नियमों में वेतनमान अनुसार पदोन्नति का प्रावधान है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.03.2020 की प्रति पताका-अ पर संलग्न है।

(3) समस्त राज्य सेवाओं हेतु अधिकारियों का चयन आर.ए.एस. भर्ती परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। उक्त परीक्षा में प्राप्त मेरिट तथा दी गई प्राथमिकता के आधार पर सेवाओं का आबंटन किया जाता है। आर.ए.एस. एक बहु विभागीय प्रशासनिक सेवा है तथा आरआर.डी.एस. एक ही विभाग से संबंधित सेवा है जिसकी तुलना आर.ए.एस. के साथ किया जाना तर्कसंगत नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना पंचायत समिति में रिक्त पद

258. श्री रूपा राम (मकराना): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना की पंचायत समिति मकराना के अन्तर्गत विकास अधिकारी, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंताओं के कितने पद सृजित हैं? क्या स्वीकृत पदों पर उक्त अधिकारी कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों व उक्त पद कब से रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समिति में मनरेगा कार्यालय में कुल कितने पद सृजित हैं? क्या सृजित पदों के अनुसार अधिकारी, कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं मनरेगा कार्यालय में कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत, लिपिक का कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति मकराना में विकास अधिकारी, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत**	**रिक्त पद**	**कब से रिक्त**
विकास अधिकारी	01	0	01	12.07.2019
सहायक अभियंता	02	1	01	वर्ष 2013 से
कनिष्ठ अभियंता	02	0	02	वर्ष 2010 से

(2) विभाग में पदों का रिक्त होना एवं भरा जाना एक सतत प्रक्रिया हे, जिसमें विभिन्न कारणों से निरन्तर पद रिक्त होते रहते हैं एवं उक्त पदों का समय-समय पर स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाता है।

(3) पंचायत समिति मकराना में मनरेगा कार्यालय में स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

(पंचायती राज मंत्री)

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
सहायक अभियंता	02	01	01
सहायक कार्यक्रम अधिकारी (संविदा)	01	0	01
एमआईएस मैनेजर (संविदा)	01	01	0
लेखा सहायक (संविदा)	05	01	04
कनिष्ठ तकनीकी सहायक (संविदा)	07	04	03
डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	04	01	03
कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (संविदा)	1	0	01
सहायक कर्मचारी (संविदा)	01	0	01

(4) जी नहीं।

माधोराजपुरा से चान्दमा कलां तक सड़क का नवीनीकरण

259. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील फागी जिला जयपुर में माधोराजपुरा से चान्दमा कलां तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत कई वर्षों से उक्त सड़क की मरम्मत, पैचवर्क नहीं किया गया है जिसके कारण सड़क की स्थिति दयनीय है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील फागी-जिला जयपुर में माधोराजपुरा से चान्दमा कलां तक सड़क की कुल लम्बाई 9.30 किमी है जिसमें से 3 किमी लम्बाई में पैच मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है एवं शेष लम्बाई में (6.3 किमी) सड़क क्षतिग्रस्त/नोन पैचेबल है।

(2) वर्ष 2018-19 में माधोराजपुरा से खेडापती बालाजी तक 3 किमी में नवीनीकरण कार्य करवाया गया था। इस लम्बाई में सड़क भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हुई है, जिस पर पैच मरम्मत कार्य करवाया जा रहा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

है। शेष लम्बाई में भी सड़क भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त/ नोन पैचेबल है, जिसको विभाग द्वारा यातायात योग्य रखने के लिए वर्तमान में डब्ल्यू.बी.एम. से पैच मरम्मत कार्य करवाया गया है।

(3) जी हां। इस सड़क का नवीनीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

किसानों को विद्युत बिलों में देय अनुदान

260. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पूर्व में किसानों को प्रतिमाह बिजली बिल में 833/- रुपये अनुदान दिया जा रहा था, जिस पर रोक लगा दी गई है? इससे किसानों पर अनावश्यक भार बढ़ गया है, साथ ही विद्युत बिलों में पैनल्टी शुरू करने से किसान काफी परेशानी में आ गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसान हित में पूर्व की भांति विद्युत बिलों में प्रतिमाह अनुदान पुन: शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में बिजली बिलों के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी के अतिरिक्त नवम्बर, 2018 से ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 05.10.2018 के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी (Block Supply) ग्रामीण क्षेत्र के पात्र कृषि उपभोक्ता (जिन पर बकाया राशि शून्य है) को रुपये 833 प्रति माह (अधिकतम राशि रु. 10000 प्रतिवर्ष) का लाभ विद्युत विपत्रों के माध्यम से समायोजन के जरिये बिलिंग माह नवम्बर, 2018 से अक्टूबर, 2019 तक प्रदान किया गया।

दिनांक 01.02.2020 से बढ़ी हुई कृषि दर का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। कृषि श्रेणी में पूर्व दर से ही बिलिंग की जा रही है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल मीटर रीडिंग से आ रहा है, को प्रतिमाह एक हजार तक व प्रतिवर्ष अधिकतम 12000 रु. अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की घोषणा की है।

(ऊर्जा मंत्री)

कोरोना महामारी के कारण जून 2020 तक स्थगित कृषि श्रेणी के बकाया बिलों को बिना विलम्ब शुल्क दो समान किश्तों में माह जुलाई एवं अगस्त में जमा करवाने की सुविधा प्रदान की गई थी। इसके बाद भी जिन उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिल जमा नहीं करवाये, उन्हें बकाया बिल 30 नवम्बर, 2020 तक बिना विलम्ब शुल्क जमा कराने की सुविधा दी गई थी।

(2) उपरोक्तानुसार।

विद्युत कम्पनियों में रिक्त पदों पर भर्ती

261. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्युत कम्पनियों द्वारा विभिन्न पदों हेतु विगत पांच वर्षों में भर्ती की गई है? यदि हां, तो कितने-कितने पदों पर कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परीक्षाओं के लिए प्रदेश के बाहर भी परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भविष्य में प्रदेश के युवाओं पर पड़ रहे व्यय भार को देखते हुए प्रदेश में ही परीक्षा केन्द्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ऊर्जा विभाग के अधीन विभिन्न निगमों में विगत पांच वर्षों में विभिन्न पदों पर भर्तियों हेतु जारी विज्ञापनों एवं दी गई नियुक्तियों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" व "ब" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा वर्ष 2016 में 11 संवर्गों, वर्ष 2018 में 16 संवर्गों एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा वर्ष 2018 में 2 संवर्गों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। इसमें प्रदेश के बाहर 28 संवर्गों के लिए परीक्षा केन्द्र बनाए गये थे। वर्तमान में सीधी भर्ती परीक्षाएं, कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रणाली से आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने हेतु निर्धारित न्यूनतम सुविधा एवं सुरक्षा प्रबंधन सहित सुरक्षित कम्प्यूटर लैब परीक्षा केन्द्रों का होना आवश्यक है। परीक्षार्थियों की संख्या के अनुपात में राजस्थान में ऐसे परीक्षा केन्द्र कम हैं। सभी अभ्यर्थियों को यथासंभव एक ही समय पर, एक ही पारी में एवं एक ही तरह का पेपर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से बाहरी केन्द्रों पर जाना पड़ता है। तथापि जिन पदों हेतु परीक्षार्थियों की संख्या कम होती है उनकी परीक्षाएं राजस्थान में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर ही आयोजित की जाती हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

बाहरी स्थानों पर परीक्षा में भी समान रूप से पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है। जिसके लिये प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा केन्द्र पर दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं फोटो लेना, समस्त प्रश्नों एवं उनके विकल्पों का क्रम बदलना, भिन्न-भिन्न निगमों में एक ही पद के प्रश्न-पत्रों में भिन्न-भिन्न प्रश्नों का समावेश, नकल के प्रकरणों को पकड़ने के उद्देश्य से रिजल्ट का सॉफ्टवेयर से विश्लेषण, इत्यादि अनेकों तरीके अपनाये जाते हैं। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर विद्युत निगमों के अधिकारी (न्यूनतम दो) भी पर्यवेक्षक के रूप में भेजे जाते हैं जो भिन्न-भिन्न विद्युत निगमों के होते हैं।

(3) जिन पदों हेतु भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या कम होती है, उनकी परीक्षाएं राजस्थान में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर ही आयोजित की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

दो माह में बिजली के बिल देने की कार्ययोजना

262. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2019 से अब तक बिजली बिलों में कब-कब कितनी-कितनी वृद्धि की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में बिजली बिलों में अगले पांच वर्षों तक किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करने की घोषणा की गई थी?

(3) प्रदेश में बिजली बिल दो माह के स्थान पर प्रत्येक माह जारी करने के क्या कारण हैं? क्या उक्त से उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए बिजली बिलों में कमी करते हुए पूर्व की भांति दो महीने के बिल जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में जनवरी, 2019 से अब तक (फरवरी, 2020 में) एक बार विनियामक आयोग द्वारा विद्युत की दरें बढाई हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) प्रदेश में सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में कृषि श्रेणी हेतु बिजली बिलों में अगले पांच वर्षों तक किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करने का वादा किया गया था। टैरिफ आदेश दिनांक 06.02.2020 द्वारा कृषि उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई दरों का भार राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जा रहा है। कृषि उपभोक्ताओं की प्रभावी विद्युत दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

(3) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश दिनांक 02.11.2017 के अनुपालना में जयपुर डिस्काम में अप्रैल, 2018 से मासिक आधार पर विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं। अजमेर डिस्काम में अजमेर शहर वृत्त, जिला वृत्त एवं भीलवाड़ा व जोधपुर डिस्काम में जोधपुर शहर वृत्त में मासिक आधार पर बिल जारी किये जा रहे हैं। मासिक आधार पर बिल जारी करने से उपभोक्ता को कोई आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ती है।

(4) सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में बीपीएल, कृषि एवं 150 यूनिट/माह उपभोग वाले उपभोक्ताओं के बिल पूर्व की भांति 2 माह के आधार पर जारी किये जाने की घोषणा की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुण्डावर में प्राचीन बावड़ियों का संरक्षण

263. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर जिला अलवर में स्थित प्राचीन बावड़ियों एवं हवेलियों का संरक्षण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर जिला अलवर स्थित प्राचीन बावड़ियों एवं हवेलियां विभाग के अधीन पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन घोषित संरक्षित स्मारक नहीं है।

बिशनवाला ग्राम (जयपुर) में भूमि की अवाप्ति

264. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमृतलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिशनवाला तहसील जयपुर में खसरा नं. 57, 59, 60 एवं 75 के खातेदारों को मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किस-किसको व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में ज.वि.प्रा., जयपुर द्वारा भूमि अवाप्त की गई है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त ग्राम के खसरा नं. 57, 59, 60 एवं 75 पर बसी हुई कालोनियों का नियमन किस आधार पर किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भूमि अवाप्ति से पूर्व किसके नाम पंजीकृत थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि नियमन संबंधी कार्य किये जाने से पूर्व राजस्व संबंधित जांच नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार अवाप्त की गई भूमि की एवज में विकसित भूमि दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मौके पर सहकारी समिति की योजना सृजित होने के कारण एवं काश्तकार/हितधारी का कब्जा नहीं होने से मुआवजा नहीं दिया गया है।

(2) जी हां। पृथ्वीराज नगर योजना संबंध में भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) अधिसूचना दिनांक 28.07.1989 का गजट प्रकाशन दिनांक 31.07.1989 के अनुसार ग्राम बिशनवाला तहसील जयपुर के ख.नं. 57 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा ख.नं. 59, 60 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा ख.नं. 75 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा अवाप्त की गई। उक्त भूमि अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 25.07.91 को अवार्ड घोषित किया गया तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 24.11.1993 को कब्जा जविप्रा को संभलाया गया।

(3) खसरा नम्बर 57, 59, 60 एवं 75 की भूमि पर मित्र गृ.नि.स.स.लि. की योजना रघुनाथ विहार बी-II का नियमन शिविर दिनांक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

21.04.2015 को आयोजित किया गया था। उक्त नियमन शिविर रघुनाथ विहार बी-II विकास समिति द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर जोन लेवल कमेटी द्वारा दिनांक 20.04.2015 को योजना मानचित्र अनुमोदन के अनुसार किया गया। पृथ्वीराज नगर हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश क्रमांक: प.6(15)नविवि/3/87/पार्ट जयपुर दिनांक 20.06.2013, 20.09.2013 एवं 30.09.2014 के आधार पर मित्र गृ.नि.स.स.लि. की योजना रघुनाथ विहार बी-II का नियमन शिविर का आयोजन किया गया था। उल्लेखित खसरा नम्बरान की भूमि पृथ्वीराज नगर की अवाप्ति में होने एवं जविप्रा के स्वामित्व की होने से राज्य सरकार द्वारा पृथ्वीराज नगर के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.04.2015 के निर्णयानुसार नियमन की कार्यवाही की गई।

(4) उक्त भूमि अवाप्ति से पूर्व जीवनी धर्मपत्नी बेवा हनुता जाट सा देह के नाम अंकन थी।

(5) नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.6(15)नविवि/3/87/पार्ट जयपुर दिनांक 20.06.2013 द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना में नियमन संबंधी कार्यवाही हेतु जोन स्तरीय समिति को अधिकृत किया गया था। प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर सृजित योजना के नियमन संबंधी जांच जोनल स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20.04.2015 में योजना अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

(6) जी नहीं। खसरा नम्बर 57, 59, 60 एवं 75 की भूमि पर मित्र गृ.नि.स.स.लि. की योजना रघुनाथ विहार बी-II का नियमन शिविर दिनांक 21.04.2015 को आयोजित किया जाकर भूखण्डधारियों/कब्जाधारियों को जेडीए द्वारा पट्टे जारी किये जा चुके हैं।

धाबास समूह योजना (जयपुर) में भूखण्डों का आबंटन

265. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा विधान सभा सचिवालय समूह आवास योजना धाबास, अजमेर रोड, जयपुर (जोन-7) में 120 मीटर साइज (15x8) के चौरस भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त साइज के भूखण्ड कब व कितने आबंटित किये गये?

(श्री कालीचरण सराफ)

कितने आबंटियों को किस कारण से पट्टा (लीजडीड) जारी नहीं की गयी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्डों में से कई भूखण्डों की माप 120 मीटर से अधिक है किंतु 15x8 साइज व चौरस नहीं है? यदि हां, तो ऐसे कितने भूखण्ड हैं? क्या उक्त भूखण्डों का पट्टा जारी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त को इसी योजना में रिक्त स्थान पर भूखण्ड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में ऐसे कितने भूखण्ड रिक्त हैं जिन्हें आबंटित नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना का कब-कब पीटी सर्वे करवाया गया तथा ऐसे कितने भूखण्ड हैं जिनको पीटी सर्वे में खसरा बाउण्ड्री पर दर्शाने के कारण आबंटित नहीं किया गया है? पीटी सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त योजना में कार्नर भूखण्ड भी आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त कार्नर भूखण्डधारियों को कितनी अधिक भूमि किस दर पर किस आदेश के तहत आबंटित की गई? भूखण्डों के नम्बर, अधिक भूमि व भूमि की दर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना में दिनांक 18.08.2003 को 109 भूखण्डों का जरिये लाटरी द्वारा आवंटन किया गया था। इन आबंटियों को समय-समय पर दिनांक 11.07.2012, 06.11.2003, 18.11.2003, 27.05.2008 एवं 30.09.2003 को आबंटन पत्र जारी किये गये हैं। आबंटियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। केवल भूखण्ड संख्या 166 के आबंटी श्री अब्दुल हई को लीजडीड जारी नहीं हुई हैं क्योंकि उनके द्वारा आबंटित भूखण्ड संख्या के स्थान पर दूसरा भूखण्ड संख्या 101 का आबंटन चाहा गया था लेकिन भूखण्ड संख्या 166 पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध होने के कारण इसे अस्वीकृत किया गया। इनके द्वारा आबंटित भूखण्ड संख्या 166 का पट्टा जारी किये जाने हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया है।

(2) जी हां। अनुमोदित योजना मानचित्र अनुसार कई भूखण्डों की माप 120 वर्ग मीटर से अधिक है। 15x8 साइज के भूखण्ड जो चौरस नहीं हैं वे

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्रमशः 114, 120, 166 व 194 हैं। इनमें से भूखण्ड संख्या 114, 120 व 194 का पट्टा जारी किया गया है तथा भूखण्ड संख्या 166 पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल उपलब्ध होने से भूखण्ड परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्णय किया गया है। भूखण्ड संख्या 166 के भूखण्डधारी द्वारा भूखण्ड परिवर्तन किये जाने का अनुरोध निरस्त किये जाने से अन्य रिक्त भूखण्ड का परिवर्तन किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(3) उक्त योजना में भूखण्ड संख्या 10, 15, 29, 30, 41 101 एवं 147 रिक्त है एवं उन्हें आबंटित नहीं किया गया है।

(4) रिकार्ड अनुसार योजना का पी.टी. सर्वे होना नहीं पाया गया है। अनुमोदित योजना मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) जी हां। उक्त योजना में कॉर्नर भूखण्ड की आबंटित किये गये हैं। आबंटित भूखण्डधारियों को कितनी अधिक भूमि किस दर पर किये गये हैं, से संबंधित सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची व मानचित्र पुस्तकालय में रखे गये।)

चम्पा नगर, जयपुर में सी.सी. रोड के निर्माण की कार्ययोजना

266. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गुर्जर की थड़ी (जयपुर) स्थित कालोनी चम्पा नगर में सीसी सड़क निर्माण हेतु स्थानीय विधायक द्वारा अनुशंसा की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) उक्त सड़क के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब जारी की गई थी तथा तकमीना कितनी राशि का था और कुल कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाना था? विधायक द्वारा जारी की गई अनुशंसा एवं जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़क कार्य बाबत संबंधित एजेन्सी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है तथा एजेंसी को भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना तथा कार्य पूर्ण नहीं होने के उपरान्त भी भुगतान किये जाने के क्या कारण रहे? उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश टाक)

(4) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में विधायक अनुशंसा अनुसार पूरी कालोनी में सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त के लिए कौन दोषी है तथा कुल कितनी सड़कों का निर्माण शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार कालोनी में शेष रही सड़कों का निर्माण करने एवं दोषी अधिकारियों व संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गुर्जर की थड़ी (जयपुर) स्थित कालोनी चम्पा नगर में सी.सी. सड़क निर्माण हेतु तत्कालीन माननीय विधायक श्री अरुण चतुर्वेदी, सिविल लाइन द्वारा राशि रु. 39.91 लाख की अनुशंसा दिनांक 10.07.2018 को की गई थी।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 39,79,655/- दिनांक 20.08.2018 को जारी की गई थी तथा तकमीना भी उतनी ही राशि का तैयार किया गया था, जिसमें 680.00 मीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित था। माननीय तत्कालीन विधायक द्वारा जारी की गई अनुशंसा एवं प्राधिकरण द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त सड़क कार्य में संबंधित एजेन्सी को जी-शिड्यूल राशि रु. 38,26,591/- पर निविदा दर कम डालने के कारण कुल राशि रु. 31,35,634/- का भुगतान किया गया एवं एजेन्सी द्वारा मौके पर कार्य पूर्ण कर दिया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण को कार्यालय जिला परिषद्, जयपुर द्वारा राशि रु. 31,93,000/- हस्तान्तरित की गई थी एवं जविप्रा द्वारा रु. 31,35,634/- में ही कार्य पूर्ण होने के कारण कार्यालय जिला परिषद्, जयपुर को शेष राशि रु. 57,366/- का चेक भिजवाया जा चुका है (संलग्न परिशिष्ट "ब")।

(4) जी नहीं। कार्यालय जिला परिषद्, जयपुर को प्रेषित तकमीने के अनुसार सम्पूर्ण कार्य मौके पर किये जाने के कारण कोई दोषी नहीं है।

(5) वर्तमान में चम्पा नगर कालोनी, गुर्जर की थड़ी में शेष रही

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सड़कों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कार्य पूर्ण होने के कारण अधिकारियों एवं संवदेक के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जैतारण के सार्वजनिक स्थानों के पट्टे देने की योजना

267. श्री अविनाश (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जैतारण में श्मशान घाट, जन सहयोग से चल रही गौशालाओं एवं बड़े गांवों के रास्ते आदि के पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गोचर, सिवायचक, गैर-मुमकिन पहाड़, नाले, वन क्षेत्र, नदी आदि सभी प्रकार की भूमि पर रास्ते, श्मशान, गौशाला, गांव आदि बसे हुए हैं? क्या सरकार कैंप लगाकर उक्त को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में जो गांव वर्षों से बसे हुए हैं, उन गांवों में मूलभूत आवश्यकताएं जैसे स्कूल, अस्पताल, श्मशान, रास्ते, पंचायत भवन आदि के लिये पट्टे व रजिस्ट्री करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्मशान घाट प्रयोजन हेतु भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत सेट-अपार्ट की जाकर उक्त अधिनियम की धारा 102 क के तहत इसे संबंधित स्थानीय निकाय के अधीन राज्य सरकार की अनुमति से किया जाता है।

गौशालाओं प्रयोजन हेतु लीज पर भूमि का आबंटन राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1957 के तहत गोपालन विभाग से पंजीकृत पात्र गौशाला संस्थान को ही किया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 251(क) के तहत

(राजस्व मंत्री)

रास्ता दर्ज किये जाने की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त हैं। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में रास्ते संबंधी उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। निर्देश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि तहसील क्षेत्र जैतारण में गोचर, सिवायचक, गैर मुमकिन पहाड़, नाले आदि प्रकार की भूमियों पर रास्ते, श्मशान, गौशाला, गांव आदि बसे हुए हैं। इनमें माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में प्रतिबन्धित भूमियों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमियों को छोड़ते हुए शेष किस्म की भूमियों का विधिक प्रावधानों के तहत परीक्षण करते हुए आबंटन की कार्यवाही करने के प्रावधान है। गोचर किस्म की भूमियों को मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषक जिनको स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए जा चुके हैं तो उक्त क्षेत्रवासियों को योजना बनाकर निकाय या पंचायत की अनुशंसा पर नियमित किया जा सकता है। शेष के लिए चरागाह भूमि प्रतिबंधित होने के कारण नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है।

जिला कलेक्टर, पाली के पत्र दिनांक 17.02.2021 द्वारा समस्त तहसीलदार जिला पाली को निकट भविष्य में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आवास हेतु पट्टे मौके पर जारी किये जाने के क्रम में इस हेतु आबादी विस्तार प्रयोजन भूमि का सर्वे कर प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जैतारण विधान सभा क्षेत्र में स्थित गांवों में राजकीय विद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन इत्यादि प्रयोजन हेतु संबंधित विभाग की मांग के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व आबंटन नियम, 1963 के विहित प्रावधानों के तहत राजकीय सिवायचक भूमि का आबंटन किया जाता है।

श्मशान एवं रास्ते प्रयोजन हेतु क्रमश: भूमि का आबंटन एवं राजस्व अभिलेख में इन्द्राज बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित प्रावधानानुसार किया जाता है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नागौर जिले में खादी ग्रामोद्योग संघ की जमीन पर अतिक्रमण

268. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिला मुख्यालय पर बासनी पुलिया के समीप जिला खादी ग्रामोद्योग संघ की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को हटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन व सरकार के द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खादी उद्योग से जुड़े कामगारों तथा बुनकरों को संरक्षण देने के उद्देश्य से आबंटित की गई उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर उक्त जमीन की तरमीम करके पुनः जिला खादी ग्रामोद्योग को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खादी ग्रामोद्योग संघ, नागौर जो कि सहकारी संस्थाएं अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है, को कस्बा नागौर के खसरा नं. 259/707 रकबा 4.10 बीघा भूमि आबंटित की गई। जिला कलेक्टर नागौर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त आबंटित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है।

नागौर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, नागौर द्वारा पूर्व में दिनांक 31.07.2015 को जिला सतर्कता समिति के समक्ष इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया गया था कि संस्था में कामगार निवास बने हुए हैं जो संस्था में बुनाई कताई का कार्य करने वाले बुनकरों को बिना किराये पर उपलब्ध कराये गये है। उक्त कामगारों के परिजनों द्वारा संस्था के क्वार्टर खाली नहीं किये जाने की शिकायत जिला सतर्कता समिति में दर्ज होने पर प्रकरण में कामगारों/कामगारों के परिजनों व संघ के मध्य आपसी विवाद होने से प्रकरण समिति से ड्राप किया गया।

उक्त अवैध कब्जाधारियों से जमीन मुक्त कराने हेतु जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, नागौर की ओर से इस संबंध में वाद स्थानीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है।

(2) वर्तमान राजस्व अभिलेख अनुसार खादी ग्रामोद्योग संघ को आबंटित 4.10 बीघा भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम की जा चुकी है तथा

(राजस्व मंत्री)

सिविल न्यायालय के निर्णयानुसार प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

महापुरा से कलवाड़ा (बगरू) बंद रास्ते को पुन: चालू करवाने की योजना

269. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बगरू की ग्राम पंचायत कलवाड़ा सहित आस-पास के 09 गांवों की कृषि भूमि, सरकार द्वारा वर्ष 2005 में महिन्द्रा सेज विकसित करने हेतु आबंटित की गई थी? क्या यह सही है कि महापुरा से कलवाड़ा के मध्य से होते हुए 6 ग्राम पंचायत क्रमश: भापुरा, अजयराजपुरा, नेवटा, पंवालिया, रामपुराउती व कलवाड़ा को जोड़ने वाला मुख्य आम रास्ता जो कि राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज है, के बंद होने से मजदूरी, नौकरीपेशा व विद्यार्थी वर्ग को जयपुर आने-जाने के लिए 8-10 कि.मी. का अनावश्यक चक्कर लगाना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त बंद महापुरा से कलवाड़ा को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते को पुन: चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू की ग्राम पंचायत कलवाड़ा सहित आस-पास के 09 गांवों की कृषि भूमि, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई थी। महापुरा से कलवाड़ा के मध्य 6 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाला आम रास्ता राजस्व रिकार्ड इन्द्राज है। मजदूरी, नौकरी-पेशा व विद्यार्थी वर्ग को जयपुर आने जाने के लिए महिन्द्रा सेज द्वारा पुराने रास्ते को अपने प्लान में मर्ज करते हुए वैकल्पिक मार्ग 200 फीट डामर सडक बनाई हुई है जिससे पुराने मार्ग से 4.4 कि.मी. दूरी बढ़ गई है।

(2) उक्त बन्द रास्ते का प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पीआईएल) नं. 20174/2017 विचाराधीन है। प्रकरण न्यायिक प्रकृति का होने से वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

महवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय की स्थापना

270. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र महवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालाहेडी एवं रसीदपुर में विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त की पालना कर दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालयों में अब तक पद सृजित नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो किन कारणों से? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में विज्ञान संकाय के पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा संख्या 256.0.0 के तहत विधान सभा क्षेत्र महवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालाहेड़ी एवं रसीदपुर में विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा की गई थी जिसकी क्रियान्विति की जा चुकी है। आदेश की प्रति **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त विद्यालयों में पद सृजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। प्रश्नोत्तर भाग संख्या 02 के अनुसार।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

दौसा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

271. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा में कितने राजकीय उच्च प्राथमिक एवं कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं? ब्लाकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, कार्यरत एवं रिक्त हैं? अध्यापक लेवलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मुरारी लाल)

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला दौसा में संचालित राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ब्लाकवार संख्यात्मक सूचना निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	ब्लाक का नाम	राप्रावि	राउप्रावि	योग
1	बांदीकुई	140	76	216
2	दौसा	78	51	129
3	लालसोट	190	109	299
4	लवाण	77	47	124
5	महवा	76	64	140
6	सिकराय	118	74	192
योग		**679**	**421**	**1100**

(2) उक्त सूचना का ब्लाक एवं विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट क-1 से क-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की लेवलवार/पदवार सूचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	राप्रावि			राउप्रावि		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	व.अ.	0	0	0	421	348	73
2	तृ.श्रे.अ. (एल-2)	0	0	0	1454	1324	130
3	तृ.श्रे.अ. (एल-1)	1437	1158	279	1121	897	224
4	शा.शि.ग्रेड-3	0	0	0	178	152	26
कुल योग		**1437**	**1158**	**279**	**3174**	**2721**	**453**

उक्त सूचना का विद्यालयवार एवं पदवार/लेवलवार विवरण परिशिष्ट क-1 से क-2 में सम्मिलित है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(3) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा संख्या 201 के तहत शिक्षा विभाग में 41000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के माध्यम से 31000 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 25.04.2021 को रीट परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से विद्यालयों में 31000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों (लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय) के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार संशोधन

272. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं? उक्त विश्वविद्यालय के कुलपतियों में से प्रत्येक को प्रोफेसर पद का कितने वर्ष का अनुभव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति पद हेतु यूजीसी रेगुलेशन के अनुरूप संशोधन कर दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 27 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में नियुक्त कुलपतियों को प्रोफेसर पद के अनुभव के संबंध में विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। अधिकांश विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कुलपति पद हेतु यूजीसी रेगुलेशन के अनुरूप आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 के कॉलम संख्या 04 में वर्णितानुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर में रिक्त पद

273. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गणेश घोघरा)

(1) क्या यह सही है कि श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकांश पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कालेज में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में शैक्षणिक वर्ग में 36 व अशैक्षणिक वर्ग में 18 पद रिक्त हैं। विषयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) सहायक आचार्य के 918 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 18.12.2020 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है, भर्ती प्रक्रियाधीन है। उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना

274. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2019 से अब तक कितने नये राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कुछ महाविद्यालयों में पूर्व में आबंटित विषयों के बदले नये विषय खोले गये हैं? यदि हां, तो किन-किन महाविद्यालयों में? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से अब तक 88 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2019-20 में खोले गये नवीन महाविद्यालयों में से 12 महाविद्यालयों में स्थानीय मांग/आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व में आबंटित विषयों के स्थान पर नवीन विषय खोले गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

टपुकड़ा व भिवाड़ी के महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

275. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा के टपुकड़ा में कन्या महाविद्यालय व भिवाड़ी में महाविद्यालय की घोषणा वर्ष 2020 में की गई थी किन्तु अब तक उक्त दोनों महाविद्यालयों में स्टाफ का अभाव है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र तिजारा के टपुकड़ा में कन्या महाविद्यालय व निजी क्षेत्र में संचालित बाबा मोहनराम किसान महाविद्यालय, भिवाड़ी को राज्याधीन किये जाने की घोषणा की गयी थी।

कन्या महाविद्यालय टपुकड़ा में भूगोल, हिन्दी व इतिहास विषय के सहायक आचार्य अन्य महाविद्यालय से कार्य व्यवस्थार्थ लगाये गये हैं तथा भिवाड़ी में निजी क्षेत्र में संचालित बाबा मोहनराम किसान महाविद्यालय भिवाड़ी को राज्याधीन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण सत्र 2020-21 में इस महाविद्यालय का संचालन संबंधित प्रबंध समिति द्वारा किया जा रहा है।

सहायक आचार्य के 918 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 18.12.2020 को विज्ञापन जारी कर दिया गया है, भर्ती प्रक्रियाधीन है। उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

पर्यावरण सन्तुलन हेतु कार्ययोजना

276. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते उद्योग, कम होते वन, कम होता जल पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यावरण सन्तुलन के लिए कोई ठोस योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो योजना के प्रारूप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(2) क्या सरकार प्रकृति व पर्यावरण संतुलन के लिए कोई ठोस कार्य करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु निरन्तर प्रयासरत है तथा केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, हजार्ड्स एवं अन्य वेस्ट रूल्स 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, सी. एन्ड डी. वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016**,** जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं वेटलेण्ड (प्रबंधन एवं संरक्षण) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों की पालना सुनिश्चित की जाती है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा राज्य स्तर पर एवं जिला कलेक्टर द्वारा जिला पर्यावरण समिति के माध्यम से जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है।

(2) पर्यावरण विभाग**,** राज्य मण्डल तथा आई.आई.टी. मुम्बई के मध्य एमओयू (MoU) हस्ताक्षरित किया गया है जिसके तहत स्टेट क्लाइमेट चेन्ज एक्शन प्लान तैयार किया जाकर जलवायु परिर्वतन के दुष्प्रभाव को रोकने का कार्य विभिन्न विभागों, उदयोगों, संस्थाओं आदि के माध्यम से किया जायेगा।

जमवारामगढ़ में वन्य क्षेत्र के गांवों की जमीन

277. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के कौन-कौन से गांव वन्य क्षेत्र में आते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वन्य क्षेत्र में आने वाले उक्त गांवों की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगी हुई है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जमवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.05.1982 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन जमवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 20 के अनुसार अभयारण्य घोषित किये जाने की अधिसूचना के उपरांत नये अधिकारों के अर्जन पर प्रतिबंध है। इस क्रम में विधि विभाग द्वारा जारी क्लेरीफिकेशन दिनांक 07.07.2011 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-बी) द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के 'सेल डीड' अथवा 'गिफ्ट डीड' के द्वारा ट्रांसफर पर रोक है।

(3) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 20 एवं उक्त क्रम में जारी क्लेरीफिकेशन दिनांक 07.07.2011 के क्रम में जमवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानानुसार हटाया नहीं जा सकता है।

बांसवाड़ा जिले में वन अधिकार-पत्र के तहत किसानों को पट्टे

278. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में भारत सरकार द्वारा विगत वर्षों में आदेश जारी कर आदिवासी क्षेत्र में वन अधिकार पत्र कैम्पों के माध्यम से किसानों को देने का निर्णय किया गया था, जिसमें विधान सभा क्षेत्र घाटोल में रेंज कार्यालय, घाटोल, रेंज कार्यालय पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ में किन-किन काश्तकारों को कब-कब कितने पट्टे जारी किये गये, कितने आवेदन विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रा.पं. सडला, अमरथून, कुवनिया, जरापुरा, खेरवा, सिरावालाघाडा के अन्तर्गत किसानों की कब्जाशुदा वन भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त को वन अधिकार-पत्र के जरिये पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

परिशिष्ट-01

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 29-**नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि:-

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज व ड्रेनेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज की नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति कराने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

6. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद् की कच्ची बस्ती क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को पट्टा देने तथा चरागाह भूमि पर बसे परिवारों को अन्य भूमि पर बसा कर पट्टा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद् क्षेत्र में आने वाली चरागाह भूमि को राजस्व विभाग से नगर परिषद् को देने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद् क्षेत्र में स्थित सुखाड़िया स्टेडियम के विकास हेतु आवश्यक राशि की स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद्, प्रतापगढ़ में सफाईकर्मियों की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के नगर परिषद्, प्रतापगढ़ में जर्जर भवन के पुन: निर्माण हेतु आवश्यक राशि की स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा):

11. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की ग्राम पंचायत बिलिया कलां में भीलवाड़ा यू.आई.टी. द्वारा विकास कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के हमीरगढ़ एवं रायपुर को नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

13. नगर विकास न्यास, अलवर को प्राधिकरण बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

14. अलवर नगर परिषद् को नगर निगम बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

15. अलवर शहर में रिंग रोड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. अलवर शहर में नगर विकास न्यास द्वारा नई आवासीय कालोनियां बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

17. नगरपालिका कपासन में स्टेडियम एवं इण्डोर स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. नगरपालिका कपासन में गुलाब सागर के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. नगरपालिका कपासन का नया मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. नगरपालिका कपासन में सब्जी मण्डी भवन बनाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. नगरपालिका कपासन में पेयजल योजना की पुरानी लाइनों को बदल कर नई पाइप लाइनें डालने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

22. नगर परिषद, बाड़मेर की सीमाओं का विस्तार एवं सफाई कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. बाड़मेर शहर के मास्टर प्लान में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

24. नगर परिषद, करौली की नवीन कालोनियों में पेयजल लाइनें डालने, पुरानी पाइप लाइनों को बदलने, आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प लगाने एवं शहरी पेयजल योजना के उपयुक्त संचालन एवं संधारण हेतु आवश्यक राशि स्वीकृत करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

25. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के बड़े गांवों एवं नगरपालिका क्षेत्र के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

26. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायत सिवाना को नगरपालिका बनाकर आय के नये स्रोत विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की नवगठित नगरपालिका का सीमांकन एवं वार्ड निर्धारण करने के लिये संबंधित ग्राम पंचायत के अलावा अन्य पंचायतों के भाग को सम्मिलित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर बस स्टैण्ड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. प्रदेश में कमजोर आर्थिक स्थिति वालों एवं मध्यम वर्ग के व्यक्तियों हेतु आवास उपलब्ध करवाने के लिये सभी नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों में विशेष कार्ययोजना बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. नगर परिषद, बालोतरा द्वारा पूर्व में अवाप्त भूमि पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट नहीं बनाये जाने से खाली पड़ी भूमि को पुन: संबंधित खातेदार को सुपुर्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

31. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क व खेल स्टेडियम बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

32. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बाड़ी नगरपालिका को "बी" श्रेणी का दर्जा देने एवं अनुदान राशि बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

33. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नगरपालिका देवली एवं उनियारा के आस-पास बसी हुई आवासीय बस्तियों को नगरपालिका क्षेत्र में जोड़ने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की नगरपालिका सीमा क्षेत्र में पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण नालों की सफाई एवं मरम्मत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की नगरपालिकाओं में सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

36. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान को लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के नगर निगम जोन में उपलब्ध संसाधनों के संबंध में चर्चा के लिए।

38. प्रदेश में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में चर्चा के लिए।

39. जयपुर सीमान्तर्गत आगरा रोड को इकोलाजिकल जोन से मुक्त कराने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

40. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के नगरीय क्षेत्रों के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

41. प्रदेश की सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगरपालिकाओं में मास्टर प्लान को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. प्रदेश की नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगमों में अध्यक्ष, सभापति, मेयर का चुनाव सीधा जनता द्वारा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की नगरपालिका में सीवरेज लाइन डालने व भूमिगत बिजली की लाइन डालने के संबंध में चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के चावण्ड-सराड़ा एवं केजड को मिलाकर नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका द्वारा ठोस कचरा प्रबन्धन एवं निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

46. कोटा शहर के रामगंजमण्डी क्षेत्र में स्वीकृत कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

47. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित ब्यावर रोड एवं नसीराबाद रोड को जोड़ने वाली एक मात्र नारीशाला रोड पर स्थित विज्ञान नगर रेलवे फाटक पर फोरलेन आर.ओ.बी. बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण की अमृत योजना में स्थित गढ़ी मालियान के नाले को पक्का बनाया जाकर वर्षा एवं गंदे जल की निकासी हेतु पुख्ता प्रबंध कर लोगों को प्रत्येक वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या से निजात दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर निगम, अजमेर द्वारा कच्ची बस्ती एवं अन्य प्रकार की भूमियों पर बसे नागरिकों को आवेदन करने के बावजूद भी पट्टा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

50. अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन गैर योजना क्षेत्र में मूलभूत सुविधा का विकास नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में कृषि भूमि का आवासीय भूमि में नियमन कर पट्टा जारी करने की पत्रावलियों का लम्बे समय से निस्तारण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

52. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के मध्य से गुजरने वाली नागदी नदी के सौन्दर्यीकरण, सार्वजनिक कुंडों एवं लगभग तीन किलोमीटर गंदे नाले की सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी में स्थित ग्राम पंचायत कोटड़ी को नगरपालिका घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर में स्थित अति प्राचीन किले को विकसित करने के लिए सड़क एवं मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

55. अलवर शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

56. प्रदेश में शहरों का विकास तीव्र गति से करने के संबंध में चर्चा के लिए।

57. यू.आई.टी. अलवर द्वारा अलवर शहर के विकास में उदासीनता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने तथा हाउसिंग बोर्ड का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. यू.आई.टी. अलवर द्वारा अलवर शहर का विकास कार्य पूर्ण नहीं कराने व स्वीकृत बजट राशि को अलवर शहर के विकास में नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

60. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की नगरपालिका खेरली के ग्राम खेरली रेल, सोंखर एवं प्रीतमपुरा को जोड़ने के लिए जरूरी कदम शीघ्र उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की नगरपालिका खेरली (कठूमर) में ग्राम खेरली रेल, सोंखर एवं प्रीतमपुरा को जोड़कर नयी विकास योजना के प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

62. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) की नगरपालिका बस्सी में कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों का नियमन कर उनमें आवश्यक सुविधाओं का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में नगरपालिका क्षेत्र बस्सी को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान के अनुसार सेक्टर रोड के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में आने वाले गांवों का सुनियोजित तरीके से विकास कर ग्रामीणों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) की नगरपालिका बस्सी को कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों के नियमन के अधिकार देकर बस्सी का सुनियोजित विकास किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

66. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की नगर परिषद् बालोतरा के अम्बेडकर टाउन हाल का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में पार्कों के निर्माण तथा उनको विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के नगर परिषद् बालोतरा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट तथा जनसुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के नगर परिषद् बालोतरा में गन्दे नाले का सौन्दर्यीकरण कर वाकिंग ट्रैक्स आदि का निर्माण कर जन उपयोगार्थ सार्वजनिक मनोरंजन एवं सामुदायिक केन्द्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में विभिन्न श्रेणी के

प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों तथा कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

71. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के सिरोही व शिवराज नगर में जोनल प्लान स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

72. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में आबूरोड नगरपालिका के विरुद्ध लम्बित मामलों में विभाग द्वारा सही पैरवी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

73. जिला कलेक्टर, सिरोही एवं सिरोही नगर परिषद् द्वारा सक्षमता के आधार पर खारिज मामलों में परिषद् द्वारा सक्षम स्तर पर कार्यवाही न करने के दर्जनों मामलों के संबंध में चर्चा के लिए।

74. सिरोही में सरगरा समाज व राजपूत समाज को छात्रावास के लिए भूमि आबंटित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में डी.टी.ओ. आफिस सिरोही से गोदूली चौराहा होते हुए शिवगंज रोड पर नगर परिषद् की मिलीभगत से आवासीय स्वीकृति देकर व्यावसायिक निर्माण कराकर करोड़ों रुपये की परिषद् को हानि पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

76. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के तहसील क्षेत्रों में पक्की नालियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

78. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की नगरपालिका मालपुरा व टोडारायसिंह में विद्युत लाइनों को भूमिगत करवाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत बृजलाल नगर को नगरपालिका मालपुरा में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के नगरपालिका क्षेत्र मालपुरा में स्थित बम्ब तालाब के सौन्दर्यीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की नगरपालिका मालपुरा व टोडारायसिंह के नवीन मास्टर प्लान को शीघ्र जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

82. नगर परिषद् क्षेत्र किशनगढ़ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर लगाने के स्थान पर नये कर्मचारियों की भर्ती कर उन्हें लगाये जाने हेतु प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान में किशनगढ़ नगर परिषद् द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं जान बूझकर शहर के विकास को अवरुद्ध करने एवं सरकारी जमीनों पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पट्टे देने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. नगर परिषद् क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित गोन्दोलाव झील में नालों/नालियों से जा रहे गन्दे पानी को अविलम्ब रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के नगर परिषद् शहरी क्षेत्र में हमीर सागर झील में करीबन 25 कालोनियों का गंदा पानी व स्लाटर हाउस की गंदगी को झील में जाने से रोकने एवं ड्रेनेज वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किशनगढ़ नगर परिषद् द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वेंडिंग जोन बनाने के बावजूद भी वेन्डर्स को नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

87. विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका नदबई में नवीन सेंट्रल पार्क की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका उच्चैन में पार्क निर्माण व सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र नदबई की नगरपालिका उच्चैन में डम्पिंग यार्ड निर्माण के लिए स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

90. हनुमानगढ़ जिले में नगर विकास न्यास (यू.आई.टी.) की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की नगरपालिका पीलीबंगा व रावतसर के मास्टर प्लान के संबंध में आमजन की राय व आपत्तियां मांगी जाकर पुन: संशोधित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. प्रदेश की स्वीकृत निजी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में आर.यू.आई.डी.पी. प्लान की स्वीकृति के बाद भी कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

94. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र सूरजगढ़ में सफाई व्यवस्था दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की नगरपालिका क्षेत्र सूरजगढ़ में बढ़ती जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए टाउन हाल बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की सूरजगढ़ नगरपालिका में तालाब के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की सूरजगढ़ नगरपालिका में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व ड्रेनेज प्रणाली दुरुस्त किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की नगरपालिका में सीवरेज लाइन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

99. विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत आहोर को बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर नगरपालिका घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायतों को मापदण्डानुसार नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मापदण्डानुसार नगरपालिका घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

102. कोटा जिले की नगरपालिका इटावा एवं सुल्तानपुर के नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने एवं सूची तैयार करने में बरती गई अनियमितताओं की जांच के संबंध में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सूकरणी नदी की बाढ़ से इटावा (कोटा) नगर की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवारें व जलबंध निर्मित करवाये जाने तथा स्वच्छता के लिए नदी में गन्दे पानी को प्रवाहित होने से रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लान्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. नगर परिषद् बून्दी द्वारा बून्दी मीना पैनोरमा के लिए चिन्हित एवं कालेज हॉस्टल की भूमि को राजनीतिक दल को आबंटित करने से राजकीय महाविद्यालय बूंदी में अध्ययनरत छात्रों के अध्ययन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के संबंध में चर्चा के लिए।

105. कोटा जिले के इटावा एवं सुल्तानपुर नगरों में सीवरेज कार्यों की आवश्यकता होने के बावजूद योजना स्वीकृति में किये जा रहे विलम्ब पर चर्चा के लिए।

106. कोटा जिले की नगरपालिका, इटावा द्वारा पूर्व की ग्राम पंचायत के नाम से जारी फर्जी पट्टों की विधिवत जांच के बिना ही उन्हें मान्यता देने से पनप रहे भ्रष्टाचार की जांच में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

107. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका में स्वीकृत कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में वंचित मोहल्लों में स्ट्रीट लाइटों की समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र स्थित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं जोगिंग ट्रैक्स और चारदीवारी का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के सीवरेज कार्य की स्वीकृति, डीपीआर में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का अभाव एवं राशि के दुरुपयोग होने से इसका भौतिक सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

112. उदयपुर नगर निगम को नगर विकास प्रन्यास से हस्तान्तरित क्षेत्र सुपुर्द करने के उपरांत भी उसमें पड़े रिक्त भूखण्डों को नहीं देने से नगर निगम के विकास में आ रही बाधाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

113. उदयपुर नगर विकास प्रन्यास क्षेत्र में सफाई एवं पानी की व्यवस्था का लाभ विभिन्न वार्डों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

114. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पैरीफेरी के गांवों से एकत्रित धन का उपयोग उनके विकास पर खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

115. उदयपुर नगर विकास प्रन्यास एवं नगर निगम के मध्य प्लाट के संबंध में हो रही हेराफेरी से उदयपुर की जनता में भारी असंतोष होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

116. नगर निगम उदयपुर में संचालित सिटी बसों की समुचित संख्या में व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

117. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की नगरपालिका, तखतगढ़ में टाउन हाल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में एनएच-62 जाखानगर चौराहे से भगत सिंह चौराहे तक सड़क को चौड़ी कर डिवाइडर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में आउटडोर एवं इन्डोर स्टेडियम निर्माण करवाने में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की नगरपालिका क्षेत्र सुमेरपुर के सिंहप्रस्थ सरोवर व तखतगढ़ के तालाब पर घाट निर्माण, वाकिंग ट्रैक्स, शौचालय, लाइटिंग, पीचींग एवं अन्य कार्य कर सौन्दर्यीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

121. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में शहर के गंदे पानी की निकासी के संबंध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्री विजयनगर शहर के गंदे पानी की निकासी के संबंध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के रायसिंहनगर एवं श्री विजयनगर शहर के सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

124. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के नगरपालिका मेड़ता सिटी में टाउन हाल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के नगरपालिका, मेड़ता सिटी में सीवरेज लाइन डाली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की नगरपालिका, मेड़ता सिटी के जैतारण चौकी के पास स्थित ज्योति नगर कालोनी व अमर नगर कालोनी में आने वाले शहर के बरसाती पानी की निकासी के लिए बड़ा नाला बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के नगरपालिका मेड़ता सिटी क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की ग्राम पंचायत मेड़ता रोड को नगरपालिका बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

129. प्रदेश की तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये अनुदान राशि में बढ़ोतरी और विशेष विकासात्मक योजनाओं की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

130. जिला भीलवाड़ा की शाहपुरा तृतीय श्रेणी की नगरपालिका क्षेत्र में एक टाउन हाल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन एवं सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

132. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण पर चर्चा के लिये।

133. भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा नगरपालिका क्षेत्र में पार्कों के निर्माण एवं विकास तथा इंदिरा रसोई योजना के सुसंचालन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

134. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की फतेहपुर नगरपालिका को नगर परिषद् बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. प्रदेश के शहरों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने एवं पदों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. प्रदेश के शहरों में मकानों एवं जमीनों के पट्टे जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. प्रदेश के शहरों की बढ़ती आबादी के अनुरूप नियोजित प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं में कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर):

139. श्रीगंगानगर शहर में आवारा पशुओं एवं श्वानों के आतंक से जनता को निजात दिलाने के लिए उन्हें निरुद्ध किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. श्रीगंगानगर में यू.आई.टी. द्वारा गौतम बुद्ध आवासीय योजना शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

141. श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय के भवन का निर्माण शीघ्र कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों को नियमित कर पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

143. श्रीगंगानगर शहर में बारिश के पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

144. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर में जर्जर सीवर लाइनों के स्थान पर नई सीवर लाइनें डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर स्थित नालों को कवर्ड कर खेल

मैदान एवं पार्किंग स्थल बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. जयपुर स्थित करतारपुरा नाले का डिमार्केशन कर दोनों ओर पक्का किए जाने एवं दोनों ओर की बसी हुई कालोनियों में सीवर लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. नगर निगम, ग्रेटर जयपुर द्वारा सिवाड़ एरिया, बापू नगर आवासों के सब-डिवीजन की पत्रावलियां व राशि जमा कराने के उपरान्त भी पट्टे जारी नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. जयपुर स्थित लाल कोठी क्षेत्र की 13 कालोनियों के पट्टे जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

149. जालौर शहर में सीवरेज प्लांट फेज 2 की डी.पी.आर. को स्वीकृत कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. जालौर स्थित सुन्देलाव तालाब के चारों तरफ पद भ्रमण के योग्य मार्ग का निर्माण किये जाने एवं उस पर वाहनों का प्रवेश वर्जित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. जालौर नगर परिषद् सीमा में स्थित स्वर्ण गिरि दुर्ग पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाये जाने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

152. जालौर नगर परिषद् को अग्निशमन वाहन (एक बड़ा एवं एक छोटा) उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. जालौर नगर परिषद् के द्वारा संधारित बगीचों में खुले जिम स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

154. भीलवाड़ा नगर परिषद् की यू.आई.टी., भीलवाड़ा में बकाया राशि तत्काल नगर परिषद् को दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. भीलवाड़ा शहर में सीवरेज योजना के कार्यों के अन्तर्गत पूरे शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल आर.यू.डी.आई.पी. द्वारा नई बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. भीलवाड़ा शहर की 50 प्राइवेट कालोनियों की पेयजल आपूर्ति हेतु यू.डी.एच. द्वारा प्राइवेट कालोनियों हेतु बनाये गये कानूनों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. यू.आई.टी., भीलवाड़ा की पैरीफेरी में आने वाली पंचायतों में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु जमीनों का पट्टा देने का अधिकार यू.आई.टी. में ही निहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

158. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रगति व वंचित आवेदनकर्ताओं को पट्टा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा रतनगढ़, राजलदेसर व छापर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व सड़क विहीन गलियों में नई सड़कें बनवाकर आमजन को यातायात में हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा रतनगढ़, राजलदेसर व छापर की कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को आवास, विद्युत व पेयजल आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा रतनगढ़ में पार्क निर्माण करने एवं परमाणा ताल में मिट्टी भराव के बाद नगर में उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

162. प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

163. नगर परिषद् चूरू में विभिन्न योजनाओं में निर्मित हो चुकी सड़कों का जान बूझकर संबंधित को भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. चूरू नगर परिषद् क्षेत्र में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए परिषद् के द्वारा दर्जनों नोटिस दिये जाने के उपरांत भी अवैध निर्माणों को नहीं रोके जाने तथा व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र चूरू की चौपाटी का रख-रखाव नगर परिषद् चूरू द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166. चूरू नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत चूरू-रतननगर, चूरू-घंटेल एवं चूरू-राजगढ़ सड़क पर बिना अनुमति के कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों के पट्टे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में चर्चा के लिए।

167. चूरू नगर परिषद् की पूर्व में स्वीकृत अमृत योजना (2016-17) की 39 करोड़ की राशि को कोटा अमृत योजना में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

168. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के नगरपालिका क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 33 के.वी. जी.एस.एस. हेतु पट्टा जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की अशोक विहार एवं गणेश नगर आवासीय कालोनी में बिना अनुमति के फ्लैट बनाने के उपरान्त भी जे.डी.ए. द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में करोड़ों रुपये की पेयजल पाइप लाइन बिना तकनीकी राय लिए डाले जाने तथा इनमें पानी नहीं आने से करोड़ों रुपये की बर्बादी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की नगरपालिका में स्वास्थ्य निरीक्षक के एक पद पर तीन कर्मचारियों के पदस्थापन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की नगरपालिका द्वारा अवैध पार्किंग के नाम पर 500 रुपये तक की अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

173. राजसमन्द नगरीय क्षेत्र में एक सार्वजनिक उद्यान विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के समग्र विकास योजना हेतु बने मास्टर प्लान को वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में संशोधित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. राजसमन्द नगर परिषद् क्षेत्र में 20 फीट एवं 30 फीट चौड़ी मार्ग वाली स्वीकृत आवासीय योजनाओं में पूर्व में बने हुए भवनों में छोड़े सेटबैक के अनुसार ही सेटबैक का प्रावधान रखकर भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

176. राजसमन्द शहर में 100 फीट रोड पर शहीद उद्यान में महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की नगर परिषद्, राजसमन्द के नवनिर्मित कार्यालय भवन का नामकरण पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्रीमती किरण माहेश्वरी के नाम पर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

178. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में एक सार्वजनिक उद्यान विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की समग्र विकास योजना हेतु बने मास्टर प्लान को वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में संशोधित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

180. विधान सभा क्षेत्र आमेर एवं विधान सभा क्षेत्र हवामहल के वार्डों में सड़कों के नवीनीकरण/डामरीकरण करने, नई रोड लाइट्स, हाई-मास्ट लाइटें तथा बिजली के पोल लगाने तथा अन्य कार्यों को लेकर किये जा रहे भेदभाव तथा आमेर के वार्ड संख्या 1 से 4 में सफाई कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न के संबंध में चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र आमेर के जाहोता मेन स्टैण्ड, भैरू जी मंदिर बेनाड़ (नांगल सिरस), नांगल पुरोहितान मेन स्टैण्ड, खोराश्यामदास मेन स्टैण्ड एवं रोजदा मेन स्टैण्ड पर हाई मास्ट लाइट्स लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र आमेर के सहरिया फार्म से महेशपुरा गांव, सरदारपुरा से चक रोजदा, हरचन्दपुरा से रोजदा, आछोजाई से सरदारपुरा, महेशवास कलां से महेशवास खुर्द सरदारपुरा पेट्रोल पंप से चतरपुरा, मोहनबाड़ी से जालसू दादर सड़क एवं हरदत्तपुरा राधास्वामी सत्संग भवन से सरनाडूंगर बावड़ी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र आमेर में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत जोन 10, 12 व 13 की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र आमेर के शहरी क्षेत्र में नगर निगम का कार्यालय आमजन की मांग को देखते हुए पूर्व की भांति संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

185. जिला अजमेर में फायसागर से पुष्कर जाने वाली सड़क पर स्थित खरेकडी पुलिया, जो विगत डेढ़ वर्ष से टूटी हुई है को तत्काल दुरुस्त कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर स्थित अजयसर से अजयपाल मंदिर और आलूबाबा मंदिर से खरेकडी पुष्कर तक जाने वाली टूटी सड़क को शीघ्र पुन: बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

187. अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सतत मानिटरिंग कराने एवं तय मापदण्डों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

188. अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड निर्माण सहित सभी विकास कार्यों को कराने में तेजी लाने एवं तय समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. अजमेर में फूस की कोठी योजना की 200 करोड़ की बेशकीमती जमीन सहित शहर में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

190. विधान सभा क्षेत्र नोखा में नोखा शहर के लिए निर्बाध व नियमित स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एवं शहर के सीवरेज सिस्टम की दुरुस्ती हेतु 155 करोड़ रुपये की प्रस्तावित संयुक्त परियोजना की शीघ्र स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र नोखा के नोखा शहर में खदानों पर बसे लोगों को चिन्हित कर अन्यत्र बसाने पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र नोखा के नोखा शहर में महाराजा गंगासिंह जी व सेठ सुगनचंद जी की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र नोखा की नगरपालिका नोखा में कार्यरत सफाईकर्मियों का वेतन समय पर देने के संबंध में चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र नोखा के नोखा शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों का पैचवर्क कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

195. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न नगरपालिकाओं में कार्यरत सफाईकर्मियों को अन्यत्र लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

196. जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरणों तथा विभिन्न नगर निगमों, परिषदों तथा नगरपालिकाओं में शीघ्रलिपिकों तथा कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न नगर निकायों में सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न नगर निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान में किये गये कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के स्थानीय निकायों में रोड लाइटें खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

200. जयपुर स्थित विधान सभा नगर धौलाई (मानसरोवर) में वर्ष 1994 में काश्तकारों द्वारा जमीनों का बेचान कर वर्ष 2008 में 90बी होने के उपरान्त भी भूखण्डधारियों के द्वारा आवास निर्माण कार्य में काश्तकारों द्वारा बाधा डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

201. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के नगर निगम रोड स्थित पीपलेश्वर शिवालय के सामने कचरा संग्रहण होने से तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पास बने शौचालय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

202. जयपुर स्थित डिग्गी रोड पर सवाई माधोपुर रेलवे अंडर पास की चौड़ाई दोगुनी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

203. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. जयपुर में विभिन्न गृह निर्माण समितियों की आवासीय योजनाओं के नियमन करने एवं उनके विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में रामपुरा रोड रेलवे फाटक से डिग्गी रोड हेतु प्रस्तावित सेक्टर सड़क शीघ्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

206. कोटा यू.आई.टी. को कोटा विकास प्राधिकरण घोषित के कारण इसमें सम्मिलित होने वाले गांवों की सीमाओं तथा इनमें समान विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की केशोरायपाटन, कापरेन, लाखेरी एवं इन्द्रगढ़ नगरपालिकाओं में विगत तीन वर्षों में हुए विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के कोटा रंगपुर एवं केशवरायपाटन नाव मार्ग चम्बल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. कोटा सम्भाग के नगरीय क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के केशोरायपाटन, लाखेरी तथा इन्द्रगढ़ में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

211. जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्वयं की आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किये जाने की आवश्क्ता पर चर्चा के लिए।

212. जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निजी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर स्थित सुन्दर बालाजी पहाड़ी, उम्मेदसागर

तथा श्याम मनोहर मंदिर को संयुक्त रूप से पर्यटन ठहराव की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर स्थित कायलाना एवं संलग्न क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण में गुम हुई पत्रावलियों की जांच अविलम्ब पूरी कराने तथा नवीनतम फाइल ट्रेंकिंग सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

215. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में एस.सी., एस.टी. कालोनियों में सामुदायिक भवन व वाचनालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के तीर्थराज पुष्कर में नगर सुधार न्यास की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में आवासन मण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-02

लिखित वक्तव्य

मा. सदस्य श्री महेन्द्र विश्नोई द्वारा सदन में रखा गया वक्तव्य

मांग संख्या 29 : नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी की निम्न समस्याएं हैं:-

1. जोधपुर शहर के पास मेरी 6 ग्राम पंचायतें हैं, कुड़ी भगतासनी, सांगरिया, पाल, झालामंड, नान्दडी, चोखा है, इनके अन्दर सीवरेज का कार्य नगर निगम व जेडीए द्वारा नहीं करवाया जाता है जबकि इन ग्राम पंचायतों में बिजली के बिल में सीवरेज चार्ज लिया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि इनके अन्दर सीवरेज की मरम्मत का कार्य नगर निगम के द्वारा किया जाए।
2. विधान सभा क्षेत्र लूणी में सरकारी कार्यालय, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य सरकारी कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का कार्य जोधपुर प्राधिकरण के द्वारा नहीं किया जाता है। फाइल जयपुर आती है जिससे समय अधिक लगता है और समय पर कार्य नहीं हो पाता है। मैं यह मांग करता हूं कि जोधपुर प्राधिकरण को भूमि आबंटन का कार्य दिया जाए जिससे कि जनहित का कार्य शीघ्र पूर्ण हो तथा जनता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो।
3. लूणी विधान सभा क्षेत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। इनमें पार्कों का विकास, खुले जिम, जिम का निर्माण आदि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जाए।
4. जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए बनाई गई सड़कें 3.5 मीटर चौड़ी बनती है, इनको बढ़ाकर 5.5 मीटर की चौड़ी बनाई जाएं जिससे कि यातायात की समस्या का समाधान हो सके।
5. ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि नहीं होने के कारण ग्राम का विकास नहीं हो पाता जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, जो पहले की आबादी भूमि थी वह अब वर्तमान में कम पड़ती जा रही है। ग्राम पंचायतों को जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आबादी भूमि उपलब्ध करवाई जाए जिससे आम व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सके।
